Vol. 247
No. 18

Wednesday
9 January, 2019
19 Pausha, 1940 (Saka)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Clarification sought with regard to extending the Session for one day (page 1)

Messages from Lok Sabha—

The Citizenship (Amendment) Bill, 2019 – *Laid on the Table* (pages 1-2)

The Constitution (One Hundred and Twenty-fourth Amendment) Bill, 2019 – *Laid on the Table* (pages 1-2)

Clarification given by the Chair with regard to extending the Session for one day (pages 2-8)

Matters raised with Permission —

Fishing boats and fishermen detained by Pakistan's Marine Police (pages 8-11)

Problems arising out of stray animals and non-availability of Urea (pages 11-12)

Closing down of ICAR-CPCRI regional station in Kerala (pages 12-13)

Decreasing number of Hindi medium candidates in Civil Services exams (pages 13-14)

[P.T.O.

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

PRICE : ₹ **100.00**

Farmer's distress and agrarian crisis (pages 14-15)

Need for financial grant to AMU Kishanganj centre (pages 15-16)

Need to install National Flag at Zero Point in Kanyakumari (pages 16-17)

Government Bills —

The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019 – *Introduced* (page 17)

The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2019 – *Introduced* (page 18)

The Constitution (One Hundred and Twenty-fourth Amendment) Bill, 2019 – *Passed* (pages 18 and 37-236)

Amendment for reference of the Bill to Select Committee of the Rajya Sabha (pages 18-31)

Statement by Minister —

The Law and Order situation in the North-Eastern States of the country over the passing of the Citizenship (Amendment) Bill, 2019 (pages 31-34)

Ruling by the Chair (pages 34-36)

Regarding Clarifications sought with regard to the Statement by the Minister (page 36)

Special Mentions – *Laid on the Table*

Demand to start work on railway lines connecting Fatehpur, Uttar Pradesh and Panna, Madhya Pradesh (page 236)

Bestowing title of "Shaheed" to honour Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev and Chandrashekhar Azad (pages 236-237)

Demand to take safety measures at Sonegaon demolition centre for disposal of explosives in Maharashtra (page 237)

Website : http://rajyasabha.nic.in
http://parliamentofindia.nic.in
E-mail : rsedit-e@sansad.nic.in

Demand to pay attention toward problem of rising rate of unemployment, lower wages and rural-urban divide (page 238)

Demand to increase minimum wages to ₹ 18,000 per month (pages 238-239)

Demand to enhance budgetary allocation and release of funds for drinking water projects in rural Meghalaya (page 239)

Demand for urgent measures to deal with drought in Maharashtra (pages 239-240)

Demand to impound passports and denying visas to pro-Khalistani elements (pages 240-241)

Valedictory Remarks (pages 241-242)

National Song (page 242k)

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA) AND PRINTED BY PRINTOGRAPH, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005

RAJY SABHA

Wednesday, the 9th January, 2019/19th Pausha, 1940 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. DEPUTY *Chairman in the Chair*

CLARIFICATION SOUGHT WITH REGARD TO EXTENDING THE SESSION FOR ONE DAY

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Memoranda of Business. Messages from Lok Sabha. The Secretary-General. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let it be completed. ...*(Interruptions)*... Let it be completed. ...*(Interruptions)*... I will listen to you. ...*(Interruptions)*... Just after him I will listen to you. ...*(Interruptions)*... I will listen to you after the Secretary-General. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: Yesterday, the Lok Sabha was adjourned *sine die*. But here, all of a sudden, without taking the sense of the House into consideration, you announced that the House would meet tomorrow at 11.00 a.m. How can you announce it like that? You never had the powers. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, I have a point of order on this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will give you time. ...*(Interruptions)*... I heard you and I would reply to that. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: Without taking the sense of the House ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I heard you. ...*(Interruptions)*... Messages from Lok Sabha. ...*(Interruptions)*... The Secretary-General ...*(Interruptions)*...

MESSAGES FROM LOK SABHA

(I) The Citizenship (Amendment) Bill, 2019.

(II) The Constitution (One Hundred and Twenty-fourth Amendment) Bill, 2019.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from Lok Sabha, signed by the Secretary-General of Lok Sabha: —

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Citizenship (Amendment) Bill, 2019, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 8th January, 2019."

(II)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Constitution (One Hundred and Twenty-fourth Amendment) Bill, 2019, which has been passed by Lok Sabha at its sitting held on the 8th January, 2019, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of each of the Bills on the Table.

CLARIFICATION GIVEN BY THE CHAIR WITH REGARD TO EXTENDING THE SESSION FOR ONE DAY

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, my point of order is under Rule 12. On 19th of November, a Bulletin was issued informing the Members about the commencement of the 247th Session and a Provisional Calendar was issued which says, and I will quote only one line, "As at present arranged, sittings of the Rajya Sabha for the transaction of business during the Two Hundred and Forty Seventh Session have been fixed provisionally from December, 11 till January, 8." So, it was supposed to be concluded yesterday. And there was no announcement from the Chair as to whether the House had been extended till today or not. At the close of the day, the Chair said that the House was adjourned till tomorrow at 11.00 a.m., without mentioning, as per the Rules, because the Chairman has the power and we are not questioning the power or the authority of the Chairman. We are not questioning the power or the authority of the Chairman and there is no prestige issue. I am just inviting your attention to the Rules and Procedure. Rule 12 under sub-heading 'Days of sittings' says, "The Council shall sit on such days as the Chairman, having regard to the state of business of the Council, may from time to time direct." There was no direction from the Chairman. Now, what is the procedure? The procedure has been stated in the book "RAJYA SABHA AT WORK", Third Edition, page No.365, Chapter 11. I will quote only two-three lines. The caption is 'Fixation of sittings'. It says, "The Rajya Sabha sits on such days as the Chairman, having regard to the state of business of the Council..." This is Rule 12. Then another

caption is, 'Provisional Calendar of sittings'. It says, "Along with the summons for a session a Provisional Calendar of sittings showing the programme of sittings so fixed is issued to members." I have already mentioned that. Then it says, "Changes in the programme of sittings as shown in the Provisional Calendar of sittings and notified in the Bulletin may be made as and when necessary and announced by the Chairman in the House and notified in the bulletin."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I got your point.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI VIJAY GOEL): Sir, I ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, one second. I have not yet finished it. Please allow me. There was no announcement. There was no notification. In protest of that, we were sitting in the House even after the adjournment and thereafter we made a press statement. And after 7 o'clock, we found from some sources that a bulletin had been issued. रात के अंधेरे में एक बुलेटिन पब्लिश किया गया। This is not only abridgement of the rules but also a total disregard to the Parliamentary procedures hitherto practiced by this House. ...*(Interruptions)*... It is unprecedented, arbitrary and illegal. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: धन्यवाद।

SHRI SATISH CHANDRA MISRA (Uttar Pradesh): Sir, I associate myself with the point raised by Shri Sukhendu Sekhar Ray.

SHRI SURENDRA SINGH NAGAR (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the point raised by Shri Sukhendu Sekhar Ray.

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the point raised by Shri Sukhendu Sekhar Ray.

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the point raised by Shri Sukhendu Sekhar Ray.

MS. DOLA SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the point raised by Shri Sukhendu Sekhar Ray.

SHRI SUBHASISH CHAKRABORTY (West Bengal): Sir, I also associate myself with the point raised by Shri Sukhendu Sekhar Ray.

SHRIMATI SHANTA CHHETRI (West Bengal): Sir, I also associate myself with the point raised by Shri Sukhendu Sekhar Ray.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी श्री सुखेन्दु शेखर राय द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी श्री सुखेन्दु शेखर राय द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): महोदय, मैं भी श्री सुखेन्दु शेखर राय द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the point raised by Shri Sukhendu Sekhar Ray. ...*(Interruptions)*...

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, we have given notice under Rule 267. ...*(Interruptions)*...

श्री विजय गोयल: सर, सदन को अच्छा लगता कि हम चिंता इस बात के लिए करते कि जो 20 दिन सदन चलने वाला था, उसमें से 10 दिन हंगामें की भेंट चढ़ गए। हमारी चिंता वह होनी चाहिए थी। सदन में आप यह चिंता कर रहे हैं कि सरकार कार्य करने के लिए एक दिन बढ़ाना चाहती है, उसके पास important Bills हैं और उनको पारित करना है। वे बिल हैं ...**(व्यवधान)**... आनन्द शर्मा जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप बैठ जाइए, उसके बाद में अपनी बात रखिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN (Tamil Nadu): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री विजय गोयल: प्लीज़ सर। ...**(व्यवधान)**... उपसभापति जी ने मुझे बोलने के लिए कहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: केवल मंत्री विजय गोयल जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी। ...**(व्यवधान)**... विजय गोयल जी, आप बोलिए। विजय गोयल जी, आप इधर देखिए। ...**(व्यवधान)**... माननीय मंत्री विजय गोयल जी, आप चेयर की तरफ देखिए और अपनी बात कहिए।

श्री विजय गोयल: सर, सदन को चिंता, जो 10 दिन हंगामे में चले गए, सदन चला नहीं, जनता हमको देख रही है, उसकी होनी चाहिए थी और चिंता हम यह कर रहे हैं कि हमने एक दिन कार्य दिवस क्यों बढ़ा दिया, जबकि हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं। आज जिस बिल के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें सभी पार्टियों का यह कहना है कि इस बिल द्वारा जो 10% आर्थिक आरक्षण मोदी सरकार देने जा रही है, उस बिल पर लगभग सभी की सहमति है। ...**(व्यवधान)**... यह अधिकार सरकार का और चेयरमैन का है कि अगर सरकार कार्य दिवस को बढ़ाना चाहती है तो वह बढ़ा सके। मैं बताना चाहता हूं कि रूल 266 के अंदर भी सरकार को पावर है और इसके साथ-साथ BAC के अंदर भी पूरी चर्चा की गई कि सरकार एक दिन के लिए सदन को बढ़ाना चाहती है।

श्री संजय सिंह: BAC में सहमति नहीं हुई थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय गोयल: Formal और informal सभी तरीकों से इस बात की चर्चा की गई। मैं समझता हूं कि अगर यह जो बिल आया हुआ है, The Constitution (One Hundred Twenty-Fourth Amendment) Bill, जिसमें सरकार सवर्णों को भी 10% आरक्षण देना चाहती है, उस बिल को पारित होने दीजिए और उसके ऊपर चर्चा शुरू होनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)... चाहे रूल 12 हो और चाहे रूल 226 हो, दोनों के ऊपर सरकार को यह अधिकार है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: विजय गोयल जी, आप बैठें। मैं सभी से आग्रह करूंगा, चूंकि एक दिन extension पर सवाल उठा है, इसलिए मैं उस पर अपना पक्ष चेयर के रूप में कहना चाहूंगा। ...(**व्यवधान**)... मैं अपना पक्ष कहना चाहूंगा। आप प्लीज़ अपनी सीटों पर बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, he has a point of order. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I want a ruling. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have heard your point of order. ...*(Interruptions)*... Please take your seats. ...*(Interruptions)*... इस सत्र को एक दिन बढ़ाए जाने के संबंध में, मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। कल सुबह यानी 8 जनवरी, 2019 को Business Advisory Committee की मीटिंग के एजेंडा Item B के रूप में इस बारे में प्रमुखता से सूचना थी। Request was received from the Minister of Parliamentary Affairs for extending the sitting of the Rajya Sabha by one day and accordingly scheduling a sitting on Wednesday, that is, 9th of January, 2019. स्पष्ट है कि House extension का फैसला सरकार का इस विषय में पत्र प्राप्त होने के बाद माननीय चेयरमैन द्वारा एवं सरकार समेत विभिन्न दलों के नेताओं के साथ हुई चर्चा के तहत लिया गया। BAC में दलों के माननीय नेता समेत कई अन्य माननीय वरिष्ठ सांसद मौजूद थे। ...(**व्यवधान**)...

श्री मधुसूदन मिस्त्री (गुजरात): उपसभापति जी ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: उसमें माननीय चेयरमैन थे। इसके बाद पुन: अनौपचारिक रूप से हुई दो बैठकों में, एक में खुद माननीय चेयरमैन एवं विपक्ष व सरकार के वरिष्ठ नेता थे। पुन: दोपहर बाद विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं, जिसमें सदन के माननीय नेता एवं प्रतिपक्ष के सम्माननीय नेता समेत बड़ी संख्या में माननीय सांसद मौजूद थे, उसमें विस्तृत चर्चा सरकार एवं विपक्ष के बीच हुई, उसके अनुरूप मैं सदन को चलाने की कोशिश कर रहा था। BAC की मीटिंग के मिनट्स में स्पष्ट है और पुन: राज्य सभा बुलेटिन में इसकी सूचना है। इस फैसले के तहत आज 11.00 बजे तक के लिए कल हाउस adjourn किया गया था। यह चेयर का पक्ष देना मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि कल शाम से अब तक बाहर-अंदर कई चीज़ें कही जा रही हैं, पर चेयर की सीमा है कि वह बाहर कहीं कुछ कह नहीं सकती, इसलिए मैं आपके बीच स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं।

[श्री उपसभापति]

अंतिम बात, मैंने जो कल 11.00 बजे तक के लिए हाउस adjourn किया, मेरी समझ में इसमें implied था कि एक दिन का extension हुआ। ...(**व्यवधान**)... चूंकि पहले भी बात हो रही थी। ...(**व्यवधान**)... अगर यह चूक है ...(**व्यवधान**)... अगर आप इसको चूक मानते हैं ...(**व्यवधान**)... एक मिनट ...(**व्यवधान**)... अगर आप इसको चूक मानते हैं, तो यह मेरी समझ की चूक है, मेरी निजी चूक है। ...(**व्यवधान**)... That's all. ...*(Interruptions)*... श्री आनन्द शर्मा जी। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: No, no. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: Sir, please. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Anandji. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय सिंह: सर, यह सात तारीख को मीडिया में कैसे आ गया? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आनन्द शर्मा जी। ...(**व्यवधान**)... आनन्द शर्मा जी। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)... Just one minute. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: Sir, one minute. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. MUTHUKARUPPAN (Tamil Nadu): Sir, please allow him. ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Sir, please allow him. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have heard him. ...*(Interruptions)*... I have already heard him. ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN: No, you have not heard him, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already heard him. ...*(Interruptions)*... I am requesting. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: Sir, Rule 37 states that no variation in the Allocation of Time Order shall be made except by the Chairman, who may make such variation if he is satisfied after taking the sense of the Council that there is a general agreement for such variation. There was no agreement at all. You never took the sense of the House. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would come to that. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: No, no. ...*(Interruptions)*... I want an answer. ...*(Interruptions)*... No, no. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: आनन्द शर्मा जी। ...(**व्यवधान**)... मैंने कहा कि मैं इसका आन्सर दूंगा। ...(**व्यवधान**)... अब आनन्द शर्मा जी को बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, आनन्द शर्मा जी, अब आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN: No. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already told, it is not necessary that I would reply now. ...*(Interruptions)*... I have heard your point of view. ...*(Interruptions)*... I would come to that. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Now, Anandji. ...*(Interruptions)*...

श्री आनन्द शर्मा: सर, जिस तरह से सरकार आखिरी दिनों में, मध्य रात्रि के समय निर्णय करती है। ...(**व्यवधान**)... और सदस्यों को ...(**व्यवधान**)... देखिए, या तो हाउस चला लें या टोका-टोकी करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: कृपया शांति बनाए रखिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा: मैं बैठ जाता हूं। आप हाउस चला लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आनन्द जी, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा: सर, आप उनको समझाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आनन्द शर्मा जी के अलावा और किसी की बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। प्लीज़, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा: सर, एक सैद्धांतिक बात है। माननीय सदस्यों ने, सुखेन्दु शेखर राय जी ने और एस.आर. बालासुब्रमण्यम जी ने यह बात कही है कि सदन किस तरह से चलेगा। सरकार का अधिकार है कि सरकार कोई भी बिल लाए, सरकार कोई निर्णय करे, हम उसको चुनौती नहीं देते, परन्तु नियमावली पर सदन चलता है। जिस तरह से यह अवधि बढ़ाई गई है, यह बिना आम सहमति के बढ़ाई गई है, मैं इस बात को रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं। जहां तक पूरा प्रतिपक्ष है, हमने इसकी सहमति नहीं दी थी, यह सरकार की तरफ से प्रस्तावना है, न ही बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में इस पर कोई निर्णय हुआ, न ही कोई टाइम एलोकेट हुआ।

दूसरी बात यह है कि बहुत लम्बे समय के बाद ऐसी परिस्थिति आई है कि सरकार और विपक्ष में कोई वार्तालाप नहीं है और अगर सदन नहीं चलता है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकार सहमति बनाए, सरकार विपक्ष से बात करे, चाहे किसी भी दल का कोई मुद्दा है, किसी राज्य का कोई विषय है, यह विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती। सरकार की तरफ से सदन चलाने की कोई कोशिश नहीं हुई और उसके बाद बाहर जाकर विपक्ष को दोष दिया जाता है। हमने कई बार कहा, हमने कई विषय उठाये थे, नेता सदन ने भी उस बात को शुरू में माना कि हमने कई विषयों पर नोटिस दिया, राफेल पर बहस की जाए, लेकिन उस पर आज तक बहस नहीं हुई है। आपने यह तो कह दिया

[श्री आनन्द शर्मा]

कि हम बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन तैयार होने से बात नहीं होती। आप दूसरी चीज़ें ला रहे हैं, जिसके लिए सदन की सहमति नहीं है।

उपसभापति महोदय, हमने सदन में एक बात कही थी और यह बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में तय हो चुका कि राज्य सभा के अपने निर्णय हैं, अपनी परम्पराएं हैं। राज्य सभा ने निर्णय किया था कि कोई भी बिल, मैं किसी बिल की मैरिट पर नहीं जाना चाहता हूं और मैं किसी बिल का नाम नहीं लेता हूं, जब तक पार्लियामेंटरी स्क्रूटनी नहीं होगी, वह बिल सदन में नहीं लाया जाएगा। But, what the Government is doing whether it is a Constitutional Amendment or Bills on sensitive matters, it has become a habit of this Government to bypass legislative scrutiny and treat this House as a mere rubber stamp. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: आप अपनी बात समाप्त करें। ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANAND SHARMA: We cannot accept this situation. ...*(Interruptions)*... You take the sense of the House as per the rules. ... *(Interruptions)*... You take the sense of the House then. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: ज़ीरो ऑवर। श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल। ...(**व्यवधान**)...

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Fishing boats and fishermen detained by Pakistan's Marine Police

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल (गुजरात): माननीय उपसभापति जी, ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: आपने अपनी बात पूरी कह दी है। ...(**व्यवधान**)... श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल की बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। अन्य किसी माननीय सदस्य की बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANAND SHARMA: *

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल (गुजरात): महोदय, जब से नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार आई है, तब से गुजरात और तमिलनाडु के मछुआरों को बहुत खुशी मिली है। ...(**व्यवधान**)... गुजरात के हजारों मछुआरे पाकिस्तान ने छोड़े हैं। ...(**व्यवधान**)... हज़ारों तमिलनाडु के मछुआरे श्रीलंका ने छोड़े हैं। ...(**व्यवधान**)... यह मोदी सरकार की उपलब्धि है। जब से मोदी सरकार आई है, तब से मछुआरों में बहुत खुशहाली आई है। ...(**व्यवधान**)... मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि

* Not recorded.

अभी हाल ही में किंग फिशिंग बोट को पाकिस्तान ने पकड़ा है। ...**(व्यवधान)**... सर, वह किंग फिशिंग बोट पाकिस्तान की सीमा में फिशिंग नहीं कर रही थी। वह इंटरनेशनल समुद्री सीमा में फिशिंग कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे पाकिस्तान द्वारा पकड़ लिया गया। ...**(व्यवधान)**... सर, उसे इल्लीगली पाकिस्तान द्वारा पकड़ा गया है। ...**(व्यवधान)**... सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और सरकार से कहना चाहता हूं कि इस illegal kidnapping को पाकिस्तान की दादागिरी कहा जाए, गुंडागर्दी कहा जाए, लेकिन इसे पाकिस्तान से छुड़ाया जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय नेता सदन खड़े हो रहे हैं। कृपया माननीय नेता सदन को बोलने दें। ...**(व्यवधान)**... माननीय नेता सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष को शांति से सुनने की इस हाउस की परम्परा रही है, इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI ANAND SHARMA: One minute. ...*(Interruptions)*... Sir, the Leader of the House has also yielded. I am raising something very serious. Please listen to this. Our concern is about the North-East of the country. The entire North-Eastern India is on fire. ...*(Interruptions)*... It affects the security and stability of India. ...*(Interruptions)*... Forget about any other discussion, the Government is responsible, the Home Minister must come and make a statement. ...*(Interruptions)*... There is no question of any Bill. First, the Home Minister must come. Let the North-Eastern India hear that the Parliament is concerned and the Parliament has listened to what their cry is. ...*(Interruptions)*... If we do not do this, we will be sending the most dangerous message to the North-Eastern States, which needs to be checked. ...*(Interruptions)*... I demand from the Leader of the House that this is a serious situation, let the Home Minister come. ...*(Interruptions)*... Please, this is our request to the Government; assure the country, assure the North-Eastern India that you will not proceed and do anything which threatens the very unity of the country. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: कृपया अपनी-अपनी जगह पर बैठ जाएं। ...**(व्यवधान)**... माननीय नेता सदन को सुनने की परम्परा इस हाउस की रही है। ...**(व्यवधान)**... कृपया आप लोग अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाएं। ...**(व्यवधान)**...

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, some hon. Members have raised a point with regard to the sitting of the House today. ...*(Interruptions)*... The hon. Member from the AIADMK has raised the issue under Rule 37. Rule 37 deals with allocation of time and not with days of sittings. 'Days of sittings' is regulated by Rule 12, and, therefore, this is not a case of allocation of time. He has referred to a wrong rule. The rule in question is Rule 12, where the sense of the House, ...*(Interruptions)*... The word which is mentioned for Variation under Rule 37 is not an

[Shri Arun Jaitley]

expression used. ...*(Interruptions)*... It's a sole prerogative of the Chair keeping in mind the Business of the House. Since an important Business has been pending, the Chair has taken a decision. It is being a long-standing tradition; we don't question the ruling as far as the Chair is concerned.

Secondly, Sir, the country expects the House to function. Now, on the normal working days as per the calendar, ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Your answer that the country does not expect the House to function. ...*(Interruptions)*...

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: प्लीज़, रिपुन बोरा जी, अपनी सीट पर बैठ जाएं। ...(**व्यवधान**)... Boraji, please take your seat. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: On normal working days, we should have been working; on most of them, the House stood adjourned. ...*(Interruptions)*...So there is one extra day to consider important legislations. ...*(Interruptions)*... And what Mr. Anand Sharma has said with regard to North-East, when that Bill comes up, he is free to make all his observations. Therefore, you, Sir, may proceed with the Business of the House. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Rajmani Patel; Zero Hour. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, we have serious concern about the North-East. ...*(Interruptions)*... The Government is not serious. ...*(Interruptions)*... It is not law and order...*(Interruptions)*... Sir, the Government is responsible. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Chunibhai Kanjibhai Gohel, please complete it. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: The Home Minister must make a statement. ...*(Interruptions)*...

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल: उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह बात कहना चाहता हूं कि ...(**व्यवधान**)... हमारे इन तीनों मछुआरों को पाकिस्तान की समुद्री सीमा न होते हुए भी ...(**व्यवधान**)... illegaly पकड़ा गया है। ...(**व्यवधान**)... सर, इन्होंने क्या किया कि ...(**व्यवधान**)... अपनी पाकिस्तानी मरीन ...(**व्यवधान**)... जो स्टीमर थी ...(**व्यवधान**)... वह अपनी हद में रखी ...(**व्यवधान**)... वहां

से ...(**व्यवधान**)... 65 नॉटिकल माइल्स ...(**व्यवधान**)... इंटरनेशनल समुद्र में अपनी बोट को भेजा और ...(**व्यवधान**)... तीन मछुआरों को पकड़ लिया। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: और कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...(**व्यवधान**)... कृपया अपनी जगह पर जाएं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANAND SHARMA: *

SHRI BHUBANESWAR KALITA: *

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल: सर, हमारी गुजरात सरकार ने सभी मछुआरों को जीपीएस सिस्टम दिया हुआ है। ...(**व्यवधान**)... इस हिसाब से ...(**व्यवधान**)... जहां से उन लोगों ने ...(**व्यवधान**)... उन्हें पकड़ा है ...(**व्यवधान**)... वहां पर मार्क है। ...(**व्यवधान**)... वहां पर स्पेस मार्क है। ...(**व्यवधान**)... वहां से ...(**व्यवधान**)... पकड़ सकते हैं कि वह किसकी सीमा है? ...(**व्यवधान**)... यह बात साबित करनी जरूरी है। ...(**व्यवधान**)... अभी तक यह कहा जाता था कि मछुआरे हमेशा पाकिस्तान के बॉर्डर में जाकर ...(**व्यवधान**)... वहां से फिशिंग करते हैं। ...(**व्यवधान**)... सर, मेरी आपसे गुजारिश है ...(**व्यवधान**)... मैं आपके द्वारा सरकार से विनती करना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)... कि उन तीनों मछुआरों को ...(**व्यवधान**)... फिशिंग बोट्स को और ...(**व्यवधान**)... सारे ग्रुप को ...(**व्यवधान**)... जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ...(**व्यवधान**)... थैंक यू।

श्री उपसभापति: जो वेल में हैं ...(**व्यवधान**)... वे अपनी-अपनी जगहों पर जाएं और हाउस को चलने दें। ...(**व्यवधान**)... पिछले 18 दिसंबर से ...(**व्यवधान**)... हम किस तरह से काम कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)... यह पूरा देश देख रहा है। ...(**व्यवधान**)... श्री राजमणि पटेल, आप बोलिए ...(**व्यवधान**)... केवल आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

Problems arising out of stray animals and non-availability of Urea

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी, यूरिया खाद की कमी तथा आवारा पशुओं की समस्या ...(**व्यवधान**)... इस समय मध्य प्रदेश, विशेषकर ...(**व्यवधान**)... रीवा जिले के किसान ...(**व्यवधान**)... यूरिया खाद की कमी के संकट से जूझ रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... नवाइयों ...(**व्यवधान**)... में खबर ...(**व्यवधान**)... कहीं समितियों में ...(**व्यवधान**)... खाद नहीं मिल रही है। ...(**व्यवधान**)... प्राइवेट दुकानदारों द्वारा किसानों को लूटा जा रहा है। ...(**व्यवधान**)... जो भी फसल है, वह आवारा पशुओं तथा नीलगाय के द्वारा ...(**व्यवधान**)... नष्ट की जा रही है। ...(**व्यवधान**)... किसान मौत के कगार पर खड़ा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: कृपया अपनी सीट पर चले जाएं। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजमणि पटेल: सरकार तत्काल यूरिया खाद ...(**व्यवधान**)... की पूर्ति करे ...(**व्यवधान**)... आवारा पशुओं तथा नीलगाय से किसानों की फसल की रक्षा करे ...(**व्यवधान**)... और सरकार द्वारा इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। ...(**व्यवधान**)... आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

* Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri K. Somaprasad. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Only your speech will go on record. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Sir, I cannot hear. ...*(Interruptions)*... Sir, let the House...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Only your speech will go on record. ...*(Interruptions)*... Please raise the issue. ...*(Interruptions)*... Otherwise, I will go to the next person. ...*(Interruptions)*...

SHRI K. SOMAPRASAD: Sir, I cannot hear. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. K. Somaprasad, please make your Zero Hour submission. ...*(Interruptions)*...

SHRI K. SOMAPRASAD: Sir, I cannot hear. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You speak. ...*(Interruptions)*... I am listening to your speech. ...*(Interruptions)*...

Closing down of ICAR-CPCRI regional station in Kerala

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Sir, through you, I would like to draw the attention of this august House and the Government to a very serious matter. ...*(Interruptions)*... The Ministry of Agriculture has taken a decision to close down one of the prestigious and traditional Regional Research Stations of CPCRI at Kayamkulam in Kerala. ...*(Interruptions)*... This Station with its research and development activities started its function in 1937, that is before Independence in the Princely State of Travancore. ...*(Interruptions)*... After the formation of CPCRI, it became the part of it. ...*(Interruptions)*... The research work in this Station is mainly related to the development of coconut plants and their diseases. ...*(Interruptions)*... The Station has released two root (wilt) disease tolerant varieties and a high-yield hybrid coconut variety. ...*(Interruptions)*... Moreover, lakhs and lakhs of good quality coconut seedlings have also been produced and distributed to the farmers. ...*(Interruptions)*... The service of this Station is highly beneficial not only to the farmers of Kerala but also to the neighbouring States. ...*(Interruptions)*... This station has been identified as one of the main centres for the production of disease-free seedlings and it won several recognitions at national and international levels...*(Interruptions)*..

It is learnt that the decision to close down the station is taken as per the

recommendation of the Cadre Review Committee under ICAR to decrease the total strength of scientists. ...*(Interruptions)*...

Sir, the closure is totally against the interests and aspirations of the farmers' community. Hence, through you, Sir, I request the Government to withdraw immediately the anti-farmer decision of closing down the Kayamkulam station. Thank you. ...*(Interruptions)*...

Decreasing number of Hindi medium candidates in Civil Services exams

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, संघ लोक सेवा आयोग में हिन्दी माध्यम से परीक्षा देने वालों की संख्या घट रही है। ...**(व्यवधान)**... अभी दो-तीन दिन पूर्व शून्य काल में एक माननीय सदस्य ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा-भाषियों की समस्या का उल्लेख किया था। ...**(व्यवधान)**... आज मैं आपके माध्यम से राजभाषा हिन्दी के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित लोक सेवा आयोग की सिविल सेवाओं की परीक्षा में हिन्दी व अंग्रेज़ी माध्यम के बीच उत्तीर्ण होने वाले प्रतियोगियों के मध्य गिरते हुए अनुपात के संबंध में सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, संघ लोक सेवा आयोग में हिन्दी माध्यम से परीक्षा देने वालों की संख्या निरंतर घट रही है। ...**(व्यवधान)**... द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे 370 अधिकारियों में केवल 8 अधिकारी हिन्दी माध्यम से परीक्षा देकर आए हैं। ...**(व्यवधान)**... लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की एक वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2013 में हिन्दी माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या 17 प्रतिशत थी। ...**(व्यवधान)**... यह आंकड़ा घट कर 2014 में 2.11 प्रतिशत, 2015 में 4.28 प्रतिशत, 2016 में 3.45 प्रतिशत, 2017 में 4.06 प्रतिशत और 2018 में 2.01 प्रतिशत रह गया है। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, हिन्दी माध्यम से प्रतियोगियों की संख्या में घटोतरी के जो तथ्य उजागर हो रहे हैं, वे बड़े गम्भीर हैं और हमारे तथा आपके लिए बड़े गहरी चिंतन के विषय हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं उनमें से कुछ गम्भीर बिंदुओं को सदन और सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मैं आपसे पुन: request कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री हरनाथ सिंह यादव: सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि परीक्षा में जो सवाल आते हैं, वे पहले मूल रूप में अंग्रेज़ी में सेट किए जाते हैं, फिर उनका हिन्दी में अनुवाद किया जाता है। ...**(व्यवधान)**... ऐसे अनुवाद अधिकतर गूगल अनुवादकों से मशीनी तरीके से किए जाते हैं। ...**(व्यवधान)**... भले ही ये सवाल हिन्दी में हों, लेकिन इनका मतलब निकालना किसी भी मेधावी छात्र के लिए अत्यंत टेढ़ी खीर होता है। ...**(व्यवधान)**... जाहिर है कि जब सवाल ही सही नहीं होगा, तो जवाब कैसे सही लिखा जा सकता है। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, संघ लोक सेवा आयोग पर ऐसे सदैव लगते रहे हैं कि मुख्य परीक्षा की कॉपी जांचने व साक्षात्कर में हिन्दी माध्यम वालों के साथ भेदभाव किया जाता है। ...**(व्यवधान)**... मुख्य परीक्षा की कॉपियां जाँचने के लिए जिन लोगों को लगाया जाता है, प्राय: उनकी भाषा अंग्रेज़ी होती है। ...**(व्यवधान)**... ऐसे लोग हिन्दी में उतने ही सहज हों, यह कोई जरूरी नहीं है। ...**(व्यवधान)**... इससे

[श्री हरनाथ सिंह यादव]

अंकों में बड़ा फर्क आ जाता है। ...(**व्यवधान**)... मान्यवर, कई बार चर्चा यह भी होती है कि बोर्ड के सदस्य हिन्दी माध्यम वालों को दूसरी नजर से देखते हैं और अंक देने में भेदभाव करते हैं। ...(**व्यवधान**)... जब वे साक्षात्कर के दौरान हिन्दी में बोलना शुरू करते हैं, तो उन्हे हिन्दी को लेकर अपमानजनक टिप्पणियों को सामना करना पड़ता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: हरनाथ सिंह यादव जी, आपका समय समाप्त हो गया है, आप कृपया बैठ जाएं। ...(**व्यवधान**)... श्री विजय पाल सिंह तोमर। ...(**व्यवधान**)...

Farmers' distress and agrarian crisis

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां 85% से ऊपर लघु और सीमान्त किसान हैं। ...(**व्यवधान**)... 1750 तक भारत देश की 80 फीसदी आबादी कृषि कार्य में लगी हुई थी, तब विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान करीब 25% था, जो अब घट कर 5 फीसदी से भी कम रह गया है। ...(**व्यवधान**)... आज़ादी के समय भी देश की 75% आबादी खेती में थी और तब देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 51.8 फीसदी था, जो अब घटकर करीब 17 फीसदी ही रह गया है। ...(**व्यवधान**)... भारत सरकार ने किसानों की आय सन 2022 तक दोगुनी करने का संकल्प लिया है तथा उसके लिए 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना', 'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना', 'सॉयल हेल्थ कार्ड योजना' के साथ-साथ फसल की लागत का डेढ़-गुना एमएसपी घोषित करने के कुछ सराहनीय कदम उठाए हैं। ...(**व्यवधान**)... इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं, लेकिन अभी भी देश के लघु एवं सीमान्त किसानों की वार्षिक आय करीब 6,324 रुपये है, जबकि एक मजदूर एक दिन में 550 रुपये लेता है। ...(**व्यवधान**)... इसी कारण किसान आज खेती के पेशे को छोड़ रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

महोदय, आज देश में लघु और सीमान्त किसान 75 फीसदी से कम होकर 55 फीसदी रह गए हैं, यानी 20 फीसदी कम हो गए हैं। ...(**व्यवधान**)... उस समय हमारा देश विश्व का समृद्धिशाली राष्ट्र था। ...(**व्यवधान**)... लघु और सीमान्त किसानों को कृषि उत्पाद का लाभकारी दाम नहीं मिलता है। ...(**व्यवधान**)... भारत सरकार ने फसलों की लागत का डेढ़ गुना दाम घोषित किया है, जो स्वागत योग्य है, लेकिन सभी जिन्सों का एमएसपी घोषित नहीं होता है। ...(**व्यवधान**)... जिनका एमएसपी घोषित होता है, उसकी पूरी खरीद नहीं हो पाती है। ...(**व्यवधान**)... किसान क्रेडिट कार्ड पर जो किसान कर्ज़ लेता है, यदि वह उसे 31 मार्च तक जमा नहीं करवा पाता, तब अगले दिन से उसकी छूट समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह फसली ऋण है। ...(**व्यवधान**)... इस तरह बैंकों के द्वारा किसानों का शोषण होता है। ...(**व्यवधान**)...

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह ऐसा तंत्र विकसित करे कि बाजार में एमएसपी से नीचे खरीद करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही हो। ...(**व्यवधान**)... दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड पर किसान की हैसियत के अनुसार, जिस तरह उद्योगों में लिमिट बनती है, कंपनियों में लिमिट बनती है, उसी तरह किसानों के लिए केसीसी में लिमिट बनाई जाए, जिस पर वह

पांच साल तक लेन-देन करता रहे। ...(**व्यवधान**)... वह क्रॉप लोन न होकर साधारण लोन हो। ...(**व्यवधान**)...

मान्यवर, जो एग्रिकलचर इक्विपमेंट्स हैं, उनके संबंध में भी मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि उन पर ज़ीरो प्रतिशत जीएसटी किया जाए, धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: प्रो. मनोज कुमार झा ...(**व्यवधान**)...

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, there is no order in the House. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी ...(**व्यवधान**)... श्री मो. नदीमुल हक़ ...(**व्यवधान**)...

श्री मो. नदीमुल हक़: सर, जब इतनी चिल्ला-चिल्ली होगी, तो हम कैसे बोलेंगे? ...(**व्यवधान**)...

†**جناب محمد ندیم الحق** : سر، جب اتنی چلّا چلّی ہوگی، تو ہم کیسے بولیں گے؟ ---(مداخلت)---

श्री उपसभापति: श्रीमती कहकशां परवीन ...(**व्यवधान**)...

Need for financial grant to AMU Kishanganj centre

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। ...(**व्यवधान**)... सरकार का नारा है, "सबका साथ, सबका विकास"। ...(**व्यवधान**)... यह सही मायने में तब सार्थक होगा, जब हम विकास हेतु आवश्यक शर्त - शिक्षा को महत्व देंगे और खासकर उच्च शिक्षा को। ...(**व्यवधान**)...

बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, जनाब नीतीश कुमार जी ने किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई और 2013 में वहां युनिवर्सिटी की स्थापना हुई। ...(**व्यवधान**)... इसके बाद किशनगंज केन्द्र के लिए 136.82 करोड़ रुपये के आबंटन का अनुमोदन भी किया गया था, जिसके मुकाबले अब तक सिर्फ 10 करोड़ रुपये की राशि का ही आबंटन हुआ है। ...(**व्यवधान**)... उसके बाद से विश्वविद्यालय द्वारा बार-बार धन उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन अभी धनराशि का आबंटन नहीं किया गया है। ...(**व्यवधान**)...

महोदय, बिहार जैसे पिछड़े राज्य के इस पिछड़े जिले किशनगंज में स्थापित एएमयू के केन्द्र की स्थिति बेहद खराब है। ...(**व्यवधान**)... वहां के कर्मियों को वेतन का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है, जिससे बहुत मुश्किल हो रही है। ...(**व्यवधान**)... मैं आपे माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि अविलम्ब किशनगंज स्थित केन्द्र के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)...

†Transliteration in Urdu Script.

†محترمہ کہکشاں پروین (بہار) : مہودے، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں ایک بہت ہی گمبھیر مدّعے پر سرکار کا دھیان دلانا چاہتی ہوں---(مداخلت)--- سرکار کا یہ نعرہ "سب کا ساتھہ، سب کا وکاس" ---(مداخلت)--- تب صحیح معنی میں سارتھک ہوگا، جب ہم وکاس ہیتو لازمی طور پر تعلیم کو اہمیت دیں گے اور خاص کر اعلی تعلیم کو ---(مداخلت)---

بہار کے مانّئے مکھیہ منتری، جناب نتیش کمار کی ضلع کشن گنج کے ذریعے علی گڑھہ مسلم یونیورسٹی کے مرکز قائم کرنے کے لئے زمین مہیّا کرائی۔ اور 2013 میں وہاں یونیورسٹی کی استھاپنا ہوئی۔ ---(مداخلت)--- اس کے بعد کشن گنج مرکز کے لئے 136-82 کروڑ روپے کے آونٹن کا انومودن کیا گیا تھا، جس کے مقابلے اب تک صرف محض 10 کروڑ روپے کی راشی کا ہی آونٹن ہوا ہے۔ ---(مداخلت)--- اس کے بعد سے یونیورسٹی کے ذریعے بار بار آونٹن دھن مہیّا کرانے کے لئے خط لکھا جا رہا ہے لیکن لیکن ابھی تک دھن راشی کا آونٹن نہیں کیا گیا ہے۔

مہودے، بہار جیسے پچھڑے راجیہ کے اس پچھڑے ضلع کشن گنج میں قائم اے۔ایم۔یو۔ کے مرکز کی حالت بے حد خراب ہے۔ وہاں کے کرمیوں کو تنخواہ کا بھگتان بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ جس سے بہت مشکل ہو رہی ہے ---(مداخلت)--- میں، آپ کے مادھیم سے سرکار سے انورودھہ کرنا چاہتی ہوں کہ بنا کسی رکاوٹ کے کشن گنج میں قائم مرکز کے لئے دھن راشی مہیّا کرائی جائے۔ بہت بہت دھنیواد ---(مداخلت)---

(ختم شد)

श्री उपसभापति: श्री सुरेन्द्र सिंह नागर ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): सर, हाउस ऑर्डर में नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: श्री ए. विजय कुमार ...(**व्यवधान**)...

Need to install National Flag at Zero Point in Kanyakumari

SHRI A. VIJAYAKUMAR (Tamil Nadu): Sir, in Kanyakumari which is the southernmost end of India, I am going to install a National Flag from my MPLADS Fund by spending ₹ 20 lakh. I have already allotted the money for the first six months. ...*(Interruptions)*... All the necessary permissions and other things have been given by the local Government. Now the papers are pending with the NHAI. ...*(Interruptions)*...

†Transliteration in Urdu Script.

श्री उपसभापति: कृपया आप सभी अपनी-अपनी जगह पर जाएं। ...(**व्यवधान**)... ज़ीरो ऑवर में बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI A. VIJAYAKUMAR: If the Central Government gives the sanction as early as possible, I am going to install the National Flag in our area and hoist the Flag on 26 January, 2019. Thank you.

श्री उपसभापति: मैं आपसे पुन: बार-बार अनुरोध कर रहा हूं कि आप सब अपनी-अपनी जगह पर वापस जाएं। ...(**व्यवधान**)... कम से कम आज हाउस को चलने दें। ...(**व्यवधान**)... The House is adjourned till 12.00 noon.

The House then adjourned at thirty-four minutes past eleven of the clock.

The House reassembled at twelve of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

GOVERNMENT BILLS

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir,...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please wait, I will give you time. We will now take up Bills for introduction. The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019. Shri Jual Oram.

The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2019

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI JUAL ORAM): Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to include certain Communities in the list of the Scheduled Tribes in relation to the State of Assam.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI JUAL ORAM: Sir, I introduce the Bill.

SHRI BISWAJIT DAIMARY (Assam): Sir,..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just a minute. Now, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of the Scheduled Tribes in the State of Karnataka. Shri Jual Oram.

The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2019

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI JUAL ORAM): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of the Scheduled Tribes in the State of Karnataka.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI JUAL ORAM: Sir, I introduce the Bill.

The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will now take up The Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019. Shri Thaawarchand Gehlot to move a motion for consideration of the Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, I want it to be sent to a Select Committee. Sir, it is a Constitutional Amendment Bill. ...*(Interruptions)*...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत): उपसभापति महोदय ...(**व्यवधान**)... महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is one Amendment by Shrimati Kanimozhi for reference of the Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019 to a Select Committee of the Rajya Sabha. The Member may move her Amendment without any speech.

Amendment for reference of the Bill to Select Committee of the Rajya Sabha

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, I move.......*(Interruptions)*...

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shrimati Kanimozhi
2. Shri D. Kupendra Reddy

3. Shri T. K. Rangarajan

4. Shri D. Raja

5. Shri Y. S. Chowdary

6. Prof. Manoj Kumar Jha

With instructions to report by the last day of the first week of the next Session."

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The motion for the consideration of the Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019, as passed by Lok Sabha, and the Amendment moved thereto are now taken up for discussion. ...*(Interruptions)*...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, we want it to be sent to a Select Committee. ...*(Interruptions)*...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत): उपसभापति महोदय ...**(व्यवधान)**...

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*... Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री थावर चन्द गहलोत: उपसभापति महोदय, मैं एक ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...**(व्यवधान)**... इस विधेयक को कल लोक सभा ने भारी बहुमत से पारित किया है। ...**(व्यवधान)**... इस बिल को पारित करने की महती आवश्यकता है। ...**(व्यवधान)**... आप और हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत के संविधान में जो वर्तमान व्यवस्था है, वह आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं करती है। ...**(व्यवधान)**... इस कारण से सामान्य वर्ग के बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोगों को सरकार की सेवाओं का और अन्यान्य प्रकार की सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ...**(व्यवधान)**... सारे देश में लम्बे समय से सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा और संसद के दोनों सदनों द्वारा अनेक माननीय सांसदों ने प्राइवेट मेम्बर्स विधेयक और क्वेश्चंस के माध्यम से इस आशय का बिल पास कराने के लिए कहा। ...**(व्यवधान)**... निवेदन किया। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will allow you after his speech, Shri Kalita. ...*(Interruptions)*...

श्री थावर चन्द गहलोतः इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल आर्थिक आधार पर आरक्षण देने हेतु संविधान में उचित प्रावधान करने के लिए लाया गया है। ...**(व्यवधान)**... यह विधेयक सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लाया गया है। इससे शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान हो जाएगा। ...**(व्यवधान)**... यह विधेयक अच्छे इरादे और अच्छी नीयत से लाया गया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आनन्द शर्मा जी ...**(व्यवधान)**... कृपया आप लोग अपनी सीटों पर जाएं, मैं आपको समय दूंगा। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़।

श्री थावर चन्द गहलोतः यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15 में ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आप एक मिनट दीजिए। माननीय कालिता साहब point of order के तहत कुछ कहना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**... श्री भुवनेश्वर कालिता। ...**(व्यवधान)**...

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, this morning you have said. ...*(Interruptions)*... The hon. Members raised about the situation in the North-East. It is burning. ...*(Interruptions)*... There is nobody to answer to that. ...*(Interruptions)*... The entire North-East is burning on the Citizenship (Amendment) Bill. ...*(Interruptions)*... Sir, we demand that the hon. Home Minister should come and make a statement. ...*(Interruptions)*... The hon. Home Minister should come and make a statement. ...*(Interruptions)*... Beyond that, we have many other objections on this Bill. ...*(Interruptions)*... So, we demand that the hon. Home Minister must come before the House and make a statement. ...*(Interruptions)*... Sir, please, call the hon. Home Minister to make a statement in the House. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापतिः श्री विजय गोयल, मंत्री जी, असम के बारे में point of order है, आप कुछ कहना चाहते हैं? ...**(व्यवधान)**... आप कृपया सुनिए, मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं, ...**(व्यवधान)**... वे आपको जवाब देंगे। ...**(व्यवधान)**... आप अपने सदस्यों को कृपया बिठाइए। ...**(व्यवधान)**...

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): महोदय, इस सदन में कांग्रेस के माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, ...**(व्यवधान)**... मैं सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि North East में, जिस सुरक्षा की बात ये उठा रहे हैं, उस पर माननीय गृह मंत्री जी 2.00 बजे आपके सामने आकर बयान दे सकते हैं। ...**(व्यवधान)**... गृह मंत्री जी 2.00 बजे बयान दे सकते हैं, इसलिए आप कृपया अपनी सीटों पर जाइए। ...**(व्यवधान)**... सदन के सामने इतना महत्वपूर्ण बिल है, उस पर चर्चा आरम्भ होने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोतः माननीय उपसभापति महोदय, जैसा मैंने बताया, ...**(व्यवधान)**... यह बिल

देश के सामान्य वर्गों के गरीब लोगों के शैक्षणिक, उन्हें रोज़गार देने तथा उनके सशक्तीकरण हेतु संविधान में संशोधन करने के लिए लाया गया है। ...**(व्यवधान)**... इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 15 में एक सब-आर्टिकल (6) जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 16 में भी एक अतिरिक्त ...**(व्यवधान)**... एक सब-आर्टिकल (6) जोड़ा जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... वर्तमान में जो प्रावधान है, उसकी जानकारी मैं आपके सामने पढ़कर बताना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**... उपसभापति महोदय, संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- (6) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात, राज्य को — (क) खंड (4) और खंड (5) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी; और (ख) खंड (4) और खंड (5) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध, ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में, ...**(व्यवधान)**... जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली है या सहायता न पाने वाली हैं, ...**(व्यवधान)**... प्रवेश से संबंधित है, जो आरक्षण की दिशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुछ स्थानों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन होगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मैं आग्रह करता हूं कि अपनी-अपनी जगह पर जाएं और यह बहस होने दें। ...**(व्यवधान)**... यह महत्वपूर्ण बिल है ...**(व्यवधान)**... पूरा देश देख रहा है। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, प्लीज़ ...**(व्यवधान)**... I am telling you, please get back to your seats. ...*(Interruptions)*... सिवाय मंत्री जी के भाषण के कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: उपसभापति महोदय, इस संबंध में एक स्पष्टीकरण दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन के लिए है। ...**(व्यवधान)**... इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए "आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग" वे होंगे, जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, इसी प्रकार से आर्टिकल 16 में जो संविधान किए जा रहे हैं, वे इस प्रकार हैं। ...**(व्यवधान)**... संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, ...**(व्यवधान)**... अर्थात्:- (6) इस अनुच्छेद की कोई बात, राज्य को खंड (4) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन, आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।" ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति महोदय, यह संशोधन होने के बाद, भारत सरकार और राज्य की सरकारों को आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण और सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करने के अधिकार होंगे। ...**(व्यवधान)**... आज के इस संशोधन से पहले भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण अभी तक इस

[श्री थावर चन्द गहलोत]

वर्ग के लोगों को लाभ नहीं मिल पाता था। ...(**व्यवधान**)... लंबे समय से यह मांग की जा रही थी। ...(**व्यवधान**)... नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ...(**व्यवधान**)... आज मैं सदन के सामने यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... हमको मालूम है कि इसके पहले भी कई सरकारों ने समय-समय पर आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि करने का निर्णय लिया था, लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार किया था। ...(**व्यवधान**)... उसे अस्वीकार करने का प्रमुख कारण यह था कि भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। ...(**व्यवधान**)... इस कारण से जो 50 परसेंट की सीलिंग लगी थी। ...(**व्यवधान**)...

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: मिस्त्री जी, किसी Point of Order पर हैं। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, ...(**व्यवधान**)... सभी लोग बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आप अनुशासन में रहेंगे, तभी मैं सुन सकता हूं। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सर, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के लिए मैं कब से चिल्ला रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... बिल के Introduction के बारे में मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। ...(**व्यवधान**)... I will appeal you to listen to my point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: आप अपना प्वाइंट ऑफ ऑर्डर बोलें ...(**व्यवधान**)... आप बोलें। ...(**व्यवधान**)... आप अपना प्वाइंट ऑफ ऑर्डर कहें। ...(**व्यवधान**)... आप अपना प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रखें। ...(**व्यवधान**)...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I draw your attention to this Bill, which has come as a Supplementary Business today only, I mean, this afternoon. I have a few points to make. Number one, it is against the rules because after the introduction, it needs two days for taking up for a discussion. Number two, this Bill is not complete because every Bill must have Statement of Objects and also the Financial Statement. This Bill does not have anything of that sort. Number three, you cannot have, on the same day, introduction as well as voting. Number four, even if the Chairman has the power to waive it, they will have to give you in writing the reason for that. The House has a right to know what the reasons are and what the urgency is for introducing and passing this Bill on the same day. I want your ruling on this, Sir. This House has a right to know what kind of a statement has been given to you to see to it that this has to be introduced today, that this has also to be passed today, that voting has to be done today, waiving the two days' provision and also for not incorporating the Statement of Objects. The Bill is not complete. The Bill requires this and it is mandatory under Rule 61. That is all I have to say on my point of order. I want your ruling on that, Sir.

श्री उपसभापति: इस बिल के बारे में ...(**व्यवधान**)...

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I have another point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; please sit down.

श्री विजय गोयल: सर, मैं समझता हूं कि इस The Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill को लेकर आज विपक्षी दलों के साथ जो बैठक हुई और लोक सभा के अंदर भी जो सारी कार्यवाही हुई, जिसमें सरकार 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक आधार पर दे रही है, उसके बाद यह सहमति बनी कि इसके ऊपर आठ घंटे चर्चा होगी। अब मैं नहीं समझता हूं कि जब चेयरमैन को किसी भी चीज़ को waive करने, सदन को चलाने के लिए यह अधिकार है, तब विपक्षी पार्टियों और खास तौर से कांग्रेस इस तरह के टेक्नीकल इश्यूज़ को उठाकर इस बिल को रोकने की कोशिश करे। ...(**व्यवधान**)... इस बिल को रोकने की कोशिश करे। ...(**व्यवधान**)...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: No, no. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, ...*(Interruptions)*...

श्री विजय गोयल: मुझे पूरा करने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please listen to him. ...*(Interruptions)*...

श्री विजय गोयल: जबकि लोक सभा के अंदर स्वयं प्रधान मंत्री मोदी ने सभी सांसदों का इस बात के लिए धन्यवाद किया है कि उन्होंने इस बिल को पारित किया है। ...(**व्यवधान**)... क्योंकि यह बहुत समय से लम्बित था, इसके ऊपर कार्यवाही होनी है। ...(**व्यवधान**)... मेरा यह कहना है कि तकनीकी तौर पर इश्यूज़ उठाकर, सदन का समय खराब करके अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध कर रहे हैं, तो बात अलग है, वरना इसके ऊपर चर्चा शुरू कीजिए। ...(**व्यवधान**)... बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है और सरकार इस पर बहस करना चाहती है। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा: उपसभापति महोदय, मैं अपने दल की तरफ से एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, जो यह संविधान संशोधन है — मंत्री महोदय, आपने यह कहकर न्याय नहीं किया कि कांग्रसे विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी पक्ष में है, पर मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, एक बार व्यवस्था का प्रश्न उठा है, दो-तीन बातें मुख्य रूप से सामने आई हैं, इसलिए सदन में चाहे कोई भी सदस्य हो, हर सदस्य का यह अधिकार है कि वह सभापति से व्यवस्था का प्रश्न उठाए, point of order उठाए और सभापति उस पर अपनी रूलिंग दें। अगर आपने waiver दिया है, तो सदन को सूचित करें। क्या-क्या कारण हैं और ऐसी कैसी आपात स्थिति थी, केवल वह आप उसमें बता दें।

दूसरा, नियम यह भी कहते हैं कि चूंकि यह अभी Supplementary Agenda में लाया गया है, इसमें BAC ने कोई time allocation नहीं किया, तो आपको यह घोषणा करनी पड़ेगी कि संविधान संशोधन पर कितने घंटे चर्चा होगी। यह नियम के तहत जरूरी है। आपको पीठ से यह घोषणा करनी

[श्री आनन्द शर्मा]

पड़ेगी। Once you announce this, there will be clarity. Now, the other thing is, about the need of justification, मंत्री महोदय ने दिया है। हम एक चीज़ कहेंगे। यह रिपोर्ट पहले भी थी, तो कृपा करके देश को, सदन को, हमको सही सूचना देनी है, गुमराह नहीं करना है। पौने पांच साल के बाद जो आपकी नींद टूटी है, तो इसलिए श्रेय मत लें। इस पर राजनीति है, चुनाव है, हम भी समझते हैं, आप भी जानते हैं। यहां बालक तो नहीं बैठे! सब लोक राजनीति करते हैं, आप यह राजनीति कर रहे हैं, पर हमें दोष मत दें, आरोप मत लगाएं। ...**(व्यवधान)**... यह वोट के लिए है। ...**(व्यवधान)**... यहां कोई बालक नहीं है। ...**(व्यवधान)**... किसी को नहीं मिलेगा, ...**(व्यवधान)**... 800 वर्ष नहीं मिलेगा। ...**(व्यवधान)**... वह तो आपने 2 करोड़ रोज़गार एक साल में ...**(व्यवधान)**... 10 करोड़ पैदा कर दिए! ...**(व्यवधान)**... पिछले साल 1 करोड़ 10 लाख रोज़गार टूटे। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आनन्द जी, कृपया बैठें। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: आप सदन को गुमराह न करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आनन्द जी ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: सर, पहले इनका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर डिस्पोज़ ऑफ करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मैंने वह सुन लिया है, मैं बताता हूं। I will come back. ...*(Interruptions)*... I will come back. ...*(Interruptions)*... I will come back. ...*(Interruptions)*... You have completed, Mr. Mistry. ...*(Interruptions)*... No, you have completed your point of order. ...*(Interruptions)*... Now Mr. Raja. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, legislation of this nature will have serious implications on our society, and when Parliament makes law, Parliament should do it properly. This Bill has to go through certain procedure. It has not gone to Standing Committee and now when it comes to Rajya Sabha, there is a genuine demand that it should go to Select Committee. At the introduction stage, the Chair has announced, a Motion is there and that Motion has been moved. What happened to that Motion? First let us discuss that Motion. Whether the House decides to send it to Select Committee or not, that should be decided first. ...*(Interruptions)*... Then we will discuss others. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Kanimozhi. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, you allowed me to move the Motion. So, let us discuss on that and let us take a decision. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will be discussed later. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: No, Sir. ...*(Interruptions)*... Sir, let us ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have got your notice. I have already announced it. Now let me give the ruling. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, can I just finish? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. ...*(Interruptions)*... I have said it. ...*(Interruptions)*... No. ...*(Interruptions)*... Hon. Chairman has given waiver under Rule 123 for consideration of the Bill at a short notice on receiving a request from the Minister. In today's morning meeting, it was agreed upon to allocate three hours for discussion ...*(Interruptions)*... again on the consideration of the Constitution Amendment Bill. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Who agreed? ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, I want a decision on it now. ...*(Interruptions)*... I want a decision on it now. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We agree to increase the time as per the decision. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, I want a decision now. ...*(Interruptions)*... I want a decision now. ...*(Interruptions)*... I want a decision now. ...*(Interruptions)*...

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री विजय गोयल: मैं स्पष्ट कर देता हूं। ...(**व्यवधान**)... पहले जब विपक्षी दल के सदस्य नहीं आए थे, उस समय तीन घण्टे का समय तय था। ...(**व्यवधान**)... जब सारे विपक्षी दल आ गए तो मिलकर यह तय किया गया कि इसके ऊपर 8 घण्टे बहस होगी। ...(**व्यवधान**)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, I have a point of order. ... *(Interruptions)*... I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: 8 घण्टे की बहस है। ...(**व्यवधान**)... यह सूचना विपक्ष और सरकार के बीच हुई बातचीत में तय हुआ, यह मैं आपको सूचित कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... मंत्री जी, अब आप अपनी बात पूरी करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री थावर चन्द गहलोत: उपसभापति महोदय, मैं यह बात बता चुका हूं कि इस देश के सामान्य वर्गों के आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं में और भारत सरकर व राज्य सरकार की सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की दृष्टि से इस बात को ध्यान में रखकर ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बात पूरी होने दीजिए। झा साहब, मैं आपको पूरा समय दूंगा। ...(**व्यवधान**)... Let the Minister complete. ...*(Interruptions)*... I will give time to you. ...*(Interruptions)*...

श्री थावर चन्द गहलोत: महोदय, ये संशोधन किए जा रहे हैं और ये संशोधन इसलिए आवश्यक थे कि सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोग हमेशा यह कहते रहते थे कि आखिर हमने सामान्य वर्ग में जन्म लिया है तो कोई गुनाह नहीं किया है। भिन्न-भिन्न कारणों से हमारी आर्थिक स्थिति अत्यधिक कमज़ोर है। भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो या अन्य किसी प्रकार की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ हमें नहीं मिल पाता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मैं आपको समय दूंगा यह पूरा होने के बाद। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग अपनी जगह पर बैठें। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: महोदय, इस कारण से हम पिछड़े हुए हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मिस्त्री जी, मैं आपको सुन चुका हूं। कालिता जी, आप प्लीज़ बैठें, मैं आपकी बात सुन चुका हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: गरीब परिवार के ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आनन्द जी, आपने जब भी समय मांगा, मैंने आपको समय दिया। अब आग्रह करूंगा कि कृपया बैठें। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: महोदय, हमको भी भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दें, इसके बाद भी मैं आपको समय दूंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: महोदय, यह निर्णय कोई जल्दबाज़ी में नहीं लिया है, अच्छी नीयत से लिया है, अच्छे इरादे से लिया है, अच्छी सोच को लेकर लिया है और उन लाखों-करोड़ों सामान्य वर्ग के परिवारों के आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए लिया है, ताकि वे भी अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सकें। ...**(व्यवधान)**... जहां तक जल्दबाज़ी की बात है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर एक बार नहीं, बल्कि अनेक बार संसद के दोनों सदनों में प्राइवेट मेम्बर बिल के माध्यम से भी विचार-विमर्श हुआ है। ...**(व्यवधान)**... अनेक बार, अनेक माननीय सांसदों ने दोनों सदनों में प्रश्न पूछ कर भी इस प्रकार की समस्या के समाधान के प्रयास किए हैं। ...**(व्यवधान)**... इतना ही नहीं, जब मंडल कमीशन बना था तो मंडल कमीशन ने भी सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के हित में अपनी राय दी थी। ...**(व्यवधान)**... प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया था कि इन सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए। ...**(व्यवधान)**... मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1991-1992 में तत्कालीन ...**(व्यवधान)**... प्रधान मंत्री श्री पी. वी. नरसिम्हा राव जी ने 10 परसेंट आरक्षण का प्रावधान किया था। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप लोग मंत्री जी की बात पूरी होने दें। ...**(व्यवधान)**... श्री टी. के. रंगाराजन साहब, प्रो. मनोज कुमार झा और रिपुन बोरा जी को मैं समय दूंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: किंतु उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकृत कर दिया था और उसे अस्वीकृत करने का कारण यह था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। ...(**व्यवधान**)... हमने यह महसूस किया कि पहले इस प्रकार की सुविधा देने के लिए संविधान में प्रावधान करने की आवश्यकता है, इसलिए हमने यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। इसके बाद एक सिन्हो कमीशन भी बना था और उस कमीशन ने भी इन वर्गों के हित के लिए बहुत सारी सलाह दी थी, ...(**व्यवधान**)... बहुत सारी रिकमंडेशंस की थीं और उसमें भी अपेक्षा की थी कि इनको भी भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... मैं उसी के साथ कहना चाहता हूं कि जब से श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने हैं, ...(**व्यवधान**)... उसके बाद हम लोगों ने उन रिपोर्टों पर कार्यवाही की और इन वर्गों के लिए कार्यालयीन आदेश जारी करके शैक्षणिक संस्थाओं में scholarship देने का प्रावधान किया। ...(**व्यवधान**)... अगर इन वर्गों के लोग एजुकेशन लोन लेते हैं, तो जो लोन के ब्याज की राशि है, वह हमारे विभाग की ओर से दी जाती है और ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने लाभान्वित करने की योजना चलाई है। ...(**व्यवधान**)... मैं यह बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की 50 परसेंट की सीलिंग है, वह एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण दिया जा रहा है, उनके लिए है। ...(**व्यवधान**)... उनके लिए यह आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि करने का प्रावधान नहीं है। सामान्य वर्ग से इसका कोई लेना-देना नहीं है। अपेक्षा यह थी कि जो सामान्य वर्ग है, ...(**व्यवधान**)... उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। हम यह 10 परसेंट सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण दे रहे हैं, उनके साथ न्याय करने वाला निर्णय हम लोग करने जा रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। ...(**व्यवधान**)... आज का यह क्षण ऐतिहासिक है। ...(**व्यवधान**)... देश और दुनिया में आज का दिन याद किया जाएगा और इस विधेयक के पारित होने के कारण हिंदुस्तान के लाखों-करोड़ों परिवार, जो सामान्य वर्ग के हैं, परंतु गरीब हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। ...(**व्यवधान**)... अमीरी और गरीबी की खाई में जो बड़ा अंतर है, उसमें भी कमी आएगी। देश में अमन-चैन का वातावरण लाने में हम सफल होंगे, देश में समता का वातावरण बनाने में हम सफल होंगे समरसता लाने के लिए हम अग्रसर होंगे। ...(**व्यवधान**)... इसके साथ ही, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए। ...(**व्यवधान**)... अगर कोई चर्चा होगी और यदि चर्चा का उत्तर देना होगा, तो बाकी बातों की जानकारी मैं उस समय दूंगा।

The questions were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri T. K. Rangarajan, what is your point of order? ...*(Interruptions)*...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, the decision of the Union Cabinet to give 10 per cent reservation ...*(Interruptions)*... to economically weaker sections ...*(Interruptions)*... among the general category is an electoral politics. ...*(Interruptions)*... Five years are lost. ...*(Interruptions)*... Now, I would like to bring to the notice of the House...*(Interruptions)*... This is not new under the discussion ...*(Interruptions)*...

[Shri T. K. Rangarajan]

Since Mandal Commission ...*(Interruptions)*... we are discussing about this. ...*(Interruptions)*... The Bill fixed ...*(Interruptions)*... less than ₹ 8 lakh per annum ...*(Interruptions)*... which will really benefit the truly deprived. ...*(Interruptions)*... I don't know which plan is going to be taken. ...*(Interruptions)*... Land already mentioned ...*(Interruptions)*... Properties are mentioned. ...*(Interruptions)*... Two days nation-wide strike ...*(Interruptions)*... economically ...*(Interruptions)*... Wages ₹ 18,000 per month ...*(Interruptions)*... That is ₹ 2.16 lakh ...*(Interruptions)*... Even that you are not prepared to concede. ...*(Interruptions)*... The Seventh Pay Commission recommends ₹ 18,000 minimum ...*(Interruptions)*... That also you are not prepared to concede. ...*(Interruptions)*... Sir, Income Tax is ₹ 2.5 lakhs ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Articles 15 and 16 of the Constitution ... *(Interruptions)*.. The majority of State Legislatures ...*(Interruptions)*... have to pass this. ...*(Interruptions)*... For the past five years ...*(Interruptions)*... the existing quotas for the SCs/STs/OBCs are not being filled up. ...*(Interruptions)*... You cannot keep the private sector outside the purview. ...*(Interruptions)*... Private sector should also be included. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I have a point of order under Rule 238A when the hon. Parliamentary Affairs Minister got up and spoke about a fact which is incriminatory in nature, a sweeping generalisation that we were stalling this legislation. He accused the Congress. But, I tell you why we oppose this, Sir. यह मध्य रात्रि की डकैती है, ओबीसी की हिस्सेदारी पर चुप्पी है, Scheduled Tribes की आबादी के हिसाब से चुप्पी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप प्वाइंट ऑफ ऑर्डर बताएं।

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर ही है। ...(**व्यवधान**)... बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हो रही है। संविधान सभा बनाने वाले ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Under which Rule? Please quote the Rule. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: My point of order is under Rule 238A, whereby the Parliamentary Affairs Minister made sweeping statements which are incriminatory in nature for the entire Opposition. This is not how a Parliamentary democracy functions. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ripun Bora. ...*(Interruptions)*... आप प्लीज़ बैठ जाएं। सुबह से जो भी प्वाइंट ऑफ ऑर्डर आए, हमने सबके प्वाइंट ऑफ ऑर्डर सुने। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, कानीमोझी जी already बोल चुकी हैं और उनको फिर मौका ...(**व्यवधान**)... Please, Mr. Ripun Bora.

SHRI RIPUN BORA: Sir, my point of order is that today morning, when we were raising objections, the Rajya Sabha TV was acting in a partisan manner. ...*(Interruptions)*... The Rajya Sabha TV blacked out the entire Opposition. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not a point of order, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI RIPUN BORA: All our opposition side was blacked out by Rajya Sabha TV. ...*(Interruptions)*... This partisan attitude of Rajya Sabha TV is not correct. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Under which Rule are you quoting?

SHRI RIPUN BORA: It should be impartial. ...*(Interruptions)*... It is the murder of democracy. ...*(Interruptions)*... It should be impartial, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DPEUTY CHAIRMAN: Now, I would like to call Shri A. Navaneethakrishnan. ...*(Interruptions)*...

SHRI RIPUN BORA: You have murdered the democracy. ...*(Interruptions)*... You have stopped the voice of the Opposition. ...*(Interruptions)*... It should be impartial. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri A. Navaneethakrishnan, just wait. Anandji, ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: She is asking for Division. Protect her right. The Motion is before the House. ...*(Interruptions)*... You cannot start the discussion, unless...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Kanimozhiji has already moved it. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, you are not even allowing me to speak. ...*(Interruptions)*... I have moved the Motion. It is a Constitution Amendment Bill. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already moved it. ...*(Interruptions)*... Mr. Navaneethakrishnan, please wait. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, can I speak for a minute? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, I have moved the Motion. You dispose that of. ...*(Interruptions)*... Sir, I am asking for Division. I have moved the Motion. ...*(Interruptions)*... You have allowed me to move the Motion. I am asking for Division. ...*(Interruptions)*... You dispose that of.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Kanimozhiji, you are well aware that Division will take place after the discussion. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: We cannot have a discussion without disposing of that Motion. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Prabhat Jha. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: We cannot have a discussion without disposing of that Motion. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश): आदरणीय उपसभापति महोदय ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा: आप ऐसा नहीं कर सकते। ...(**व्यवधान**)... पहले इसको dispose करिए। ...(**व्यवधान**)... She is asking for Division, it has to be disposed of under the rules. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, I am demanding Division now. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already told you.

SHRIMATI KANIMOZHI: We cannot have a discussion without ...*(Interruptions)*...

श्री प्रभात झा: उपसभापति महोदय, संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा: आप नियमों पर सदन को चलाइए। ...(**व्यवधान**)... आप नियमों को ताक पर रखकर सदन को नहीं चला सकते। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रभात झा: भारत के इतिहास में आज के दिन ...(**व्यवधान**)... मैं सबसे पहले लोक सभा में उन सभी लोगों को, सभी दलों को बधाई देता हूं, जिन्होंने एक स्वर से इस विधेयक को पारित किया।

श्री आनन्द शर्मा: आप ऐसा नहीं कर सकते। ...(**व्यवधान**)... She is asking for Division. Protect her right. The motion is before the House. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रभात झा: और उस भावना के साथ मैं राज्य सभा में भी, उन करोड़ों लोगों की आवाज़, जो वर्षों से इस बात के इंतज़ार में थे कि कब हमारा सपना पूरा होगा ...(**व्यवधान**)... आज राज्य में भी एकमत से सभी एक विधेयक को पारित करेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं यहां खड़ा हुआ हूं। आदरणीय उपसभापति महोदय, जब हम पढ़ा करते थे, जब हम कॉलेज और स्कूल में थे...

SHRI ANAND SHARMA: You can't run the House like this. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): You have to go for Division first. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रभात झा: हम यह सुना करते थे और लोग कहते थे और दुखी होकर कहते थे, हमारे विद्यार्थी दोस्त कहते थे कि हमारा भला आखिर कब होगा? ...(**व्यवधान**)... क्या हमारे नाम पर भी कभी कोई आरक्षण होगा ...(**व्यवधान**)... और यह सुनते-सुनते बरसों हो गए, लेकिन मैं नरेन्द्र मोदी जी, भारत के उस ऐतिहासिक पुरुष को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, जो करोड़ों लोगों की भावनाओं को देखते हुए, इस विधेयक को पारित करने के लिए सदन में लाए हैं। ...(**व्यवधान**)... जो लोग देश की भावना नहीं समझते हैं, वे इसी तरह वेल में आते हैं, वे विरोध करते हैं। ...(**व्यवधान**)... अगर Congress में दम है, तो कहे कि हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। क्या वे ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। लोक सभा में समर्थन करते हैं और यहां पर आकर विरोध करने की बात करते हैं। उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस आरक्षण से भारत में एक नया इतिहास रचा गया है। भारत में यह बात कही गई है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 2.00 p.m.

The House then adjourned at thirty-six minutes past twelve of the clock.

The House reassembled at two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

STATEMENT BY MINISTER

The Law and Order situation in the North-Eastern States of the country over passing of The Citizenship (Amendment) Bill, 2019

श्री उपसभापति: जैसा कि संसदीय राज्य मंत्री ने पहले बताया था कि कुछ माननीय सदस्यों के नॉर्थ-ईस्ट के ऑब्जर्वेशन या स्थिति की चिंता के संबंध में माननीय गृह मंत्री जी अपना बयान देंगे, माननीय गृह मंत्री जी।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष North-Eastern States में जो present situation है, उसके संबंध में जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमें कुछ रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं तथा इस सदन के कुछ सम्मानित सदस्यों ने भी बताया है कि कल पूर्वोत्तर में, कुछ हिस्सों में Citizenship Amendment Bill को लेकर बंद के दौरान हिंसा की छुट-पुट घटनाएं Assam, Tripura, Meghalaya के कुछ स्थानों पर रिपोर्ट की गई हैं।

उपसभापति महोदय, मैं सभी सम्मानित सदस्यों को आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि स्थिति आज पूरी तरह से नियंत्रित है, शांतिपूर्ण है। नॉर्थ-ईस्ट में हमारी current security situation पर बराबर दृष्टि बनी हुई है। North-Eastern States में शांति बनी रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसके लिए भी हम पूरी तरह से सचेष्ट हैं और राज्य सरकारों के साथ मिलकर सभी आवश्यक उपाय करेंगे। यदि आगे आवश्यक हुआ, तो सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ भी मैं बैठक करूंगा।

उपसभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पिछले चार साल में हमारी सरकार की नीतियों और हमारी North-East की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता के परिणामस्वरूप इन राज्यों की security situation में अप्रत्याशित सुधार हुआ है तथा विकास के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार हुआ है। इस संबंध में हमने कई ठोस कदम भी उठाए हैं, जैसे कि security तथा intelligence establishment को सुदृढ़ बनाना, security agencies के बीच में effective coordination बनाना और विकास के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स तथा पूर्वोत्तरवासियों की कई long-standing demands को address करना भी शामिल है। Citizenship Amendment Bill के संबंध में आपके तथा पूर्वोत्तर में जो कन्सर्न हैं, उनसे मैं अच्छी तरह अवगत हूं। Citizenship Amendment Bill के संबंध में कुछ भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई है। मैं यह बताना चाहूंगा कि हम Citizenship Amendment Bill इसलिए लेकर आए हैं, ताकि हमारे तीन पड़ोसी देशों के छह अल्पसंख्यक समुदायों के migrants की संकटपूर्ण परिस्थितियों का निवारण किया जा सके। ये वैसे लोग हैं, जो religious persecution के कारण भारत में shelter लेने के लिए मजबूर हुए हैं।

उपसभापति महोदय, इसको लेकर Assam और North-East के कुछ राज्यों में भी कुछ लोगों के मन में शायद कुछ आशंकाएं हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह बिल सिर्फ असम में रह रहे migrants के लिए नहीं है, न ही यह किसी एक देश से भारत आने वाले migrants की भलाई के लिए है। हजारों-हजारों की संख्या में migrants देश की पश्चिमी सीमाओं से होकर भी गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में इस समय रह रहे हैं। यह कानून उनके लिए भी है।

उपसभापति महोदय, मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह विधेयक देश के सभी स्टेट्स और यूटीज़ के लिए भी लागू होगा। यह किसी एक राज्य अथवा क्षेत्र के लिए नहीं है। इसके पीछे जो हमारी सोच है, वह यह है कि उत्पीड़न के शिकार ऐसे migrants देश में कहीं भी हैं, वे वहां Indian citizenship के लिए आवेदन कर सकें और उसके बाद किसी भी Indian citizen की तरह देश के किसी भी राज्य में रह सकें। उनकी जिम्मेदारी पूरे देश की है, न कि किसी एक राज्य की। जिम्मेदारी

केवल Assam की नहीं होगी, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं या केवल नॉर्थ-ईस्ट की नहीं होगी, यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं।

उपसभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि असम राज्य कई दशकों से illegal migration की समस्या से जूझ रहा है। असम में वर्ष 1979 और 1985 के दौरान एक आंदोलन भी छिड़ा था। उपसभापति महोदय, 15 अगस्त, 1985 को असम समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे हम 'Assam Accord' के नाम से जानते हैं। मैंने लोक सभा में कल भी बताया तथा आज इस सदन को भी बताना चाहूंगा कि हमने असम समझौते को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। जैसे कि असम में NRC के काम को पूरा करना, Assam Accord के Clause 6 को लागू करने के लिए High Level Committee का गठन करना आदि हैं।

उपसभापति महोदय, हाई लैवल कमेटी गठित कर दी गई है। यह कमेटी सभी स्टेकहोल्डर्स से परामर्श करके असम विधान सभा, लोकल बॉडीज़ में सीटों के रिजर्वेशन और असम के लोगों के लिए राज्य सरकार में नौकरियों में भी रिजर्वेशन्स, असमी तथा असम के लोगों की अन्य लोकल लैंग्वेजेज़ को भी प्रोटेक्ट करने के उपायों तथा असम के लोगों की कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आईडेंटिटी तथा हैरिटेजे को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए अपनी रिकमंडेशन्स छ: माह के अंदर ही देगी।

महोदय, असम की 6 कम्युनिटीज़ - कोच राजबौंग्शी, सूतिया, बोरांग, मोटक, ताह्मोंग तथा टी क्लाइज को ट्राइबल स्टेटस देने की मांग लम्बे समय से की जाती रही है। असम की सरकार वर्ष 1980 से इसके लिए बराबर अपनी रिकमंडेशन्स भेज रही है, फिर चाहे असम में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो। गृह मंत्रालय ने दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को एक कमेटी का भी गठन किया था। मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि इस समिति ने दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 को अपनी रिकमंडेशन्स भी दे दी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस बारे में रजिस्ट्रार जनरल एवं एसटी कमीशन की रिकमंडेशन्स भी प्राप्त कर ली हैं। हमारी सरकार ने इन रिकमंडेशन्स को स्वीकार कर लिया है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसके लिए संविधान संशोधन के लिए आज संसद में बिल पेश भी कर दिया है।

महोदय, मैं यहां आश्वस्त करना चाहूंगा कि इन सिक्स कम्युनिटीज़ को ट्राइब्स का स्टेटस देते समय यह एंश्योर किया जाएगा कि असम की एग्जिस्टिंग ट्राइब्स के सभी इंटरेस्ट्स, राइट्स एवं प्रिवलेजेज़ को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि सिक्स कम्युनिटीज़ को ट्राइबल स्टेट्स देने के बाद हम यह भी एंश्योर करेंगे कि हमारी जो एग्जिस्टिंग ट्राइब्स हैं, उनके इंटररेस्ट्स, उनके राइट्स और उनके प्रिवलेजेज़ किसी भी सूरत में हर्ट न होने पाएं। हम उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। मैं इस बारे में सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। इसके लिए असम की राज्य सरकार को, स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श करने के बाद एप्रोप्रिएट प्रोविजन्स करने के लिए कहा भी जा चुका है।

महोदय, हम बोडो कम्युनिटी की बहुत सारी पेंडिंग डिमांड्स के बारे में भी चिन्तित हैं और वर्ष 2003 में जो बोडो एकॉर्ड हुआ था, उसके बाद, संविधान की छठी अनुसूची के अन्तर्गत बोडो लैंड टैरिटोरियल काउंसिल की स्थापना की गई थी तथा काउंसिल को बहुत सारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव

[श्री राजनाथ सिंह]

और साथ ही ज्युडीशियल पावर्स भी दी गई थीं। विभिन्न बोडो ऑर्गेनाइजेशन्स से बराबर हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन्स प्राप्त होते रहे हैं। हम इसी प्रकार से हिल एरियाज़ में रहने वाले बोडो कचारी तथा प्लेन्स में रहने वाले कार्वी समुदाय के लोगों को भी ट्राइब्स का स्टेटस देने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी ही यह कार्रवाई पूरी होगी।

महोदय, इसके साथ ही सिक्स्थ शेड्यूल की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ज्यादा अधिकार भी दिए जाएंगे। इस संबंध में भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कैबिनेट ने 2 जनवरी को यह निर्णय लिया है कि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार फंडेड एक बोडो म्यूजियम एवं भाषा तथा सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना भी करेगा और साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कोकराझार में मौजूदा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्र का भी मॉडर्नाइजेशन करेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रेल मंत्रालय डीटीएडी से गुजरने वाली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम अब ARONAI Express रखेगा। इसकी भी बहुत लंबे समय से जरूरत थी, क्योंकि इसके साथ उनका एक sentiment जुड़ा हुआ है। असम में विभिन्न संगठनों द्वारा अन्य कई मुद्दे भी उठाए गए हैं। इनमें असम में रहने वाले लोगों के interest को protect करने हेतु एक New Land Policy, New Land Laws तथा specific areas को Protected Revenue Areas के रूप में earmark करना भी शामिल है। असम की राज्य सरकार से इन मामलों को address करने तथा indigenous लोगों के रीति-रिवाजों, परंपराओं, भाषाओं और बोलियों के research और documentation के लिए institutions की स्थापना के लिए भी कहा गया है।

उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम नॉर्थ-ईस्ट के सभी राज्यों के वासियों की identity एवं culture को प्रिज़र्व करने तथा वहां पर शान्ति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

उपसभापति महोदय, हम इसके लिए इन सभी राज्यों की सरकारों के साथ लगातार संपर्क में हैं, रहेंगे और उनके जो भी concerns हैं, उनको address करने के लिए जो भी उपाय करने होंगे, वे सारे उपाय करेंगे।

उपसभापति महोदय, हमने पिछले चार वर्षों में illegal migration की रोकथाम के लिए बॉर्डर सिक्युरिटी को सुदृढ़ करने के लिए भी कई ठोस कदम उठाए हैं, जिसके बारे में मैं सदन को पहले ही सूचित कर चुका हूं। मैं आपके माध्यम से इस सदन को पुन: आश्वस्त करना चाहता हूं कि असम ही नहीं, बल्कि नॉर्थ-ईस्ट की जनता की आकांक्षाओं और उनकी भावनाओं को पूरी तरह से संरक्षण देने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, हमारी सरकार वे सभी कदम उठाएगी।

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I seek a clarification. ...*(Interruptions)*...

RULING BY THE CHAIR

श्री उपसभापति: Observation में clarification की प्रक्रिया नहीं है। ...(**व्यवधान**)... मैं पुन: Constitution Amendment Bill पर ...(**व्यवधान**)... नोटिस पर ...(**व्यवधान**)... माननीया कानीमोझी जी

ने जो प्रसंग उठाया था, मैं पहले ...(**व्यवधान**)... उस पर पुन: रूलिंग देकर स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा।

Hon. Members, before the House adjourned for lunch, Shrimati Kanimozhi, Member, Rajya Sabha, who had moved the Motion for Reference of the Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019 to a Select Committee of the Rajya Sabha demanded that her amendment be first put to vote of the House before the discussion on the motion for consideration of the Bill and the amendment thereto takes place. माननीय आनन्द शर्मा जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी।

I would like to inform you that as per a well-established practice, after the motion for consideration of a Bill is moved by the Minister in charge of the Bill, any Member, with prior notice, can move an amendment for reference of that Bill to a Select Committee/ Joint Committee. Thereafter, both the motion for consideration of the Bill and amendment moved thereto for reference of the Bill to a Select Committee are taken up for discussion together. After the discussion is over, first the amendment moved by the Member for Select Committee is put to vote of the House. If it is carried, motion for consideration of the Bill is not taken up, but in case the motion for reference to a Select Committee is negatived, the motion for consideration of the Bill is taken up. I would like to give a few examples in this regard.

On 21st December, 2011, the motion for consideration of the Academy of Scientific and Innovative Research Bill, 2011, as passed by the Lok Sabha, was moved by the Minister in charge of the Bill. Thereafter, an amendment for reference of the said Bill to a Select Committee of the Rajya Sabha was moved by some Members. This was followed by the discussion on the motion for consideration of the Bill and the amendments moved thereto which lasted for about two and a half hours. After the discussion, the amendment moved by the Members for reference of the Bill to a Select Committee was put to vote of the House. As this amendment was negatived, motion for consideration of the Bill was put to vote of the House.

Similarly, the same procedure was followed in respect of a number of Bills such as the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015; the Insurance Regulatory and Development Authority Bill, 1999; the Foreign Exchange Management Bill, 1999; and the Prevention of Money Laundering Bill, 1999.

Thus, it is a well-established practice that both the motion for consideration of the Bill and the amendments moved thereto for reference of the Bill to a Select Committee are first taken up for discussion together before putting them to vote of the House. Accordingly, Shrimati Kanimozhi's amendment for reference of the Bill to a Select Committee will be put to the vote of the House after the discussion is over.

...*(Interruptions)*... माननीय प्रभात झा जी। ...(**व्यवधान**)... प्रभात झा जी, प्लीज़ आप बहस आरंभ करें। ...(**व्यवधान**)... मैंने स्पष्ट किया कि observation के संबंध में clarification की प्रक्रिया नहीं है। ...(**व्यवधान**)... माननीय मंत्री जी। ...(**व्यवधान**)...

REGARDING CLARIFICATIONS SOUGHT WITH REGARD TO THE STATEMENT BY THE MINISTER

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): सुनिए। ...(**व्यवधान**)... अगर आप अपनी सीट पर बैठेंगे, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। ...(**व्यवधान**)... अगर आप अपनी सीट पर बैठेंगे, तो मैं आपको जवाब देता हूं। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ अपनी सीट पर जाइए। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... Thank you. ...*(Interruptions)*... मिस्त्री जी, एक मिनट। ...(**व्यवधान**)... सर, कुछ सदस्यों ने ...(**व्यवधान**)... मिस्त्री जी, एक मिनट। ...(**व्यवधान**)... सर, नॉर्थ-ईस्ट और असम से संबंधित जो समस्या थी, कुछ सदस्यों ने उसके बारे में विशेष रूप से यह मांग की और request की कि गृह मंत्री, राजनाथ सिंह जी आएं और यहां पर एक स्टेटमेंट दें। उनकी मांग को मानते हुए श्री राजनाथ सिंह जी आए। सदन की हमेशा practice रही है कि जब मिनिस्टर *suo motu* स्टेटमेंट देता है, ...(**व्यवधान**)... रुकिए, रुकिए, ...(**व्यवधान**)... रुकिए, आप रुकिए। जब मिनिस्टर *suo motu* स्टेटमेंट देता है, तो आप उनसे questions पूछ सकते हैं, पर जब observations ...(**व्यवधान**)...

SHRI RIPUN BORA: Sir, the entire North-East is burning. ...*(Interruptions)*... Wrong policy is ruining. ...*(Interruptions)*...

श्री विजय गोयल: जब observations और डिमांड पर स्टेटमेंट होती है, जब questions नहीं होते हैं। मेरा अनुरोध है कि जब Citizen (Amendment) Bill आएगा, तो आपकी जितनी भी queries होंगी, आपके जितने भी प्रश्न होंगे, खुद गृह मंत्री उनके जवाब देंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। कृपया अभी बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: श्री प्रभात झा, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will come to that later on. ...*(Interruptions)*... I have already clarified it. ...*(Interruptions)*. प्रभात झा जी, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, we want to seek clarifications. ...*(Interruptions)*... You call the Minister to reply on the clarifications. ...*(Interruptions)*...

GOVERNMENT BILLS

The Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019— *Contd.*

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, संविधान (एक सौ चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 के संबंध में मैं अपनी बात यहां रखना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... आदरणीय उपसभापति महोदय, कल यह विधेयक लोक सभा से पारित हुआ। ...(**व्यवधान**)... सभी ने, सभी दलों ने एक आवाज़ में, एक स्वर में इस विधेयक को पारित किया।

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already clarified. ...*(Interruptions)*... Let him speak. ...*(Interruptions)*... Please wait. ...*(Interruptions)*... After his speech is over, I will give you time. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रभात झा: मैं यहां के माध्यम से, ...(**व्यवधान**)... अपने माध्यम से लोक सभा द्वारा पारित उस भावना ...(**व्यवधान**)... उस भावना के बारे में मैं अपेक्षा करता हूं कि राज्य सभा भी उसी भावना से इस विधेयक को सुनेगी और समझेगी। महोदय, मई का महीना था और सन् 2014 था। ...(**व्यवधान**)... प्रधान मंत्री जी संसद में आए थे और उन्होंने अपना माथा इस लोकतंत्र के मन्दिर में झुका कर यह कहा था, उनका पहला भाषण इस सेंट्रल हॉल में हुआ था और उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी और करती है। ...(**व्यवधान**)... साढ़े चार साल ...(**व्यवधान**)... साढ़े चार साल ...(**व्यवधान**)... साढ़े चार साल लगातार गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार का नाम है नरेन्द्र मोदी सरकार। ...(**व्यवधान**)... एक क्षण, एक पल, एक मासा उन्होंने बिना गरीबों को देखे कोई काम नहीं किया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: कृपया शांति बनाए रखें।

श्री प्रभात झा: महोदय, परसों जब कैबिनेट में यह पास हुआ और हम जब सदन में आए, तो सदन के बाहर पत्रकारों ने हमें घेरा और जब यह बात कही, तो हर पत्रकार के चेहरे पर वह उल्लसित मन था। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय एक सवाल हुआ करता था कि कब आएगा आरक्षण, हम लोगों का क्या होगा? सामान्य वर्ग के गरीब लोग अक्सर यह चर्चा करते थे, लेकिन वह सपना किसी सरकार ने पूरा नहीं किया। ...(**व्यवधान**)... मैं उस गरीब परिवार से आने वाले चाय बेचने वाले, नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं, जो पिछड़े समाज से आते हैं ...(**व्यवधान**)... और उन्होंने आज भारत के अगड़े समाज की चिंता की है। ...(**व्यवधान**)... उन्होंने सबको यह बताया है। ...(**व्यवधान**)... वे सिर्फ बोलते नहीं हैं, जो कहते हैं, 'सबका साथ, सबका विकास', वह करके दिखाने वाले व्यक्तित्व का नाम है- नरेन्द्र मोदी। ...(**व्यवधान**)... देखिए, विरोध के लिए विरोध करना ...(**व्यवधान**)... मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, विरोध के लिए विरोध मत करिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: कृपया शांति बनाए रखें, चर्चा होने दें। ...(**व्यवधान**)... पूरा देश हमें देख रहा है। ...(**व्यवधान**)... आप भी इसी प्रखरता से अपनी बात कहेंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रभात झा: मैं फिर कहना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**... देखिए, क्या हुआ, जब यह विधेयक आया, तो सब आवाक रह गए कि यह क्या हो गया? किसी ने कहा ...**(व्यवधान)**... सुनिए, सुनिए ...**(व्यवधान)**... सुन तो लीजिए। ...**(व्यवधान)**... मैं अब आपको सुना रहा हूं, आपको तो राफेल के सिवा कुछ नहीं दिखता है। ...**(व्यवधान)**... भाषण में मैं आपको राफेल की ही कहानी सुना देता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय सदस्य झा जी, आप चेयर को देखकर संबोधित करें। ...**(व्यवधान)**... झा जी, आप चेयर को देखकर संबोधित करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रभात झा: दो साल का एक छोटा बच्चा था, वह अपने पापा-मम्मी से बार-बार कहता था कि मुझे हाथी पर चढ़ा दो, मुझे हाथी पर चढ़ा दो ...**(व्यवधान)**... सुनिए, सुनिए, अब हुआ क्या, मैं बता रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया आप चेयर को देखकर बात करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रभात झा: अब हुआ क्या, वह दो साल का बच्चा हाथी पर चढ़ नहीं सकता था। ...**(व्यवधान)**... वह बार-बार जिद करता था, तो हाथी ले आया गया। अब वह हाथी पर चढ़े नहीं पा रहा था, तो हाथी ने जैसे ही अपना पहला पैर उठाया, सहानुभूति से उस बच्चे को लोगों ने हटा लिया। सुबह शाम * को सपने में सिर्फ राफेल, राफेल ...**(व्यवधान)**... क्यों नहीं हिम्मत है कि वे इस विधेयक पर बोलने आते? ...**(व्यवधान)**... सामने आइए और बोलिए इस विधेयक पर ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप अपनी जगह पर बैठे रहें, आपको भी कहने का मौका मिलेगा। ...**(व्यवधान)**... आपको भी कहने का मौका मिलेगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रभात झा: आज आप अपना-अपना घोषणा-पत्र निकालिए। ...**(व्यवधान)**... भारत के सभी राजनैतिक दलों के मेनिफेस्टो में यह लिखा हुआ है कि गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... आर्थिक रूप से टूटे हुए व्यक्ति को आरक्षण ...**(व्यवधान)**...

SHRI ANAND SHARMA (Himachal Pradesh): Sir, there is a point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: माननीय झा जी, एक मिनट, माननीय आनन्द जी कुछ कहना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: सर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियमावली में यह स्पष्ट है कि कोई भी सदस्य, जो इस सदन में अपनी बात कहेगा, वह किसी दूसरे सदन के सदस्य के बारे में न तो आलोचना कर सकता है और न ही कुछ कह सकता है। * के बारे में इन्होंने जो कहा है, उसे तुरंत कार्यवाही से निकाला जाए। ...**(व्यवधान)**... उसे तुरंत निकाला जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: उस पर हम लोग गौर करेंगे, लेकिन मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस बात का सब लोग ध्यान रखें, हर पक्ष ध्यान रखे। ...**(व्यवधान)**...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री आनन्द शर्मा: मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं, इसे कार्यवाही से निकाला जाए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप व्यवस्था की बात उठा रहे हैं, अगर वह प्रक्रिया सही है, तो उसका अनुपालन करने के लिए हम लोग देखेंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा: नहीं, वे लोग क्या देखेंगे, सदन आप चला रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... सदन आप चला रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर यह नियम के अनुकूल होगा, तो हम लोग इसे देखेंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा: नहीं, इसे निकाला ही जाएगा, देखेंगे नहीं। ...(**व्यवधान**)... इसे निकाला जाएगा, expunge किया जाएगा। I am very clear on that. ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापति: कर देंगे, मैं कह रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाएं, हम निकाल देंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा: ठीक है, आपने कह दिया है कि निकाल देंगे।

श्री प्रभात झा: सभी पार्टियों के मेनिफेस्टो में यह लिखा हुआ है कि हम गरीबों को, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को आरक्षण देंगे। ...(**व्यवधान**)... आज भारत में देश का पहला प्रधान मंत्री है ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: कृपया बैठ कर अपनी बात न कहें। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रभात झा: ये भारत के पहले प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने मेनिफेस्टो की ही नहीं, आप सभी के मेनिफेस्टो की भावना की कद्र करते हुए, गरीबों के आरक्षण का विषय उठाया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: कृपया बैठ कर बात सुनें, अपनी जगह से न बोलें। ...(**व्यवधान**)... कृपया शांति बनाए रखें, हम सब बहुत महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... यह सही नहीं है, आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(**व्यवधान**)... झा जी की बात के सिवाय कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)... झा जी, आप चेयर को देख कर बोलें। ...(**व्यवधान**)... आप इधर देखें और तब बोलें। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रभात झा: उपसभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह बहुत संवेदनशील मामला है। यह पूरे सदन की भावना है। सदन का एक-एक व्यक्ति चाहता है कि यह विधेयक पारित हो और उसी भावना से उत्प्रेरित होकर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता हूं। इस विधेयक में सब लोग साथ आएं, क्योंकि यह किसी के जीवन का सवाल है। यह करोड़ों युवाओं का सवाल है। ...(**व्यवधान**)... जो कैम्पस में पढ़ते हैं, उनकी जिन्दगी का सवाल है। ...(**व्यवधान**)... इतना ही नहीं, अब यह ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: कृपया सीट पर बैठे-बैठे टीका-टिप्पणी न करें, आपको भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रभात झा: देखिए, यह राष्ट्र हित में लिया गया निर्णय है। आपको यह कैसा लग रहा है? यह सबको अच्छा ही लग रहा है। आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान संविधान निर्माताओं की भावना थी, उनके मन में था। संविधान की धारा 14 में स्पष्ट कहा गया है कि देश में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार होगा, संविधान की धारा 15 में स्पष्ट कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा तथा संविधान की धारा 16 में स्पष्ट कहा गया है कि बिना भेदभाव के रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि कल से, परसों से बहुत आशंका व्यक्त की जा रही है कि 50 फीसदी से ज्यादा का मामला है, राज्यों में जाना पड़ेगा। माननीय अरुण जी ने लोक सभा में इसे स्पष्ट किया था। मैं उसको यहां दोहराना चाहता हूं। सामान्य वर्ग के गरीब तबके को आर्थिक आधार पर आरक्षण मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसका वर्णन संविधान के भाग 3 में स्पष्ट रूप से किया गया है। संविधान संशोधन की जो धारा 368 है, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि भाग 3 में संशोधन के लिए राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए प्रस्तुत विधेयक में संविधान के भाग 3 की धारा 15 और 16 में संशोधन किया गया है। जब संविधान की धारा 15(5) का संशोधन हुआ, प्रमोशन में आरक्षण को जोड़ा गया, तो वह केवल संसद के दोनों सदनों में अप्रूव हुआ था और उसके लिए राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं यहां बताना चाहता हूं कि इस संबंध में मंडल आयोग ने भी अनुशंसा की थी। उसने कहा था कि गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर हमें शैक्षणिक क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में इस पर विचार करना चाहिए। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधान मंत्री नरसिम्हाराव जी, ने भी इस तरह का प्रावधान और एक नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन वह संविधान के संशोधन के माध्यम से नहीं आया था, इसलिए कोर्ट में उसको निरस्त कर दिया गया था। यह 2010 की घटना है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि यह जो निर्णय हुआ है, इसमें आप आने वाले भविष्य की ओर देखिए, आने वाले कल की ओर देखिए। भावना यह है कि इस भारत में कोई सुबकता हुआ नहीं रहे, कोई रोए नहीं, किसी के मन में यह ग्लानि नहीं हो, वह हीन भावना का शिकार न हो कि काश, मैं गरीब नहीं होता, आर्थिक रूप से तंगी नहीं होती, तो मैं भी पढ़ लेता, मुझे भी रोजगार मिलता! इस भावना की, सामान्य वर्ग के एक गरीब युवा की भावना की अगर किसी ने कद्र की है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सबको इसकी कद्र करनी चाहिए। यह भारत के युवाओं की आवाज़ है और 70-72 सालों बाद उस आवाज़ को अगर किसी ने आवाज़ दी है, तो उस व्यक्तित्व का नाम है - नरेन्द्र मोदी। इसलिए मैं यह कहना चाह रहा हूं कि उनका साथ देकर आप केवल उनका साथ नहीं देंगे, आप करोड़ों युवाओं का साथ देंगे। सोचिए, यह कब होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। किसने किया, किसने नहीं किया, हम उसमें नहीं पड़ते। हम इतना जानते हैं कि ...**(व्यवधान)**... अब देखिए। आर्थिक आधार पर, यह सामान्य निर्णय नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, जब लगभग हर भारतीय को इसका लाभ मिलेगा, 95 फीसदी आबादी इस दायरे में आ जाएगी, तो यह 95 फीसदी आबादी की आवाज़ है। क्या उस आवाज़ को, नरेन्द्र मोदी को नहीं सुनना चाहिए? क्या उसके हित में निर्णय नहीं लेना चाहिए? ...**(व्यवधान)**... हम आज लेते तब भी, आज अन्तिम दिन भी है, तब भी इस अच्छी बात को अच्छे रूप में स्वीकार करना चाहिए। आरक्षण का आधार यह रखा गया है कि पारिवारिक आमदनी 8 लाख रूपये से कम हो। इनकम

टैक्स डिपार्टमेंट और NSSO की रिपोर्ट के आधार पर लगभग 95 फीसदी आबादी अब इस दायरे में आती है। देश की 95 फीसदी आबादी अगर इस दायरे में आती है, तो क्या सदन को विचार नहीं करना चाहिए? मैं एक बार फिर से नरेन्द्र मोदी जी और उनके काबीना को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के 95 फीसदी लोगों का विचार किया है। ...**(व्यवधान)**... आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया शान्ति बनाये रखें। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रभात झा: एक मिनट, एक मिनट। ...**(व्यवधान)**... अगर यह लागू होता है तो अधिक आय वर्ग के, ऊपर से सिर्फ 5 फीसदी परिवार ही इस दायरे से बाहर होंगे और देश के 95 फीसदी परिवार इस दायरे के अन्तर्गत आयेंगे। ...**(व्यवधान)**... 2016-17 में ...**(व्यवधान)**... मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। 2016-17 में सिर्फ 23 मिलियन लोगों ने ही अपनी आय 4 लाख से अधिक घोषित की थी। इसका मतलब समझ ा लीजिए कि कितने लोगों को उसका लाभ होगा। ...**(व्यवधान)**... उस समय प्रति व्यक्ति आय सवा लाख रुपए सालाना बताई गई। इसका मतलब हुआ कि किसी परिवार में यदि 5 सदस्य भी हैं और उसकी आय सवा 6 लाख रुपए है तो ऐसे परिवारों को भी अब आरक्षण का लाभ मिलेगा।

महोदय, मैं कभी-कभी सोचता हूं कि क्या इस सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया! क्या इस सरकार ने पिछले साढ़े चार साल, पौने पांच साल में ...**(व्यवधान)**... मेरे कांग्रेस के मित्रों, आज तो दिल खोलकर दिखा दो कि भारत की राजनीति उदारता की राजनीति है। भारत की राजनीति संकीर्णता की राजनीति नहीं है और यह विधेयक उदारता का अनुपम उदाहरण भारत के राजनैतिक इतिहास में बनने जा रहा है। इसलिए किसका कलेजा, किसने दिखाया, क्या नरेन्द्र मोदी जी को ही इसका लाभ मिलेगा - हमें और आपको नहीं मिलेगा? जो हमारा 'सबका साथ, सबका विकास' स्लोगन है, इस नारे के एक-एक शब्द को गीता की ऋचाओं की तरह अगर किसी ने फलीभूत करने का काम किया है, तो उनका नाम है - नरेन्द्र मोदी।

उपसभापति जी, अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आज बड़े मन की जरूरत है। बड़े मन की जरूरत इसलिए है क्योंकि संसद में होने वाली डिबेट को करोड़ों लोग देख रहे होंगे कि राज्य सभा में क्या हो रहा है? लोक सभा में 3 सदस्यों को छोड़कर 323 माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस विधेयक का समर्थन किया है। मैंने पहले ही अपने भाषण में कहा है कि मैं सभी दलों के प्रति शुक्रगुज़ार हूं और उसी मन से मैंने यहां अपनी भावना व्यक्त की। इसलिए सारे माननीय संदस्य इस विधेयक के साथ, एक-एक राजनैतिक दल, दलगत भावना से उठकर इसका समर्थन करे। कुछ दलों के सदस्यों से मेरा वैचारिक मतभेद है और सदैव रहेगा। जब तक जिन्दा हूं, तब तक विचारों के आधार पर लड़ाई लड़ता रहूंगा। अगर तब मेरा सिर नहीं झुका तो अब क्या झुकेगा, लेकिन विकास के नाम पर सबको एक होना चाहिए। देश के लोगों के विकास और आने वाली पीढ़ी की जिन्दगी को बेहतर बनाने के लिए हम सबको एक होना होगा। मैं समझ रहा हूं कि मेरी भावना आप सबके, एक-एक सदस्य के मन में दीप की तरह जलेगी तो तमस हटाएगी। जिस दीप को बहुत पहले जलना था, उस दीप को यदि नरेन्द्र मोदी ने जलाया है, प्रज्वलित किया है तो उसके आलोक में, उसके उजाले में भारत के युवाओं को आगे आने दीजिए। मैं समझता हूं कि मेरी इस भावना को आप सभी माननीय सदस्य समझ गए होंगे, जय-हिन्द, जय भारत!

SHRI T. K. S. ELANGOVAN (Tamil Nadu): Sir, because this Bill introduced was not well-read and various aspects of this Bill were not discussed, it has to go to a Select Committee before being presented in the House. I want the debate to be adjourned. That is my motion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will just give ruling on that. Please take your seat. Shri T. K. S. Elangovan, Member, has given notice under Rule 117 for adjournment of the debate on this Bill. As per Rule 117, such a motion can be moved with the consent of the Chairman. The Member in his notice has not given any reason for adjourning the debate on this Bill. Hon. Chairman has, therefore, not accorded his consent, for moving this motion, to Shri Elangovan. Now, Shri Anand Sharma. ...*(Interruptions)*... कृपया सदन में शांति बनाए रखें। ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, इस सदन में सरकार की तरफ से जो संविधान संशोधन विधेयक आया है, इसे लाते हुए माननीय मंत्री जी ने बताया था कि किस कारण से इसे लाया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? यह कहा गया कि जो सामाजिक रूप से अग्रणी जातियां मानी जाती हैं, अगड़ी जातियां कही जाती हैं, उनके गरीब लोगों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सर, प्रश्न यह है कि देश में आरक्षण का इतिहास क्या है? पहले यह जानना भी जरूरी होगा। हमारी संविधान सभा ने, Constitutional Assembly ने बड़े विस्तार से चर्चा की थी कि जिन लोगों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, historical injustice हुआ है, social exclusion हुआ है, जिनको सामाजिक न्याय नहीं मिला, उनको संरक्षण की जरूरत है और वह संरक्षण आरक्षण के रूप में मिलना चाहिए, तभी भारत के संविधान के निर्माताओं ने यह तय किया कि अनुसूचित जाति, Scheduled Castes और जनजाति, Scheduled Tribes को इसकी आवश्यकता है, यह न्यायोचित है और अवश्य दिया जाना चाहिए। आज इस सदन में मैं यह बताना आवश्यक समझता हूं कि 23 दिसंबर, 1946 को भारत के प्रथम प्रधान मंत्री ने Objective Resolution रखा था। उस Objective Resolution को मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसका वह अंश, जो आज की इस चर्चा से संबंधित है, वह पढ़ूंगा। उन्होंने यह कहा था कि आज़ाद भारत में क्या होना चाहिए, कैसा संविधान होना चाहिए। Wherein it shall be guaranteed and secured to all the people of India, justice, social, economic and political: equality of status, of opportunity, and before the law; freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action, subject to law and public morality. उसे छठे अंश में उन्होंने कहा था कि Wherein, adequate safeguards shall also be provided for minorities, backward and tribal areas, and depressed and other classes of the country. यह 13 दिसंबर, 1946 की सोच थी, जिसे आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और उस समय के हमारे महान योद्धाओं ने तय किया था। वह प्रस्ताव ऐसे ही नहीं आया था, बल्कि उस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के कई महा-अधिवेशनों में बड़े विस्तार से चर्चा हुई थी, प्रस्ताव पारित किए गए थे कि जब देश आज़ाद होगा, तो वे लोग जिनके साथ

अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिलेगा, बराबरी का अधिकार मिलेगा। यही एक कारण था कि यह आरक्षण हुआ और उसके बाद सरकारों ने इसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया, क्योंकि सैंकड़ों वर्षों का अन्याय था, वह कुछ दशकों में पूरा नहीं हो सकता था, चाहे वह शिक्षा की संस्थाओं में अवसर है, आमदनी है और उसके साथ-साथ सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है। ...**(व्यवधान)**... मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। मैंने आवश्यक समझा कि मैं अपनी बात गंभीरता से कहूं।

श्री उपसभापति: माननीय आनन्द जी, आप चेयर को देखकर बोलें।

श्री आनन्द शर्मा: मैं चेयर को ही देख रहा हूं। आपकी तरफ ही देखते रहेंगे, कभी-कभी इधर-उधर भी देखते रहेंगे। बहरहाल, यह न्याय मिला। यह कहना और यह दिखाना कि पहले कभी कुछ नहीं हुआ, मेरा आपके माध्यम से अपने उस तरफ के मित्रों से एक आग्रह रहेगा, कि हम किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, हमारी मानसिकता अलग है। हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, वैचारिक मतभेद में विश्वास करते हैं, हममें विचारधाराओं का विरोधाभास हो सकता है, लेकिन जहां तक देश की बात है, भारत देश हमारा है, सभी का है और इस देश को बनाने में जिन लोगों का योगदान रहा है, उस योगदान को सम्मान से स्वीकार किया जाना चाहिए। आज कहा जाता है कि पहले कुछ नहीं हुआ, मैं कहना चाहता हूं कि अगर कुछ नहीं हुआ, तो 2014 में क्या लेकर आए थे? हम इस सदन में गिना चुके हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कहां खड़ी थी, हिन्दुस्तान कैसे परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष भवन बन चुका था, तो आप कृपा करके इस मानसिकता को छोड़ दीजिए। यह बिल आप लाये हैं, क्योंकि आपने काफी बातें कही थीं। वर्ष 2014 में देश के लोगों को कई आश्वासन दिए गए थे। वे केवल आश्वासन और वादे नहीं थे, सब्ज़बाग दिखाए गए थे, एक बहुत बड़ी हवा चली थी। मैं एक चीज़ कहूंगा, after every high tide, there is a low tide. इस बात को मत भूलिए कि आपने क्या कहा था। "सबका साथ, सबका विकास", अभी माननीय सदस्य ने कहा। अच्छी बात है, सोच अच्छी है, पर क्या यह सही मायने में हो रहा है? वे अच्छे दिन कब आएंगे, उसका इंतजार हो रहा है। अभी तक तो देश अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया बीच में टीका-टिप्पणी न करें। आनन्द जी, आप बोलिए।

श्री आनन्द शर्मा: जो ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी संवेदनशीलता, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच। वे तो कह रहे हैं, मैं अभी टेलीविज़न पर देख रहा था, आजकल बाहर खूब अच्छा — यह अच्छी बात है कि देश में जितनी पोशाक, जितनी पगड़ी और जितनी टोपी हैं, वे उनमें रोज़ दर्शन होते हैं, पर सदन में नहीं होते। यह ठीक है, उनकी मर्जी है, उनका अपना शौक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास भी हिमाचल की कई टोपियां हैं, वे कहेंगे तो हम उनको और भी दे देंगे, भेंट कर देंगे। ...**(व्यवधान)**... खैर, यह सम्मान होता है। माननीय गहलोत साहब ने भी डाली है, हिमाचल की टोपी है, इसमें आपत्ति क्या है? वे पीछे भी बैठे हैं, आपको भी पगड़ी अच्छी लगती है, इनको टोपी भी अच्छी लगती है। अब इस बात को रहने दें। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया शांति रखें। आनन्द जी, आप अपनी बात कहिए, मूल विषय पर आइए।

श्री आनन्द शर्मा: सर, जैसा मैंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में जो हमारे मौलिक अधिकार, यानी Fundamental Rights हैं, उनमें यह प्रावधान पहले से ही रखा गया था कि जो पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए राज्य को, स्टेट को यह अधिकार रहेगा कि वह कोई प्रावधान करे और उसी के तहत भारत में अभी तक जो आरक्षण हुआ है, वह चल रहा है। जब उससे बाहर हटकर दो बार आरक्षण देने की कोशिश की गई, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्वीकार नहीं किया था। मैं कहूंगा कि यह चुनौती भी हर सरकार के सामने रही है। यह चुनौती केन्द्र की सरकारों के सामने रही है, हमारी सरकारों के सामने भी रही है, चाहे यह चुनौती वर्ष 1992 में आई हो या वर्ष 2010-11 में आई हो, यह चुनौती कई राज्यों के सामने भी आई। मैं सोचता हूं कि सरकार उन तमाम चीज़ों को मन में रखकर, सोच-विचार करके यह बिल लाई है, लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसी क्या बात हुई कि इसको एकदम से लाया गया? मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरा यह कहना है कि संविधान का संशोधन तब आता है, जब एक बड़े समाज, एक वर्ग के लोगों के बारे में यह समझा जाता है कि वे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पर अभी तक के प्रावधान में वे covered नहीं हैं, उनको उसका लाभ शिक्षण-संस्थाओं या सरकारी नौकरियों में नहीं मिलता और उनको भी संरक्षण की जरूरत है, इसलिए उनके लिए तुरंत कोई कदम उठाया जाए। मैंने इसलिए यह कहा और सिर्फ मैं ही यह नहीं कह रहा, बल्कि देश पूछता है कि इस सोच को, जो पहले से चली थी — इस पर वर्ष 2006 में एक कमीशन भी बिठाया गया था, जब यूपीए की सरकार थी। वह कमीशन, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट्स के लिए था, जिसके चेयरमैन मेजर जनरल सिन्हो थे और उस कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी। आप कह रहे हैं सोच! यह कइयों की सोच रही। यह भी जरूर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 2014 के मेनिफेस्टो में भी हमने इसका जिक्र किया था। हम इसलिए भी इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी यह केवल सोच नहीं थी, बल्कि हमने अपने मेनिफेस्टो में इसको लिख दिया था। अब यह अलग बात है कि चुनाव के नतीजे कुछ और हुए, आप हंसते-हंसते आए और जो नतीजे आए, उन्हें हम लोगों ने स्वीकार कर लिया, पर आपको 4 साल 7 महीने लग गए। यह कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया था कि आप 4 साल 7 महीने बाद आखिरी सत्र के अंदर इसको लाए हैं? यह आखिरी सत्र है, उसके बाद चुनाव है। अब इसमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। वास्तविकता यह है। सच्चाई सुनना जरूरी है। अभी महीना नहीं हुआ है, तीन राज्यों ने इनको आर्शीवाद देकर भेजा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने और बाकी दो भी हारे। अभी हमारी क्रिकेट की टीम तो श्रृंखला जीत गई। आप 5-0 से चुनाव की सीरिज़ हार गए। That is the outcome of the elections. आपको संदेश मिला कि हम ठीक रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। चुनाव सिर पर है। अभी तो तीन राज्यों ने छोटा संदेश दिया। बड़े संदेश की भी पूरी उम्मीद करें और ज़रूर मिलेगा। कुछ महीने की बात है।

माननीय उपसभापति जी, एक होता है एयरपोर्ट पर arrival का lounge, आगमन और एक होता है प्रस्थान, departure. This has been brought by the Government which is already in a departure lounge. It is matter of time. I can say that. अब आप लोगों को क्या बनाएंगे कि हम आपको दे रहे हैं। देश को सुनना ज़रूरी है कि आप क्या दे रहे हैं। पहले जो आपने इसमें शर्तें लगायी हैं, बहुत खूब। जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है, पांच एकड़। 5 एकड़ जिसके पास ज़मीन है, वह 86 प्रतिशत भारत की जो लैण्ड-होल्डिंग है, it covers eighty-six per cent of the land holdings of the country.

दूसरा यह कि 8 लाख रुपये आमदनी, वित्त मंत्री बैठे हैं, इनको मालूम है, पूर्व वित्त मंत्री भी बैठे हैं। आप ज़रा डेटा दें कि 8 लाख से ऊपर की आमदनी इस देश में कितने लोगों की है? How many people have income above rupees eight lakhs and how many people pay that income tax? आपको हैरानी होगी। अगर मेरी जानकारी गलत है तो आप मुझे ज्ञान दें कि वह डेटा, जब आप कहें तो देश के सामने रखेंगे। इससे अगर 99 प्रतिशत नहीं, तो 98 प्रतिशत भारत के लोग कवर होते हैं। अब आप उससे 50 प्रतिशत निकाल दें, जिनके लिए पहले से आरक्षण है। 130 करोड़ की आबादी है, 65 करोड़ भी अगर आप कहें, तो उस 65 करोड़ का 98 प्रतिशत। अब उसमें से नौकरी वाले कितने लोग होंगे? जाहिर है कि 45 करोड़ के आस-पास लोग होंगे। आज देश की चिंता क्या है? देश में रोज़गार नहीं बन रहा है, न प्राइवेट सेक्टर में, न उद्योग में और न सरकार का रोज़गार बन रहा है। अभी पिछले सप्ताह चौकाने वाले आंकड़े आए हैं। इस देश में जो दो करोड़ रोजगार था, अब उसको जुमला मत कहना कि भारत के नौजवानों को कहा था कि एक साल में दो करोड़ रोज़गार देंगे। अभी 10 करोड़ गिनेंगे। पिछले साल 1 करोड़ 10 लाख, eleven million jobs have been destroyed in 2018; 11 million jobs have been lost in 2018. नौकरी तो बन नहीं रही। यह चिंता है। मैं केवल आलोचना के कारण इस बात को नहीं कह रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... मैं चेता रहा हूं। यह हकीकत है। मैंने अभी कुछ और देखा, क्योंकि समय कम था। अब इतनी जल्दी में लाए, आपको लाना था। चूंकि model code of conduct से पहले कहें कि दो करोड़ नहीं तो आगे के लिए तो dangle of carrot, वह कहते हैं न कि एक और सपना दिखा दिया कि हो जाएगा। सबको दे दिया। हर आदमी सोचेगा कि मेरे बेटे-बेटी को मोदी जी ने रोज़गार का प्रबंध कर दिया, पर प्रश्न एक है। नौकरियां कितनी हैं? मैंने अभी आंकड़े देखे और वित्त मंत्री जी से भी मेरा आग्रह रहेगा कि राज्यों से भी आंकड़े मंगाकर मंत्री महोदय, आप जवाब देंगे, ज़रा सदन के अदंर रख दें। केंद्र सरकार के 34 लाख रोज़गार हैं और पिछले तीन साल में 95 हज़ार नौकरी बनी हैं, यह सुनने के लायक है। केंद्र सरकार ने जो पैदा की हैं, रोज़गार बनाए हैं। 34 लाख हैं, 95 हज़ार हो गए! जो भारत की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज़ हैं, उनमें निरंतर नौकरियां कम हो रही हैं। आपने तीन साल में 95 हज़ार नौकरियां बनाईं और पीएसयूज़ के अंदर, I am quoting from a PIB release issued by the Government of India. It says, 'In the PSUs of the country, in 2016-17, the jobs have come down from 11.85 lakhs to 11.31 lakhs.' तो 54 हज़ार नौकरियां 2016-17 में आपकी पीएसयूज़ में टूटी हैं और 2017-18 में ये 11 लाख 31 हजार से घटकर 10 लाख 88 हजार पर चली गईं। दूसरे साल में 43 हज़ार टूटीं, तो तीन साल में आपने केन्द्र की सरकार के 95 हज़ार रोज़गार बनाए और पीएसयूज़ के 97 हज़ार रोज़गार तोड़ दिए। मैं इसमें प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। उस पर आपकी दोहरी लाठी चली है, क्या वार हुआ है! पहले नोटबंदी का जश्न मनाएं, दूसरा जल्दबाज़ी में जीएसटी का गलत मॉडल थोप दिया, व्यापार तोड़ दिए। लोग बेरोज़गार हो गए, लोगों का नुकसान किया, तो यह रोज़गार तो इतना है। राज्यों के आंकड़े माननीय वित्त मंत्री देंगे! गहलोत जी एक सज्जन व्यक्ति हैं, आपने भी इस पर कुछ होमवर्क किया है, वह भी रख दें। यह जो आप 10 प्रतिशत लाए हैं और 98 प्रतिशत लोग इसमें कवर होते हैं, तो आपने बनाया है - 5 एकड़ और 8 लाख - तो मैं सोच रहा था और मैंने कई अर्थशास्त्रियों से, मैं नाम भी रख सकता हूं, सदन में आने से पहले फोन भी किया कि मुझे कुछ ज्ञान दो। मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा है पर मैं इतना विद्वान नहीं हूं कि एक-एक आंकड़े मेरे पास हों। आप मुझे बताइए कि इसमें कितने साल लगेंगे? उन्होंने कैलकुलेट करके

[श्री आनन्द शर्मा]

मुझसे कहा कि शायद 800 साल लगेंगे। अब देखो नौकरियां कितनी हैं? लोग कितने हैं? आप किसको बता रहे हैं कि कर दिया। कृपा करें, पहले अर्थव्यवस्था सुधारें, विकास की गाड़ी पटरी पर लाएं, रोज़गार पैदा करें। आपने तो ऐसा कह दिया कि ऐसा होता है। सपने देखना और सपने दिखाना इंसान की फितरत है, शौक है, तो आपने भी दिखा दिया। यह जो इतना बड़ा सपना आप देश के लोगों को दिखा रहे हैं, यह गंभीर बात है। इस समाज के अंदर जातिवाद, देश में एक ऐसा विषय रहा है, जिसका मैं पक्षधर नहीं हूं। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, जो कभी इसके पक्षधर नहीं रहे हैं, पर एक वास्तविकता भारत के समाज की रही है, इसलिए सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है और जो लोग पिछड़े हैं, जो विकास की परिधि से बाहर रह गए हैं, उनको उसमें जोड़ना, उस प्रक्रिया में जोड़ना, उसका लाभ देना, यह देश का धर्म है, कर्तव्य है, हर सरकार का, हर भारतीय का कर्तव्य है। अगर हम उस दृष्टिकोण से भी इसको देखते हैं, तो यह ज़रूरी हो जाता है कि हम इस विषय पर विस्तार से देश में चर्चा करें। सदन को भी मौका देते हैं, हर सदस्य को यह अवसर देते हैं कि वह लोगों से बातचीत करे, समाज के उन वर्गों से भी बातचीत करे, जिनको ये एक नया सपना मिलेगा कि क्या चाहते हैं? क्या शर्तें होनी चाहिए? क्या यह सही है या नहीं है या इसमें कोई और भी सुधार लाया जा सकता है?

माननीय उपसभापति महोदय, वह सुधार कैसे हो सकता था? वह सुधार लाने का एक ही तरीका था। जब भी कोई कानून बनता है, यह तो संविधान का संशोधन है और इसमें अभी कई, मैं कहूंगा there are other twin barriers which the Government will face. We hope that you will overcome; but, you will have to face them. You will face certain Constitutional questions. You will face certain barriers. But, the tendency of this Government not to respect Parliament and bypass legislative scrutiny, while making laws or Constitutional amendment, is deplorable. This is a calculated, deliberate, disrespect done to the highest institution of Indian democracy. It is deliberate. क्योंकि आप नहीं चाहते है, आपकी सोच ऐसी है कि आपसे कोई सवाल न करे। आपकी सोच तो आरक्षण के पक्ष में नहीं है। मैं, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, किसी महानुभाव के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आपके बड़े शिरोमणि लोगों ने ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: आप क्यों प्रचार कर रहे हो? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: कृपया आप शांति बनाए रखें। आनन्द जी, आप अपनी बात कहें।

श्री आनन्द शर्मा: मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। मैं तो आपसे ही कह रहा हूं।

श्री उपसभापति: कृपया सीट पर बैठकर न बोलें, शांति बनाए रखें, हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बिल पर बात कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां देखेंगे कि हम क्या तय कर रहे हैं। आनन्द जी, आप कृपया मेरी ओर देखें।

श्री आनन्द शर्मा: मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूं।

श्री उपसभापति: लेकिन आप अपनी बात पर आइए।

श्री आनन्द शर्मा: मैं बात ही कह रहा हूं। आप भी थोड़ा इस तरफ ज्यादा देखा करें।

श्री उपसभापति: मैं तब से आप ही को देख रहा हूं।

श्री आनन्द शर्मा: अब देख रहे हैं।

श्री उपसभापति: आप ध्यान दें, देख लें, कैमरे पर इस बात का प्रमाण है।

श्री आनन्द शर्मा: चलिए, ठीक है। आपके कई बड़े लोगों ने, जो सरकार में भी रहे हैं और बड़े नेता हैं, आरक्षण की सोच का ही विरोध किया। देश में आरक्षण कैसे होना चाहिए - समाज के हर वर्ग को, जिन्हें सही मायने में न्याय नहीं मिल रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है - यह देश और समाज के सामने एक चुनौती है। यह एक सरकार की बात नहीं है। अगर हमारे बेटे-बेटियों के लिए हम अवसर पैदा नहीं करेंगे, रोज़गार पैदा नहीं करेंगे, तो वे केवल वायदों और जुमलों पर नहीं चल सकते हैं। नौजवान देश का भविष्य हैं, किसी भी समाज का भविष्य हैं, उनके लिए हम सही प्रावधान कैसे करें? अगर 1946-47 में इस पर चर्चा हो सकती है, उस वक्त की संविधान सभा में - वित्त मंत्री जी से जब बात हो रही थी, कल भी हो रही थी, तो हमने बताया कि Constituent Assembly की अगर आप debates पढ़ें, इस विषय पर, affirmative action पर कि कितने विद्वान लोग थे, उनकी कितनी विशाल सोच थी और उन्होंने क्या कहा, क्या तर्क उन्होंने दिए तो आज आज़ादी प्राप्त किए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, इस विषय पर देश में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। एक दिन उस सदन में पास हो जाए, एक दिन इस सदन में पास हो जाए - हो गया वायदा पूरा या नहीं हुआ! जो कहा था, उसे करिए, कथनी और करनी एक हो। नौजवान तो आपसे अभी हिसाब मांगेगा। यह केवल भोपाल, जयपुर, रायपुर, हैदराबाद - वहां के संदेश से प्रभावित न होकर आप इसको लाए हैं और हमें आज बहुत ज्ञान दिया जा रहा था। महोदय, कृपा करें, विपक्ष राजनीति नहीं करता। पहली बात तो हम राजनैतिक दलों से आते हैं, सब आते हैं - आप भी और हम भी - लेकिन राजनीति तो सरकार कर रही है। अगर राजनीति से यह प्रेरित नहीं होता और चुनाव में जो आपकी सेवा लोगों ने की है, अच्छे दिनों की, जिनको आपने अच्छे दिन दे दिए, तो आप कभी भी इसे न लाते। आप इसको कभी भी लेकर नहीं आते। यह तो वोटर बोला है, गरीब बोला है, किसान बोला है, तो आपने कहा, अब हम कुछ करें। मैं एक चीज़ कहूंगा। हर किसी के लिए एक अनुभव की बात है क्योंकि आप यहां रहे हैं, हम वहां थे, फिर हम यहां आए, फिर वहां गए - प्रजातंत्र में यह होता है, लेकिन हर बार जब स्थान बदलते हैं तो कुछ ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। हमें भी शायद यहां कुछ साल बैठकर और ज्ञान मिला, क्योंकि वहां बैठकर शायद हमें वास्तविकता के बारे में उस समय ठीक से न पता हो, लेकिन आपके साथ हालत यह है कि आप सोचते हैं कि पूरा देश एक आवाज़ में आपके साथ खड़ा है और आपने सब कल्याण कर दिया है। आपकी सरकार ने वायदा खिलाफी की है - यह मैं आज सदन में कहना चाहता हूं। आपने देश के नौजवान और किसान के साथ वायदा खिलाफी की है। केवल इस संविधान संशोधन से गरीब का पेट नहीं भरेगा, किसान को न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप इतनी संवेदनशील सरकार हैं, तो मेरा सवाल है कि आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सशक्तीकरण की बात करते हैं, क्या आपके पास इस बात का उत्तर है, जो आपने एक और वायदा किया

[श्री आनन्द शर्मा]

3.00 P.M.

था - नौजवान को तो दो करोड़ का कह दिया, किसान को उसकी फसल की कीमत, उससे पचास प्रतिशत ऊपर कह दी, लेकिन आज मिल क्या रहा है। आप जानते हैं, देश जानता है कि आज किसान जब मंडी में जाता है तो उसको क्या कीमत मिलती है।

आज हिन्दुस्तान के किसान को MSP नहीं मिल रहा है। आपने जो MSP तय किया है, चाहे वह दाल का है, फसल का है, धान का है, गेहूँ का है, हर चीज में किसान को 300, 500, 700 रुपये कम मिलते हैं। आपको न्याय करना चाहिए। क्या कारण है कि आप महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल नहीं लाए? वे 50% महिलाए हैं, क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या उनको कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या सिर्फ 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' से सारी महिलाओं को न्याय मिल गया? हम तो आज भी कहते हैं कि आपको वह बिल लाना चाहिए था, आप यह जल्दी वहां दिखाते। माननीय प्रधान मंत्री जी और आपकी सरकार इस बिल को लाते, इसकी कोई आलोचना नहीं होती। मैं आपसे यह मांग करता हूं कि आप एक दिन और बढ़ाए और आज रात को लाए, हम फिर उसको पारित करते हैं। लोक सभा को वापस बुलाइए। एक सीधा संदेश जाना चाहिए। राजनीति के लिए तो आपने तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं को न्याय दे दिया, लेकिन भारत की बाकी महिलाओं का क्या हुआ? आपको किसने रोका है? मैं तो आग्रह कर रहा हूं, इससे मत्रियसें को कष्ट नहीं होना चाहिए। न्याय सभी महिलाओं को मिलना चाहिए, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। आपने अपने manifesto में कहा था, अब आप इसे लाइए और पूरा करिए।

अत में, मैं आपसे यही बात कहूंगा कि अगर सरकार यह सोचती है कि उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति राजनैतिक दलों के सामने खड़ी कर दी, जिन्होंने खुद यह प्रतिबद्धता दिखाई थी और जिनकी अपनी सोच यह थी, तो इसमें कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करेगी। जाहिर है कि जिसे हम खुद करने जा रहे थे, खुद ही लाए थे, तो उसे जरूर पूरा कीजिए, जो कि महिलाओं के लिए भी था, यह भी हम कहते हैं। आपकी सरकार उससे तो नहीं बदलेगी, लेकिन जो सही मामने में, सही सोच से किया जाएगा, उसका हम समर्थन कर देंगे। मुझे सरकार को एक यह सलाह देनी है कि देश की जनता भोली भी है, सज्जन भी है, विश्वास भी करती है, खूब विश्वास करती है और बहुत आशीर्वाद देती है। जब आपने कहा कि तुम्हारे लिए हम अच्छा करेंगे, इसलिए आपको खूब आशीर्वाद मिला। देश की जनता ने विश्वास किया, लेकिन इस देश की जनता मूर्ख नहीं है। वह एक बार तो सब्ज़बाग में चली जाती है, एक बार तो वायदों में बहक जाती है, पर बाद में हिसाब जरूर मांगती है। आपका हिसाब देने का वक्त है। आपका नए सपने बांटने का समय नहीं है। अब हिसाब होगा, जवाबदेही तय होगी, यही हिन्दुस्तान की आवाज है। अपनी बात को विराम देने से पहले, मैं यही कहूंगा कि हमारा दल इसका पक्षधर है। हमने यह बात उठाई थी कि हम सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं और खास तौर पर जो अग्रिम जाति के गरीब लोग हैं, उनको सही मायने में न्याय मिले, यह कदम उसकी तरफ है। यह रास्ता बहुत लम्बा है, यह कड़ी चुनौती है। इसमें राजनैतिक मजबूरी से नहीं, प्रतिबद्धता से काम होना चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री उपसभापति: माननीय प्रो. राम गोपाल यादव ।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, आपने इस बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस विधेयक पर मैं अपनी बात पर आने से पहले प्रारम्भ में ही यह कहना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन उस पर आने से पहले, सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान में चाहे भले ही अनुच्छेद 14 में मौलिक समता की बात कही गई हो, इस देश में जो लोगों की मानसिक अवधारणा है, उसमें परिवर्तन लाए बगैर चाहे कुछ किया जाए, जो परिणाम आने चाहिए, वे नहीं आ सकते हैं। क्योंकि हमने यह देखा है कि जो ऊँच-नीच की भावना है, वह हमारे समाज में परत-दर-परत बिल्कुल percolate कर गई है, नीचे तक धंस चुकी है, धीरे-धीरे वह कम होती जा रही है, लेकिन अब भी विद्यमान है। हमने देखा है, जो पुराने लोग हैं, उन्होंने देखा है और पुस्तकों में पढ़ा है कि किस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर जब प्रोफेसर होकर मुम्बई में पढ़ाने के लिए गए, तो कुर्सी को धोया गया, एक शूद्र कैसे कुर्सी पर बैठ सकता है। उसके काफी दिनों बाद एक बार बाबू जगजीवन राम जी बनारस गए, एक बहुत बड़े नेता के भाई ने उस प्रतिमा को गंगा जल से धोया, जिस पर बाबूजगजीवन राम ने माल्यार्पण किया। यह धारणा इस देश में रही है। मैंने वह समय खुद देखा है जब किसी वाल्मीकि के किसी बच्चे से कोई दूसरा गैर बिरादरी का व्यक्ति छू जाए, तो सोने के ज़रिये, चाहे वह अंगूठी हो या कोई और आभूषण हो, उसके ऊपर से पानी डालकर, उसको शुद्ध किया जाता था, और तो और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बंगला भी धोया गयाा ।...**(व्यवधान)**... इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि जो भावना है, जो मानसिकता है, वह अभी तक समाप्त नहीं हुई है, वह कम हुई है, इसमें दो रायें नहीं है, लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुई है।

उपसभापति महोदय, एक बात तो यह थी, जिसे मैं प्रारम्भ में ही कहना चाहता था, क्योंकि हमने यह देखा है कि अगर अनुसूचित जाति का दूल्हा घोड़े पर चढ़कर ऊँची जाति के लोगों के दरवाजे के सामने से जाता है, तो उसको जाने से रोका जाता है, कई बार झगड़े भी हुए हैं, पुलिस की उपस्थिति में शादियां हुई हैं, यह सब भी हमने देखा है। केवल इन चीजों से काम चलने वाला नहीं है।

उपसभापति महोदय, एक बात प्रभात जी ने बार-बार कही है। प्रभात जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, मेरे तो मित्र हैं। आपने बार-बार मोदी सरकार की बात कही है। मैंने Harold Laski की जब 'Grammar of Politics' वाली किताब पढ़ी, तो मुझे वे चीज़ें याद आ जाती हैं, जिसमें इन्होंने 'Theory of Indispensability' की बात कही है। यह मुझे तब भी याद आती थी, जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी। यह सरकार भारत की सरकार है, क्या यह हमारी सरकार नहीं है? मैं सम्पूर्ण सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या यह हमारी सरकार नहीं है, इधर बैठे हुए लोगों की सरकार नहीं है और क्या जब हम इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों का योगदान नहीं है? कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन क्या हम उन परिणामों तक पहुँच सकेंगे, जिनकी हमने कल्पना की है। आनन्द शर्मा जी की यह बात बिल्कुल जायज़ा है कि जब आप सत्ता में आए थे, उसके बाद ही इस काम को कर देते, क्या इसमें कोई पैसा खर्च हो रहा था? इस बिल को तो आप कभी भी ला सकते थे, यह कोई मनी बिल तो है नहीं। यह बिल तो कभी भी आ सकता था, लेकिन आपका निशाना, आपका जो लक्ष्य है, इस सरकार का जो लक्ष्य है, वह आर्थिक दृष्टि से गरीब सवर्ण नहीं है, बल्कि इस बिल का निशाना 2019 का चुनाव है। महोदय, अगर सही मामने में इनके मन में ईमानदारी होती, तो यह बिल दो-तीन या चार साल पहले आ

[प्रो. राम गोपाल यादव]

सकता था और कुछ लोगों का भला हो सकता था। इसकी वास्तविकता क्या है और आपने जो क्राइटीरिया रखा है, उसके हिसाब से कितने लोगो को रोजी-रोटी मिल सकती है, मैं इस बारे में बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 50 परसेंट आरक्षण पहले से ही सवर्ण लोगों के लिए कर रखा है, क्योंकि ओबीसी और एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं, मैरिट में अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स से भी ऊपर होंगे, तब भी वे ओबीसी और एससी एसटी में ही रहेंगे। अब जो 50 परसेंट आरक्षण रह गया है, उसमें से जैसा आनन्द शर्मा जी ने बताया, उन लोगो की, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वाले क्राइटीरिया में आएंगे, उनकी बहुत बड़ी तादाद है। मेरे ख्याल से यह लगभग 97 फीसदी होगा। ...**(व्यवधान)**... कपिल सिब्बल साहब के अनुसार यह 98 फीसदी है। 98 फीसदी अपर कास्ट के गरीब लोगों को 10 फीसदी आरक्षण और 2 परसेंट अमीर सवर्णों को 40 परसेंट आरक्षण, यह कहां समता है और कहां समता का अधिकार है?

उपसभापति जी, यही बात सच है। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह (गुजरात): मेरिट्स वालों को 40 परसेंट है, इसमें गरीब बच्चा, ...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम गोपाल यादव: आपने जो आर्थिक क्राइटीरिया दिया है, उसमें नहीं आ पाएंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह: गरीब भी आ सकता है, आदिवासी भी आ सकता है, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि वे आपस में बातें न करें। माननीय प्रोफेसर साहब, आप कृपया पीठ को संबोधित कीजिए। ...**(व्यवधान)**... कृपया शांति बनाए रखें। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम गोपाल यादव: तब तो 10 परसेंट में ही आएंगे। ...**(व्यवधान)**... तब तो 10 परसेंट में भी और संख्या कम हो जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह: उसे और बढ़ाएंगे। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम गोपाल यादव: जब जवाब दें, तब बताइए कि इसे और बढ़ाएंगे। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति जी, मेरे कहने का मतलब यह था कि इससे वह लाभ नहीं होगा, जो लोगों को ये बता रहे हैं कि उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए और गरीबों के लिए यह सब कर रहे हैं। उन गरीबों को दिक्कत यह आएगी कि उनके लड़के जब मैरिट बहुत हाई होगी, तब उनका कटऑफ इतना ऊँचा होगा, जो जनरल कैटेगरी के लोगों से ऊपर होगा, तब उन्हें फायदा मिलेगा। इसलिए यदि वे उसमें न होते, तो ज्यादा सत्ता में आ सकते थे, लेकिन आपने उनकी मैरिट को भी शॉर्ट कट कर दिया और संख्या घटा दी, बजाय बढ़ाने के। ...**(व्यवधान)**... आप देखिएगा। एक साल बाद, जब पब्लिक सर्विस कमीशन के रिज़ल्ट्स आएंगे ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य आपस में बातें न करें। प्रोफेसर साहब, मेरा आपये आग्रह है कि आप कृपया चेयर को संबोधित करें।

प्रो. राम गोपाल यादव: जब पब्लिक सर्विस कमीशन के रिज़ल्ट्स आएंगे ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह: माननीय उपसभापति जी, मैंने बैठे-बैठे कोई टिप्पणी नहीं की। जब इन्होंने मुझे एड्रेस किया, इसलिए मैंने जवाब दिया। आप मेरिट की बात कर रहे हैं। जब आप मुस्लिम आरक्षण लेकर आए, तो क्या मेरिट वालों की संख्या कम नहीं हुई, आप तो माइनॉरिटी के लिए आरक्षण लेकर आए थे?

प्रो. राम गोपाल यादव: कौन लाया था? ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह: आपको अपना मैनिफेस्टो याद नहीं है। ...**(व्यवधान)**... आप अपना वर्ष 2012 का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मेरा आग्रह होगा कि कृपया आपस में बातें न करें। ...**(व्यवधान)**... प्रोफेसर साहब मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप बोलें। ...**(व्यवधान)**... नीरज जी, कृपया आप बैठिए। प्रोफेसर साहब, आप बोलें। ...**(व्यवधान)**...

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, he is not yielding. ...*(Interruptions)*...

प्रो. राम गोपाल यादव: माननीय उपसभापति जी, हमारे मैनिफेस्टो में तो आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों के आरक्षण की बात केन्द्र सरकार से रिकमंड करने को कही गई थी। उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... बहुत दिनों बाद कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... लेकिन लोगों को याद नहीं है। ...**(व्यवधान)**... दूसरे ...**(व्यवधान)**... सारे लोग जानते हैं ...**(व्यवधान)**... हालांकि आपकी तरफ बहुत बड़े-बड़े वकील लोग बैठे हुए हैं, वे सारे लोग किसी टेढ़ी बात को भी सीधी बात कर सकते हैं और सीधी बात को भी टेढ़ी बात कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)**... वे ऐसा कर सकते हैं ...**(व्यवधान)**... लेकिन यह सच है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: बहुत अच्छी बहस हो रही है, कृपया सुनिए ...**(व्यवधान)**... प्रो. साहब को ...**(व्यवधान)**... टोका-टाकी मत कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम गोपाल यादव: जब सुप्रीम कोर्ट का एक barrier है कि 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता ...**(व्यवधान)**... तब कुतर्क ...**(व्यवधान)**... चाहे कोई कहे, लेकिन सच बात यह है कि आपने उस barrier को तोड़कर इसको 60 परसेंट या 59.5 परसेंट करने की कोशिश की है। इसको कोई न कोई - कोइ political व्यक्ति तो नहीं जाएगा, लेकिन इस देश में पीआईएल डालने वालों की कमी नहीं है, प्रोफेशनल पीआईएल डालने वाले हैं। वे न्यायालय में जाएंगे ही और जब न्यायालय में जाएंगे, तो इस तरह के मामले पहले भी आए हैं और रद्द हुए हैं। अगर देश की सबसे जानी-मानी समझदार कामों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, तो लोगों को आपकी सरकार की बुद्धि पर तरस आता है कि हम लोगों को, पिछड़ों को, आदिवासियों आदि, इन सबको तो बहुत आसानी से घुमाया जा सकता है, लेकिन जो दूसरों को घुमाने वाले हैं, क्या आप उनको घुमा लोगे? यह नहीं हो सकता है। यह बिल्कुल

[प्रो. राम गोपाल यादव]

नहीं हो पाएगा। ...(**व्यवधान**)... अगर आपको करना है, तो आप यह देखिए कि जो पिछले आरक्षण हुए हैं, चाहे वे SC/ST वर्ग के लिए किए गए हों, चाहे OBC वर्ग के लिए किए गए हों, क्या अभी तक उनके वांछित परिणाम निकले हैं? माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तो यह अवश्य बताए कि जब SC/ST वर्ग का प्रारंभ से ही आरक्षण था, तब क्या 22.5 परम्मेंट सैंट्रल सर्विसेज में, क्लास वन नौकरियों में SC/ST वर्ग का प्रतिनिधित्व है? क्या यह प्रतिनिधित्व इतने वर्षों बाद भी है? ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा: युनिवर्सिटीज़ में क्या किया?

प्रो. राम गोपाल यादव: वह नहीं है ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: कृपया टीका-टिप्पणी न करें।

प्रो. राम गोपाल यादव: हम लोग लगातार यह मांग करते रहे कि जहाँ से लोगों को न्याय मिलता है - माननीय न्याय मंत्री, कानून मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप बताए कि उन न्यायपालिकाओं में इन वर्गों के OBC या SC/ST के, एकाध exception छोड़कर, क्या आपने कभी कुछ माननीय न्यायमूर्ति भेजे? ...(**व्यवधान**)... वरना जब-जब OBC वर्ग और SC/ST वर्ग के हितों के संवर्द्धन के लिए कोई कानून लाया जाएगा, यह अतीत में लाया भी गया, तब-तब उसको रद्द करने का काम हुआ है। मेरी मंशा न्यायपालिका के खिलाफ बोलने की नहीं है, लेकिन यदि मैं यहाँ से भी सच बात नहीं कह सकता हूं, तो फिर कहाँ से कहूंगा? हो सकता है कि यह विधेयक जो prima facie ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, बड़ी बेंच का.. कितने जजों की बेंच है?.. 9 जजों की बेंच के खिलाफ है, लेकिन हो सकता है कि न्यायालम इसको अपहोल्ड करे, क्योंकि अगर इसमें कहीं SC/ST वर्ग के लिए अलग से कुछ होता, तो शायद वह रद्द हो जाता। श्रीमन्, एक स्थिति यह है कि जो पहले से आरक्षण है, मैं आपको कुछ आँकड़े दे रहा हूँ कि उसमें अभी तक स्थिति क्या है। रिजवेंशन के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट के जो Secretaries हैं, वे 81 हैं, उनमें Scheduled Castes के 2 हैं, Scheduled Tribes के 3 हैं और OBC nil है; Additional Secretaries total 75 हैं, उनमें Scheduled Castes 6, Scheduled Tribes 4 और OBC nil; Joint Secretaries total 295,उनमें SCs 16, STs 9 और OBCs 13 हैं। जो lower bureaucracy है, उसमें Group 'A' में Scheduled Castes 13.31 परसेंट हैं। ऊपर वाले छोड़िए, नीचे वाले Group 'A; में भी में भी ये 13 परसेंट हैं, STs 5.89 परसेंट हैं, OBC 11.77 परसेंट हैं और General Category के 69 परसेंट हैं। Group 'B' में SCs 16.27 परसेंट, OCBs 12.39 परसेंट, General 64.59 परसेंट और STs 6.75 परसेंट हैं। Group 'C' में भी SCs 7.35 परसेंट, STs 8.65 परसेंट, OBCs 18.97 परसेंट, General 55.3 परसेंट हैं। इतने वर्षों के बाद, रिज़र्वेशन के बाद भी Group 'C' में SCs का रिज़र्वेशन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन Group 'C' में STs का रिज़र्वेशन पूरा है। Group 'A' और Group 'B' में अभी भी यह पूरा नहीं हो पाया है और OBC तो कहीं है ही नहीं, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद। इसके अलावा जो निजी सस्थाएँ हैं, जिनके जरिए प्रचार-प्रसार होता है, लोगों तक जो बात पहुँचती है, जिनमे रेडियो और टेलीविजन वगैरह हैं, श्रीमन्, आपको आश्चर्य होगा कि SC, ST और OBC का प्रतिनिधित्व 3 परसेंट से ज्यादा नहीं है। इनमें 97 परसेंट upper castes के लोग हैं। 97 परसेंट में भी लगभग 85

परसेंट केवल एक community के हैं। ...(**व्यवधान**)... मैं community का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सिर्फ एक community. आप कहीं भी देख लीजिए। जो अपने को उच्च वर्ग का मानते हैं, वे बड़े-बड़े सिंहासन पर बैठने वाले लोग हैं, वे भी 3-4 परसेंट से ज्यादा नहीं हैं। यह स्थिति है। अच्छा, अब आरक्षण की बात भी कुछ दिनों के बाद लगभग बेमानी हो जाएगी। आरक्षण की बात इसलिए कि आरक्षण किसलिए है? यह नौकरियों के लिए है। नौकरियाँ कम होती जा रही हैं, outsourcing हो रही है। क्या outsourcing में रिजर्वेशन है? क्या यह सही नहीं है कि आज केन्द्र सरकार के मंत्रियो के ड्राइवर outsourcing पर हैं?

श्री उपसभापति: प्रोफेसर साहब, आपकी पार्टी के लिए जो समय है, उसमें से अब महज 4 मिनट बचे हैं। मैं बस आपको स्मरण कराने के लिए कह रहा हूँ।

प्रो. राम गोपाल यादव: कोई बात नहीं, मैं ज्यादा बोलूँगा ही नहीं। ...(**व्यवधान**)... मेरा गला तो वैसे ही बहुत खराब है, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊँगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप सबने जो समय तय किया है, मैं उसी को बता रहा हूं और अपना फर्ज़ निभा रहा हूं ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम गोपाल यादव: मैं आदेश का पालन करूंगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: नहीं, आप हमेशा पालन करते हैं, मैं सिर्फ आपको स्मरण कराने के लिए कह रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, मैं यह कह रहा था कि नौकरियों में आरक्षण अब कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं रह गई है, क्योंकि अब नौकरियां नहीं है। सरकार ने जब एक झटके में demonetization किया, तो बड़े पैमाने पर जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग थे, मज़दूर थे, वे सब बेरोजगार हो गए। निजी क्षेत्रों में जो 40 प्रतिशत के आसपास नौकरियां थीं, जिनमें लोग काम करते थे, रोजी-रोटी कमाते थे, वे बेरोजगार हो गए। लोगों को लाइन में लगा दिया, वह तो अलग बात है, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो नौकरियों से हट गए, उनका क्या हुआ? पहले हम लोगो को मज़दूर मिलता नहीं था। शहरों में जहां मज़दूर खड़े रहते हैं, एक प्वाइंट होता है, वे लोग वहां पर सुबह पहुंच जाते हैं और जिनको मज़दूर की जरूरत होती है, वे वहां से उनको ले आते हैं। पहले मज़दूर मिलते नहीं थे, आदमी 300 रुपये देने के लिए तैयार है, लेकिन वह बोला नहीं और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। अब एक आदमी मज़दूर लेने के लिए जाता है, तो चार आदमी आ जाते हैं और कहते हैं कि साहब, जो चाहे सो दे दीजिए, लेकिन हमें ले चलिए और काम दे दीजिए, हमारे बच्चे भूखे मरे जा रहे हैं। यह स्थिति हो गई है। चाहे निजी क्षेत्र हो या और कोई क्षेत्र हो, सबमें नौकरियां लगातार घट रही हैं। निजी क्षेत्र में तो आरक्षण की बात है ही नहीं, इसलिए निजी क्षेत्र में भी आपको आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। उसमें कोई आरक्षण नहीं है। सरकार में जब से यह कंप्यूटर आया है... हमें याद है कि जब कंप्यूटर शुरू हुआ था, तो अमरीका की जो सबसे बड़ी कंपनी थी, उसके मालिक ने कहा था कि कंप्यूटर की नीयत ही बेरोज़गारी बढ़ाना है। आप देखिए, रेलवे में हर साल कितने बड़े पैमाने पर भर्तियां होती थीं। रामविलास पासवान जी रेल मंत्री रहे हैं। वहां बहुत बड़े पैमाने पर भर्तियां होती थीं, लेकिन हर साल धीरे-धीरे वे

[प्रो. राम गोपाल यादव]

घटती चली गईं। रेलवे हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी संस्था थी, जो लोगों को रोजी-रोटी देती थी, लेकिन उसमें निरंतर कमी आती चली गई।

श्री उपसभापति: प्रो. साहब, आपका एक मिनट बचा है।

प्रो. राम गोपाल यादव: जब नौकरियां ही नहीं होंगी, तो उस आरक्षण का मतलब क्या होगा? उसका कोई लाभ नहीं होगा। आप चाहे जितना भी propaganda कर लीजिए और propaganda करके कहिए कि मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन अगर नौकरियां नहीं होंगी, तो यह जो 2%, 3%, 4% या 5% का आरक्षण है, उसका कोई मतलब नहीं है। जब आरक्षण है, तब भी आपने नहीं दिया।

सर, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए गवर्नमेंट से यह मांग करूंगा कि आपने 50% के बैरियर को तोड़ ही दिया है, क्योंकि जब ओबीसी के लिए 27% आरक्षण हुआ था, उस वक्त इसी बात को ध्यान में रखा गया था कि एससी/एसटी का आरक्षण 22.5% है और कुल आरक्षण 50% से ऊपर न निकल जाए। ओबीसी को उनकी आबादी के आधे के बराबर, 27% आरक्षण दिया गया था। आज मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि इस देश के ओबीसीज को, उनकी आबादी के हिसाब से, 54% आरक्षण दिया जाए। जब आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 50% के बैरियर को तोड़ ही दिया है, तो अब तो कोई संकट ही नहीं है, इसलिए अब उन्हें भी आरक्षण दीजिए। आपके सामने अब क्या दिक्कत है? अब एससी/एसटी की आबादी भी बढ़ कर 25% हो गई है, इसलिए, मंत्री जी, उनके आरक्षण को भी आप 25% कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: प्रो. साहब, कृपया आप कन्क्लूड करें ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम गोपाल यादव: अब तो मैं कन्क्लूड ही करने जा रहा था, उसमें फिर आपने रोक दिया। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: नहीं, आप कनक्लूड करें। मेरे लिए बंधन है, आपकी पार्टी का 24 मिनट का समम था, इसीलिए मैंने आपको याद दिलाया कि आप अपनी बात खत्म करें। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम गोपाल यादव: मैं अध्यापक रहा हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: नहीं, हम प्राय: देखते हैं कि आप समय के अंदर ही अपनी बात समाप्त करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI T.K. RANGARAJAN: They have agreed for a eight-hour discussion. He is making an important point.

प्रो. राम गोपाल यादव: मैं अध्यापक रहा हूं, इसलिए अगर बीच में इंटरप्शन होता है, हांलाकि मैं कभी बीच में इंटरप्ट करता ही नहीं हूं ...(**व्यवधान**)... एक बार मैंने नाम ले लिया था, वह सम्मान की दृष्टि से लिया था, क्योंकि मालिक तो ये ही हैं। मालिक की तरफ इशारा तो किया ही जा सकता है। मैंने

इसलिए नाम लिया था, out of honour, out of respect. मैंने इस हाउस में आज तक कभी किसी के ऊपर किसी तरह का adverse comment या उस तरह की दृष्टि से कोई comment नहीं किया। मुझे यहीं 26 साल हो गये, यहाँ या लोक सभा में। I never did it.

श्री उपसभापति: बिल्कुल सही है।

प्रो. राम गोपाल यादव: इसलिए सर, मैं यह कहता हूँ कि जब 50 परसेंट के बैरियर को तोड़ दिया गया है, तो OBCs की हालत बहुत खराब है। साथ ही, जो मुस्लिम्स की बात कही गई थी, सच्चर कमिटी ने जब यह कहा कि मुस्लिम्स की स्थिति हिन्दुस्तान में दलितों से भी बदतर है, जब दलितों को आरक्षण उनकी आबादी के अनुसार है, तो इस दृष्टि से हमने माँग की थी कि मुसलमानों को भी उसी आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए था, क्योंकि जब शरीर के सारे अंग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, तभी तो आदमी स्वस्थ होगा, लेकिन अगर उसके एक हिस्से में भी कहीं दर्द होगा, तो पूरे शरीर को दिक्कत होगी।

सर, एक स्थिति और है, जो बड़ी विषम स्थिति है। ओडिशा के मित्र मेरे बगल में बैठे हुए हैं। ओडशा में एससी-एसटी की आबादी 40 परसेंट है, ओबीसी की 52 परसेंट है, माइनॉरिटी की 2 परसेंट है और जनरल कैटेगरी के लोग सिर्फ 6 परसेंट हैं। 6 परसेंट के लिए 50 परसेंट आरक्षण और ओबीसी को यहां से इसी संसद ने 27 परसेंट किया था । पासवान जी, आप तो उसके पार्ट थे । ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण किया था। आप उस वक्त मिनिस्टर थे । अब 11 परसेंट आज भी मिल रहा है, 27 परसेंट नहीं मिल रहा है। इस देश के विभित्र राज्यों की क्या स्थिति है, यह तो सेंट्रल गवर्नमेंट का G.O. है, इसके बावजूद अगर उसका पालन नहीं हो पा रहा है, यह कह कर कि साहब, 50 परसेंट का बैरियर है, तब यह तो असामान्य सी बात है। इसलिए, अब जब आपने बैरियर तोड़ दिया है, तो मैं आपके माध्यम से कानून मंत्री जी से कहूंगा कि ओडशा के लोगों को भी पूरा आरक्षण दिलाइए, जो अभी चल रहा है, वरना तो पूरा दीजिए, जितनी उनकी आबादी है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पूरे सदन के लोगों को बहुत सम्मान के साथ कहूंगा कि उन्होंने मुझे ठीक तरीके से सुना, इंटरप्ट नहीं किया। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (TAMIL NADU): Before commencing my comments or views on this Bill, I invoke the blessings of hon. Amma who is popularly known as "Samoogha Needhi Kaththa Veeranganai " roughly it can be translated as "saviour of social justice".

Now, in the whole of Tamil Nadu, she had introduced 69 per cent reservation for the Backward Classes, Most Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes communities and also it is in force for nearly three decades. So, now the State of Tamil Nadu is enjoying the benefits of 69 per cent reservation policy which was brought in the form of a statute by hon. Amma. Sir, I strongly oppose this Bill for giving 10 per cent reservation to the poor of the socially advanced community. Let me give you the reasons. Firstly, the 10 per cent reservation is not a new idea. It was brought by the then

[Shri A Navaneethakrishan]

Government of Prime Minister Shri P.V. Narsimha Rao. But it was negatived by the hon. Supreme Court. The Supreme Court has taken the view, I quote "A Backward Class cannot be determined only and exclusively with reference to economic criterion. It may be a consideration or basis along with and in addition to social backwardness but it can never be the sole criterion". So, as on date, as per the law declared under Article 141 of the Constitution, this ten per cent reservation is unconstitutional and it is not sustainable.

Sir, now I come to my second point. What is reservation? Reservation is a remedy only for historical discrimination and its continuing ill-effects. So, reservation is meant only for the class of people or community, which has been subject to historical discrimination and who still continue to face its ill-effects. Now, admittedly, the Central Government claims that ten per cent reservation, of course, for the poor, on the basis of the economic criterion is to be fixed by the Executive and not by the Legislature or the Parliament. So, now, the reservation is not for the class, not for the community but is for individuals, those individuals who are not economically sound while the concept of reservation is applicable only to the community or to the class and not to the individuals. Sir, the proposed class or group of ten per cent were never subjected to historical discrimination and they are not continuing to face the ill-effects but it is being proposed now only on the basis of the economic criteria and on the premise that they are poor. As rightly pointed out by our senior colleagues, Shri Anand Sharma and Prof. Ram Gopal Yadav, India is a poor country though we claim to be the sixth-largest economy where the GDP registers a growth every minute, every second. Sir, I read it somewhere, and, it is subject to correction, even if the growth rate keeps on increasing further and further, our country can be termed only as a poor country. Sir, 98 per cent of the population is poor. So, economic criterion cannot be introduced in this concept of reservation or affirmative action.

Sir, the third point, which I would like to mention, is that hon. Amma brought in 69 per cent reservation, which is still in force. Now, as far as Tamil Nadu is concerned, my humble request to the Central Government is to bring an amendment to mention that this Bill is not applicable to the State of Tamil Nadu. One line amendment is sufficient and the people of Tamil Nadu are protected. As per the reading of the proposed clauses of the Amendment Bill, this ten per cent is in addition to the already existing fifty per cent reservation. Let me explain as to how the reservation policy works in Tamil Nadu. Sixty-nine per cent is reserved for the respective Backward Classes, Most Backward Classes,

Scheduled Castes and Scheduled Tribes while for the remaining thirty-one per cent, all the communities are competing. Even in the open category, SC/ST/BC and MBC and all other communities are coming up. Especially, in our State, I can say from my experience as the Chairman of Tamil Nadu Public Service Commission, and, as a Member of Tamil Nadu Public Service Commission, in Kanyakumari District, all the candidates are occupying the first rank in all categories because of their hard work. Now, my humble submission is that thirty-one per cent which is meant for all communities is now reduced. So, it is having a great ill-impact on Tamil Nadu. Please understand it. Now, Tamil Nadu stands first in all respects and in all criteria be it law and order or anything else. India Today has given four awards to the State of Tamil Nadu. The credit goes to hon. Amma. My humble submission would be that we have 31 per cent open quota, we will call it open quota, which is made available to all the communities irrespective of their social status. Now it encroaches upon the rights of the people of Tamil Nadu. Hence, the Amma's Government is strongly opposing this Bill. I am saying this on the basis of ground reality. The 69 per cent reservation is not made without any basis or without any data. Hon. Amma collected quantifiable data in pursuance of the direction given by the Supreme Court and placed before the Backward Classes Commission. The Backward Classes Commission submitted a Report to the Government and it was carefully examined by hon. Amma and she passed a G.O. continuing the 69 per cent reservation and the constitutional validity is still pending before the Supreme court. Now my humble submission would be that only on the basis of quantifiable data, the Tamil Nadu Government, the Amma's Government, has been continuing with this 69 per cent reservation. It is G.O. Ms.No.50 Backward Classes, Most Backward Classes and Minorities Welfare Department dated 11.07.2011. Only on the basis of quantifiable data, it is being continued. Now, what is the data that the Central Government is having to provide ten per cent reservation for the poor from the unreserved community? Without any data, no reservation can be given legislatively. Evidence is the basis of rule of law. Without any material, without any data, without any survey, now all of a sudden, this ten per cent reservation is being brought in. My humble submission would be that Tamil Nadu will be hit and it will be the worst affected because of this ten per cent reservation. I strongly oppose it again and again and at the risk of repetition I am submitting it.

Another point that I would humbly submit is this. Our hon. Law Minister, my guru and mentor, is present and other eminent lawyers are also present. I am sorry, it is subject to correction, but does our Parliament have got the legislative competence to bring this Bill. This is very, very important. Our Constitution contemplates reservation only in favour of educationally and socially backward classes, SCs and STs. The scope

[Shri A Navaneethakrishan]

of the Constitution is not to favour any socially advanced community, though they may be poor. But nobody is preventing them from competing; they're not subjected to discrimination as I have already submitted. So, my humble submission would be that the Parliament does not have the legislative competence to bring this Constitutional Amendment Bill. I may be permitted to read a portion from the judgement. This is subject to correction. It is very, very important. It is I.R. Coelho *vs.* State of Tamil Nadu. It is given by a nine-Judge Constitution Bench. It is reported in (2007) 2 SCC 1. It is paragraph 137. In Kesavananda Bharati's case, the discussion was on the amending power conferred by the unamended Article 368 which did not use the words constituent power. We have already noted the difference between original power of framing the Constitution known as constituent power and nature of constituent power vested in Parliament under Article 368. By addition of the words "constituent power" in Article 368, the amending body, namely, Parliament, does not become the original Constituent Assembly; it remains a Parliament under a controlled Constitution. Even after the words "constituent power" are inserted in Article 368, the limitations of doctrine of basic structure would continue to apply to Parliament. It is on this premise that clauses 4 and 5 inserted in Article 368 by 42nd Amendment were struck down in the Minerva Mills case.

Then, I come to para 48. There is a difference between parliamentary and constitutional sovereignty. Our Constitution is framed by a Constituent Assembly which was not a Parliament. It is in the exercise of the law making power by the Constituent Assembly that we have a controlled Constitution. Articles 14, 19 and 21 represent the foundational values which form the bedrock of the rule of law.

Now, in short, subject to correction, I would like to submit that this Parliament is not a Constituent Assembly. Sir, this Parliament has no constituent power. I am not saying that; our Supreme Court has declared it. Now, even in Article 15, the word 'reservation' is not employed by the framers of our Constitution. Only in Article 16, the word 'reservation' is there. In Article 15, there is a phrase called 'special provision' which is employed. Of course, now, in the new inserted clause, the word 'reservation' is there because of the existing reservation. They already have the word 'reservation'. So, reservation is applicable only to Article 16 which deals with opportunities in public employment. Article 15 deals with discrimination. So, my humble submission would be, from the reading of the judgment and the views expressed by the hon. Judges, constituent power is not vested with our present Parliament. There is the theory of basic structure. Again, subject to correction, I would submit that in Kesavananda Bharati's

case, a novel idea was introduced and the powers of Parliament were taken away. Parliament cannot enact any law which violates the basic structure of the Constitution. If I remember correctly, the theory of basic structure of the Constitution was borrowed from the Pakistan Supreme Court by our Supreme Court. It was an innovation made by the Pakistan Supreme Court and then made use of by our Indian Supreme Court in Kesavananda Bharati's case. It is not available in the Constitution. But it is a theory of basic structure and basic features of the Constitution. So, no Parliament and no Legislature can enact any law in violation of basic structure of the Constitution. My humble submission is that reservation is one of the basic features of the Constitution. It forms part of the basic structure of the Constitution. It contemplates reservation only in favour of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and socially and educationally backward classes, and not for the socially advanced communities or castes. So, this is the basic feature. It forms part of the basic structure of the Constitution. Definitely, it would be challenged if you read this judgment which is applied by our hon. Supreme Court till date. Now, we are lacking constituent power. So, I have already submitted that ten per cent quota is not a new idea. Judiciary tested it and then, it was defeated, negated and rejected by the Supreme Court. Now, the Government may say that it is bringing forward a Constitutional Amendment and hence it is protected; earlier, it was brought forward only as an official memorandum by executive action; so, this has got more sanctity. No! It is very clear. Parliamentary supremacy or Constitutional supremacy, which will win? Which will prevail? It is definitely the Constitutional supremacy. The Constitution is more superior to our Parliament. The Constitutional supremacy will prevail over the Parliament supremacy.

Now, my humble submission is this. I hope, it must be seriously thought of that with a controlled Constitution, Parliament lacking constituent power, the Parliament cannot do this or that. But Parliament never takes any action. As the law stands today, my humble submission would be that the Central Government cannot introduce this Bill. The Parliament has no legislative competency to pass the Bill also. So, it must be taken note of.

One thing I forgot to mention is this. The 69 per cent reservation was brought in by hon. Amma by enacting a legislation called 'The Tamil Nadu Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Reservation of Seats in Educational Institutions and of Appointments or Posts in the Services Under the State) Act, 1993'; Tamil Nadu Act 45 of 1954. This Act has been included in the Ninth Schedule of the Constitution after obtaining the assent from His Excellency, the President of India. You please understand. Now, we have completed all the legal formalities. We are enjoying this

[Shri A Navaneethakrishan]

right, this birthright. As there was historical discrimination, now, we are enjoying the benefits. Thanks to hon. Amma.

What is to be done now? The Central Government ought to have taken some steps to protect the interests of the people of Tamil Nadu. Then, the 69 per cent reservation cannot be tampered with. They have no legal right, moral right or any other political right. If it is implemented, as I have already submitted, the competition of all the communities for 31 per cent, they would lose it definitely. So, my humble submission would be this. From Tamil Nadu's point of view, it is a violation of Fundamental Rights of the Tamil Nadu people. Fundamental Rights under Article 21, Article 19 and I have even read in the judgements that Article 15 forms part of the basic structure of the Constitution. Now, you have amended Article 15. You have violated the basic structure of the Constitution. Definitely, it is a nullity. From reading of all the judgements, Article 15 forms part of the basic structure of the Constitution. It is in the judgement of Supreme Court. I am not saying anything out of my own imagination. My humble submission would be that everybody must be taken care of. There is no doubt about it.

In Tamil Nadu, hon. Amma had implemented it. Whether it is a State programme or the Central Government programme, it reaches the masses without any defect, without any fault. ...*(Interruptions)*... Yes, now, also. We are continuing it.

Now, my humble submission would be this. No Chief Minister of India thought of providing reservation to the extent of 69 per cent. They were all under the impression that we cannot breach 50 per cent. But hon. Amma had a relative judgement by herself and she had come to the conclusion that wherever there was no adequate representation in the services or in the courses, then, automatically, on the basis of data, reservation can be provided even upto the level of 100 per cent. That is a dictum laid down by the Supreme Court. So, she had very boldly taken the decision. She made a constitutional revolution, social revolution. It is a constitutional innovation. In the social engineering, she ought to have been given a Nobel Prize for this kind of innovation made by her. No leader can proclaim himself as a thought leader but Amma was the only thought leader in our nation because everyone was afraid of challenging the 69 per cent. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI THAAWARCHAND GEHLOT): In which category? This 69 per cent is for which category; SCs, STs or OBCs?

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: I will read it. ...*(Interruptions)*... One minute. ...*(Interruptions)*...

श्री थावर चन्द गहलोत: इससे उसका कोई लेना-देना नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Navaneethakrishnan, please address the Chair. ...*(Interruptions)*...

SHRI T.K. RANGARAJAN: Out of 69 per cent, 20 per cent is for OBCs... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please address the Chair. Only two minutes are left for you. ...*(Interruptions)*... Please conclude.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, let him complete.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, this 69 per cent is for BCs, MBCs, SCs and STs. In fact, it is being provided in all public employments and also in all educational institutions. So, now, we are strictly following this reservation policy both in educational institutions and also in public employments. And, also, my humble submission would be about this Amendment, and I may be permitted to read one thing for the sake of completion. In Article 16, another Clause 6 is now being proposed to be added in addition to the existing reservations, subject to maximum often per cent of the posts in each category. So, the existing reservation is 69 per cent plus ten per cent, that is, 79 per cent reservation. So, it is not possible.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude your point. ...*(Interruptions)*... Please conclude. ...*(Interruptions)*... SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: This ten per cent is without quantifiable data. It is in violation of the basic structure of the Constitution. Our Parliament lacks legislative competence because it never gives the power to the Parliament to enact law to provide this kind of ten per cent reservation. Now, I am quoting from the judgements. So, the Parliament, which is lacking...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. ...*(Interruptions)*... Please conclude. ...*(Interruptions)*... Please conclude. ...*(Interruptions)*... Just address the Chair.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, I am concluding. Now, the people of Tamil Nadu will be affected because of this proposed Constitutional Amendment, and in protest we are staging a walk out. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Yes, we are staging a walk out.

(At this stage, some Hon. Members left the Chamber)

4.00 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the next speaker is Shri Derek O'Brien.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, the law-making process in India...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): सर, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़ आप बैठिए। आपका नाम जब आएगा, हम पुकारेंगे। आप बोलने दें। देरेक साहब, आप बोलिए। मैंने उनको बैठने के लिए बोल दिया है।

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, please re-set my time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, I will take care of it. Please start.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, the law-making process in India has changed. There is the right method which respects Parliament and what is that right method which we learnt in our schools, civics books. The Ministry proposes the Bill; the Bill is circulated within the Cabinet and then the Cabinet clears it; it is put out for opinion and then, Sir, stakeholders participate, share ideas. Those things may or may not be incorporated. It comes into Parliament. The Bill is scrutinized. Then, amendments are brought, if necessary, and then we debate it on the floor of the House. Then, it becomes a law. Sir, the Trinamool Congress is disgusted. We are angry that Parliament has been disrespected, completely disrespected and this is the wrong method which has been used here. If that is the right method then what is the wrong method? Let me tell you. On one fine winter morning in Delhi, someone gets an idea कि चलो कंस्टीट्यूशन बदलना है। कंस्टीट्यूशन क्यों बदलना है? Some people have said it is because of the election results. Yes, sure, the election results and how badly they did; it is one. There may be a second reason. Please look at all the opinion polls which are coming out now. NDA is getting 150-175 seats. That is the reality.

So you bring this, which is a statement of intent. But this is no reservation in real terms. This is no reality, no jobs in real terms. It is the statement of our intent. So the statement of intent, we will all support. Sir, this Bill is a धोखा to the yuva, गरीबों को धोखा है, आम आदमी को धोखा है, but Sir, we are parliamentarians, and we are not some members of a Gymkhana Club in Ahmedabad. We are elected parliamentarians; 776 elected, 12 Nominated in this House, two in that House, so 790. Sir, 776 people have been sent here and yet, I want to ask this Government: What are you doing to this institution of Parliament? You are disrespecting it. You are spitting on it and this is not rhetoric!

Today, there is no rhetoric, no rhetoric; hard facts. The track record of previous Governments—65 to 70 per cent of the Bills have been sent for Parliamentary scrutiny. This Gymkhana Club—20 per cent have been sent for scrutiny. Four out of five laws. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I have an objection. Calling 'Gymkhana Club', is it parliamentary? I leave it to you to take a call. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I have checked it. That is why I used it. ...*(Interruptions)*... I have checked it. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will check it. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: That is why I used it. It is parliamentary. That is why I have kept the book here. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will check it. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, ...*(Interruptions)*... There is something called dignity of Parliament. That is what I ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, four out of five laws have been passed here without scrutiny. Nine out of ten Bills on security, law, strategic affairs have been passed without any scrutiny by Parliament. In this Session, 14 new Bills have been introduced. Guess, how many had gone for scrutiny? That is one. I can carry on, Sir. We know about the Rail Budget and where that has disappeared. So, this cannot go on like this, Sir, and we have serious objections to this. That is the first point on the method being used. Second: Will this Bill pass scrutiny? Will this Bill pass judicial and constitutional scrutiny? Sir, I don't want to go into a big legal debate here, but enough to say what we learnt in our school civics books. The Parliament will legislate, the Executive will execute and in between the Supreme Court will interpret the laws. We are supreme, but one of the few countries in the world where the Supreme Court also interprets the constitutional laws. So there are enough laws, enough judgements which my earlier speakers have noted. Sir, what I thought rather than quote all the Supreme Court judgements which in any case are good—these have been quoted–I found something else. You are not allowing us to play audio; we have got both the audios in case you want me to play but this is the quote. In December, 2017 when the BJP poll manifesto was being released in Gujarat and one of the major parties there, the Congress had put something in their poll manifesto. I don't want to quote any Lok Sabha M.P.; I might as well quote a Rajya Sabha M.P. — listen to what he said when this demand for 50 per cent was made for Patidars. He said,

[Shri Derek O'brien]

"This vision is based on a constitutional impossibility. Quota beyond 50 per cent is impossible." Sir, who said this? Not one backbencher from Rajya Sabha; the Leader of the House, Arun Jaitleyji said this in December, 2017. Sir, the Supreme Court will ask you some questions. So I want to alert this Government, like, how we alerted them in demonetization and yet they crashed the plane, the Supreme Court will ask them, "Give us some evidence to survey as to how much survey you did. Tell us about the distribution of jobs in the last ten years in the General Category. Do you have any numbers to prove this?" Because if you start looking at those numbers, it may prove that this number is already 25 per cent. Sir, this Bill is actually an acknowledgement of guilt. What is that guilt? We haven't created jobs in the last four-and-a-half years; so, bring the Bill. Sir, this is also very interesting because this Bill also redefines India's poverty line of thirty-two rupees a day. But, if you are looking at the number of rupees eight lakhs a year, the new poverty line is 2,100 rupees a day; that is what is coming after the passage of this Bill because this Bill is only taking the word 'economic' and putting it there. That is the easy part.

Now, you come to the other part, and that is where these people won't agree. Sir, the youth of the country is asking one thing. "Where are the jobs? You promised us two crore jobs. Now, you are giving us pakoras." We have made the point about income tax. Someone has raised the point that 97 per cent people don't pay income tax. So, I don't want to labour on it. If you take 97 per cent people who don't pay income tax, then, if you take the 8 lakh rupees income, it does not even add up to more than 0.1 per cent. Is that the number we are talking about?

I want to take you now to the next step because this is the promise they made. But, in the next few minutes, I want to prove to you that every promise—they have got a track record, it is an illness to make promises and not fulfil them— that we have made, Start Up India, Digital India, Skill India, Stand Up India, Make in India. I hope, next time, they also come up with something in Hindi we can all understand. But, this new scheme is called '* India', and if I say anything unparliamentary, throw it out. I will give you one reason why this scheme '* India' will not work. Now, let us come to '* India,' part-2. This is the programme of 2016. I am not getting into names. But, the senior most people have said it that by 2022, they will double farmers' income. This is '* India- part 2. Let me give a little example of my State because you have not done anything for farmers. In my State Bengal, under Ms. Mamata Banerjee's Trinamool Congress, we made the same promise. But, we made it in 2011. We have not doubled farmers' income. It was 91,000 rupees then. We have tripled farmers' income. Sir, now, I come to '* India-3',

---

* Expunged as ordered by the Chair.

announcement of demonetization on television at 8.00 p.m. the Cabinet was called after it was recorded. We won't go into those details. Demonetization was to curb black money. I don't want to go into anything more about demonetization because my leader, Ms. Mamata Banerjee, within 90 minutes, slammed demonetization. I want to place it on record today that if you really look at the history of the last hundred years, this bid may be the largest man-made disaster ever, and this is a man-made disaster. Sir, now, I come to '* India-4', Pradhan Mantri Awas Yojana. This scheme promised 'housing for all' by 2022. These are Government figures. One out of five houses have been done. 2022! Where we will meet 2022, we don't know. Now, Sir, let us come to '* India-5', Skill India Mission. The Government themselves did a survey. In that survey, 72 per cent of India's youths whom you are trying to fool with this Bill, but, they will not get fooled, 72 per cent have not even heard of Skill India Mission.

Sir, next '* India-6'', is about jobs. India lost 110 crore jobs. We all know now the great promise of two crore jobs and 15 lakh rupees. In fact, if you had put these 15 lakh rupees in their accounts, then, you need not have brought this Bill also. So, for all the complaining we in the Opposition are doing about the pathetic job situation, there is also some good news. If you go on, there are some organizations. I have the print outs here, they are hiring people. They are IITs, IIMs, lots of young people, to run nation with NaMo. They have been hired. So, that is very good. If you don't get a job, at least, you will become footsoldiers of the party or you will become a troll, and you will get some money. Sir, they are hiring. Sir, my next point is about '* India-7'. After I make my point for '* India-7', I want to sit for thirty seconds because I want to yield if at all somebody from the BJP interrupts me and says, 'done', and I will sit down. And then I will go the other point. Sir, the point is that the Congress made this point about women's reservation. That is '*India' because they called it "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ", but the actual phrase they forgot "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को रोको"। Two examples, with numbers; my party, Trinamool Congress, gave 35 per cent of 2014 Lok Sabha seats to women candidates. The BJP gave 10 per cent. It does not matter to how many you give, but how many actually come. We, Trinamool Party, don't need the Reservation Bill because we have already implemented it, 35 per cent Trinamool women MPs are already in that House, Lok Sabha. Sir, in 50 per cent of local bodies in Bengal, 50 per cent are already ladies. So, now the elections are coming, someone said, 'yes, bring the Bill.' ...*(Interruptions)*... No response. Okay. ...*(Interruptions)*...

* Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please continue. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, if you go to India. ...*(Interruptions)*... No, no. ...*(Interruptions)*... We don't give this Government thanks, but one thing that they have done really well is marketing. This will be the kind of marketing, listen to this. "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" is for 29 States. The total budget is somewhere between ₹ 600 and ₹ 700 crores from the time of its starting. You divide ₹ 700 crores by the number of years, it will come to about ₹ 3 crores to ₹ 4 crores per State. Per State! Total ₹ 700 crores! My question would be, how many girls' lives have you touched with ₹ 700 crores, ₹ 4 crores per State! That is the *. Look at Kanyashree from Bengal, one State, Sir. Our Budget is about ₹ 100 crores and not ₹ 500 crores. In the last five years, it is ₹ 5,500 crores. That is not '* Bengal'. That is the number, ₹ 5,500 crores and 60 lakh girl child have been touched with that. Their lives have changed and that is why the United Nations has given it the 'Programme of the Year'. Sir, these are the kind of realities because otherwise the more you listen on this Bill, and once it has come out. ...*(Interruptions)*... I had a Maama, uncle. He used to play a game with me as a child when I was six or seven years. He would buy me one chocolate, put the chocolate in my pocket and take it out and after two minutes he would give it back to me and I thought every time he was giving me a new chocolate. But the same chocolate he was circulating. ...*(Interruptions)*... Sir, I am missing someone, we are all missing someone. ...*(Interruptions)*.. Our Pradhan Mantri. ...*(Interruptions)*... I have not heard him, I have not seen him, only seeing him on television. So, I took a lot of care to find out a video interview of his. But again you won't let me place the video because I thought in this day of technology, I can play the video here, put it on here, then we can all hear him because at least you cannot hear the real thing, so, at least you can hear the radio or that audio. ...*(Interruptions)*... But instead, Sir, I have got the transcript. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: आप अपनी बात कहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री देरेक ओब्राईन: सर, मेरी एक प्रॉब्लम यह है कि ...(**व्यवधान**)... Sir, this video is interesting. This is of 22nd July, 2013. Sir, when I last checked this morning at about 10.30, it was on YouTube. Okay. I have recorded it in it. On 22nd July, 2013, ...*(Interruptions)*... No objection, I am only missing the Prime Minister. So, I am quoting the Prime Minister. ...*(Interruptions)*... Can't I do that? ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: आप शांत रहिए। ...(**व्यवधान**)...

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI DEREK O'BRIEN: It is on YouTube and it is something called "I support Narendra Modi." ...*(Interruptions)*... He was Chief Minister of Gujarat. ...*(Interruptions)*... He is our Prime Minister. He was the Chief Minister of Gujarat. ...*(Interruptions)*... Now, next. ...*(Interruptions)*... Don't get touchy. ...*(Interruptions)*... I am very courteous. ...*(Interruptions)*... Sir, this is all my time going. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Time. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: I have started now because after this, we have got Mr. Sukhendu Sekhar Ray, who has got some more ammunition.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You just speak.

SHRI DEREK O' BRIEN: So, he was asked on caste based reservation in India. 'What is the long lasting solution?' He was not the Prime Minister; he was the Chief Minister of Gujarat. "If there are job opportunities for all —and this is not translated into English, all the answers were in English —who would ask for reservation? We have to create an era of plenty. Once we will create an era of plenty, then, no one will ask for this reservation. We are wasting our time. It is because our whole economic system is a scarcity system. We have to move from a system of scarcity to a system of plenty and Gujarat is a model for plenty." What happened between then? Then there were the election results. Now, we have the exit polls. What happened? Suddenly everything got changed. So, you are bringing this knowing fully well you cannot implement this. You had all the noble intentions. Sir, when I was in school I would watch a lot of Hindi films. Rajesh Khanna was my favourite actor. And, there is a Kalyanji Anandji's song. Laxmikant Pyarelal was, I think, the music director, which he wrote for the film Roti and today, युवा, गरीब, आम आदमी will all ask the same question. We can do all this, but they will ask the same question. "ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है।" I am a very bad singer, so I will not sing. "अन्दर क्या है, बाहर क्या है, ये सब पहचानती है।" We can sing it in chorus when the House adjourns. But, Sir, I want to end first on a pessimistic note and maybe then on an optimistic note. The pessimistic note is that I was very bad in maths in school. I was terrible, but I always know that if the jobs are zero currently and you see ten per cent of zero, it is zero. But I want to end, Sir, on an optimistic note because coming soon is a coalition Government that may have a Common Minimum Programme. Right now, we have a single party Government with a confused maximum programme.

श्री प्रसन्न आचार्य (ओडिशा): उपसभापति जी, जब somebody falls ill in our House, जब कोई बीमार होता है, कमज़ोर हो जाता है और ठीक प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो उसे आईसीयू की

[श्री प्रसन्न आचार्य]

जरूरत होती है, उसे अस्पताल की जरूरत होती है और उसे एम्बुलेंस की भी जरूरत होती है। So, now this is a sick Government.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESHWAR KALITA) *in the Chair*]

यह बीमारू सरकार हो गई है। सरकार बीमार हो गई है। इसलिए इसे एम्बुलेंस की जरूरत है, आईसीयू की जरूरत और अस्पताल की भी जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि आखिरी दिन और एक दिन एक्सटेंड कर के, जब चुनाव में साढ़े तीन महीने हैं, तो यह बिल शायद सरकार के लिए ऑक्सीजन का काम करने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए इतनी हड़बड़ी में, with such hurriedness the Government has decided to bring this Bill. सर, मेरी पार्टी और हम लोग इस बिल का समर्थन करते हैं। इस बिल का विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता है। महोदय, जब मंडल कमीशन का आन्दोलन चल रहा था, वर्ष 191 में श्री वी.पी. सिह, प्रधान मंत्री थे और जब देश के एक बड़े वर्ग के लोग काफी उत्तेजित थे, काफी वॉयलेंस हो रहा था, तब ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में युनिवर्सिटी और कॉलेज के लड़के मंडल कमीशन के खिलाफ आन्दोलन करने के लिए रोड पर आ गए। वे लोग काफी वॉयलेंट थे। उस समम श्री बीजू पटनायक, ओडिशा के मुख्य मंत्री थे। जब वॉयलेंस ज्यादा हो गया, तो पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल ने बीजू बाबू से परमिशन मांगी कि हमें परमिशन दीजिए, क्योंकि अब तो हमें फायर ओपन करना होगा और बंदूक चलानी पड़ेगी। बच्चों को मारना होगा, नहीं तो यह सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। बीजू बाबू ने इंकार कर दिया और कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश का, मेरे स्टेट का एक भी बच्चा पुलिस की गोली का शिकार बने। बीजू बाबू खुद without any security, जहां हज़ारों की तादाद में बच्चे उतावले थे, आंदोलनरत थे, काफी टेंशन थी, वहाँ violence था, वहाँ without police security, late Shri Biju Patnaik, an old man of 73 years, reached the spot. बच्चे चिल्लाने लगे, "बीजू पटनायक मुर्दाबाद", "हमें नहीं चाहिए मंडल कमीशन" वगैरह-वगैरह। तब बीजू बाबू जीप के बोनट के ऊपर खड़े हो गए और एक ही बात बोले कि, "गरीब की कोई जाति नहीं होती है" उन्होंने एक ही सेन्टेस बोला और सारे बच्चे शांत हो गए। There was calm and peace and no violence.बीजू बाबू ने कहा, गरीब तो हर जाति में होते हैं, There are poor in all religions, communities, languages and in all regions of the country. गरीब तो गरीब होता है। It was a theory thirty years back. मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को कि यह बिल देर से लाई, लेकिन कम से कम लाई तो सही।

सर, यहाँ सारे प्वाइंट्स पर काफी चर्चा हो चुकी है। आज, जब आप यह बिल लाए हैं, तो डा. भीमराव अम्बेडकर याद आते हैं। यह रिजर्वेशन कोई नई थ्योरी नहीं है। It is a theory before Independence. सर, आपको मालूम होगा कि जब Constituent Assembly बनी थी, तब Constituent Assembly में भी रिजर्वेशन का सिस्टम रहा और in 1942, during the British regime, जब काफी सारे लोग मूवमेंट के लिए जेल में थे, उस समय, there was a Government. The Second World War was also going on. And, in 1942, Dr. Ambedkar got the British Government to accept his demand for reservation in services and education. It was in 1942.

डा. अम्बेडकर जी का जो प्रयास था, उस पर बिटिश सरकार ने भी कानून बनाया और उस समय services और एजुकेशन में रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू की गई। यह कोई नई बात नहीं है, इसीलिए, आज जब हम यह चर्चा कर रहे हैं, तब बाबा साहेब का ध्यान आता है।

सर, जैसा मैंने बताया है कि जब Constituent Assembly बनी, तब Constituent Assembly में भी रिजर्वेशन था। उस Constituent Assembly में 6.5 परसेंट रिज़र्वेशन था शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए और Reservation for Brahmins in the Constituent Assembly was 45.7 per cent. So, it was there. मुझे केवल यही कहना है, बाकी, other hon. Members have also raised it. You are making 10 per cent reservation for the economically weaker sections who are, at present, out of the purview of reservation. All the hon. Members have very rightly pointed out that they constitute 98 per cent! You are going to reserve 10 per cent seats in educational institutions and employment for the 98 per cent of people who are now out of the purview of reservation system! How is it practically possible? Shri O'Brien was rightly saying that it is just * the people of this country. सर, प्रोफेसर साहब बता रहे थे, many times the matter has gone before the court and every time court rejected such proposals. Sir, in Odisha, we have given 26 per cent reservation for OBCs. As we made 26 per cent reservation for OBCs, it crossed the boundary of 50 per cent. The matter went to the High Court of Orissa. The High Court rejected our decision citing the judgment of the hon. Supreme Court. Now, the leader of the AIADMK has rightly pointed about the legal point. Is this House competent? I wanted to reiterate. Is this House competent to make such change in the Constitution of India? And, there is every possibility that it may not stand the scrutiny of law. सदन में सभी की इच्छा है कि यह बिल पारित हो जाए। लोक सभा ने यह बिल पारित कर दिया, मात्र 3 और 4 dissent वोट पड़े, बाकी लोक सभा की सारी पार्टीज. ..यहाँ मेजर अपोजिशन पार्टी, कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि वह इस बिल को सपोर्ट करेगी, इसलिए यह बिल इस सदन में भी पारित होगा, लेकिन, सर, जब यह कानून अदालत में जाएगा, तब will it stand scrutiny of law? And, in that case, there is a doubt. What is that doubt? I was reading the opinion of the former Chief Justice of India, Justice Ahmadi Sahab. He was also a member of that Supreme Court Bench that fixed this 50 per cent limit on reservation. And, there is every possibility that it will go to the court of law and it would be made void by the court of law. So, as the hon. leader of the AIADMK was very correctly pointing out, we are heading for a confrontation between the Legislature and the Judiciary. सर, सारे लोग बता रहे थे, where the job opportunities are. You had promised to generate two crore jobs per annum. But, you have not even been able to generate two lakh jobs for the unemployed youth of this country. तो आप 10 परसेंट reserve करेंगे for the 98 per cent of the people who are outside the purview of the present reservation system! How are you going to provide them jobs?

* Expunged as ordered by the Chair.

[श्री प्रसन्न आचार्य]

सर, यहाँ आनन्द शर्मा जी ने women reservation की बात भी छेड़ी। आपने तो challenge भी फेंक दिया कि हाउस extend किया जाए, कल बिल लाया जाए, हम उस बिल को पारित करेंगे ...**(व्यवधान)**... लोक सभा में लाए हैं। यह तो 2010 में राज्य सभा ने पारित कर दिया था। तो बुलाइए लोक सभा। I would like to say one thing, without taking any sides, आप भी, जो इसे देश की सबसे बड़ी अपोज़िशन पार्टी हैं और आप भी, जो देश को चला रहे हैं, हम यहाँ रिज़र्वेशन की बात कर रहे हैं। What is happening in Sabarimala? What is happening there? On the one hand, we were overenthusiastic to pass the tripple talaq, quoting the orders of the Supreme Court; on the other hand, what the orders of the Supreme Court are with regard to Sabarimala. We are preventing our women there. आप बता रहे थे न! बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। वहाँ बेटी को रोका! वहाँ माँओं को रोको, बेटी को रोको, बहन को रोको। What kind of double standards are these? And, for the largest Opposition Party also, you take one stand on this issue in Delhi and another stand there in Kerala. What is this? You are two national political parties. One is the ruling party and the other is the largest opposition party. So, what is your stand on Sabarimala? Make it clear. जब हम सुप्रीम कोर्ट को इतनी इज्जत देते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि there should be a confrontation between the Legislature and the Judiciary. When you are so much eager to pass a Bill on triple talaq —I don't say that my party is opposing the Triple Talaq Bill —why are you ignoring the orders of the Supreme Court on Sabarimala? Those orders are also to be carried out. हमें शर्म आनी चाहिए कि जब महिलाएँ वहाँ जाती हैं, तो हम उसका purification करते हैं। You are purifying the temple. Where are you taking this country? हम इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं? So, it is the time for self-introspection by all the political parties in this country. सर, हमें थोड़ी आत्म-समीक्षा करनी चाहिए।

सर, मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे यही कहना है कि जब हम यह रिजर्वेशन बिल लाने जा रहे हैं, तो इतनी हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। I want to reiterate that my party is fully supporting this Bill. सर, आप बता रहे थे about your childhood days. I remember one incident. When I was in class III in the primary school, there were two girl-students in my class. One girl was the daughter of one of the Ministers of that time. Another girl happened to be the daughter of a peon of that particular Minister. मंत्री की बेटी भी वहीं same class और same school में और मंत्री का जो चपरासी था, उसकी बेटी भी उसी स्कूल और उसी क्लास में थी। वह मंत्री ओबीसी कम्युनिटी से था और जो peon की बेटी थी, वह बाह्मण कम्युनिटी से थी। उस समम ओडिशा सरकार की यह स्कीम थी कि ओबीसी और एससी/एसटी लोगो को text books and dress, free of cost supply किए जाएंगे। जब books and dresses फोकट में देने के लिए लाए गए, तो मंत्री की बेटी को तो वे मिले, लेकिन चपरासी की बेटी को नहीं मिले। उस समय चपरासी की तनख्वाह 200 या 250 रुपये हुआ करती थी। अब

चपरासी की बेटी रोने लगी और उसने घर जाकर अपने बाप से पूछा कि पिताजी, यह क्या अन्याय हो रहा है? मेरा बाप चपरासी है और मेरी सहेली का बाप मंत्री है, उनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तीन कारें हैं, घर में 10 चपरासी हैं, लेकिन उनको ड्रेस और किताबें फोकट में मिल रही हैं। जब peon की बेटी रोने लगी, तो उस peon के पास कोई जवाब नहीं था। उस बेटी ने स्कूल जाना बंद कर दिया और वह दो महीने तक स्कूल गई ही नहीं। ...**(व्यवधान)**... हां, मंत्री को शर्म आनी चाहिए। यह देश की हालत है। इस स्थिति में आप जो रिजर्वेशन बिल लाए हैं, यह सही लाए हैं। देर से लाए हैं, लेकिन ठीक लाए हैं। हालांकि इस बिल में कुछ खामियां हैं, यह बिल कोर्ट को जा सकता है and Court may reject it लेकिन फिर भी आप यह जो बिल लाए हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं। मेरी पार्टी इसका समर्थन करती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर, श्री नवीन पटनायक जी ने women's reservation के बारे में एक मुहिम छेड़ी, जिसके लिए उन्होंने सारी पार्टियों को चिट्ठी लिखी। जैसे आपने वेस्ट बंगाल के बारे में बताया, ओडिशा में जब बीजू पटनायक जी थे, तब Panchayati Raj system के local body elections में, I am proud to say that Shri Biju Patnaik was, perhaps, the first man in the country, and Odisha, possibly, one of the first States in the country, to have made reservation, in 1992, for women in Panchayati Raj system and Zila Parishad, three tier Panchayati Raj, before the 73rd and 74th Amendment of the Constitution. We did it. And, Shri Naveen Patnaik made it 50 per cent. As Mamataji has done 50 per cent in West Bengal, in Odisha, we have made it 50 per cent. Shri Naveen Patnaik has written a letter to all the leaders of the political parties appealing them to bring a Bill in Parliament in this context, and पार्लियामेंट और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की जाए। इसके लिए हमने सारी पार्टियों से टाइम मांगा। This is not my allegation. But, we also sought time from Bhartiya Janata Party leader, Amit Shahji. We contacted him at least for five times, but we did not get five minutes' time even to hand over the letter of Shri Naveen Patnaik to Amit Shahji regarding reservation of women in Parliament and Assemblies. I don't know what the reason is. I don't know, Sir, what the reason is. So, this is our mindset, Sir. यहां पर लोगों की यही मानसिकता है। इसलिए जब तक हम इस देश में पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, सरकार में बैठे लोग, हम सबको मिला करके विरोधी पक्ष में बैठे लोग, यह double standards नहीं छोड़ते हैं, तब तक आप जितने Reservation Bills लाइए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर हम लोगों की मानसिकता स्वस्थ नहीं है, thought process clear नहीं है, categorical नहीं है, उसमें मैल है, confusion है, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है, तरक्की नहीं कर सकता है। So, my sincere appeal is this. I reiterate again and again, we are not against the Bill. We, the Biju Janata Dal, from day one, have said that we are in support of this Bill. We want that this Bill should be passed today. I have no objection. But, Sir, जैसा मैंने पहले कहा, आपकी इस नीति पर हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपकी नीयत पर काफी लोगों को संदेह है। जिस

[श्री प्रसन्न आचार्य]

ढंग से, जिस तरीके से, जिस हड़बड़ी के साथ, बिना किसी से पूछे, बिना कोई सलाह-मशविरा किए, बिना अपोज़िशन को confidence में लिए हुए, बिना एजेंडा में लाए हुए, बिना एड़वाइज़री कमेटी में पारित हुए, जिस ढंग से, जिस हड़बड़ी से आप यह बिल लाए हैं, उसके लिए मैं यही कहूंगा कि जब आदमी बीमार पड़ता है और ठीक ढंग से इलाज नहीं करता है, तो बीमारी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में उसको आईसीयू की दरकार होती है, एम्बुलेंस की जरूरत होती है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude.

श्री प्रसन्न आचार्य: अब जब इलेक्शन नजदीक आ गए हैं, शायद आप सिचुएशन को संभालने के लिए स्वस्थ नहीं हैं, इसीलिए आपको एम्बुलेस की जरूरत पड़ी, आईसीयू की जरूरत पड़ी और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, ऐसे में यह बिल आपके लिए ऑक्सीजन का काम करेगा, शायद यही आपकी नीयत है। आपकी नीति तो ठीक है, लेकिन नीयत थोड़ी गलत है, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं कि इस बिल को मेरी पार्टी, बीजू जनता दल, पूरा-पूरा समर्थन देती है।

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे जो अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं सबसे पहले यह बता दूं कि मेरी पार्टी जनता दल (यू) इस बिल के समर्थन में है और हम लोग इसका स्वागत करते हैं। आज इस अवसर पर, इस देश में जो आरक्षण व्यवस्था लागू की गयी है और इसमें हमारे जिन पुरखों ने अहम भूमिका निभाई है, उनके बारे में भी मैं जरूर जिक्र करना चाहूँगा।

सबसे पहले मैं बाबा साहेब का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होने शुरू में ही, हमारे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था करायी। आज हम लोग उनको याद करते हैं। दूसरा पड़ाव तब आया, जब पूर्व प्रधान मंत्री वी.पी. सिह साहब थे। तब जो पिछड़ा वर्ग है, उस को सरकारी नौकरियों में 27 परसेंट का आरक्षण मिला। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आज आया है, जब आज इस देश में जिसको हम लोग पहले unreserved category कहते थे, अगड़ी जाति कहते थे, उनके भी गरीब लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। तो यह बहुत ही अहम बात है कि आज जो उस आरक्षण की व्यवस्था की गयी है, जो हमारे अगड़ी जातियों के भाइयों के लिए, बहनों के लिए है, उसका पूरा का पूरा श्रेय इस सरकार को जाता है। इसके लिए मैं सरकार के नेता आदरणीय मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछड़ो के लिए जो आरक्षण हुआ था, उस समय जिसने नेतृत्व किया था, आदरणीय स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था, उनको भी हम लोग याद करते हैं। हम लोग इसलिए इसका समर्थन कर रहे हैं कि हमारी पार्टी की जो सोच है और हमारी पार्टी बिहार में जो काम कर रही है, उसको मैं आपके सामने दो मिनट में रखना चाहूँगा।

हम लोग चाहते हैं कि हमारे विकास का यह जो पूरे का पूरा मॉडल है, यह न्याय के साथ विकास है, समावेशी विकास है, इसी को लेकर हम लोग चलते हैं। अभी सब लोग चर्चा कर रहे थे कि साहब, जितने स्थानीय निकाय हैं, हमने महिला आरक्षण में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया, तो मैं आपको बता दूँ कि

बिहार इस देश में ऐसा पहला प्रदेश है, जहाँ यह लागू किया गया था और हम लोग तीन चुनाव करा चुके हैं, उसके बाद ही किसी ने इसको लागू किया है। इसके साथ ही, बिहार ऐसा पहला प्रदेश है, जहाँ हम लोगों ने सवर्ण आयोग की भी स्थापना की। चूंकि हमारा समावेशी विकास का कंसेप्ट था, न्याय के साथ विकास का कंसेपट था, अगली श्रेणी के हमारे जितने भी लोग थे, उनके विकास के लिए हम लोगों ने सवर्ण आयोग की भी वहाँ स्थापना की। हम लोगों ने अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए भी आयोग बनाया था, महादलित-दलित के लिए भी हम लोगों ने आयोग बनाया था, लेकिन जो सवर्ण वर्ग है, उसके लिए भी हम लोगों ने आयोग बनाया था। उनकी संस्तुतियाँ आयीं और उन पर हमारी सरकार ने कार्रवाई की। बिहार ऐसा पहला प्रदेश होगा, जहाँ मैं बता दूँ कि आज की तारीख में अगर आप देखें, तो हमारे यहाँ '7 निश्चय का प्रोग्राम' है। उस निश्चय को अगर आप देखे, तो अपने आप में बहुत बड़े चेंज की बात उसमें है। उसमें भी हम लोगों ने कहीं भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं रखा। मैं एक-दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा।

महोदय, हमारे यहॉ 'स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड' की एक स्कीम है। 4 लाख रुपये, हम लोग 12वीं कक्षा के ऊपर जितने हमारे छात्र-छात्राएँ पढ़ने जाते हैं, बिना किसी की जाति या धर्म देखे हम लोग सबको यह देते हैं। हरेक घर में नल का जल हम लोग सब को देते हैं। हरेक गाँव को जोड़ना, टोले को जोड़ना, सबको हम लोग देते हैं। इस तरह की हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं, हम सारे लोगों को, हमारे बच्चे-बच्चियों को, हमारे जो बच्चे 9वीं क्लास में जाते हैं, तो सब को हम साइकिल देते हैं। उसमें हम लोग किसी की जाति या धर्म नहीं देखते हैं या किसी का इनकम ग्रुप नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ पोशाक की एक योजना है। हमारे यहाँ एक कन्या उत्थान योजना जो है, उसमें भी अगर आप देखे तो उसमें हम 54,100 रुपये देते हैं। इसमें कहीं कोई जाति-धर्म की बात नहीं है। हमारी सोच ही है कि सब लोगो को साथ लेकर चला जाए। तो आज यह एक बहुत बड़ा निर्णय है। पहली बार इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है कि आज यह जो निर्णय हो रहा है, इसका आगे जाकर बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। हमारे बहुत सारे साथी कह रहे थे कि साहब, कोई नौकरी नहीं है। अभी तो हमारे देरेक साहब ने ज़ीरो कह दिया। मैं यह बता दूँ, उनको यह पता होना चाहिए कि बाकी सर्विसेज़ को तो छोड़ दीजिए, जो सिविल सर्विसेज़ हैं, उसी में हजार नियुक्तियाँ हरेक साल होती हैं, तो उसको आप ज़ीरो कैसे कह रहे हैं? कुछ चीजो को देखना जरूरी होता है। इस पूरे के पूरे रिजर्वेशन से आप ऐसा मत समझिए कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाएगा। यह सोच की बात है। लोगों को लगता है और हमारे समाज के जो बच्चे-बच्चियां हैं, उनका एक perceived नोशन था कि हमारे साथ अन्याय होता है, हमें जान-बूझकर इस दायरे से अलग रखा जाता है। उन्हें लगता है कि यह हमारा sense of deprivation है। आज हम जॉब्स की बात क्यों कर रहे हैं, यह सोच की बात है। पूरे के पूरे समाज में पहली बार ऐसा हो रहा है। पहले क्या कहा जाता था कि ये तो कोटे वाले हैं, ये जनरल कैटेगरी वाले हैं। तरह-तरह का stigma लगाया जाता था। अब कम-से-कम सबके लिए आरक्षण हो जाएगा तो पहली बार इस देश में आरक्षण यूनिवर्सल हुआ है, sectional नहीं, इसे स्वीकार करना पडेगा। दूसरी बात, जो अभी प्रो. राम गोपाल कह रहे थे कि आज तक जो हमारा 49.5 परम्मेंट रिजर्वेशन है, 50 परसेंट पर बैरियर था, लेकिन आप इतने साल सत्ता में रहे, आपने कभी हिम्मत क्यों नहीं की इस तरह का विधेयक लाने की? प्रो. राम गोपाल ठीक कह रहे थे कि जहा 54 परसेंट आबादी थी, वहां 27 परसेंट पर रिजर्वेशन क्यों रुका था - क्योंकि संविधान में व्यवस्था है कि आप 50 परसेंट से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। आप

[श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह]

उस समय करते। अभी हमारे तमिलनाडु के साथी बता रहे थे कि वहा 69 परसेंट रिजर्वेशन है। आपको अवसर मिला, लेकिन आपने नहीं किया। अब जब सरकार यह विधेयक ला रही है, आपको लगता है कि इसे हड़बड़ी में करा रही है। मैं कहता हूं कि देर आए, दुरुस्त आए - इसे आप जान लीजिए। यह पूरे का पूरा संविधान का संशोधन है और संशोधन के लिए यह बिल सदन में आया है। आपने एक बार शासकीय आदेशों से कोशिश की थी, वैसा नहीं है। इसलिए इसमें दम है और यह स्टैंड करेगा। यह आज की परिस्थिति में बहुत जरूरी है ...**(व्यवधान)**... मैं यहा एक सुझाव आपके सामने और रखना चाहूंगा। आज की तारीख में आप देखें कि पूरे के पूरे रिजर्वेशन के बारे में जो सोच है, अभी प्रो. राम गोपाल कह रहे थे, इस बात को मैं इसलिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं क्योंकि मैं भी सर्विसेज़ में था, मैं जानता हूं। इस समाज के लोग सिर्फ Secretary level में ही नहीं हैं, एस.सी., एस.टी. एण्ड ओ.बी.सी. के लोग, एडीशनल सैकेटरी लेवल में भी नगण्य हैं - ऐसा क्यों है? पहली बार उन लोगों के लिए आरक्षण नहीं है, जो 1994-95 में जाकर इस सेवा में आए। जो 1996 के बाद आए, वे 25 साल बाद जाकर ही Additional Secretary बनेंगे। हम भी IAS में आए लेकिन हम reserved category में नहीं आए, हम general category में आए। हमारे लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए मैं चाहूंगा कि आगे जाकर जो नियमावली आप इसमें बनाएंगे, एक काम जरूर करें कि जो ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण है, उसमें आप देखे कि क्रीमी लेयर है। आपने इसमें 8 लाख रुपए की लिमिट कर दी है। हमारे बहुत से साथी कह रहे थे कि 8 लाख रुपए कैसे कर दिए? आप सोचिए कि जब 8 लाख रुपए की लिमिट ओ.बी.सी. के लिए है, आपने ही रखी है, ठीक रखी है, लेकिन मैं जिस बात की चर्चा करने जा रहा हूं कि जितने हमारे ओ.बी.सी. के बच्चे-बच्चियां हैं, जो हमारे अपर कास्ट के बच जाएंगे, क्या होता है कि जैसे किसी को यू.पी.एस.सी. में परीक्षा देनी है, आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको कोई Extra Attempt नहीं मिलता, अगर 30 साल तक आपकी उम्र है। यदि आप ओ.बी.सी. के हैं तो आपको Extra Attempt मिलता है। यदि आप S.C., S.T. के हैं तो आपको Extra Attempts मिलते हैं। इसका रिज़ल्ट यह होता है - आप देखे कि 21 साल से लेकर 40 साल तक के बच्चे कम्पीट करते हैं, अगर कोई बच्चा 40 साल की उम्र में पास हुआ तो वह Secretary कहां से बन पाएगा? कोई बच्चा 30 साल से कर रहा है। आज हो यह रहा है कि जो हमारे general category के बच्चे हैं, जो हमारे O.B.C.कैटेगरी के बच्चे हैं, जो क्रीमी लेयर के ऊपर आते हैं, उनको लगता है कि हमें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, वैसे इस बिल से मेरा मतलब नहीं है, लेकिन इस पर जरूर ध्यान दिया जाए कि आगे attempts में आप कोई सीमा मत रखिए। आरक्षण तो आप लोगो को दे ही रहे हैं लेकिन सीमा न रखें क्योंकि जिन बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता है, उन्हें भी जो perceived sense होता है कि हमारे साथ अन्याय होता है, वह नहीं होगा। इससे उन्हें भी एक अवसर मिलेगा और लोगों में अच्छा मैसेज जाएगा। यह आपको जरूर करना चाहिए। इससे जो हमारे बच्चे जनरल कैटेगरी और ओ.बी.सी. कैटेगरी में रह जाते हैं, जिनके पास मैरिट है, वे भी इसमें आकर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ एक काम बहुत जरूरी है कि जहाँ हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रो. राम गोपाल रिज़र्वेशन के बारे में कह रहे थे, उसे भी समझना बहुत जरूरी है। वे कह रहे थे कि 49.5 परसेंट रिजर्वेशन है, 50 परसेंट ओपन है। आज होता क्या है कि बहुत से बच्चे इस बारे में कहते हैं कि मैं तो reserved category में हूं, मेरे मैरिट में ज्यादा नंबर आए हैं, लेकिन हमें reservation का फायदा नहीं

हो रहा है। आज की तारीख में जो नियम है, उसमें बहुत स्पष्ट है कि आरक्षण के चलते आपने उम्र का फायदा लिया है, कहीं-कहीं attempt का फायदा लिया है, कहीं परीक्षाओं में जहां नंबर की बात होती है, जैसे मैं बता दूं कि यू.पी.एस.सी. में अगर आई.ए.एस. की परीक्षा में कोई जनरल कैटेगरी या ओ.बी.सी. का बच्चा है, उसकी उम्र 22 साल है... और आप यह समझिए कि जनरल की कट ऑफ 122 नंबर पर है और उस लडके के 121 नंबर आते हैं और उसको उसका लाभ मिल गया, फिर भी वह लड़का रिजर्व कैटेगरी में जाता है। इसके चलते होता यह है कि यदि हम एक भी फायदा ले लेते हैं, तो हम रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, इससे उस बच्चे के मन में यह बात आती है कि मेरिट में ज्यादा नंबर रहते हुए भी हमें फायदा नहीं मिला। इसे भी लोगों के बीच बताना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा confusion होता है। इसे भी दूर करना चाहिए। इसके बाद जब 59.5 परसेंट आरक्षण हो जाएगा, तब हमारा 41.5 परसेंट बचा रहेगा, तो उसमें इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude. ...*(Interruptions)*...आपका टाइम ओवर होने वाला है ...**(व्यवधान)**... अभी एक मिनट बाकी है, मैंने इसलिए बोला। ...**(व्यवधान)**...

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह: सर, मुझे दो मिनट दीजिए। इस चीज को बताना बहुत जरूरी है। आपने बताया कि अभी एक मिनट है, इसमें मैं दो बातें रखूंगा। अभी संविधान में जो संशोधन आया है, उसमें आपने यह ठीक किया है कि educational institutions में private institutions को भी रखा है। मैं यह चाहूँगा कि जो आरक्षण सरकारी नौकरियों में है, उसमें आप private institutions को भी लाए, जो निजी क्षेत्र है, उसमें भी आरक्षण का लाभ हो, जो अब हमारे 59.5 परसेंट reserved लोग हैं, उनको भी आरक्षण मिले। आप यह याद रखिए कि आप लोगों के समय में ही सन 1991 के बाद, जब पूरा का पूरा liberalization का era चला, तब सरकारी नौकरियों में काफी कमी आई और उसी के चलते अब सब जगह outsourcing भी हो रही है, तो अब जब तक outsourcing में और खासकर के प्राइवेट सेक्टर में इन 59.5 परसेंट लोगों का आरक्षण नहीं देंगे, तब तक लोगों को लाभ नहीं मिलेगा।

सर, मैं एक अंतिम बात और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। आप सब जगह देख लीजिए, आज की तारीख में हमारे पास Indian Administrative Service है, Indian Foreign Service है, सभी services हैं, लेकिन कई बार पार्लियामेंट में भी यह चर्चा हुई, हम लोगों ने भी इसे इस बार उठाया है कि आज क्यों नहीं All India Judicial Service की स्थापना हो रही है? जैसे ही आप All India Judicial Service करेंगे, इसमें हमारे 59.5 परसेंट लोगों का रिजर्वेशन लागू होगा और इस judiciary में हमारे एससी/एसटी, ओबीसी और हमारे जनरल बच्चे, जो economically weak हैं, वे भी आएंगे। इससे हमारी पूरी की पूरी judiciary को ताकत मिलेगी और लोगों को लगेगा कि इसमें हमारी भी भागीदारी हो रही है, तो मैं इतना कहकर अपनी बात इस संकलप के साथ जरूर समाप्त करना चाहूँगा कि हम लोगों को बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ, जिस रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, उसे लागू करना चाहिए और सभी लोगों को हमेशा इस पर सावधान रहने की जरूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Shri Y. S. Chowdary, you have five speakers. So, you will get only two minutes.

SHRI Y. S. CHOWDARY (Andhra Pradesh): Sir, it's okay. Mr. Vice-Chairman. Sir, bringing this Constitution (One Hundred and Twenty-fourth Amendment) Bill, 2019 is really good, but the irony is that this Bill is brought at the fag end of the Session, particularly when Rajya Sabha has to be extended for a day and the 16th Lok Sabha is almost at the fag end, and only the Vote on Account will take place and nothing. From our Party, we support this Bill, but in order to understand such an important Bill, particularly a Constitution Amendment, it should have been brought much earlier. While bringing this Bill, we also talk about various reservations. From the State of Andhra Pradesh, after duly passing the Resolution from the Andhra Pradesh Assembly, we have recommended a Bill for Kapu reservation. We don't know what the fate of that Bill is. At the same time, I am sure that many States must have sent many Bills. We don't know what their fate is. There is no accountability of pending Bills here. Whatever the Treasury Benches want to bulldoze, they do it. But this is not the right practice to follow in a democratic set-up. Compromising the parliamentary procedures is a very, very bad and sad thing. We may belong to different parties from different States of the country but, when we come to this House, Sir, which is called as 'temple of democracy', we are all one. The nation comes first and the interest of the citizens comes first. But, bringing this kind of Bill in a hurried manner is really bad. Then, the criteria that they have put for EBC is also a bit confusing. Many people get into a lot of domestic management to enter into this. Thereby, as it is, this is not going to help many people. But, it is good. At least, it has come. This Bill is going to help economically backward class people. But, the criteria is definitely not that easy to strictly follow. So, we feel, on behalf of our party, the Telugu Desam Party and our leader Shri Nara Chandrababu Naidu also said, that this kind of Bill should have been referred to a Select Committee for greater deliberations to improve the conditions. Sir, in fact, it reminds me about the buzz word. During 2014, we used to talk about 'demographic dividend'. I do not know where it has gone. What were you doing for the youth all these years? Now, where are the jobs first of all, for all these reservations to get in? That is a big question-mark, Sir. I think whoever is in Government, —political parties may come and go but, the Government is permanent in nature —the time has now come to understand and create a sustainable social infrastructure in this country across the nation so that all the youth can really get better facilities and then they can flourish themselves rather than playing politics with these reservations. So, though we wanted this Bill to be sent to Select Committee but because of the paucity of time, on behalf of Telugu Desam Party, we would like to support this Bill unconditionally. Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you, Mr. Chowdary. Now, Dr. Banda Prakash. He will speak in Telugu.

DR. BANDA PRAKASH (TELANGANA): Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on this Constitution (One Hundred and Twenty-fourth Amendment) Bill, 2009. Sir, the Bill aims to provide representation to the economically weaker sections of the Society in education and employment. Sir, our TRS Party under the able leadership of our Chief Minister, a visionary, has highly welcomed every move to make society inclusive and stronger. Therefore, we support the Government's move for undertaking the initiative. Sir, economically backwardness * Sir, in the past we have heard about Social Backwardness. But, for the first time we are giving reservations on the basis of Economic Backwardness. We are all aware that, though the country is plenty in resources we are unable to use them in a proper manner. The fact that even after seventy years of Independence we are discussing this Bill today reflects the failure of the previous Governments which ruled this country for the last seventy years. The previous Governments which ruled this country have always tried to settle their scores but never took interest in the welfare of the common man and the under privileged. Sir, I feel, probably it is because of this reason that this Bill is introduced in the Parliament and discussed in this House today. Sir, if we think in sociological perspective, there are many aspects which were considered for allotting reservations. Based on this the Telangana Government had proposed of 12 per cent reservation for the Muslim minorities and a resolution was passed by the Telangana Assembly regarding the same and sent to the Central Government. The Central Government is still opposing this Bill. There is change in the percentage of population of Scheduled Tribes and Muslim Communities when compared to before and after the bifurcation of the State. After the formation of Telangana State, population of Scheduled Tribes and Muslim Community in the State is 10 per cent and 12 per cent respectively. We made many resolutions and sent them to Central Government stating that the percentage of reservation for these two communities should be given according to their percentage of population. We represented our concerns to the Hon'ble Prime Minister on several occasions. Members of Parliament from both the Houses from our party have demonstrated with regard to this issue. In spite of all these efforts there is no response from the Central Government. I request the Central Government to consider the requests and resolutions made by the Telangana Government before introducing Bills of this kind. I request the hon. Minister to take care of the Bills proposed in the Telangana Assembly and forwarded to the Government of India. I request him once again to please bring them before the Parliament. Sir, Today I bring to your kind notice various issues relating to the State of Telangana. Many of my dear friends participated in the discussion on this Bill and reminded the Government

* English translation of the original speech made in Telegu.

[Shri Y. S. Chowdary]

that many issues relating to reservations are still pending. Women's Reservation Bill is still pending. Why is it still pending? Telangana Government made a proposal for 33per cent reservation for women in the Telangana Assembly and sent it to Central Government for its acceptance. Even Government of India does not have any such for Women's Reservation. At this Juncture I would like to bring to your notice that the State of Telangana is providing 50 per cent reservation for women in local bodies. Sir, 50 per cent of the population, which is women, they are now representing in the local bodies. In all the Panchayati Raj bodies, Municipal Corporations and Municipal Councils, they have 50 per cent representation. Since the last election, we have introduced this Bill in the Telangana State.

Sir, Government of Telangana is providing EBC (Economically Backward Class) Scholarships for the downtrodden people. Even though there is no reservation, we are giving them EBC scholarships since a long time. Students belonging to the Economically Backward Classes are getting scholarships for continuing their education. They are even provided ₹ 20 lakhs as fellowship. If they want to study in foreign countries, we provide ₹ 20 lakhs for the EBC students. Even this time, our Government has taken a decision to provide seats in the *Gurukula Pathshala*, that is, *Ashram* schools, residential schools, providing seats for the EBC students also.

I want to make another request that under the leadership of Shri K. Chandrashekar Rao, we have sent a resolution for 33 per cent reservation in Legislature for the backward classes. Even till today, the Government of India has not approved that 33 per cent reservation in Legislature for the backward classes in Telangana. A number of times, we have requested the Government of India in this regard, and a number of times, we have requested the Prime Minister also regarding the formation of a separate Department for Backward Classes. There should be, at least, a separate Ministry in the Government of India for the Backward Classes. Even after 70 years of Independence, there is no separate Ministry for the Backward Classes in this country. We have a population of more than 60 crores from the Backward Classes, but we do not have a separate Ministry for the Backward Classes in this country.

Again, Sir, our State Government is providing reservation in the nominated posts also, that,, is, in Market Committees, we are providing reservation for SCs and STs.

Finally, Sir, we request the Government of India that we should have a common policy. On the one side, we are saying that we will go for 60 per cent reservation. On the other side, we know the case in Supreme Court where they have limited the total reservation to a maximum of 50 per cent. Recently, even in the local body elections, they have struck

5.00 P.M.

down our request and they have confined the total reservation upto 50 per cent. That is why, we are now providing only 24 per cent reservation in the local bodies for the backward classes as against 34 per cent which we were providing earlier.

I request the hon. Minister to see the details carefully whether it is possible to go beyond 50 per cent limit. Countrywide, if you look at different States, subject to correction, I would like to quote some figures. In Haryana, they have 70 per cent reservation: SCs - 20 per cent; BCA - 16 per cent; BCB - 11 per cent; MBC - 10 per cent; Economically Backward Class - 10 per cent; PHC - 3 per cent. In Tamil Nadu, they have 69 per cent reservation: SCs - 18 per cent; STs - 1 per cent; BC - 30 per cent; MBC - 20 per cent. In Maharashtra, they have 68 per cent. Recently, they have added another 10 per cent. Even without that, it is 68 per cent.

In Jharkhand, we are having 60 per cent reservation, that is, 11 per cent for Scheduled Castes, 27 per cent for Scheduled Tribes and 22 per cent for Other Backward Classes. In Rajasthan, we are having 54 per cent reservation, that is, 16 per cent for Scheduled Castes, 12 per cent for Scheduled Tribes and 26 per cent for Other Backward Classes. In North-Eastern States, we are having 80 per cent reservation for Scheduled Tribes and 20 per cent for others. Sir, only in Telangana and Andhra Pradesh, we are having only 50 per cent reservation that is, 29 per cent for Backward Classes, 15 per cent for Scheduled Castes and 16 per cent for Scheduled Tribes. We are repeatedly requesting the Government that according to the population of SCs and STs in our State, you should increase the reservation. But, on the pretext that it is crossing the fifty per cent mark, the Government of India is not allowing us to increase the reservation. In this regard, we request the Government of India, either to make a common policy for the entire country stating the percentage of reservation we should have, or, otherwise, delegate the powers to the State Governments. The State Governments should have a prerogative on the demographic conditions and the population conditions of their respective States. Sir, we are having a large number of Backward Classes population and minority population in Telangana. A number of times our hon. Chief Minister has mentioned on the floor of the House also that almost 90.65 per cent of the population of Telangana belongs to Backward Classes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Minority communities, only 9.5 per cent belongs to the upper castes. Now, we are going to give 10 per cent reservation to the upper caste. We request to the Government that we should have the liberty to give reservation to other communities as per their population. I want to bring it to the notice of this House that while Mandal Commission had given only 27 per cent reservation to the Backward Classes, why is it that the total

[Shri Y. S. Chowdary]
population of about 52 per cent is having reservation of only 27 per cent? It is because the number should not cross 50 per cent as the total Central reservation is confined to 49.5 per cent. So, I request the Government of India to make a policy and delegate the reservation policy. State reservation should be under the control of State Governments only and whatever Central Reservation you want to mark, you please take a note of that. Otherwise, it is very difficult for the States to make a reservation policy of their own. ...*(Time-Bell rings)*...

Sir, finally, I want to request that the reservation policy should be more effective and standardised according to the needs of the society. Sir, caste-based reservation should be given on the basis of their population. The Government should give clear-cut directions to implement the reservation policy. Sir, finally, we are proposing some amendments to the Bill. We also want to remind the Government to support the Telangana Reservation Policy and approve all our pending Bills and co-operate with us. Thank you.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. The next speaker is Shri Elamaram Kareem. You have two speakers from your party. So, you have only nine minutes. Please stick to your time.

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, the Bill which we are discussing here to accord 10 per cent reservation to the economically weaker sections among the general category is an electoral ploy. Government is not sincere in giving any protection to down trodden people. This decision has come a day before the current Session of Parliament is scheduled to end with an eye on the forthcoming general elections. It is also an admission of the abject failure of the Modi Government to create employment in the past four-and-a-half years. This issue has been under discussion since Mandal Commission days. The CPI (M) had then said that and continues to maintain that such a measure is required. This Bill, however, has come before us without any consultation. Particularly, the criterion to determine the beneficiaries of such a step has been fixed for those having their family incomes less than ₹ 8 lakhs per annum and the other criterion raises the question, whether the reservation will really benefit the deprived. The two-days' countrywide general strike of the workers, that began yesterday, continues till today. They are demanding guaranteed minimum wages of ₹ 18,000 per month. If it is agreed, their annual income will be ₹ 2,16,000, but, unfortunately, it is not agreed to. Even then, those workers who are earning lesser amounts for their work, they will not be entitled to the reservation according to the criterion. Sir, the Modi Government refused to act on this issue all these years. The timing of the present Bill expresses the BJP-led

NDA Government's desperation to muster support for its electoral fortunes after its defeat in the recently-held assembly elections in five States. The policies pursued by this Government have, instead of generating employment, led to loss of existing jobs. Sir, the recently published Centre for Monitoring Indian Economy Report reveals that more than one crore employment is lost due to demonetisation. Sir, in the industries, due to mechanisation, robotisation and introduction of artificial intelligence, employment is getting reduced. Where will this reservation bring benefit to the poor section? That is my question.

Sir, the existing quota for SC, ST and OBC is not being filled up. Benefits of reservation are increasingly eroded by pursuit of aggressive neo-liberal policies and by keeping the private sector outside its purview. Sir, in the Statement of Objects and Reasons of this Bill, the Government has stated that, at present, the economically weaker sections of the society have largely remained excluded from attending the higher educational institutions and public employment on account of their financial incapacity to compete with other persons. Sir, whether, with this reservation, this situation can be changed; and, whether, with this reservation, the economically poor sections can be uplifted, are the questions. My answer is 'no'.

Sir, the architects of our Constitution, our former national leaders while formulating the reservation policy in the Constitution said that only with this reservation, the caste oppression or deprivation will not come to an end, and, so, along with that, land reforms, economic reforms are also needed. What have our rulers done? What is the condition of our country today? Sir, take the example of Kerala. Kerala is number one amongst all Indian States in Human Development Index. Sir, the life expectancy in Kerala is 75 years of age while our national average is 64. Literacy rate is highest in Kerala. The Infant Mortality Rate in Kerala is the lowest and their living conditions are at par with the developed countries. How did we achieve this? It was achieved not just with reservation. We are giving 50 per cent reservation to the SC, ST and OBC but the Government of Kerala from 1957 brought in land reforms, developed public education system, developed the public distribution system, protected the labour rights, implemented labour welfare measures, empowered women and strengthened people's participation in administration. Such policies have developed the Kerala State. What has happened to other States in the rest of the country? The Bourgeoisie ruling class and their policies are the reason for the poor condition of vast majority of our people.

According to the Human Development Report, our nation has 130th position in the Human Development Index out of 189 countries in the world. During the BJP Government's period, the development is for corporates and for business, not for the

[Shri Elamaram Kareen]

poor. India added 17 new billionaires last year raising their number to 101. The vast majority of Indian people are living with ₹ 32 per head which they are spending per day. Indian billionaires' wealth increased in 2017 by 4,891 billion.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Kareem, there is another speaker from your party.

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I am concluding. Sir, 73 per cent of the wealth generated last year went to the richest one per cent. But 67 crore Indians, who comprise the poorest half of the population, saw only one per cent increase in their income. That is the condition. How can we uplift the poor from their deprivation? While we are supporting the principle of this Bill, this will not serve the purpose. The Government will surely know this that it will not survive the judicial scrutiny. They are not concerned about that. They are concerned about the propaganda for coming election only. People know who you are and what was your action for four years and a half. I am sure they will uplift you to the gallery of this House in the coming election. Thank you, Sir.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I have a request. I made a request to the hon. Deputy Chairman in the morning that this should be treated as my maiden speech. सर इसे मैंने बहुत बचा के रचा था। मैंने सोचा था कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी होंगे, उनके सामने बोलूंगा और शिकायतों का पिटारा खोलूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, 'ये न थी हमारी किस्मत कि विशाल-ए-यार होता'। Sir, can be treated as my maiden speech?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBNESWAR KALITTA) : You start your speech.

PROF. MANOJ KUMAR JHA : Thank you so much, Sir. सर, 124वें संविधान संशोधन विधेयक के विपक्ष में, मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सदन को भी बताना चाहता हूं और सड़क पर भी लोगों को बताना चाहता हूं कि हम विपक्ष में क्यों हैं। हम सामाजिक न्याय और बहुजन चिंतन करने वाले दल हैं। हमारे नेता जो आज कई प्रताड़नाओं से गुजर रहे हैं, उसकी पैरोकारी में सबसे आगे थे, बहुत सारी मंजिले बाकी थीं। एक छोटी मंजिल हासिल हुई थी, लेकिन लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी पोज़िशन क्या है? हमारी पोज़िशन बड़ी साफ है। यहां पर माननीय मंत्री महोदय हैं और कई मंत्री महोदय थे। सर, हमारी पोज़िशन है कि आप Constitution के basic structure के साथ छेड़-छाड़ कर रहे हैं। Article 15 to be read with clause 4 and Article 16 to be read with clause 4. सर, कई दिनों तक चर्चा हुई थी, जब ये दोनों आर्टिकल बने थे, इसी सेन्ट्रल हॉल में कई दिनों तक चर्चा हुई थी और आज हमने चंद घंटे निर्धारित कर दिए और कहा, इसकी आत्मा को मार दो। इसकी आत्मा का कत्ल कर दो। सर, ऐसा नहीं होता है। सर, ऐसे नीति और नीयत की बात हुई है। हमें तो नीति पर भी ऐतराज़ है और नीयत पर भी एतराज़ है। ...**(व्यवधान)**...

डा. अनिल अग्रवाल: सारा का सारा खत्म करवा दो। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): सर, उनको बताइए कि maiden speech के बीच में नहीं बोला जाता है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): कृपया शांत रहिए। हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। Cross talk मत कीजिए।

प्रो. मनोज कुमार झा: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने कभी किसी पर टीका-टिप्पणी नहीं की। जब अंदर बहुत दर्द हुआ, तब भी टीका-टिप्पणी नहीं की। अभी तो मैंने दर्द वाली कोई बात ही नहीं की थी। मैं तो सीधे तौर से आपसे कहता हूं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, जाति को खत्म करो पहले।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Prof. Jha, you don't address him. You address the Chair and continue the speech.

प्रो. मनोज कुमार झा: सॉरी सर, मैं ऐसा करता नहीं हूँ, न जाने आज क्या हो गया? सर, बचपन से एक कहानी पढ़ी है, हम सब ने पढ़ी होगी। अक्सर कहानी में होता था - एक गरीब बाह्मण था। सर, कभी सुना है कि एक गरीब दलित नाम की कहानी हो, एक गरीब कुम्हार था, एक गरीब मल्लाह था, एक गरीब ठाकुर था, एक गरीब यादव था, एक गरीब कुर्मी था, क्योंकि उसके लिए कहानी नहीं बन सकती, वह हकीकत है, क्योंकि fictional चीजों पर कहानियां बनती हैं और हमसे उम्मीद की जाती है कि हम यहां पर बैठकर मध्य रात्रि की robbery पर मुहर लगा दें। Midnight robbery has to be stamped. We will not do that. इसलिए नहीं करेंगे, बावजूद इसके हमारे बारे में भ्रांतियां फैलायी जा रही हैं। सर, एक Leonard Cohen का गाना है, 'Everybody knew that the boat was leaking; everybody knew that the Captain lied.'आप चाहते हैं कि हम चीयर लीडर बन जाएं। हम गाना गाने लगें, उस orchestra और उस chorus में शामिल हो जाएं, नहीं सर। हम बाबा साहेब के मुरीद लोग हैं, हमने संविधान सभा की बैठकों से प्रेरणा ली है। संविधान सभा की बैठक की आत्मा थी कि एक-एक आर्टिकल पर बात हुआ करती थी - मैं, मेरा, मुझको, पहले यह जुबान नहीं थी कि साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय, ऐसे संवैधानिक रिवायतें नहीं चलती हैं, ऐसे मुल्क नहीं चला करता है। चला करता होगा कोई और मुल्क राजतंत्र की व्यवस्था में, लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जब-जब किसी व्यक्ति के इर्द-गिर्द ताना-बाना बुनोगे, व्यवस्था लहूलुहान होगी। नीति और नीयत दोनों जमीन पर औंधे मुंह खड़े मिलेंगे।

सर, मैं तीन अप्रैल से यहां आया हूं। कई दफा जाति पर सदन में चर्चा हुई है। हमारे एक साथी कह गए कि गरीबी की कोई जाति नहीं होती है। मैंने इसी सदन में कहा है कि यह शायराना लगता है, काव्यात्मक लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। सर, सच तो यह है कि जातियों में गरीबी है। कहीं पर एक सैम्पल सर्वे कर लीजिए करीब 100 लोगों का, उसमें से ओबीसी, एस.सी./एस.टी. के 90 लोग मिलेगें या उससे ज्यादा मिलेंगे, तब आप कहोगे कि गरीबी की कोई जाति नहीं होती। सर, हिन्दी फिल्मों के डायलॉग पर बात नहीं होनी चाहिए। सर, अक्सर हम इस तरह की चीजों को कहते हैं और तालियां बजतीं हैं। सर, आरक्षण के बारे में न जाने कितनी दफा बात हुई है तमाम लोग जानते हैं, हमारे मंत्री महोदय रामविलास पासवान जी भी जानते हैं। सर, आरक्षण आमदनी बढ़ाओ योजना नहीं है। आप संविधान सभा की बैठकों को पढ़िए, चर्चा सुनिए, उसमें बाबा साहेब क्या कहते हैं - barbourism की बीमारी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी बातें वही लोग करते हैं, जिनको समझ नहीं है। सर, यह Income generation programme नहीं है। यह मनरेगा की तरह poverty alleviation programme नहीं है। हमने आरक्षण को मनरेगा की श्रेणी में ला दिया है, ऐसा नहीं होता है। सर, आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है और जिनको आरक्षण से गुरेज है, अभी भी प्रतिनिधित्व देख लीजिए और प्रो. राम गोपाल यादव बता गए। सर, कैबिनेट से शुरू कीजिए और संसद के आखिरी पायदान तक

[प्रो. मनोज कुमार झा]

आइए, आपको पता चल जायेगा कि जाति व्यवस्था का असर कितना है। सर, Constituent Assembly debates का volume 9 है, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि हमारे भाजपा के लोग, विपक्ष के लोग, सब लोग उसको पढ़ें। सर, एक बार जानना चाहिए कि कैसे कद के लोग थे और क्या सोचते थे, कैसे सोचते थे? इस तरह की सोच नहीं थी कि अचानक में एक व्हाट्सएप फारॅवर्ड आया, मैंने तो इनका Statement of Objects and Reasons आखिर में बोलने के लिए रखा था, लेकिन उसे अभी पढ़ देता हूं। सर, अगर मैं इसको rename करूं, तो कहूंगा rename as Statement of Subjects and Unreasons. सर, आप opening line पढ़िये, "At present, economically weaker sections of citizens..." कहां से यह ज्ञान पाया भाई? कहां पर बंट रहा है इतना बड़ा ज्ञान? हमें तो नहीं मिला। सर, जब मंडल कमीशन आया था, वॉल्यूम एंड दस्तावेज के साथ आया था, जातियों के आकड़े आये, जातियों की सत्ता आई और तब कहां गया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक bar है कि 49.5 परसेंट, 50 परसेंट को exceed नहीं करेगा, इसके बावजूद कि आबादी 52 परसेंट थी, 27 परसेंट निश्चित कर दिया गया।

सर, अगर ढाला उठाया है, तो ढाला ऐसा मत करो कि एक ट्रेन को गुजरने के लिए करो। जो सारी ट्रेन्स ओबीसीज़ की हैं, एस.सी./एस.टीज़ की हैं, उनके संबंध में फैसला कीजिए और यह फैसला ऐतिहासिक होगा। संसद संकीर्ण दायरे में सोचने के लिए नहीं बनी है। मैं तो भाजपा के साथियों से आग्रह करूंगा... मैं तो भाजपा के साथियों से आग्रह करूंगा कि आप में से कई लोग सेंट्रल हॉल में मिलते हैं। आपके अंदर पीड़ा है, मैं जानता हूं, आप परेशान हैं, क्योंकि विचार के गुच्छे के आधार पर, मैं किताब का पूरा नाम नहीं ले रहा हूं, एक किताब है। बड़ी मशहूर किताब है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, वर्ष 2015 के चुनाव मे बिहार के गांव-गांव में बता दिया था कि ...**(व्यवधान)**... मैं नाम ले ही नहीं रहा हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि ये थॉट्स किस बंच से निकल कर आ रहे हैं, जिस पेड़ में ही दोष है, उन थॉट्स के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। कौन-सा दस्तावेज है, जिसने आपको यह बता दिया? ...**(व्यवधान)**... मैं तो आज किसी से हंस कर कह रहा था, यदि मैं विश्वविद्यालय की नौकरी में नहीं होता, माफी के साथ कहता हूं, सर एफिडेविट गवाह है, 1000 स्केयर फीट का मकान मेरे पास नहीं है। मै भी इसके लिए एलिजिबल हो जाता। ये कौन-सी सोच है और कौन-सी समझ से इन चीजों को ला रहे हैं?

मूलत: आप एक-एक कदम बढ़ रहे है। आपके बारे मे मुझे हमेशा एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है और मैं तारीफ करता हूं, पुरानी फिल्म में एक गाना है- "ठहरे हुए पानी मे कंकर न मार।" आप ठहरे हुए पानी में ककड़ मारते है और देखते हैं कि तरंग कैसी पैदा हो रही है। Waste test कर रहे हैं। आपने 10 परसेंट का कंकड डाला और देख रहे हैं कि तरंग कैसी पैदा हो रही है। सर, ये तरंग आपको लील जाएगी। आज जो लोग चुप्पी साधे हुए है, चाहे कहीं बैठे हुए हों, यह रास्ता तय हो रहा है कि जातिगत आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, क्यों नहीं सदन समवेत् स्वर में ऐसा फैसला करे? मैने तो इस बारे में अमेंडमेंट लगाया था। मेरा दुर्भाग्य कई चीजों में रहता है। इसमें भी दुर्भाग्य था। मैनें और मेरे एक साथी ने अमेंडमेंट लगाया था, लेकिन वह amendment accept नहीं हुआ। क्यों नहीं ...**(समय की घंटी)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your time is over. ...*(Interruptions)*...

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, यह मेरी maiden speech है। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No, no. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, give me two minutes to conclude. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Just one minute. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, give me two minutes to conclude. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): This is not your maiden speech. Your maiden speech was given on 19.7.2018 on the Prevention of Corruption Bill. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: No, Sir. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You have made your. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: No, Sir. ...*(Interruptions)*... I beg to differ. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): That is what the record says. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I beg to differ. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Anyway, please conclude. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I have complained about it. I have said it. I have never used it. सर हाउस में मेरा ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मैं प्रधान मंत्री के सामने बोलना चाहता था। अब वे उस समय आए नहीं, तो मैं क्या करूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude. ...*(Interruptions)*... please conclude in two minutes....*(Interruptions)*...

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, सिर्फ दो मिनट लूंगा। बहुत महत्वपूर्ण मसला है। मैंने संविधान सभा की बैठकों का ज़िक्र किया था। आज कई अखबार सभी ने पढ़े होंगे। सर, Backwardness को लेकर के

[प्रो. मनोज कुमार झा]

उसे define कर रहे हैं, इतनी समझ का अभाव कैसे हो सकता है? सर, इस मंत्रिमंडल में बड़े विद्वान मंत्री हैं। शायद उनकी सुनी नहीं जाती है या वे बोल नहीं पाते हैं। सर, अगर अच्छे वकील कोई भी होते, constitutional untenability and legal untenability, दोनों के आधार पर इसे खारिज किया जा सकता है, लेकिन यह पूरी की पूरी सरकार WhatsApp पर चल रही है। मैं आपके समक्ष एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये इतना ही चाहते हैं, तो निजी क्षेत्र को हाथ लगाने में इन्हें क्यों डर लग रहा है, निजी क्षेत्र कौन-सा निजी होता है? निजी क्षेत्र कोई निजी नहीं होता है। निजी क्षेत्र का मूल चरित्र है कि आप उसे तमाम तरह की राहतें देते हैं, लेकिन यहां आरक्षण देने में क्यों चुप्पी साधकर बैठे हुए हैं? मेरा निवेदन है कि हाथ बढ़ाइए और उनसे भी कहिए।

महोदय, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर क्यों कुंडली मारकर बैठे हुए हैं? आपको क्यों डर लग रहा है? क्या ओबीसी की आबादी 65 से 68 प्रतिशत है, क्या एससी और एसटी की आबादी ज्यादा है और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की हमारी मांग फिर से चल पड़ेगी, यह बात आपको डरा रही है? महोदय, मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहता हूं। मुझे यह सुबह-सुबह मुश्किल से हासिल हुआ है। इस पर गौर फरमाया जाए। इसका रंग भी मिलता-जुलता है। सर, इसे झुनझुना कहते हैं। आमतौर पर यह बजता है, लेकिन इस दौर में यह झुनझुना सत्ता प्रतिष्ठान के पास है। यह हिलता है, लेकिन बजता नहीं है। ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं खत्म कर रहा हूं। सर, अब आखिरी टिप्पणी है। मैं खत्म कर रहा हूं। हमारा, एकमात्र ऐसा दल है, जो खुले आम विरोध कर रहा है। हम कह रहे हैं कि आप पिछड़ों के विरोधी, Anti-backward और एंटी-दलित हो और हम यह डंके की चोट पर कह रहे हैं। आपकी मनसा, वाचा और कर्मणा में ये चीज़ें हैं।

महोदय, मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि-

"हुज़ूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से
चाहे कोई हो, तकाज़ा नहीं बदलते हम"
सर, जय हिन्द कहने से पहले मैं फिर से एक बात और कहना चाहता हूं। एक शेर था-
"ऐ आबे-रूदे-गंगा, वो दिन हैं याद तुझको,
उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा।"

यह सिंध से शुरू हुआ है। अगर इधर से इस पर वाह-वाह की गई है, तो मुसलमानों को भी गले लगा लो भाई। यह नहीं हो सकता। ...(**व्यवधान**)... गले लगाओ। ...(**व्यवधान**)... इस मुल्क का सिर्फ नक्शा कागज़ पर नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you very much. Now, the next speaker is....

प्रो. मनोज कुमार झा: यह मुल्क इंसानों से सजता है। ...(**व्यवधान**)... यह मुल्क इंसानों से बनता है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I am calling the next speaker.

प्रो. मनोज कुमार झा: यह मुल्क ...**(व्यवधान)**... समृद्धि के पाँच टापू ...**(व्यवधान)**... नहीं तय करेंगे। ...**(व्यवधान)**... यह मुल्क अवाम तय करेगी ...**(व्यवधान)**... दलित मुस्लिम पर चुप्पी क्यों? ...**(व्यवधान)**... दलित क्रिश्चियन पर चुप्पी क्यों? ...**(व्यवधान)**... सर, आपकी चुप्पी हमें आपराधिक लगती है ...**(व्यवधान)**... शरीके गुनाह लगती है ...**(व्यवधान)**... शुक्रिया, जय हिंद!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, the next speaker is Dr. Narendra Jadhav.

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Sir, I rise to wholeheartedly commend this landmark Constitution Amendment Bill. While presenting the final draft of the Constitution to the Constituent Assembly on November 25, 1949, Dr. B.R. Ambedkar, the principal architect of the Indian Constitution had given a very strong warning and I quote, he said, "On January 26, 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality." Sir, he went on to add, "How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this Assembly has so laboriously built up." The basic thrust of Dr. Ambedkar's argument was that: Having achieved political democracy, there is no room for complacency. We must strive to convert the political democracy into social and economic democracy and for this purpose, Dr. Ambedkar included the Directive Principles of State Policy in the Constitution which has become a unique feature of our Constitution. Dr. Ambedkar established the framework for social democracy by introducing reservations on caste-basis for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs. In my view, Sir, this Constitutional Amendment Bill is a giant step forward in laying out to establish a framework for economic democracy. This is being sought to be done through reservations on the basis of economic criteria. I strongly feel that this process of universalization of reservation needs to be extended to private sector as well. While I wholeheartedly support the proposed Constitutional Amendment, I must hasten to add two caveats. First, the economic-basis must only be an additional criterion, in addition to the social criteria based on caste, which is the most fundamental one in the Indian society. Under any circumstances, the reservations for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs must not be reduced. The second caveat that I want to add is that there must be an effective and equitable implementation of the Reservation Policy. Many speakers have talked about the mindset. Why are reservations needed? The reservations are needed

[Dr. Narendra Jadhav]

because of the basic innate inability of our system to be just and fair. If the system were just and fair then we would have not needed reservations. As many people have talked about the mindset, the question which is asked is, how many Scheduled Castes, how many Scheduled Tribes and how many OBCs are there in senior positions in bureaucracy? Given the domination among the top echelons of certain castes in bureaucracy, there is a grave danger of a new form of caste-discrimination in terms of inequitable and selective implementation of reservation policy .And this would be a highly undesirable outcome of a noble policy and we must not let that happen. With this caveat, I wholeheartedly support this historic Constitution (Amendment) Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, Shri Anil Desai.

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Thank you, Sir. Sir, I rise to support the Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019. In fact, this proposal of reservation in jobs and educational institutions to the economically weaker sections in the General Category was mooted by our revered leader, Shiv Sena *pramukh* Balasaheb Thackeray, at a time when hardly anyone dared to speak about reservation policy in our country. यह वह दौर था, जब कोई भी इसके बारे में बात करने से कतराता था, तब बाला साहेब जी ने यह विचार रखा था कि अगर आप समाज में और हिन्दुस्तान जैसे देश में सही ढंग से समाज की तरक्की चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो बिना किसी हिचकिचाहट के सरकार को उनके लिए पॉलिसी लानी चाहिए, जो आर्थिक रूप से दुर्बल घटक के हों, चाहे यह सवाल किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी religion से क्यों न जुड़ा हो। देर आए दुरुस्त आए, better late than never, it is said. The Government has come out with a legislation which will be path-breaking in near future and it will be helping our generations. सर, इस विधेयक में beneficiaries की परिभाषा दी गई है, इसकी एक व्याख्या की गई है, जिसमें वार्षिक आमदनी का जिक्र है, जिसमें 5 एकड़ तक की जमीन का ज़िक्र है, जहां 1,000 स्क्वायर फीट के नीचे का फ्लैट या घर हो। इन प्रावधानों के बावजूद इस बिल में यह बात अभी स्पष्ट नहीं हुई है कि जहाँ राज्यों से beneficiaries का selection किया जाएगा, उनकी qualifications के तहत, उनकी eligibility के तहत, उसके बाद जब एक बार कोई व्यक्ति या परिवार इस दायरे में आ जाए और एक लाभार्थी के तौर पर उसको इसका लाभ मिले, फिर जैसे-जैसे उसकी आमदनी बढ़ती जाएगी, उसके बाद उसका क्या होगा? He will be naturally going away from the qualification set by the Government. Is there any machinery evolved to see that? What kind of checks would be ensured by the Government to see that the beneficiaries, who need to get these benefits, get their due? That machinery needs to be in place.

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए)*

जैसे अभी जो प्रावधान हैं, जहां पर SC/ST या OBC, जिस जाति की भी सूची बनाई जाती है, उसमें उस व्यक्ति और उसके परिवार को बिना किसी हिचकिचाहट के, without obstructions, they get all the facilities for generations together. लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जो सबसे बड़ा फर्क है, वह इसी बात को लेकर है कि यहाँ पर आपकी आमदनी, आपका जो economic status है, वह आप हर साल बदलते जाएँगे। इसलिए मैं इसके बारे में चाहूंगा कि it would be better if माननीय मंत्री जी enlightens the House on this because this is the most important point. This goes as far as the qualification of the eligibility is concerned. सर, इस बिल के बारे में और एक बात सामने आती है, that is regarding jobs and employment. In the current years, we have seen dearth of jobs or availability of jobs. It has happened in the recent past that after the onslaught of demonetization or the way GST was introduced, these have been hard-hitting and were taken up by small-scale, medium-scale or, to say, the industry as a whole. We have seen that instead of jobs going up or unemployment problem is alleviated or it is addressed to, really speaking, the number of jobs has come done, be it in public sector or Government sector or everywhere. After this piece of legislation is enacted, what will be the real opportunity that would come to the youth of India? Unless the unemployment problem is addressed, it should not be so that this legislation remains only on paper. हम इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या व्यवस्था सोची है और किस तरह से वह इस issue को आगे ले जा सकती है।

सर, इसके बारे में और एक बात यह कहनी होगी कि हमेशा unemployment को लेकर या इस legislation का जो सबसे बड़ा प्रावधान या इसका जो हेतु है, वह इस तरह से है कि आपको education में और public employment में इसका लाभ मिले, इसीलिए यह बिल लाया गया है। आज आप एजुकेशन में भी देखें। इसके लिए किस तरह से, क्या arrangements रहेंगे, इसका भी खुलासा अगर माननीय मंत्री महोदय करेंगे, तो मैं समझता हूं कि whatever doubts people have in mind, they will be addressed. Another apprehension which I have regarding the economically weaker sections is this. Will this Bill, which has come up, stand the legal scrutiny, the judicial scrutiny in the court of law because we are crossing the fifty per cent limit which has been set by the Supreme Court? हालांकि हमारे वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली साहब ने लोक सभा में इसका स्पष्टीकरण किया है, लेकिन लोगों के दिल में यह बात अभी तक है कि क्या इस चीज़ को हम पार कर पाएंगे? वरना एक तरफ हम legislation लेकर आए हैं और इसको कायदा बना तो दिया, लेकिन अगर कोर्ट ने इसको strike down कर दिया, तो हम वहीं पर रहेंगे। इसके बाद प्रतीक्षा में यही रहेगा कि जो real में economically weaker sections हैं, उनके आगे जाने का क्या रास्ता होगा, जिसे समाज के लिए एक अच्छा कदम माना जाएगा। Another issue, like in the State of Maharashtra where I come from, is that the Maratha reservation was declared by the State

[Shri Anil Desai]

Government. Sixteen per cent is being declared. Now, with the introduction of this Bill, will that have any impact on the reservation which is being declared or will that be struck down? I would request the hon. Minister to enlighten the House on this issue. The last point which I would like to make is regarding the Dangar community, which has also been awaiting its turn for reservation for, I think, many years. Is there any provision or contemplation with the Government regarding any steps being taken to provide reservation for the Dangar community or the shepherd community of Mahrashtra? Will that community's demand be taken up and given the reservation which is required by them? With these words, I support the Bill.

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यों, अगले वक्ता को आमंत्रित करने से पहले मैं सदन को यह बताना चाहूंगा, जैसा कि इस सदन को माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने यह सूचना दी थी कि सरकार और विपक्ष ने संयुक्त रूप से यह तय किया है कि यह बहस आठ घंटे चलेगी और हमने दिन में 12.00 बजे यह बहस शुरू कर दी थी। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हम सब समय का पालन करें, क्योंकि निश्चित समय के तहत हमें इसे खत्म करना होगा और फिर वोटिंग की भी प्रक्रिया होगी। चूंकि यह संविधान संशोधन का बहुत महत्वपूर्ण बिल है, इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि कृपया समय का अनुपालन करें। श्रीमती कानीमोझी।

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, I rise to oppose this Bill which has been brought here to make right a wrong. I would like to quote Dr. B. R. Ambedkar. Such was his integrity and commitment to the Constitution that he said, "If I find the Constitution being misused, I shall be the first to burn it." Today, the legislature, the Constitution, everything, is made a mockery of. This Bill, is a Constitution Amendment Bill, it has been brought and forced upon both the Houses of the Parliament overnight, without being sent to the Standing Committee, without being sent to a Select Committee, and without giving any time to any Member to reflect upon it. And this is what is happening to the Constitution; this is what is happening to the country today that the Government thinks that they can unilaterally decide everything, and just force, whatever their decisions are, on the people of this country. Sir, I come from the land of Periyar which has a history of social justice legislations for more than hundred years. It was the first State to provide voting rights for women, and it was the first State to pass the first communal G.O. It was the Justice Party which passed it. It was our leader, Dr. Kalaignar, who formed the First Backward Classes Commission in the year 1969 and increased the reservation for OBCs from 25 to 30 per cent. Yesterday, our leader, Mr. M. K. Stalin, opposed this Constitution Amendment Bill when he spoke in the Tamil Nadu Legislative Assembly and reiterated the DMK's opposition to reservation based on economic criteria. Sir, the basic objective of reservation is to make sure that the historic wrong

done in the name of religion and caste to the people of this country has to be made right. It is not out of mercy, it is their right that they deserve to be given their reservation. We have to understand that it is not economic; it is not that because they were poor, they were denied right to education and a place in the governance. It is because they were born into a particular caste which some people thought was less than them, lower than them and that they were deprived of any right. In this country, even today there are children who have to drink water from different pots in schools because they belong to the *dalit* community. We cannot forget the mindset of those children that how insulted they would feel in the same school premises because of the discrimination they face day in and day out. Working places are not above it. When you are a *dalit*, when you are an OBC, you still face discrimination. So, it is your birth. You can change your religion, you can change your economic status, but you cannot change your caste. Even if you move from one religion to another, caste, unfortunately, in this country, follows you. We don't provide reservation for these people. We don't provide reservation for Christian *dalits*. We used to provide reservation for Muslims. Sachar Committee has said in its Report how economically, educationally and socially backward the Muslim brothers and sisters of this country are. And especially this Government has suddenly developed great concern and fondness for the Muslim sisters of this country. That being the case, they can empower them by bringing reservation. In Tamil Nadu, the DMK Government brought 3.5 per cent reservation for the Muslims. The Government can do the same and empower the women they want to or claim to be empowering. You say that you want to help economically depressed classes. What is happening to the education loans which the UPA Government brought? It is really being stopped. The youngsters who borrowed money for their education, today they are not able to repay the loan because there is no employment opportunity. That being the case, they are being harassed and insulted by the Banks like thieves. What is the Government doing about that? Without doing anything, without improving employment situation, without reaching out to those youngsters who borrowed money for education, they are being harassed even without being helped. Nobody listens to their problems. What is the point in bringing a Bill to say that you are helping the economically depressed classes? Sir, in the P.V. Narasimha Rao Government, they tried to bring reservation. But in the Indra Sawhney case the Supreme Court has clearly stated that economic criteria should not be the sole basis for giving reservation. In paragraph 799, the Court held, "A backward class cannot be determined only and exclusively with reference to economic criteria. It may be a consideration on the basis along with and in addition to social backwardness, but it cannot be the sole criteria." But this Government is trying to bring a Bill only on the sole criteria of economic basis. Eight Judges out of the nine Judges have concurred with this view.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have five minutes, please. ...*(Interruptions)*... Please conclude. ...*(Interruptions)*... I have already explained the limitations. ...*(Interruptions)*... Please conclude.

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, I am one of the very few voices which is opposing this Bill. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: My limitation is that we have only limited time. ...*(Interruptions)*... Please conclude, Madam Kanimozhiji. ...*(Interruptions)*... I have my own limitations. ...*(Interruptions)*... I have already requested all of you. ...*(Interruptions)*...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): सर, इनको बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Please allow her to complete her speech. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Member, I have explained the problem which I am facing. I am just requesting her to please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): सर, महिलाओं को बोलने दिया जाए। ...**(व्यवधान)**... इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरी moment में अगर आप इस तरह का बिल लायेंगे, तो ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीया जया जी, मैं अलाउ कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... मैं अलाउ कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... मैंने टाइम की समस्या आप सब के सामने बतायी। ...**(व्यवधान)**... हाउस ने जो 8 घंटे का समय तय किया था, उसके तहत मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। Please conclude.

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, this Government can bring this Bill overnight saying that it is an election promise but they will not implement 50 per cent reservation for women, and I am one of the few women speaking on this Bill and you do not allow me to speak. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am following the norm which has been decided by all of you. Please come to the point and conclude.

श्रीमती जया बच्चन: सर, यदि हाउस एक दिन extend किया जा सकता है तो इस बिल पर भी चर्चा के लिए टाइम extend कर दीजिए, ताकि सभी मेम्बर्स बोल सकें। ...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, when our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru moved the first Amendment to the Constitution to provide reservation for socially and educationally backward classes, he deliberately denied to include the word 'economically' in the Amendment. Sir, today you say ten per cent reservation for the

economically depressed classes. I would like to know where you got this number of ten per cent. Has any research gone into it? Has any study gone into it? When the DMK Government in Tamil Nadu brought reservations, we had the Amba Shankar Commission. The first Sattanathan Commission was brought into place. After a scientific study, after a detailed study, then, the reservations were brought in. The same thing happened with the Mandal Commission. But, today you are bringing a number saying it is ten per cent. But how do you justify that number? Have you done any study that this number is going to help these people, the economically depressed classes? The number you are saying rupees eight lakhs. Rupees eight lakhs actually cover nearly 97 per cent of the population. The Government is not mentioning any number, but we are reading it in newspapers every day. That 'eight lakhs' is deceiving and also five acres of land. Five acres of land, where? How can economics be the basis? You destroyed so many small scale industries. The entire Tirupur in Tamil Nadu is destroyed because you brought the GST without consideration and your demonetisation policies. So, how can you even fix economics as a base for reservation? It keeps varying and you know this Government's policy when it comes to agriculture. There is an agrarian crisis. You see how many farmers committed suicide. There was a big rally. The Government didn't bother to pay any heed to it. Our farmers from Tamil Nadu were here for months together to meet the Prime Minister. He did not find time. Nobody even bothered. Nobody even listened. They are struggling even today. The kind of humiliation they went through in Delhi and you want to talk about land holdings! What do they get even if they have five acres of land? Nothing. The only future the farmers have in this country is debt. They are only looking to commit suicides. The entire Cauvery belt is dry and you want to have a meeting! How do you fix economic criteria for reservation? You have to understand that. The judgment has already said that unless there is an extraordinary situation you cannot pass reservation, you cannot bring a Bill to amend and increase reservation. What is the urgency? What is the extraordinary situation? The only thing I see is, in hundred days we have elections.

श्री उपसभापति: जितना समय आपके लिए निर्धारित था, उससे दोगुना समय आप बोल चुकी हैं। ...(**व्यवधान**)... So, please conclude now. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, can you please speak in a language I can understand?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken double the time which has been allocated to you. So, please conclude.

SHRIMATI KANIMOZHI: Yes, Sir, but we have not been given opportunities.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRIMATI KANIMOZHI: I am talking on behalf of millions and millions of people who have been deprived for centuries.

श्री आनन्द शर्मा: महोदय, माननीय सदस्या को बोलने दिया जाए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आनन्द शर्मा जी, जो 8 घंटे का समय इस बिल के लिए आप लोगों ने तय किया है, उसी के तहत मैं कह रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... मैं पुन: रिक्वेस्ट करूंगा कि please conclude now. जितना समय था, उससे दोगुना समय मैंने दिया। आप मेरी सीमा और बंधन भी ध्यान में रखें। ...(**व्यवधान**)... मुझे भी सुविधा रहेगी। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI KANIMOZHI: If you look at employment opportunities provided in the Central Government till now, it becomes very clear that there is injustice done to the Backward Classes, SCs and STs. So many years have passed. Only 17 per cent reservation has been given in Group 'A' Services, 14 per cent in Group 'B' Services, 11 per cent in Group 'C Services and 10 per cent in Group 'D' Services! You cannot even implement reservation benefit! The reservation quota is already there. You just implement that. Only then you take the next step. What is the point in simply painting a new dream?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, yesterday, when the hon. Finance Minister was speaking in the other House, he said very clearly that once both the Houses pass this Bill, it need not be sent to the State Legislatures for their ratification. He is one of the best legal brains in the country. I respect him a lot.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Madam Kanimozhi, please address the Chair.

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, it is a different kind of politics. I don't want to get into that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please address the Chair and conclude.

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, he has said that. But, is it right?

SHRI ANAND SHARMA: Sir, the hon. Law Minister should clarify that.

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, how can you say that it will not affect the States? It will affect States. It affects every single State in this country. And, it violates the spirit of co-operative federalism enshrined in the Constitution.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRIMATI KANIMOZHI: It goes against the spirit.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken thirteen minutes instead of five minutes. Please, conclude now.

SHRIMATI KANIMOZHI: I must say here that now the Centre says that our opinion is not important.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRIMATI KANIMOZHI: With these observations, I demand that this Bill should be sent to the Select Committee. I have already moved a motion for sending this Bill to the Select Committee and I want voting on that. Thank you.

श्री उपसभापति: मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करने से पहले पुन: एक सूचना देना चाहूँगा। Hon. Members, Samajwadi Party, JD(U) and CPI (M) parties have exhausted their allocated time. These parties have given names of second speaker on this Bill. These parties may be given time at the end of the debate, after giving a chance to the parties which have time.

श्री सुखेन्दु शेखर राय: सर, वन सेंकड, वन सेंकेड। ...(**व्यवधान**)... यह बहुत सीरियस चर्चा चल रही है। इस बीच में मैं एक उल्लेख करना चाहता हूँ। क्या आपने अभिनेता मनोज कुमार जी की शहीद फिल्म देखी है? शायद आपने नहीं देखी है। आपने मनोज कुमार जी की फिल्म शहीद नहीं देखी है। अगर आप देखेगें, तो उसमें एक समय जेलर रूमाल उठाता है, तो जल्लाद फांसी के फंदे के साथ, जो लीवर होता है, उसे खींच देता हैं और फांसी हो जाती है, तो आप ऐसे ही घड़ी की तरफ मत देखिए। ...(**व्यवधान**)... ऐसे घड़ी की तरफ मत देखिए। ...(**व्यवधान**)... यह बहुत अहम बिल है। अगर कोई एक-दो मिनट extra मांगता है, तो दे दीजिए।

श्री उपसभापति: माननीय सदस्य, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि यह समय मुझे आप ही लोगों ने तय करके बताया ...(**व्यवधान**)... मैं उसी को follow कर रहा हूँ। यह एक अलग बात है कि आपने फिल्म का उल्लेख किया और आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, कभी अवसर मिलेगा, तो लोग मिलकर हिन्दी फिल्मों के गाने सुनेंगे। मैं अगले वक्ता माननीय श्री रवि शंकर प्रसाद जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ।

विधि और न्याय मंत्री; **तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)**: माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं सभी सम्माननीय वक्ताओं को सुन रहा हूँ और एक बात सामने आई है कि इन सभी ने इस बिल का समर्थन किया है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI DEREK O' BRIEN: No, no.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I agree, except Madam Kanimozhi. माननीय देरेक ओबाईन साहब ने समर्थन किया या नहीं किया, यह पता नहीं चला, लेकिन मैं मानता हूँ कि वे भी इसके समर्थन में हैं। उपसभापति जी, सभी लोगों ने इसका समर्थन तो किया, लेकिन उसके बाद 'लेकिन' कहा, अब इस लेकिन पर मैं बाद में आऊंगा। माननीय आनन्द शर्मा जी ने संविधान की भावनाओं की चिंता की, यह अच्छा लगा, जवाहरलाल नेहरू जी की चर्चा की, यह भी अच्छा लगा, लेकिन और अच्छा लगता अगर आपने साथ में सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी और राजेन्द्र प्रसाद जी की भी चर्चा की होती। ...**(व्यवधान)**...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, he has taken my name. Let me clarify.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I am not yielding.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री आनन्द शर्मा: एक मिनट। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद : जब आप समय की बात कर रहे हैं...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: आप बाद में दीजिएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: जब अमित शाह जी की बात आई थी, तब राम गोपाल जी भी बैठ गए थे ...**(व्यवधान)**... आप स्पष्टीकरण ले लें ...**(व्यवधान)**... मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से इसलिए शुरू किया कि जो Objective Resolution था, उसको जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था, इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैंने सिर्फ यह कहा कि संविधान बनाने में सरदार पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, डा. अम्बेडकर की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय रवि शंकर जी, आप आगे बोलिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय उपसभापति जी, आज कई चर्चाएँ हुई हैं। सबसे पहले, मैं कुछ लोगों से बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि उनके अंदर इस सदन के अधिकार की सीमाओं के बारे में आशंका क्यों है? हम संसद हैं। देश ने दोनों सदनों को इस देश के लिए कानून बनाने और संविधान में बदलाव का भी अधिकार दिया है। चूंकि बार-बार यह विषय उठाया गया, इसलिए आज मैं पढ़ना चाहूँगा Article 368 of the Indian Constitution. It says, "Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution..." 'Any' means any. इसमें सिर्फ एक बंधन है कि Basic Structure में हम बदलाव नहीं कर सकते, उस सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो Basic Structure की बात की है, उसमें reservation का विषय नहीं आता है, वह चर्चा बाद में होगी।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। इसमें क्लॉज़ 5 है, which says, "For the removal of doubts, it is hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent power of Parliament to amend by way of addition, variation or repeal the provisions of this Constitution under this article." इस पर कोई सीमा नहीं है। Kanimozhi raised one point: Why are the States not being consulted? There is a very clear provision under Article 368 itself clarifying under what conditions there will be obligation to consult States. And, it makes it clear consultation of State Government is important if such amendment seeks to make any change in (a) Article 54, Article 55, Article 73, Article 162 or Article 241; or (b) Chapter IV of Part V, Chapter V of Part VI, or Chapter I of Part XI; or (c) any of the Lists in the Seventh Schedule. If the Parliament is amending the Fundamental Rights, under Article 368, there is no obligation to go to the State Vidhan Sabha. This was a part of the Constitution, as framed by them in 1949 and 1950. That needs to be appreciated.

सर, इस संविधान के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। इस संविधान में affirmative action का पहला विचार आता है from the Preamble itself. Preamble में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है — We the people of India secure to all its citizens: JUSTICE social, economic and political; LIBERTY of thought, expression; EQUALITY of status and of opportunity. भारत के सारे नागरिकों के लिए हम अवसर की बात करेंगे। माननीय उपसभापति जी, अब मैं आर्टिकल 46 पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि इससे संविधान का भाव निकलता है और जिसकी बहुत कम चर्चा हुई है। आर्टिकल 46 में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि the State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, etc. मेरा यह कहना है कि संविधान का यह सार है। आनन्द जी ने सही कहा, इन्होंने कोशिश की थी। मंडल कमीशन से पहले काका कालेलकर कमीशन हुआ था, यह एक आंदोलन चला था। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों ने, समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोगों ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब मंडल कमीशन की अनुशंसा की गई और प्रधान मंत्री नरसिम्हा राव सरकार में एक मेमोरैंडम बना, तो इंदिरा साहनी केस में वह विषय गया और तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अभी के पार्ट-III के चैप्टर के अंतर्गत आप इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन के लोगों को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। यह विषय वहाँ था।

उपसभापति जी, मैं एक और विषय को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। बार-बार 50 परसेंट...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI VIJAY GOEL): Sir, I request you and also propose to extend the time of the House till the finalisation of the Legislative Business.

6.00 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, please, Mr. Ravi Shankar Prasad.

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, यह बात बार-बार आ रही है कि 50 परसेंट की सीमा का हम अतिक्रमण कर रहे हैं।

SHRI ANAND SHARMA: Sir, the sense of the House is taken for this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. The sense of the House is taken. We all have accepted. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAVED ALI KHAN (Uttar Pradesh): Sir, is this till finalisation of Legislative Business or this Bill?

श्री नीरज शेखर: सर, आज 9 बिल लिस्टेड हैं।

SHRI JAVED ALI KHAN: Sir, there are 13 Bills.

SHRI NEERAJ SHEKHAR: Sir, till this Bill or all the Legislative Business of the day?

श्री विजय गोयल: सर, मैंने जो बोला है, वह 'till the finalisation of the Legislative Business' बोला है, किंतु अगर कोई बिल नहीं करना है तो कोई बात नहीं। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर: आप फिर वही बात कर रहे हैं! ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: ठीक है, ठीक है आपकी बात। आप अपनी बात रखिए।

श्री विजय गोयल: अच्छा स्पेशल मेंशन तो मेंशन कर सकते हैं। मेम्बर्स चाहते हैं, इसमें क्या हर्ज है? कोई दूसरा बिल नहीं आ रहा है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI SURENDRA SINGH NAGAR: Or, conclusion of the debate?

श्री उपसभापति: नागर जी, आप सदस्यों के बीच से यह प्रस्ताव आया है कि अंत में जो स्पेशल मेंशन हो, वह करा दिया जाए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, यह विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। 50 परसेंट की सीमा संविधान में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में आयी है और जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला इंदिरा साहनी का है, जिसका मेजॉरिटी निर्णय, जस्टिस जीवन रेड्डी और बाकी 6 जजेज़ ने लिखा था, मैं उसकी सिर्फ दो लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का Para 812 "We are also of the opinion that this rule of 50 per cent applies only to reservations in favour of backward classes made under 16(4)." अर्थात् जब आप educationally and socially backward, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी हैं, उनके लिए रिजर्वेशन करेंगे तो आप 50 परसेंट से आगे नहीं जा सकते हैं। यह है सुप्रीम कोर्ट का फैसला।

माननीय उपसभापति, इस पूरी चर्चा में लोगों ने कई अन्य विषय उठाए, यह उनका अधिकार है। बिल पर थोड़ी और चर्चा होती तो हमें भी अच्छा लगता। मैं बिल पर एक बात कहना चाहता हूँ। इस बिल में हम क्या कर रहे हैं? मौलिक अधिकार की 2 धाराओं में बदलाव कर रहे हैं, जो हमारे थावर चन्द गहलोत जी ने कहा, संविधान की धारा 15 में एक क्लॉज़ जोड़ रहे हैं, जिसमें हम economically weaker sections की बात कर रहे हैं, हम उनको educationally opportunity देंगे, public, private schools में कॉलेजेज़ में जो बाकी स्थिति है और धारा 16 में एक क्लॉज़ 6 ऐड कर रहे हैं जिसमें public employment में हम उनके लिए economically weaker sections को जगह दे रहे हैं in addition to, जो SC/ST हैं और सबसे बड़ी बात इस बिल में यह है कि अभी जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए existing reservation है, वह बरकरार रहेगा। हम उसको जरा भी नहीं छू रहे हैं। As it is रहेगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: कृपया जगह पर बैठकर न बोलें। महत्वपूर्ण बात हो रही है। कृपया शांत रहें।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, इसमें दो बातें और आती हैं। क्या संसद को अधिकार है या नहीं है कि जो Preamble प्रावधान है, जो Article 46 में प्रावधान है, उसमें हम इस देश के उन गरीबों की चिंता करें, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है? आज मैं देश की राजनीति के बारे में एक-दो बातें कहना चाहता हूँ। क्यों कहना चाहता हँ, क्या यह सच्चाई नहीं है कि जो बहुत सारे पिछड़ों के आंदोलन हुए, उनके पीछे वे लोग खड़े थे जो अगड़ी जाति से आते थे, क्योंकि सामाजिक न्याय में उनकी आस्था थी। आज यह सच्चाई नहीं है कि हमारी पार्टी ने प्रामाणिकता से विचार किया कि कई स्टेट्स में ऐसे मुख्य मंत्रियो को आगे बढ़ाया जो पिछड़े वर्गों से आया करते थे। यह राजनीतिक सच्चाई है और यह हमने नहीं कहा कि सिर्फ हम ही ने किया, बाकी लोगों ने भी किया होगा। मैं कांग्रेस पार्टी से एक सवाल पूछता हूँ। मुझसे बहुत बातें पूछी गईं। ये भी सोच रहे थे। इन्होंने जो कमीशन बिठाया था, माननीय उपसभापति जी, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है, जिसमें Sinho Commission ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण देने की बात कही थी और बाकी वैलफेयर में उसकी बात कही थी। यह रिपोर्ट 22 जुलाई, 2010 को यूपीए सरकार के मंत्री को सरकार के विचार के लिए सबमिट की गई। आपको किसने रोका था? आप वर्ष 2010 में एक साल पहले दोबारा जीतकर आए थे। आप हमसे तो बहुत सवाल पूछ रहे हैं, आप अभी क्यों ला रहे हैं? आपको वर्ष 2010 में कार्यवाही करने के लिए किसने रोका था? कार्रवाई नहीं करने के लिए। माननीय उपसभापति महोदय, मैं इस रिपोर्ट को विस्तार में पढ़कर आपका, सदन का समय नहीं लूंगा। सिर्फ एक बात कहूंगा। इसमें जो चेयरमैन थे, मेजर जनरल सिन्हो, उन्होंने बाकी मेम्बर्स के साथ साफ लिखा है कि हम लोग देश भर में गए, हर राज्य सरकार से बात की। पूरे गैर-आरक्षित वर्गो की इकोनॉमिक स्थिति का विचार किया। नेशनल सैम्पल सर्वे डाटा का विचार किया और सब कुछ विचार करने के बाद हम यह लाए हैं। उपसभापति जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। इधर भी लोग बैठे हैं और मैं मानता हूं कि सभी लोगों ने अपने तरीके से देश को समझने की कोशिश की है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि अगड़े वर्ग के लोग, ब्राह्मण और राजपूत मज़दूर हैं कि नहीं? मैं बहुत विनम्रता से बोलना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री मधुमूदन मिस्त्री (गुजरात): नहीं देखा मैंने ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: अच्छा ठीक है। ...**(व्यवधान)**... आप लोगों ने नहीं देखा होगा ...**(व्यवधान)**... हम लोगों ने देखा है ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया बीच में टीका-टिप्पणी न करें ...**(व्यवधान)**... माननीय मिस्त्री जी, सीट पर बैठकर टीका-टिप्पणी करना, ...**(व्यवधान)**... आप अनुभवी सदस्य हैं ...**(व्यवधान)**... टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: तो मैं यह कह रहा हूँ कि हमें यह बताइए कि क्या कोई सरकार अगर जिम्मेवारी से काम करती है ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया, अपनी जगह बैठे। ....**(व्यवधान)**...

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): पुनिया जी, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए ...**(व्यवधान)**... देखिए ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया, आप बहस को चलने दीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय उपसभापति जी, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह सच्चाई है कि अगड़े वर्ग के लोग भी गरीबी में हैं। गांव में जाइए, आपको अगड़े वर्ग के लोग रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे। मैं भी विद्यार्थी काल से काम करता रहा हूं। मुझे बहुत दिन हो गए जेपी मूवमेंट से काम करते हुए। मैं इस सदन में कहता हूं, घूमता हूं, तो देखता हूं कि कितने गरीब लोग हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। अगर हमारी सरकार ने आज सोचा है और बाकी सदन सोच रहा है, इसमें गलत क्या है? इस पर चर्चा क्यों होनी चाहिए? अगर आपने 5 साल कोई काम नहीं किया है और हम कर रहे हैं, तो आप सवाल उठा रहे हैं! इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा होता, यदि आप यह कर देते। हमारे लिए काम नहीं छोड़ते। यह बात जाननी बहुत जरूरी है।

माननीय उपसभापति जी, जब हम संविधान के Fundamental Rights में बदलाव करते हैं, तो यह हमारा और सदन का अधिकार है। अभी तक जो संविधान की सोच थी, उसमें क्या था? उसमें यह था कि जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आपने आरक्षण दिया और जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको वह आरक्षण भी दिया और उनको राजनीतिक आरक्षण भी दिया।

उपसभापति महोदय, देखिए संविधान के बनाने वालों की सही में बहुत दूरदृष्टि थी। उन्होंने ओबीसी को, एससी/एसटी को पढ़ाई में और सरकारी नौकरियों में रिज़र्वेशन दिया, लेकिन उन्होंने विधान सभा, लोक सभा में सिर्फ और सिर्फ एससी/एसटी को रिज़र्वेशन दिया, क्योंकि वे इस संविधान के माध्यम से जो समाज बनाने का सोच रहे थे, उस समाज के सारे खम्भे मजबूत हों। उनको लगता था कि बाकी समाज चलेगा, लेकिन एससी और एसटी को और आगे बढ़ाने के लिए हमें उनको संसद में और विधान सभा में जगह देनी पड़ेगी। मैं आज कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह अच्छी बात है, बाकी स्टेट भी रिज़र्वेशन दे रहे हैं। रिज़र्वेशन जरूर देना चाहिए।

अभी हमारे श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह जी ने बिहार की बात की, अच्छा किया। अभी हमारे कई प्रदेशों ने बहुत अच्छा काम किया है। हो सकता है कि बाकी के प्रदेशों ने भी किया हो। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी तो यह कोशिश होनी चाहिए कि सभी वर्ग आगे बढ़ें। मैं सोच रहा था कि किसी की टिप्पणी में clarification आएगा। यह संविधान के मौलिक अधिकार में परिवर्तन है। उपसभापति जी, यह सिर्फ भारत सरकार की नौकरियों के लिए ही नहीं है, यह प्रदेश सरकार की नौकरियों पर भी लागू होता है। यह समझने की ज़रूरत है और इसीलिए इसमें जो एक प्रोविज़न है, जिसको पढ़ा नहीं गया है, Clause 2 में, मैं explanation पढ़ रहा हूँ। 'For the purposes of this article and article 16, "economically weaker sections" shall be such as may be notified by the State from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantages.' तो किसी राज्य को यह अधिकार है। 8 लाख पर बहुत लोग सवाल कर रहे हैं। कोई प्रदेश सरकार कह सकती है कि हम अपने यहां तो राज्य की नौकरियों के लिए 5 लाख ही रखेंगे। यह आपका अधिकार है, यह अधिकार आपको संविधान दे रहा है। इस पर जब भारत एक federal character का देश है। जहां केन्द्र सरकार के अपने अधिकार हैं, लेकिन प्रदेश में भी economically weaker sections के लिए अब आपको इसके बाद यह बंधन देना पड़ेगा। उनके लिए 10 परसेंट रिजर्वेशन देना पड़ेगा। उसके मानक क्या होंगे, मे मानक राज्य सरकारें तय करेंगी। तो एक enabling atmosphere हम Fundamental Rights में बदलाव करके कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। उपसभापति जी, मैं अब थोड़ा "लेकिन" पर बोलना चाहता हूँ। हम सभी इसका समर्थन करते हैं "लेकिन" - समर्थन करना है तो खुलकर करो, इसमें क्या दिक्कत है, आराम से खुलकर करो। ठीक है, मान लिया, हम लेट आए। अगर लेट भी आए तो दुरूस्त तो आए। उसमें क्या परेशानी है? माननीय उपसभापति जी, आज का दिन बदलाव का दिन है, यह संसद, लोक सभा और राज्य सभा आज इतिहास बना रहे हैं और हम लोग, जो मेम्बर्स यहाँ बैठे हुए हैं, आज से 15, 20, 25 साल बाद जब इस ऐतिहासिक संविधान के मौलिक अधिकारों के बदलाव पर चर्चा होगी तो इस सदन की चर्चा होगी, और इस सदन की चर्चा पर अगर कोर्ट में चैलेंज होगा, तो वहां भी देखा जाएगा। तो आज तो बदलाव का दिन है, इतिहास का दिन है। जब इतिहास बना रहे हैं तो समर्थन करिए और खुलकर करिए, फिर इसमें "लेकिन" वाली क्या बात है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। उपसभापति महोदय, राजनैतिक चर्चा तो हमारी होती रहती है, बार-बार होती है, उस पर हम क्या बोलें। विरोध करने वालों का काम है, विरोध करना। बार-बार "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" पर सवाल उठा रहे थे। उपसभापति जी, आज मुझे पीड़ा हुई है। मैं बहुत गर्व से कहना चाहता हूँ कि हमने "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" पर काम तो किया ही है, इस सरकार ने एयरफोर्स के प्लेन के पायलट बनने का अधिकार बेटियों को दिया है, इस सरकार ने 26 जनवरी की परेड में बीएसएफ की महिला अधिकारियों को सम्मान दिया कि तुम राजपथ पर करो, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस देश की विदेश मंत्री महिला हैं, इस देश की रक्षा मंत्री महिला हैं। इस देश में इतनी महिलाएं मंत्री हैं, यह काम हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया है, इस तरह से हम empowerment की बात करते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुखेन्दु शेखर राय: वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर महिला हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया शांति बनाए रखें ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: देश की पहली महिला प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय उपसभापति जी, आज तक महिलाओं की dignity के लिए चिंता की गयी थी। आज सदन में मैं एक आकड़ा देना चाहता हूँ। उपसभापति जी, 15 अगस्त, 1947 के बाद से 26 मई, 2014 तक इस देश के गावों में 6 करोड़, 25 लाख toilets बने - 15 अगस्त, 1947 से 26 मई, 2014 तक। और उसके बाद कितने बने? ...**(व्यवधान)**... यह नम्बर important है। उसके बाद हमारी सरकार में 9 करोड़ 45 लाख toilets साढ़े चार साल में बने। यह है सफाई ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती विप्लव ठाकुर: रिजर्वेशन का क्या हुआ?

श्री नीरज शेखर: उनमें से कितने काम कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: जो महिलाएं बाहर जाया करती थीं ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर: उनमें से कितने चालू हैं, यह तो बताइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: यह सही नहीं है। सभी लोग प्लीज़ अपनी जगह पर बैठ जाएं। ...**(व्यवधान)**... यह चर्चा अब तक बहुत सुचारू रूप से चलती रही है, हरेक ने एक-दूसरे की बातें सुनीं ...**(व्यवधान)**... नीरज जी, आप अपनी जगह पर बैठिए। ...**(व्यवधान)**... आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी। आप प्लीज़ बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: जो महिलाएं शर्मिंदगी के साथ पहले खुले में जाया करती थीं, रात के अंधेरे में जाया करती थीं, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने उनकी चिंता की है, यह है, महिला सशक्तीकरण। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती विप्लव ठाकुर: आरक्षण नहीं दिया। ...**(व्यवधान)**...

कुमारी शैलजा: महिला आरक्षण दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: आज देखिए, यह जो maternity leave है, उसको हम लोगों ने 6 months बढ़ाया है। जो "मुद्रा" योजना है, इसमें 26 करोड़ लोगों को हम लोगों ने लगभग 7 लाख, तीस करोड़ रुपए दिए हैं। इसको लेने वालों में 74 परसेंट beneficiaries women हैं, SCs हैं, STs हैं, Minority की हैं। यह तो ज़मीन पर दिखायी दे रहा है। ...**(व्यवधान)**... हमारे बड़े अतरंग मित्र देरेक बाबू ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया, जिसको मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी बात में कई "इंडिया" की चर्चा की, उसमें कुछ इंडिया मैं देखता हूं। उन्होंने "डिजिटल इंडिया" का भी एक नाम लिया। माननीय उपसभापति जी, हमने 33 करोड़ bank accounts खोले, उनको आधार से जोड़ा और मोबाइल से जोड़ा ...**(व्यवधान)**... हमने welfare measure लोगों के bank account में भेजना शुरू किया और 90,000 करोड़ रुपए बचाए, यह हमने करके दिखाया है। ...**(व्यवधान)**... इसे हम फिट इंडिया कहेंगे या ईमानदार इंडिया कहेंगे। ...**(व्यवधान)**... यह क्लीन इंडिया है।

श्री उपसभापति: देखिए, यह टीका-टिप्पणी अच्छी बात नहीं है। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़।

श्री रवि शंकर प्रसाद: हम "डिजिटल इंडिया" में लोगों को literate कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... 6 करोड़ ग्रामीणों में डेढ़ करोड़ को हम कर चुके हैं। आप बताइए कि empower हो रहा है या नहीं हो रहा है। ...**(व्यवधान)**... मैं कहूंगा कि हम लोग इनकी बात शांति से सुन रहे थे, हमारी बात शांति से सुनें ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, मैं आग्रह करूंगा कि मेरी बात शांति से सुनें।

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री नीरज शेखर: सर, प्रो. मनोज कुमार झा का प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री उपसभापति: प्रो. मनोज कुमार झा।

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, my point of order is under Rule 240, which says, "The Chairman, after having called the attention of the Council to the irrelevance and repetition..." *...(Interruptions)...*

श्री उपसभापति: माननीय मनोज झा जी यह point of order नहीं है। यह आपका point of order नहीं है। ...(व्यवधान) ... मंत्री जी, आप प्लीज़ continue करें।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय उपसभापति जी, point of order उठाने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के बड़े विद्वान प्रोफेसर हैं। यह अच्छी बात है, वे हमारे House के मेम्बर भी हैं और मेरे मित्र भी हैं। जब मैं इसकी चर्चा करूं तो वह irrelevent है और जब विपक्ष उसकी आलोचना करे तो वह relevent है, यह कहां का कानून है? ...**(व्यवधान)**... उपसभापति जी, आज अगर 6 करोड़ से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, उन्हें गैस मिली है, तो इससे क्या महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है या नहीं हुआ है? ...**(व्यवधान)**... इस पर कभी चर्चा करेंगे।

एक बात मैं employment के बारे में कहना चाहता हूँ। इसकी बहुत चर्चा हुई कि नौकरी कहां है। पहले बताया है कि जो भारत सरकार की नौकरी है और जो राज्य सरकारों की नौकरियां हैं, इन दोनों पर आज का यह Amendment बंधनकारी होगा, जो आज पास होने के बाद राष्ट्रपति जी साइन करेंगे ...**(व्यवधान)**... 61 लाख नए लोग Employees Provident Fund में रजिस्टर हुए हैं या नहीं? इसके बारे में तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। रेलवे में 1 लाख 30 हजार लोगों की नौकरी प्रोसेस में है या नहीं , यह भी मुझे बता दीजिए। ...**(व्यवधान)**... आज हमारे mobile manufacturing में उनके समय में दो फैक्टरीज़ थी और आज 127 फैक्टरीज़ हो गई हैं। लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी मिली है या नहीं मिली है, यह भी आप मुझे बताइए। 'मुद्रा' की बात मैं आपसे कर चुका हूँ। ...**(व्यवधान)**... आप मुझे यह बताए कि आज देश में digitilization हो रहा है। Digital payment को दुनिया देख रही है। उसमें लोगों को नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है? अधिक सडकें बन रही हैं और उनकी तुलना में दुगुनी बन रही हैं, तो इससे भी लोगों को नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... प्रधान मंत्री की आवास योजना से काम हो रहा है या नहीं? आज हवाई चप्पल पहनने वाला विमान में उड़ रहा है, क्योंकि विमान में उड़ने के नए-नए अवसर आ रहे हैं। नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है? हमारे

[श्री रवि शंकर प्रसाद]

Common Service Centre में जब digital delivery of service की बात होती है, लगभग सवा तीन लाख CSC सेंटर्स में 12 लाख बच्चे काम करते हैं, जिसमें 60 हजार हमारी women entrepreneurs हैं। ...**(व्यवधान)**... हम लोग ये हैं और यह बदलाव हम करेंगे ...**(व्यवधान)**... उपसभापति जी, मैं इस पर और ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैंने थोड़ी बात इसलिए कही कि देरेक जी ने बहुत शब्दों का ...**(व्यवधान)**... हम लोग बहुत बोल सकते हैं, उसके लिए अगले अवसर पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं, जब बजट आएगा और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा ...**(व्यवधान)**... लेकिन एक बात हमसे पूछेंगे कि अभी क्यों लाए हो, इसका जवाब देना जरूरी है। यह बताए कि अगर आप समय से नहीं लाए, हम आपके लिए लेट से ही लाए, तो इस पर भी हम से आपत्ति है? हमने हिम्मत तो दिखाई है! नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में इतनी हिम्मत है कि गरीबों के हर वर्ग के लिए सबका साथ, सबका विकास की हम चिंता करते हैं। लेकिन देरेक बाबू क्रिकेट की काफी चिंता करते हैं। आजकल देख रहे हैं कि उनकी बचपन की बहुत कहानियां आती हैं, हमें सुनकर अच्छा लगता है। हालांकि उनकी बाकी कहानियां भी बहुत हैं, वह भी हमको मालूम है, including your days as a great quiz master, उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। ...**(व्यवधान)**... उपसभापति जी, क्रिकेट में छक्का slog over में लगता है। आपको मालुम है, न? जब match close होता है तो छक्का लगता है। अगर आपको उसी पर परेशानी है, तो यह पहला छक्का नहीं है और भी छक्के आने वाले हैं। ...**(व्यवधान)**... वे विकास के लिए आएंगे, बदलाव के लिए आएंगे, transformation के लिए आएंगे। हारने की बात तो जनता तय करेगी, आप तो आज से नहीं 2014 से हमारे खिलाफ हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि जब भी चुनाव होगा, देश की जनता से NDA, BJP और नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में हम भारी बहुमत दुबारा लेंगे, यह हमारा बड़ा विश्वास है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: माननीय, कपिल सिब्बल जी। ...**(व्यवधान)**... कृपया सभी सदस्य शांति बनाए रखिए। माननीय कपिल सिब्बल जी, अब आप बोलिए।

SHRI KAPIL SIBAL (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in this debate. Though I stand to support the Bill, I cannot but express that I am saddened by the manner in which this Bill has been brought to this House. और जिस तरह से इसको पारित किया जा रहा है। यह बहुत ही अहम मामला है। आप संविधान का ढांचा बदलने जा रहे हो, संविधान में संशोधन करने जा रहे हो और आप यह भी नहीं चाहते कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को जाये, ताकि वहां चर्चा हो, विचार हो, जांच-पड़ताल हो, हम सब की राय रखी जाए और इसके बाद सदन में आकर यह बिल पारित हो, हम केवल इतना ही चाहते हैं। आपको जल्दी क्या थी, यह तो इन्हीं को मालूम है, हमको तो मालूम नहीं है। लगभग पांच साल पूरे होने वाले हैं, आपके पास पांच साल पड़े थे, इसको ले आते, चर्चा हो जाती, सेलेक्ट कमेटी में चला जाता, सबके सुझाव रखे जाते, फिर यह सदन में आता और हम इसे पारित करते, इसमें दिक्कत क्या थी? लेकिन कोई बात नहीं, बिल लाये हैं, तो चर्चा करनी पड़ेगी। पहली बात तो यह है कि there are actually about three hurdles that this Bill will have to cross. The first hurdle, according to me, is that there is complete non-application of mind on the part of the Government

in introducing this Bill. I will come to that a little later. The second hurdle is the constitutionality of this Bill about which also I will refer to later. And the third aspect is the problems in implementation of this Bill. पहली बात तो यह है कि आपने संशोधन तो कर दिया और यह भी कह दिया कि economically weaker sections को आरक्षण मिलेगा और 10 प्रतिशत मिलेगा। लेकिन इसके पीछे कोई डेटा आपने तय किया, कोई डेटा कलेक्ट किया कि प्रदेशों में क्या-क्या हो रहा है, कहां ओबीसी ज्यादा हैं, कहां दलित ज्यादा हैं, उनकी परसेंटेज हर प्रदेश में क्या है? क्या करना चाहिए, वह डेटा आपने कलेक्ट किया? मुझे याद है कि 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और पहली बार 1982 में सदन में रखी गई और उसके बाद 1983 में सदन में रखी गई और फिर 1990 में जाकर पास किया गया। इसका मतलब है कि उसको भी लगभग 10 साल लग गये। यहां तो आप एक दिन में सब कुछ कर रहे हैं। क्या यह आपको अच्छा लगता है? आप एक संविधान में संशोधन करने जा रहे हो, वह भी एक दिन में, बिना कोई डेटा के, बिना कोई रिपोर्ट के। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि हमें बताया जाए कि क्या इस पर कोई रिपोर्ट बनी और आठ लाख रुपये का मापदंड आपने कैसे तय कर लिया? एक तरफ तो अगर कोई ढाई लाख रुपये कमाता है, तो उसको इन्कम टैक्स देना पड़ता है और आप यहां पर कहते हो कि आठ लाख रुपये तक की आमदनी वाला व्यक्ति गरीबी रेखा में आयेगा। इसलिए आप इन्कम टैक्स की लिमिट ढाई लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दीजिए। आप बजट में इसे कर दीजिए, ताकि उनको भी राहत मिले, पहली बात तो यह है।

दूसरी बात यह है कि आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है कि कितने लोगों के पास पांच एकड़ लैंड है, हिन्दुस्तान में कितने लोगों के पास पांच एकड़ लैंड है? आपने यह तय किया है कि कितने लोगों के पास 100 गज का प्लॉट है? कितने लोगों के पास एक घर एक हजार स्क्वायर फीट का है? क्या आपने इसका कोई डेटा कलेक्ट किया है, सारे देश में डेटा कलेक्ट किया है और 200 गज नाॅन नोटिफाइड म्युनिसिपल एरिया में कितने लोगों के पास हैं? बिना डेटा कलेक्ट किए हुए आप यह संशोधन करने जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा-सा डेटा देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि the world is changing. Information technology is changing the way we interact with each other, changing the ways of employment. And, Ravi Shankarji rightly said, 'look at the digital revolution that is taking place'. Jobs are being created but more jobs are being lost than created, both in the public sector and the private sector. You go to the information technology sector; lakhs of jobs have been lost. When banks go digital, thousands of jobs are lost. When public sector companies go digital, thousands of jobs are lost. A very few jobs are created. In fact, if you look at the position —and this is very interesting —from 2001 to 2018, the total jobs that have grown throughout the period was cumulatively 7.3 per cent, which means on a yearly basis, the jobs created by the Central Government was 0.4 per cent. That is the number of jobs created on a yearly basis in the last eighteen years. What jobs are you going to give to the weaker sections of society? And, if you look at the Modi years, around 1.7 lakh jobs have been added at the Central Government level. This works out to around 45,000 jobs a year, on an average.

[Shri Kapil Sibal]

पिछले पांच सालों में 45,000 jobs, और यदि आप economically weaker section को 10 प्रतिशत reservation देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि 4,500 jobs per year उन्हें मिलेंगे। आप मान भी लो, तो मतलब यह हुआ कि this country is a country of 1.3 billion people. Eight hundred million people live in less than ₹ 10,000 a month, and you have brought this Bill to benefit 4,500 people. Is this the mindset that you have? Is this the kind of Bill that you are amending the Constitution for? मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं कि Public Sector Enterprises में वर्ष 2006-07 से लेकर वर्ष 2016-17 तक, जो data हमारे पास है, वहां Contract Work Employees हैं, अगर आप उन्हें exclude कर दें, तो उनमें गिरावट आई है। Employment में गिरावट आई है। अगर आप यह data देखें, तो इसका मतलब है कि this country is not creating any jobs. If this country is reducing jobs, then this reservation is impacting whom? Who are you doing it for? Actually, this debate is not about jobs; it is about reservation. What this country is crying for is jobs. When the youth come out on the roads, they want jobs, and jobs will come only with economic growth. And, if you are growing at 7.2 per cent, you are not going to create jobs. Your investment rate is going down. Your savings rate is down. It is below 30 per cent. Your FDI is moving out of the country. You are using the ED, Income-Tax and CBI to hound the private sector. Nobody wants to invest anymore. Investment is flying out of this country. Jobs would be created by the private investment. In the public sector, jobs are being reduced. So, whom are you trying to fool? And, what is the purpose of this Amendment? And, what is the data that you have collected? The Leader of the House must tell us. The Minister must tell us what is the data that they have collected. If they haven't collected any data, then, what for have they brought this Constitution Amendment Bill? They must inform the people of this country as to why they have done that. Now, why am I sad today? And, this is a confession. I am sad because we all sit here and ask ourselves this question, only one question. Will it benefit us? If we oppose it, will it harm us? And, if we pass it, will it benefit us? That is how we decide on Constitutional Amendments! Is this the way that we are supposed to function in this House? Is this the responsibility that the Constituent Assembly gave us by giving this enormous power to us to change the Constitution of this country? ...*(Interruptions)*... I know, we will tell you how you are helping the people. I will give you that data as well. Let us be clear on it. That was not the intention of the Constitution-makers. They wanted us to apply our minds, get data collected. My learned friend from Odisha, इन्होंने सही कहा कि ओडिशा में जो ओबीसी की reservation है, वह केवल 11 परसेंट है। 27 परसेंट तो उनको मिलना चाहिए, केवल 50 प्रतिशत maximum है, तो 11 परसेंट उन्हें मिल रही है और 38.5 परसेंट एससी और एसटी को है। वहां Backward Classes को reservation नहीं मिल रही है और अब आपने 10 परसेंट दे दिया। ओडिशा

की population की जो general category है, वह 6 परसेंट है। वहां आप 10 परसेंट दे रहे हैं, ओबीसी को 27 परसेंट मिल नहीं रहा है। ...**(व्यवधान)**... उत्तराखंड में भी यही हाल है। जब तक हर प्रदेश में आप यह तय नहीं करेंगे कि कितनी पॉप्युलेशन है, किसको फायदा होने वाला है, कैसे फायदा हो, इसको तय करके आप कानून लाएंगे, तो फिर तो ऐसे लगेगा कि यह सही कानून है। आप यह बिना सोचे-समझे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको पिछले चंद दिनों में थोड़ा-सा दुख हुआ होगा और आप सोचते हैं कि इसकी वजह से आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, लेकिन रौनक तो तभी आएगी, जब जनता के चेहरों पर रौनक आएगी और जनता के चहरों पर रौनक लाने का रास्ता यह नहीं है। अभी माननीय रवि शंकर प्रसाद जी ने सदन में कहा, we should apply our mind to the provisions of the Bill. सही है। But I was wondering why he is applying his mind to toilets and to mudra. I wonder because that is a different route altogether. Sir, let me give you another fact which will surprise you. ...*(Interruptions)*...

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, व्यवस्था का प्रश्न है। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, let me just explain. ...*(Interruptions)*... Sir, now I come to the Bill. ...*(Interruptions)*... Sir, under Article 15 of the Constitution of India, the reservation is for socially and educationally backward classes. ...*(Interruptions)*... Please note that phrase. ...*(Interruptions)*... It says 'socially and educationally backward classes'. But, now, this reservation is for economically-weaker sections. It takes away the category of 'classes' altogether, as rightly pointed out by the Law Minister. So, this Government is moving from giving reservations to educationally and socially backward classes to economically-weaker sections. Now, Sir, consider a person from the *Dalit* community. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I never said that the word 'socially' will be taken away. I said it is in addition to that.

SHRI KAPIL SIBAL: I did not say you are taking it away ...*(Interruptions)*... I said you are moving 50 per cent there and 10 per cent here. ...*(Interruptions)*... I never misunderstand you. ...*(Interruptions)*... You sometimes do misunderstand as ...*(Interruptions)*... But I never misunderstand you. ...*(Interruptions)*... Now, Sir, this is a complete shift. Now consider this. A *dalit* family which hardly earns anything....

डा. अशोक बाजपेयी: उपसभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया अपनी जगह पर बैठिए। इन्हें बात खत्म करने दीजिए, मैं आपको बाद में मौका दूंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: दलित का परिवार, जो 5 हज़ार, 10 हज़ार या 15 हज़ार रुपये महीना कमाता है, क्या वह वीकर सेक्शन नहीं है। ...**(व्यवधान)**... इस संशोधन के आधार पर वह वीकर सेक्शन नहीं है ...**(व्यवधान)**... लेकिन, जो 8 लाख रुपये कमाता है, 66 हज़ार रुपये महीना कमाता है, वह वीकर सेक्शन है। ...**(व्यवधान)**... वह वीकर सेक्शन है। ...**(व्यवधान)**... That is the fact ...*(Interruptions)*... That is what the constitutional amendment says. ...*(Interruptions)*... Do not get agitated. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: जब आपका मौका आएगा, तब आप तथ्यों को बताएं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, do not get agitated. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद: दलित का कोई राइट नहीं लिया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... 8 लाख रुपये के नीचे 5 हज़ार भी आता है। ...**(व्यवधान)**... He gets the quota.

श्री उपसभापति: कृपया शांति रखिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: यह आर्थिक नहीं है। ...**(व्यवधान)**... वहाँ जिस कास्ट में पैदा हुआ, उसमें ...**(व्यवधान)**... रिज़र्वेशन मिलता है। ...**(व्यवधान)**... मैं यह कह रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़ आप बैठकर न बोलें ...**(व्यवधान)**... कपिल जी, आप बहस को आगे बढ़ाएं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI KAPIL SIBAL: I am just explaining the fundamentals of this Constitutional Amendment. The economically-weaker sections do not include educationally and socially backward classes. Educationally and socially backward classes are entitled to 50 per cent reservation. Ten per cent is for the economically-weaker sections. Now, a *dalit* who earns ₹ 15,000 a month — I am just giving an example — does not get the quota of reservation.

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): वह फैक्ट नहीं है। ...**(व्यवधान)**... शैड्यूल्ड कास्ट ...**(व्यवधान)**... शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ...**(व्यवधान)**... आय की कोई सीमा नहीं है। ...**(व्यवधान)**... आय की कोई भी सीमा नहीं है।

श्री उपसभापति: मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब आप सबका मौका आएगा ...**(व्यवधान)**... तब आप इन तथ्यों से जवाब दें। ...**(व्यवधान)**... बहस अच्छी तरह चल रही है ...**(व्यवधान)**... इसको होने दें।

SHRI BHUBANESWAR KALITA: After you listen to the hon. Member, you can reply to it. ...*(Interruptions)*...

वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी): आप सदन को गुमराह न करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बताएँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: मैं साधारण बात कह रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि उस दलित को, जो 15 हज़ार रुपए कमा रहा है, उसको आरक्षण मिलता है। मैं यह नहीं कहता कि नहीं मिलता है, ...**(व्यवधान)**... लेकिन उसको 27 प्रतिशत है, उसमें शायद वह नहीं आए, तो हो सकता है कि वह कोटा में नहीं आए, लेकिन फिर भी वह 15 हज़ार कमा रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रकाश जावडेकर: आपको मालूम नहीं है कि Scheduled Castes और Scheduled Tribes के लिए आय की कोई सीमा भी नहीं है ...**(व्यवधान)**... और OBC की creamy layer 8 लाख है। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह: उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ...**(व्यवधान)**...

SHRI KAPIL SIBAL: I am not yielding. ...*(Interruptions)*... I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, why are they interrupting? ...*(Interruptions)*... It does not mean that they will disturb our speaker. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह: मैं आपसे एक बात समझने के लिए पूछ रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

SHRI KAPIL SIBAL: I am not yielding. ...*(Interruptions)*... I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह: क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आर्थिक रूप से सबल दलितों को आरक्षण न मिले? ...**(व्यवधान)**... क्या आप ऐसा चाहते हैं कि ...**(व्यवधान)**... जो दलित आर्थिक रूप से सबल है, उसको आरक्षण न मिले? ...**(व्यवधान)**...

SHRI KAPIL SIBAL: I have not yielded. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित अनिल चन्द्र शाह: आप ज़रा स्पष्ट करें। ...**(व्यवधान)**... कपिल सिब्बल जी को स्पष्ट करना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया अपनी जगह पर बैठें। ...**(व्यवधान)**... झा जी, आप बैठें। ...**(व्यवधान)**... अगर आप सब इस तरह से बीच में टीका-टिप्पणी करेंगे, ...**(व्यवधान)**... प्लीज़ अपनी सीट पर बैठें। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़ अपनी जगह पर बैठें। ...**(व्यवधान)**... माननीय कपिल सिब्बल जी, आपकी बात के अलावा कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: हर एक दलित को, जो 15 हज़ार कमाता है, उसको अपने कोटे में आरक्षण नहीं मिल सकता है। ...**(व्यवधान)**... हो सकता है कि नहीं मिले। मतलब हर एक OBC को, जिसको 27 प्रतिशत कोटा मिलता है, वह इतना कमा रहा है, उसको नहीं मिले। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप आगे अपनी बात कहें। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: अगर उसको नहीं मिलता। ...**(व्यवधान)**...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, I think, the Ruling Party is not interested. ...*(Interruptions)*... It looks like as if the Ruling Party is not interested. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: आप आगे चलें और अपनी बात कहें। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रकाश जावडेकर: आपको आरक्षण का पता नहीं है। ...**(व्यवधान)**... आपको आरक्षण का पता नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, जब आपका मौका आएगा, तो आप कृपया इन चीज़ों का जवाब दें। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: आप यहाँ अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रकाश जावडेकर: इनको आरक्षण का कुछ भी पता नहीं है। ...**(व्यवधान)**... Scheduled Castes और Scheduled Tribes के लिए इनकम की कोई मर्यादा नहीं है और OBC की creamy layer 8 लाख है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मैं सभी पक्षों से आग्रह करूंगा कि अपनी जगह पर बैठें। ...**(व्यवधान)**... कृपया अपनी जगह पर बैठें।...**(व्यवधान)**...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Why don't you want to pass this Bill? ...*(Interruptions)*... You want chaos in the House. You are creating chaos in the House.

श्री उपसभापति: बहुत महत्वपूर्ण बिल पर अच्छी तरह से बहस चल रही है। ...**(व्यवधान)**... जब आप सबका मौका आए, तो आप जवाब दें। कृपया बैठ जाएं। ...**(व्यवधान)**... झा साहब, आप बैठें।...**(व्यवधान)**...

SHRI KAPIL SIBAL: It is a simple statement. I don't know why my learned friends are agitated. Jobs are limited. Not everybody within the OBC section, who is economically weak, gets a job; not everybody amongst the *dalits*, who is economically weak and educationally and socially backward, gets the job. All that I am saying is a person who earns less than eight lakhs of rupees a year, that is, sixty-six thousand rupees a month, compared to a *dalit* or an OBC who does not get a job, who earns much less... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already said this. ...*(Interruptions)*... Please speak further. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रकाश जावडेकर: OBC की creamy layer 8 लाख रुपए है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बैठें। ...**(व्यवधान)**... आप दोनों ये बातें कई बार दोहरा चुके हैं। आप आगे बोलें। ...**(व्यवधान)**... माननीय कपिल सिब्बल जी, आप अपने तर्क पर आगे चलें। आप कई बार इसको स्पष्ट कर चुके हैं, मेरा अनुरोध होगा कि आप आगे बोलें। ...**(व्यवधान)**... मैंने उनसे भी अनुरोध किया है, आपसे भी अनुरोध करता हूं। आप सीट पर बैठ कर बहुत बोलते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया चुप रहें। ...**(व्यवधान)**...

SHRI KAPIL SIBAL: I was raising a simple point. ...*(Interruptions)*... A *dalit* or an OBC, who does not get a job within his quota, still belongs to the economically weaker sections, but he is excluded because he belongs to educationally and socially backward class. That is the point and that is the Constitutional issue, which you have to answer. How have you excluded them, how have you excluded the poor, how have you excluded them who earn only 20,000 a month, or, 15,000 a month, or, 25,000 a month, who do not get job in the OBC, who do not get jobs amongst the *dalits*? That is the question you will have to answer. This is point number one. ...*(Interruptions)*... दूसरी बात ...**(व्यवधान)**...

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): सिब्बल साहब, आप यह बात कह कर क्या कहना चाहते हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय विजय गोयल जी, कृपया आप अपनी जगह बैठें। ...**(व्यवधान)**... झा साहब, आप भी बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: इसका मतलब आपको समझ तो आ गई। ...**(व्यवधान)**... बड़े अरसे के बाद आपको समझ तो आ गई कि मैं जो कहना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**... आप समझ गए हैं। ...**(व्यवधान)**... दूसरी बात, this has enormous constitutional hurdles. There are four hurdles that this Amendment Bill will have to cross. One, can reservation be provided under this Constitution to Economically Weaker Sections? That is the first constitutional issue that will have to be decided. Why do I say that, Sir? My learned friend read that judgement, the Indra Sawhney judgement. I am always amazed as to how lawyers when they are lawyers are passionate about the law and how lawyers when they become Ministers are passionate about ignoring the law. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय सिब्बल साहब, आप भी देश के कानून मंत्री रहे हैं, इसलिए यह बात आप पर भी लागू होती है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया आप चेयर की ओर देखें। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: मैंने कभी रिज़र्वेशन की डिबेट में टॉयलेट का नाम नहीं लिया। ...**(व्यवधान)**... Sir, when the Indra Swahney matter came up and reservation was tested by the Supreme Court, there were two forms of reservation. पहला 27% जो आरक्षण था, वह Other Backward Classes को मिला और दूसरा, उन्होंने कहा कि इस 27% में हम उसको preference देंगे, जो ज्यादा

[श्री कपिल सिब्बल]

बैकवर्ड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पारित कर दिया। लेकिन तीसरा प्रावधान रद्द कर दिया, saying that it is unconstitutional. तीसरा प्रावधान क्या था? वह था कि 10% आरक्षण Economically Weaker Category को मिले। यह प्रावधान मंडल कमिशन का था कि 10% रिज़र्वेशन Economically Weaker Category को मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के नौ जजेज़ ने यह कह दिया कि यह असंवैधानिक है, तो आप संविधान का संशोधन कैसे कर सकते हैं? जब नौ जजेज़ का बैंच यह कह रहा है कि इसमें Economically Weaker Section नहीं हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया शांत रहें। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि कौन से Law Officer ने आपको यह राय दी थी? The Minister must tell us which Law Officer of this Government gave you the opinion that this is constitutionally valid? You must disclose that to Parliament. You must tell us. Let me read it. They said, "... and ten per cent vacancies were to be reserved for Other Economically Backward Sections, who were not covered by any of the existing schemes of reservation. The majority judgement upheld the reservation of 27 per cent in favour of Backward Classes and the further sub-division or More Backward within Backward Classes who were to be given preference, but struck down the reservation of ten per cent in favour of other Economically Backward Categories." ...*(Interruptions)*... So economically weaker is not economically backward according to you? ... *(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: प्लीज़, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: दूसरी बात, the second hurdle that you will have to cross is the hurdle of 50 per cent. इन्दिरा साहनी की जजमेंट में यह भी कहा गया है कि अगर आप 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देते हो, that is violative of Article 14. इसलिए तमिलनाडु और बाकी प्रदेशों में जो 69 प्रतिशत रिज़र्वेशन है, Ninth Schedule के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आज भी उसका फैसला नहीं हुआ है, आज भी वह मामला वहां reserved है। इस तरह यह एक बहुत complex संवैधानिक इश्यू है और आपने बिना सोचे-समझे, बिना कोई विचार किए, बिना Select Committee को भेजे, इसे यहां दे दिया है। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: सर, इसका मतलब आप इस Legislation को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया आप बैठें। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी: आप स्पष्ट बताइए कि क्या आप सपोर्ट नहीं कर रहे? ...**(व्यवधान)**...

फिर आप डिक्लेयर कर दीजिए कि आप economically backward classes का समर्थन नहीं करना चाहते। ...(**व्यवधान**)...

श्री कपिल सिब्बल: सर, मैं सदन के सामने एक और बात रखना चाहता हूं, वह है explanation इस बिल में आर्टिकल 15(5) के बाद आर्टिकल 15(6) में एक explanation भी है। वह explanation यह है कि for the purposes of this Article and Article 16, "economically weaker sections" shall be such as may be notified by the State from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage. तो जो मापदंड होगा, वह परिवार की क्या इनकम होगी, उससे तय किया जाएगा। अब मैं आंकड़े देख रहा था कि हिन्दुस्तान में परिवार की जो लगभग इनकम है, तो 76 लाख परिवारों की इनकम ₹ 5 lakh से ज्यादा है, केवल 76 लाख परिवारों की। उनमें से 55 लाख लोग Government servants हैं। ...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं। Above ₹ 5 lakh. मैं above ₹ 5 lakh income की बात कर रहा हूं कि 76 लाख लोगों की income above ₹ 5 lakh है, 5 लाख से ज्यादा है। ...(**व्यवधान**)... यह कुल 76 लाख लोगों की बात है। इनमें से 55 लाख लोग Government servants हैं। ...(**व्यवधान**)...

रेल मंत्री; तथा कोयला मंत्री (श्री पीयूष गोयल): सर, एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री कपिल सिब्बल: रह गये 21 लाख। ...(**व्यवधान**)... तो 21 लाख लोगों के लिए, आपके हिसाब से इस देश के 130 करोड़ लोग हैं, 21 लाख लोगों के लिए आप यह आरक्षण ला रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: एग्रीकल्चर वाले कहाँ जाएंगे? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: कृपया उनको बोलने दें। ...(**व्यवधान**)...

श्री कपिल सिब्बल: अब दूसरी बात है कि कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं? ...(**व्यवधान**)... इनमें से कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं? ...(**व्यवधान**)... इन्होंने पहले 3.7 per cent कहा था, तो वे 6 करोड़ हो गये। यानी इनकम टैक्स देने वाले 6 करोड़ लोग हो गये। ...(**व्यवधान**)... अच्छा, इनमें से इनकम टैक्स भी बहुत कम देते हैं। तो आप कैसे तय करेंगे कि किस परिवार की कितनी इनकम है? आप कैसे तय करेंगे कि किस परिवार की कितनी इनकम है, जब इनकम टैक्स ही बहुत कम लोग देते हैं? ...(**व्यवधान**)... तो फिर क्या होगा? झूठे सर्टिफिकेट्स होंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: कृपया बीच में टीका-टिप्पणी नहीं करें।

श्री कपिल सिब्बल: झूठे सर्टिफिकेट्स होंगे और अपने लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, चाहे वह शिक्षण संस्थाओं में हो या नौकरियों में हों। यह आपने अपने लिए रखा है ताकि implementation में आप जो मरज़ी किसी को भी दे दो। आप मान लो कि किसी की इतनी इनकम है, वह ज्यादा हो, तो कम कर दो, क्योंकि वह इनकम तो कहीं फाइल नहीं होती, तो वह कौन तय करेगा? District Magistrate तय करेगा कि कितनी किसकी इनकम है! ...(**व्यवधान**)... यह implement कैसे होगा, यह कहाँ से पता लगेगा? ...(**व्यवधान**)... जिसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, वह कैसे प्रूव करेगा कि मेरी कितनी इनकम है? ...(**व्यवधान**)... यह कहाँ से पता चलेगा? ...(**व्यवधान**)...

SHRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, what is this? ...*(Interruptions)*... Ministers are disturbing. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: कृपया बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... सभी पक्षों से मेरा आग्रह है कि अपनी सीट्स पर बैठ कर कृपया टीका-टिप्पणी नहीं करें। ...(**व्यवधान**)...

SHRI KAPIL SIBAL: Therefore, there is a big problem about implementation. Which is the authority? उन्होंने मापदंड तो कह दिया कि इनकम होनी चाहिए, लेकिन जब वह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, तो वह कौन बतायेगा? ...(**व्यवधान**)... कोई मशीनरी ही नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वे इनको बोलने दें। ...(**व्यवधान**)...

SHRI KAPIL SIBAL: The Minister must tell us. Is there any machinery that has been devised by the executive in order to ensure that the proof of income is given through a certain method? वह किसी को पता ही नहीं है। आपने तो कोई मापदंड नहीं रखा। ...(**व्यवधान**)...

दूसरी बात, इन्होंने जो कहा है, वह मैं आपको बताता हूं कि सारे देश में rural households की जो average income है, वह 22,405 है। यह रूरल परिवार की इनकम है और अरबन परिवार की 91,405 है, जबकि यहाँ मापदंड आपने 66,000 रखा है, which means all rural households and all urban households are covered. ...*(Interruptions)*... All rural households and all urban households will be covered. ...*(Interruptions)*... So, whom are you giving *aarakshan* to? ...*(Interruptions)*... Hundred per cent of them are covered. What is the *aarakshan* you are giving? It is ten per cent. Who are you going to benefit? यह नोटबंदी जैसा होगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री पीयूष गोयल: सर, यह आंकड़ा गलत है। ...(**व्यवधान**)... आप इनको authenticate करने के लिए कहिए। ...(**व्यवधान**)... Let him authenticate these figures. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: जब आप सब का मौका आयेगा, इन चीज़ों पर बताइएगा। ...(**व्यवधान**)... मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि कृपया शान्ति बनाये रखें। ...(**व्यवधान**)... मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं।

SHRI KAPIL SIBAL: According to the socio-economic caste census 2011, only 8.25 per cent people of rural houses have monthly income of more than ₹ 10,000. Only 8.25 per cent! The rest of 92 per cent do not. So, how are you going to benefit 92 per cent? Where are you going to get the jobs from when your jobs are decreasing? This is another *jumla*. कमल का हमला, एक और जुमला। ...(**व्यवधान**)... कमल का हमला, एक और जुमला। ...(**व्यवधान**)... As far as agriculture is concerned, हम किसानों की बात कर रहे थे, agriculture में 5 एकड़ land की बात हो रही है, 86 per cent of the people in this country have land

holdings which would qualify for reservation. And how many would get reservation? Again the same problem. So, you do not have the jobs but you are wanting to give reservations. A scenario where the jobs are decreasing and you want. ...*(Interruptions)*... हमें आपका मकसद मालूम है। आप हंस रहे हो न, 2019 के बाद कहीं रो न लेना। ...**(व्यवधान)**... अभी तो हंस रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया आपस में बात न करें। ...**(व्यवधान)**...

SHRI KAPIL SIBAL: Now, Sir, I just want to share some basic facts. ...*(Interruptions)*... This was tried in the last few years by several State Governments, that is, reservation on the base of economic criteria. Haryana's 10 per cent reservation stayed in 2016. Rajasthan's High Court struck down 14 per cent reservation for EBS. EBS reservation for *patidar* demand earning less than ₹ 8 lakh got Hardik Patel charged for sedition. मतलब यह कि उसने जो मांग की, जिस विधेयक को आप आज पारित कर रहे हैं लेकिन उसे आपने जेल भेज दिया। ...**(व्यवधान)**... उसे आपने जेल भेज दिया। ...**(व्यवधान)**... वह यही तो मांग कर रहा था। ...**(व्यवधान)**... हार्दिक पटेल यही मांग कर रहा था। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: उसे आपने जेल भेज दिया। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती मीशा भारती (बिहार): महोदय, उधर से एक-एक करके सारे मंत्री तक provoke कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, इसलिए मैंने कहा कि इसमें संवैधानिक बाधाएं हैं। ...**(व्यवधान)**... इसमें implementation के बड़े भारी issues हैं। उन पर जो सोच-विचार होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। अब मैं आखिरी बात कहूंगा और बैठ जाउंगा। ...**(व्यवधान)**... मेरी आखिरी बात यह है कि रवि शंकर जी ने यहां जो Preamble पढ़ा, मैं उसे दोहरा देता हूं - "WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST...", ज़रा सोच के देखें, "...SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC." 'SECULAR', ज़रा ध्यान से देखें। ...**(व्यवधान)**... Then, "LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;" हम देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है, "LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;" Then, "EQUALITY of status..." अभी कानीमोझी जी ने कहा कि क्या दलितों का status है। एक तरफ लिंच कर रहे हैं लेकिन उसकी निन्दा करने के लिए तैयार नहीं है। उस समय सब मौन रहते हैं। दलितों की लिंचिंग पर मौन और फिर आरक्षण की बात करते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप कृपया बैठें। इन्हें बोलने दें। ...**(व्यवधान)**...

SHRI KAPIL SIBAL: Then, "FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;" Sir, the problem is that when majorities rule the country, they think that they are the repositories of power that emanates from God. They can do anything. ...*(Interruptions)*... That is what is happening in the last five years. ...*(Interruptions)*... I just want to share with you a couplet. ...*(Interruptions)*...

'खुदा के बंदे सम्भल जा,
वक्त है, अब भी बदल जा।
मत कर एक-दूजे पर हमला,
कुछ ही दिनों का है जुमला।
शहंशाही की आदत भुला के,
नफरत के बीच दफना के,
इंसान बन के दिखा।' बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: श्री सुखेन्दु शेखर राय। ...**(व्यवधान)**...

डा. अशोक बाजपेयी: महोदय, मेरा Point of order है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: किस रूल के तहत? ...**(व्यवधान)**... माननीय बाजपेयी जी। ...**(व्यवधान)**... आप बताएं कि आप किस रूल के तहत बोल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... किस रूल के तहत बोल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती मीशा भारती: आप किस रूल के तहत बोलना चाहते हैं? ...**(व्यवधान)**...

डा. अशोक बाजपेयी: सर, रूल 258 के तहत। ...**(व्यवधान)**... माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने कहा कि सन 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई और सन 1990 में लागू की गई। ...**(व्यवधान)**... सर, 1980 से 1990 तक कांग्रेस की सरकार थी, मंडल आयोग की सिफारिशें दस साल तक ठंडे बस्ते में डाले रखी गईं और जब सन 1989 में कांग्रेस की सरकार चली गयी और जनता पार्टी की सरकार आई, तब जाकर यह हुआ। ...**(व्यवधान)**... सर, ये यही चाहते हैं कि economically weaker section के लिए भी आरक्षण, इसी तरह दस साल तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहे। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। ...**(व्यवधान)**... सुन लिया, सुन लिया। ...**(व्यवधान)**... सुन लिया, सुन लिया। ...**(व्यवधान)**... श्री सुखेन्दु शेखर राय जी ...**(व्यवधान)**...

श्री सुखेन्दु शेखर राय: सर, मैं भी वीकर सेक्शन से हूं। वीकर सेक्शन से मेरा मतलब है कि जिन लोगों के पास कम समय है, उनमें से मैं भी हूं। ...**(व्यवधान)**... मैं आपसे protection मांगता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मुझे रस्सी देने का अधिकार आप ही लोगों ने सुबह दिया था। ...**(व्यवधान)**... मैं वही काम कर रहा था। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुखेन्दु शेखर राय: सर, आपके पास पॉवर है। रूल में आपके पास पॉवर है। पहली बात यह है कि मैं कोई चुनावी भाषण नहीं दूंगा और न ही मैं इस बिल के विरोध में कुछ बोलना चाहूंगा। मैं आदरणीय कानून मंत्री जी से थोड़ी-बहुत clarification मांगना चाहता हूं। पहली बात है कि nowhere in the Constitution that economic weaker section has been defined. कानून मंत्री जी ने आर्टिकल 46 का उल्लेख किया। वहां पर वीकर सेक्शन जरूर बताया गया, लेकिन Constitution में economic weaker section कहीं भी नहीं है। यहां पर यह explanation दिया गया और उसमें इसको import किया गया, "For the purposes of this article and article 16, "economically weaker sections " shall be such as may be notified by the State from time to time on the basis of family income, etc., etc." So, a new definition has been imported and the Constitution has been re-defined by this Government through this Bill. सर, मुझे इसका clarification चाहिए।

सर, नंबर दो है, यह मुझे मालूम नहीं है, I am not a member of the Cabinet लेकिन यह न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी थी कि तीन दिन पहले "Cabinet approves amendment to allow 10% reservation." यह किसके लिए किया गया, "Who would fall in the category of the economically weaker section if their total income per year is ₹ 8 lakh or less?" आज यह आठ लाख तक है, लेकिन अगर कल सरकार का यह रवैया होता है कि इसे बढ़ाना चाहिए, तो आठ लाख का 20 लाख भी कर सकते हैं। इस explanation में यह प्रावधान रखा गया है। From time to time, आठ लाख का 20 लाख या 30 लाख भी हो सकता है। आप यह बताएं कि अभी हमारे हिन्दुस्तान की हालत क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि World Economic Forum ने February, 2018 में जो Development Index रिपोर्ट पेश की, उससे पता चलता है कि "Six out of ten Indians live on less than US 3.20 dollars per day." यानि कि 60 परसेंट हिन्दुस्तानियों की महीने में 6,700 रुपए की भी कमाई नहीं होती है। यह World Economic Forum की रिपोर्ट है। World Bank की रिपोर्ट है, जो कि October, 2018 में निकली, "About 20 crores of Indians do not earn even ₹ 4,000 per month." यह मेरी रिपोर्ट नहीं है। सर, मैं पूछना चाहता हूं कि रिज़र्वेशन इन लोगों के लिए जरूरी है या आठ लाख वालों के लिए ज्यादा जरूरी है। यह मेरा सवाल है। मैं कानून मंत्री जी से clarification मांगता हूं।

सर, तीसरी बात यह है कि और यह मेरी आखिरी बात होगी कि यहाँ पर इंदिरा साहनी केस के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई। मुझे कपिल सिब्बल जी के बाद बोलने का मौका मिला, इन्होंने बहुत सारे प्वाइंट्स कवर कर लिए, इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। एक स्टेटमेंट प्रेस में निकली है, किसकी? Former Chief Justice of India की। कौन-से चीफ जस्टिस, उनका क्या नाम है, अगर आप इज़ाजत देते हैं, तो मैं नाम बोल देता हूँ, क्योंकि यह पब्लिक डोमेन में हैं। Justice A.M. Ahmadi, who was part of the Supreme Court Bench of that Judgment in 1992. He was the Chief Justice. He led the nine Judges' Bench. What he had said in Indian Express as reported.

[श्री सुखेन्दु शेखर राय]

7.00 P.M.

He says, "Economic criteria cannot be the sole basis for determining the backward class of citizens contemplated by Article 16 of the Constitution. That is what we had decided in the majority judgement in 1992. This is in black and white in my view". That is not in my view, in Justice Ahmadi's view. He says, "In my view, the Government's decision conflicts with the majority view of the Constitution Bench of the Supreme Court." He again says, "I think this 10 per cent reservation for general category requires a deeper study." सुबह से सारे मेम्बर्स बोल रहे हैं कि इसकी स्क्रूटनी नहीं हुई है। इसकी स्क्रूटनी न तो स्टैंडिंग कमिटी में हुई है, न ज्वाइंट कमिटी में हुई है, कहीं नहीं हुई है। अगर स्क्रूटनी होती, तो उसमें केवल एमपीज़ लोग ही नहीं होते, बल्कि public at large के लिए भी notification issue होता और उनका भी opinion invite किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम हिन्दुस्तान की संसद में Constitution (Amendment) Bill पास कर रहे हैं। सब देख रहे हैं, सारा हिन्दुस्तान देख रहा है कि यह कैसे पास किया जा रहा है। उन्होंने भी suggest किया था कि this requires a deeper study. Then again regarding the 50 per cent cap, he says, "The Supreme Court had put a cap so that reservations are not introduced, and the limit increased, only for election purposes." It is not my statement, it is Justice Ahmadi's statement. He says, "With this decision, now what remains is just 40 per cent unreserved seats." And finally he says, "Chances of employment for others will shrink. And within the 40 per cent, there is a big population of the country looking for employment. Make in India has not happened. If it had happened, there would have been jobs. So it seems to me that it is an election gimmick." यह मैं नहीं बोला। मैं बोलूंगा, तो बोलोगे कि बोलता है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं। So we have to wait and watch as to how the courts will interpret this Constitution (Amendment) Bill if it is challenged before the Supreme Court. Let the hon. Law Minister clarify it. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri C.M. Ramesh.

SHRI C. M. RAMESH (Andhra Pradesh): Sir, yesterday, on behalf of Telugu Desam Party, my leader Chandrababu Naidu has already told in the Press that we are supporting this Bill. But why has this Bill been brought in at the last minute or last hour? If you had brought this Bill three years before, so many vacancies would have been there and so many employees would have been benefitted. I am saying of all technical issues about which my colleagues Mr. Derek, Mr. Sukhendu Sekhar and Mr. Kapil Sibal have spoken. Previously, Congress also brought the A.P. Reorganization Bill. We have seen this in this House. They thought that they will be politically benefitted. But it was a boomerang. Now, in the same way, at the last minute, this Government also brought this Bill only for political benefit. This time also, it will be a boomerang for

them. Sir, it is a very important Bill. Sir, when Mr. Kapil Sibal was speaking, so many Ministers were also sitting here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are some more speakers from your party.

SHRI C. M. RAMESH: Yes, Sir. Sir, the Ministers should have spoken in the Cabinet. It has been a tabled item. It is such an important Bill, but the Ministers also do not know that this Bill is coming. They made it a tabled item. They should discuss it in the Cabinet, not here. I gather that the proposed Bill finds an echo in an Ordinance promulgated in Gujarat in 2016. The Ordinance provided 10 per cent quota to upper castes there. The Gujarat High Court in the Dayaram Khemkaran Verma versus State of Gujarat quashed the Ordinance in August 2016. The case has been referred to a five-judge Bench of the Supreme Court. It is still pending.

Now, again, there are so many technical issues and many Members have spoken about them. Since they lost the elections, in order to show their faces to the people outside, they have brought forward this Bill. Last time, the Congress party did it in Andhra. These people are also thinking the same way and they are doing it for taking benefit during elections. In fact, this type of a Bill should have been brought three years before. Finally, we support this Bill. Thank you, Sir.

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, all societies faced serious challenges on account of discrimination and institutionalized inequalities. The US has the African Americans; the Europe has Gypsies, Australia has Abuzeins, but nowhere in the world inequality by birth and moral neutrality to such discrimination so institutionalized as our society. Sir, future of the vast majority of our children can reasonably be predicted at the time of their birth, by assessing the family economic status, parental education, and their caste and religion. So far, our society has ignored the plight of religious groups other than Hindus who are also mired in poverty and inequality. Sir, this Bill seems to open up the debate of reservations for Muslims, Christians, Jains, certain Sikh communities as well as other minorities. Sir, we need an urgent and honest national debate and the sensible and pragmatic response so that all children, who are disadvantaged, are dealt a fair hand. Common sense should be the guiding principle involving a more rational model of reservations. So far, it has been seen that the creamy layer has been taking all the advantages of reservations and I don't understand how a family that declares an income of eight lakhs or has five acres of land, can be called the poorest of the poor. Sir, the fact is that our youth are frustrated and clamouring for jobs and our economy is not producing enough jobs to satisfy them. We basically need to create more jobs which would be possible only if we incentivise labour-intensive industry.

[Shri Naresh Gujral]

Sir, tourism is one such industry which is a huge employment generator. But, what have we done? We are putting 24 per cent GST on hotels in this country and tourism is moving away from India to Sri Lanka, to Thailand, to other countries in the east. Similarly, Sir, another employment generator is garments. Garment manufacturing provides maximum number of jobs after agriculture in this country. The entire economy of Bangladesh is built by just one industry, which is garment. So, today, this huge country exports 17 billion of textiles. Only Bangladesh is exporting 32 billion and moving towards 50 billion in the next three years. As a result of this, they have moved up in the human development index; their women are doing very well, and their birth rate has fallen. So, my point is that the Government needs to take more pragmatic steps to incentivise labour-intensive industry. Sir, I would say that the Government has taken many steps to rapair the damaged economy. But, Sir, we have to take more pragmatic steps. I give an example of electronics. Today, our bill in the case of our import of electronics is almost the same as that of petroleum. China has created million of jobs in this sector. We need to take pragmatic steps; we need to incentivise this industry so that more jobs are created. Just this reservation is not going to satisfy our youth. Many friends are giving figures of jobs being created in the Government sector, and in fact, their number is very few. Those are very few. Eventually the answer lies in the fact that the industry will have to create jobs and for that they need to be incentivised. I do hope that the next NDA Government will take more steps to ensure that we incentivise our industry and create more jobs. Thank you very much, Sir.

श्री उपसभापति: माननीय सांसदो, माननीय रामविलास पासवान जी - इसमें intervene करना चाहते हैं। उनकी intervention के बाद श्री सतीश चन्द्र मिश्रा जी बोलेंगे।

श्री विजय गोयल: सर, मुझे सांसदों को सूचना देनी है कि 8 बजे से यहां पर refreshment का इंतज़ाम रहेगा। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि सभी सदस्य उपस्थित रहें।

श्री उपसभापति: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि आपने डिनर का प्रबंध किया है या रिफेशमेंट का प्रबंध किया है?

श्री विजय गोयल: सर, जो माननीय सदस्यों ने इच्छा प्रकट की थी, उसी हिसाब से इतज़ाम किया गया है। सभी को सेंट्रल हॉल में उपस्थित होना है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान): उपसभापति जी, सर्वप्रथम मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए सभी माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूँ कि यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। मैं एक-दो बातों की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहूंगा, कपिल सिब्बल साहब चले गए हैं और श्री आनन्द शर्मा भी यहां उपस्थित नहीं हैं। अब हमें यह पता नहीं चल रहा है कि इनके स्पोक्समैन कौन हैं? शर्मा जी ने सवेरे-सवेरे जोरदार ढंग से सपोर्ट किया। कल लोक सभा में सब लोगों ने सपोर्ट किया। लोक सभा में तीन मत

खिलाफ में पड़े। आरजेडी के मनोज झा जी हैं, वे भी चले गए, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तीन मत खिलाफ में गए, उनके नाम हमें मालुम हैं, ओवैसी जी वगैरह और उसके बाद जब मामला यहां आया है, तो खुलकर विरोध कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... एक मिनट ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज ...**(व्यवधान)**... प्लीज ...**(व्यवधान)**... अपनी-अपनी जगह पर बैठें। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़ ...**(व्यवधान)**... माननीय कालिता साहब ...**(व्यवधान)**...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: The Congress Party is supporting it. ...*(Interruptions)*...

श्री रामविलास पासवान: देखिए, हमने आरजेडी के संबंध में कहा। उन्होंने खुलकर कहा कि मैं विरोध करता हू। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया अपनी जगह पर बैठे ...**(व्यवधान)**... माननीय कालिता जी ...**(व्यवधान)**... आप अपनी बात कह चुके हैं ...**(व्यवधान)**... माननीय वोरा जी ...**(व्यवधान)**...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: We are supporting this Bill. ...*(Interruptions)*...

श्री रामविलास पासवान: मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इसका समर्थन करें। कपिल सिब्बल जी ने यहा तीन बातें कहीं। एक बात उन्होंने इनकम के बारे में कही। जो इनकम है, Schedule Caste/Schedule Tribe के लिए इनकम की कोई सीमा नहीं है, इसलिए 5 हजार, 10 हजार और 15 हजार की जो बात उन्होंने कही, वह बात गलत है। दूसरी बात ओबीसी के बारे में है। ओबीसी मे आय की सीमा 8 लाख है। यह नहीं है कि 8 लाख में कितने लोग आते हैं। यह सीमा 8 लाख तक है। उसी तरीके से जो अभी यह बिल आया है, इसकी भी सीमा 8 लाख तक है और 5 एकड़ है, मतलब ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती मीशा भारती: कितने रुपये से? ...**(व्यवधान)**... 8 रुपये से? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज ...(व्यवधान).. अपनी जगह पर बैठें ...**(व्यवधान)**... प्लीज़ ...**(व्यवधान)**... माननीय मंत्री जी, आप बोलें, केवल आपकी बात ही रिकार्ड में जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवान: इसलिए ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मैं आग्रह करूंगा कि ...**(व्यवधान)**... अपनी जगह पर बैठे ...**(व्यवधान)**... प्लीज़ ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवान: एक मिनट इधर से कोई मत बोलिए ...**(व्यवधान)**... उन्हें बोलने दीजिए। वे शांत हो जाएगें ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish, then I will allow you. ...*(Interruptions)*... मीशा जी, मैं आपसे बोलने के लिए कहूंगा। ...**(व्यवधान)**... झा साहब, मैंने कहा, मैं आपको बुलाऊंगा ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवान : दूसरी बात यह है कि हम सब लोग एक ही परिवार के रहे हैं, मंडल में हम लोग साथ में लड़े हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती मीशा भारती: आप अब परिवार से अलग हो गए हैं। इस मामले में आप परिवार से अलग हो गए हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामविलास पासवान: ठीक है, कोई बात नहीं। ...(**व्यवधान**)... जब आपका बोलने का समम आएगा तो आप बोलिएगा।

श्री उपसभापति: माननीय रामविलास जी की बात के अलावा कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी। ...(**व्यवधान**)... आप बोलिए।

श्री रामविलास पासवान: दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि जो दस परसेंट का दिया गया है, मंडल कमीशन के जज ने कहा था कि economic criteria नहीं हो सकता है, लेकिन वे इस बात को भूल गए कि मंडल कमीशन के सामने संविधान की धारा 16(4) थी और 16(4) सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए है। अभी तक संविधान की धारा 15 या 16 में आर्थिक आधार नहीं जोड़ा गया था। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे सामने सिर्फ 16 (4) है और इस 16 (4) के अतर्गत हमें जजमेंट देना है, इसमें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण लिखा हुआ है, आर्थिक दृष्टिकोण इसमें नहीं आ सकता है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक है क्योंकि संविधान में नहीं है। अब यह संविधान में Fundamental Rights में आ रहा है, जो 15(6) है और 16(6) में यह आ रहा है तो अब वह संवैधानिक हो जाएगा। जब यह संवैधानिक हो जाएगा तो उसे जो असंवैधानिक कहा जा रहा था, वह मामला खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ यह है कि जो पचास परसेंट तक आरक्षण का मामला है, वह भी 16 (4) के अंतर्गत था। जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदाय के लोग हैं, वह उनके लिए था, लेकिन उसके अलावा, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं या economic दृष्टि से गरीब लोग हैं, उनके लिए यह है। यह उसके अलावा है इसलिए यह संवैधानिक है। इसलिए नरसिम्हा राव जी की सरकार ने जब उसको कहा था, नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने अपने जजमेंट में कहा था कि यह मामला जो है, चूंकि हम 16 (4) को देख रहे हैं, संविधान में economic backward criteria कहीं नहीं है, इसलिए हम इसको accept नहीं करते हैं, लेकिन अब जब यह संविधान में जुड़ गया है तो अगर कोई भी आदमी कोर्ट में जाएगा और यह मामला कोर्ट में जाएगा तो यह सीधे-सीधे संवैधानिक बन जाएगा। उसके अलावा भी हमने मांग की है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति महोदय, मैं तीन-चार बातें कहना चाहता हूँ। तीन categories हैं। एक category है, अनुसूचित जाति और जनजाति की। जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, उसका criteria सामाजिक है। आज जिसको दलित कहते हैं, "दलित" शब्द अनुसूचित जाति है। इस अनुसूचित जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये पहले अछूत थे, इन्हें छूना पाप माना जाता था। इस देश में चींटी को चीनी खिलायी जाती थी, लेकिन दलित को कहा जाता था कि वह अछूत है, उससे छुआछूत रखा जाता था। तो जब पहला आरक्षण हुआ, हालांकि सन् 42 से शुरू हुआ ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती मीशा भारती: कौन लोग करते थे? ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवान: आप बार-बार हल्ला क्यों करती हैं?

श्री उपसभापति: कृपया इस तरह से हस्तक्षेप करना सही नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवान: जब उसके बाद आजादी की लड़ाई हुई तो महात्मा गांधीजी ने इनका नाम "हरिजन" रखा, लेकिन फिर यह हुआ कि "हरिजन" नाम unparliamentary शब्द है - दक्षिण भारत में जो देवदासी होती है, उसके बच्चों को "हरिजन" कहा जाता है, इसलिए वह असंसदीय है, तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसे Scheduled Caste और Scheduled Tribe कहा। Scheduled Caste का मतलब है, वह कास्ट, जो संविधान के schedule में है। इसलिए जो इसका आरक्षण है, उसमें कहीं कोई सामाजिक, आर्थिक आधार ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: यह सही नहीं है। कृपया उन्हें बोलने दें। इस तरह से बिना अनुमति के बीच में बोलना सही नहीं है।

श्री रामविलास पासवान: तो इसमें भी आपको मालूम है कि जो अनुसूचित जाति को आरक्षण मिला, वह पहले हिन्दू जो अनुसूचित जाति के थे, उन्हें दिया गया और फिर बाद में उसमें सिख को जोडा गया। फिर 1990 में उसमें 9 बुद्धों को जोड़ा गया, फिर उसके बाद जो मंडल कमीशन के संबंध में कहा गया 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। 1980 में रिपोर्ट देने के बाद, 10 साल तक वह रिपोर्ट लागू नहीं हुई। ...**(व्यवधान)**...

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): अगर इनको ज्ञान नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं? ...**(व्यवधान)**... अगर इनको मालूम नहीं है, तो ...**(व्यवधान)**...

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: जब आपका बोलने का मौका आएगा, तब आप बोलिएगा ...**(व्यवधान)**... आप कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री वीर सिंह: उपसभापति जी, मंत्री जी ने ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है ...**(व्यवधान)**... कृपया आप हस्पक्षेप न करें ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवान: सर, हम 1989 में मंत्री थे और जब वी.पी. सिंह जी की सरकार बनी, तो उस समय मंडल कमीशन को लागू किया गया ...**(व्यवधान)**... उस समय भी हम लोग चाहते थे कि कि economic आधार पर हो। लेकिन जैसा कि कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट देख रहा था 16(4) को और उसमें नहीं था। अब तीसरा जो मामला है, वह आर्थिक आधार का है। जितने भी political parties के लोग हैं, हर political party ने हमेशा से कहा है कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी विशेष अवसर मिलना चाहिए। आरक्षण का मतलब विशेष अवसर होता है। जितने भी लोग हैं, BSP में जितने भी नेता हैं, सतीश चन्द्र मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी में थे, जनेश्वर मिश्रा जी, हम लोगो

[श्री रामविलास पासवान]

की पार्टी में चाहे मधु लिमये हों, मामा बालेश्वर दयाल हो, एस. एम. जोशी हो, राजनारायण जी हों, ये सारे के सारे लोग ऊंची जाति के लोग थे और उन लोगों ने कहा था कि ऊंची जाति के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जब 100 में 60 का नारा दिया था, तो पहले कहा कि इनको नमक बनना चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि नमक अपने ऊपर घंमड न कर बैठे कि हम ही स्वाद को बनाते हैं बिगाड़ते हैं, तो उनको खाद बनना चाहिए। वे खाद बनकर रहे और खाद बनकर इन्होंने मायावती को आगे बढ़ाया। उन लोगों ने हम लोगों को आगे बढ़ाया, कांग्रेस पार्टी ने, हर पार्टी के लोगों ने ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, मैं आपसे अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो सदन में नहीं है, अगर आप उनका नाम ले रहे हैं तो अदब से लें ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवान: अच्छा ठीक है, "बहन जी"।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: आपको मालूम होना चाहिए कि बहन मायावती जी ...**(व्यवधान)**... और आप इस तरह से अगर बात कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**... सोच समझकर बात करिए। ...**(व्यवधान)**... आप गलत तरीके से मत बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवान: जी, ठीक है। Sorry आपने कह दिया ...**(व्यवधान)**... मेरी प्यारी बहन मायावती जी, जिनको आप लोगों ने ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: आप उनकी वजह से वहा बैठे हुए हैं, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय मिश्रा जी और अन्य माननीय सदस्य, आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... माननीय पासवान जी की बातों के अलावा और कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। ...**(व्यवधान)**... कृपया बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवान: माननीय उपसभापति जी, मैं कहना नहीं चाहता हूं कि मैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से 1969 में MLA बना था और यह पचासवां साल है। ...**(व्यवधान)**... यदि कोई हमें कहते हैं कि फलां आदमी हमें राजनीति में लाया है, तो मैं नहीं कह सकता हूं। यह recorded चीज़ है कि मैं 1969 में MLA बना और आज 50 साल हो रहे हैं। कौन लाया, किसको नहीं लाया, हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हर पार्टी में जो ऊंची जाति के लोग थे, उन लोगों ने आज तक खाद बनने का काम किया है और उन लोगों ने हमेशा ही अपनी ही जाति के लोगों से गाली सुनने का काम किया। यदि आज ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए, जिनके पास आजादी के समय में 10 बीघा जमीन थी, आज उसके पास 5 कट्ठा जमीन है, वे भी आज गरीब हो गए हैं और संविधान में जो गरीब की बात की जाती है और हमेशा confrontation होता रहता था... जब दलितों के आरक्षण का मामला आया था ...**(व्यवधान)**... सब लोग मंडल कमीशन के समय में कहते थे कि मंडल कमीशन को आप क्यों सपोर्ट करते हो? हम लोगों ने कहा कि डबल लॉक लगेगा, नहीं तो कोई आरक्षण खत्म कर देगा। हम लोग मिलकर लड़े। आज ऊँची जाति के गरीब लोगों का मामला आया है ...**(व्यवधान)**...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Did your party support Mandal Commisison? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Rangarajanji, you are a very senior Member. Please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री रामविलास पासवान: हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि ...**(व्यवधान)**... हम सब लोग मिलकर के ...**(व्यवधान)**...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*... I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री रामविलास पासवान: मैं मंडल कमीशन के समय मंत्री था। ...**(व्यवधान)**...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes; yes. I will come to you, let him finish first. ...*(Interruptions)*...

श्री रामविलास पासवान: उपसभापति जी मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग ...**(व्यवधान)**...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Let the Minister answer to my. ...*(Interruptions)*... I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री रामविलास पासवान: मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब नरेन्द्र मोदी जी का सवाल आता है ...**(व्यवधान)**...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have told you, I will come to you, Mr. Rangarajan. ...*(Interruptions)*...

श्री रामविलास पासवान: जब नरेन्द्र मोदी जी का सवाल आता था, तो ये सब लोग कहते थे कि नरेन्द्र मोदी दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, I have a point of order under Rule 239. ...*(Interruptions)*...

श्री रामविलास पासवान: जब हम लोगों ने दलित ...**(व्यवधान)**... जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया ...**(व्यवधान)**... सुप्रीम कोर्ट ने वही जजमेंट दिया, जो बीएसपी की नेता सुप्रीमों ने अपने 2007 में, जब वे मुख्य मंत्री बनी थीं, उन्होंने कहा था कि इसका मिसयूज़ हो रहा है ...**(व्यवधान)**... इसमें संशोधन होना चाहिए और गिरफ्तारी के पहले इसकी जांच होनी चाहिए, उसी आधार पर उन्होंने दिया। ...**(व्यवधान)**...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Mr. Deputy Chairman, Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes; yes. I will come to you. ...*(Interruptions)*...

श्री रामविलास पासवान: जब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने ...(**व्यवधान**)... इसको पास करके दोनों सदन में ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will come to you. ...*(Interruptions)*...

श्री रामविलास पासवान: उसके खिलाफ में कुछ लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया, तब आप लोगों ने चुप्पी लगा ली। उस समय आप लोग उनसे बोले नहीं कि क्यों आंदोलन कर रहे हो? ...(**व्यवधान**)...

SHRI T.K. RANGARAJAN: Mr. Deputy Chairman, Sir, I seek your protection. ...*(Interruptions)*...

श्री रामविलास पासवान: इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कहना आसान होता है और करना बड़ा कठिन होता है। ...(**व्यवधान**)... इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, तो इस सब के साथ में दलित भी है, आदिवासी भी है, पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, Rangarajanji wants to raise a point of order.

श्री रामविलास पासवान: सर, बहुत हल्ला हो रहा था, बहुत हल्ला हो रहा था - राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर ...(**व्यवधान**)...

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, we seek your protection. ...*(Interruptions)*... We seek your protection, Sir. ...*(Interruptions)*...

श्री रामविलास पासवान: प्रधान मंत्री जी ने सीधे कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, वही हमको मान्य होगा। उसके बाद जब प्रधान मंत्री आये थे, तो उन्होंने कहा था कि यह संसद हमारा मंदिर है और संविधान हमारा घर है। ...(**व्यवधान**)... हम न हिन्दू हैं, न मुसलमान हैं। ...(**व्यवधान**)... इसलिए हम कहना चाहते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामविलास पासवान: कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी को मैं नहीं जानता हूं कि वे किस जाति के हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ऊंची जाति के लोग रहे हैं और सारे ऊंची जाति के होने के बावजूद भी, उन्होंने ऊंची जाति के लिए आरक्षण की बात नहीं की है। ...(**व्यवधान**)... आज एक गरीब का बेटा, पिछड़ी जाति का बेटा यदि ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए आरक्षण की बात कर रहा है, तो पेट में दर्द हो रहा है। यह आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़ों के आरक्षण को काटकर नहीं हो रहा है। यह अलग से दिया जा रहा है। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोगों के मन

को टटोलिये। कल से यह मामला आया है, तो सामाजिक समरसता इस तरीके से समाज में हो गई है कि ये सब लोग, एक साथ दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ऊंची जाति के गरीब लोग, सब लोग एक साथ मिलकर सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... हम लोग चाहते हैं, हम जरूर चाहते हैं कि यह जो 60 परसेंट आरक्षण है, इस 60 परसेंट आरक्षण के खिलाफ में कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाये। ...**(व्यवधान)**... उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि इसको संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए।

हम यह भी कहना चाहते हैं कि यदि नौकरियां कम हो रही हैं, तो निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, हम यह भी जानते हैं कि judiciary की एक Indian Judiciary Service बनाई जाए, जिसमें हर तबके के लोगों को, जिनमें दलित, पिछड़ी और ऊंची जातियों में जो meritorious लोग हैं, उन्हें भी आने का मौका मिले। ...**(व्यवधान)**...

SHRI T.K. RANGARAJAN: Mr. Deputy Chairman, Sir, ...*(Interruptions)*...

श्री रामविलास पासवान: इसलिए आज यह बिल आया है, इसे आप पास कर दीजिए और आर्शीवाद दीजिए कि फिर दोबारा NDA की सरकार बनेगी, नरेन्द्र मोदी प्रधान मंत्री बनेंगे और इन चीज़ों को हम लागू करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मैं सतीश चन्द्र जी को बोलने के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले point of order को लेना चाहता हूं। प्रो. मनोज कुमार झा, मैं आपकी तरफ भी आऊंगा। ...**(व्यवधान)**...

SHRI T.K. RANGARAJAN: Sir, I have a point of order.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, under Rule 239, hon. Minister जब अपनी बात कह रहे थे, तो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष को गलत ढंग से प्रस्तुत किया। सर, हमारे नेता ने एक-एक मुद्दे का लोक सभा में विरोध किया और voting भी आपके favour में नहीं की थी। इसलिए मैं रामविलास पासवान जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने बहुत काम किया है, लेकिन Wordsworth की एक कविता है- *...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: हो गया, आपका Point of order हो गया। ...**(व्यवधान)**... No point of order. Now, Mr. Rangarajan.

SHRI T.K. RANGARAJAN: Mr. Deputy Chairman, Sir, through you, ...*(Interruptions)*..., under Rule 239, my question to the hon. Minister, Shri Ram Vilas Paswan, is whether his Government, the NDA Government, under Shri Narendra Modi, is still supporting the Mandal Commission Report fully? Please reply to this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no point of order. Now, Shri Satish Misraji. माननीय सतीश मिश्रा जी, ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय उपसभापति जी, प्रो. मनोज कुमार झा ने Wordsworth के नाम के बाद, जिन शब्दों का उल्लेख किया है, वह गंभीर आपत्तिजनक है।

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री उपसभापति: उसे देख लेंगे। उन्हें examine करेंगे। अगर कोई आपत्तिजनक हुआ, तो उसे हटाया जाएगा।

श्री रवि शंकर प्रसाद: रामविलास पासवान जी एक वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग उनके लिए नहीं किया जाना चाहिए। . ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: यदि वे शब्द असंसदीय हुए, तो नियम के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। माननीय सतीश जी ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सब लोग political worker हैं, लेकिन रामविलास जी, आपसे बहुत सीनियर हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आपको मैंने समय दिया, आपने बोल लिया। अब आप कृपया बैठिए। माननीय सतीश मिश्रा जी ...(**व्यवधान**)...

श्री रामविलास पासवान: माननीय उपसभापति जी, कल लोक सभा के रिज़ल्ट का सबके पास खाता है। वहां सिर्फ तीन सांसदों ने विरोध में वोट दिए थे और उन तीनों में एक ओवैसी थे और दो और थे। उसमें राष्ट्रीय जनता दल नहीं था। यह मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल विरोध में नहीं था और राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो वहां बोले, उन्होंने "अगर" और "मगर" जरूर लगाया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वे सपोर्ट करते हैं। यदि इनके चार सांसद विरोध करते और एक ओवैसी होते, तो विरोध में केवल तीन ही सांसद कैसे होते? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: माननीय सतीश चन्द्र मिश्रा जी, कृपया आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... माननीय सतीश चन्द्र मिश्रा जी के अलावा और किसी माननीय सदस्य की कोई बात record पर नहीं जाएगी। ...(**व्यवधान**)... सतीश चन्द्र मिश्रा जी, आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पर जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: माननीय उपसभापति जी, मैं कैसे बोलूं? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: जो चेयर से अधिकृत नहीं हैं, उनकी बात record पर नहीं जाएगी। माननीय सतीश मिश्रा जी, आपकी ही बात record पर जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Mr. Deputy Chairman, Sir, I think, you need to reset my time.

श्री उपसभापति: किसी और माननीय सदस्य की कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। सिर्फ माननीय सतीश मिश्रा जी की बात रिकॉर्ड पर जाएगी। आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: महोदय, सदन में शोर हो रहा है। मेरा आग्रह है कि आप कृपया उनसे आग्रह कीजिए, ताकि वे बैठे। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: मैंने कह दिया है, केवल आपकी ही बात रिकार्ड पर जाएगी। ...(**व्यवधान**)... कृपया आप बोले। ...(**व्यवधान**)... यदि आप नहीं बोलेगें, तो मुझे दूसरे माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)...

(**उपसभाध्यक्ष, श्री भुवनेश्वर कालिता** *पीठासीन हुए)*

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, बहुजन समाजवादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बार नहीं, अनेको बार इस बात को कह चुकी हैं कि जो सवर्ण जाति के गरीब हैं, उनका भी आरक्षण होना चाहिए और यह बात उन्होंने कोई बाहर नहीं, बल्कि पार्लियामेंट में, यहां सदन में खड़े होकर अनेको बार कही है। इसीलिए हम इस बिल के समर्थन में हैं। एक शब्द है "लेकिन" जिसके लिए कि हमारे लॉ मिनिस्टर साहब को बहुत ही एतराज है। इसलिए "लेकिन" वर्ड न रखकर "परंतु" वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, परतु इस बिल को आप कब लाए, किन परिस्थितियों में लाए और कैसा लाए, इस चीज की चर्चा तो होगी ही, लेकिन उससे पहले मैं जरूर चाहूंगा - क्योंकि यहाँ पर माननीय मंत्री श्री रामविलास पासवान हैं, माननीय लॉ मिनिस्टर हैं, माननीय गहलोत साहब भी हैं, मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा और जानना भी चाहूंगा कि आपने यह कहा कि अबकी बार हम संविधान में संशोधन करके लाए हैं, इसलिए इंदिरा साहनी के केस का कोई असर नहीं होगा, लेकिन इंदिरा साहनी केस में कहा गया है कि उन्होंने संवैधानिक चीज को कन्सिडर नहीं किया था, उसी इंदिरा साहनी केस में 50 प्रतिशत के बारे में कहा गया है और आपने कहा कि चूंकि 50 प्रतिशत कहा गया - जब माननीय राम गोपाल यादव जी ने कहा और आपने पहले भी कहा कि हम उसको नहीं बढ़ा सकते। हम उसको इसलिए नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में कहा गया है कि 50 प्रतिशत नहीं बढ़ा सकते हैं। जब आप संविधान में इस बात का संशोधन ला सकते हैं, जिसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, जिसको हम लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि इसको लाइए, तब आप संविधान में यह संशोधन क्यों नहीं लाते हैं कि आप 50 प्रतिशत से ज्यादा ...**(व्यवधान)**... उसको बढ़ाइए और सुप्रीम कोर्ट को इसे तय करने दीजिए कि अब यह संवैधानिक हो गया है? मैं आप लोगों से इसका जवाब जरूर जानना चाहूंगा कि आपने, माननीय रामविलास पासवान जी ने अपर कास्ट रिजर्वेशन के बारे में कम बोला, शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास के बारे में ज्यादा बोला है, इसलिए मैं उनसे यह प्रश्न जरूर करना चाहूंगा कि आप पिछले पांच वर्षों से मंत्री हैं, आप पिछले पाँच वर्षों से यहाँ सरकार में हैं, आप इतने शुभचिंतक नजर आ रहे हैं, आप सभी दलितों की बातें कर रहे हैं, तब आप पाँच सालों से Reservation in Promotion का बिल कहाँ डाले हुए हैं? आप वहाँ मंत्री बनकर क्या कर रहे थे? यहाँ से बिल पास करके वहाँ भेजा गया और भेजने के बाद क्या आपने एक बार भी उसमें attempt किया कि आप इस Reservation in Promotion बिल को वहाँ से पास कराकर, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिसकी वजह से उसको नल्लिफाई कर दिया गया था, उसको रेस्टोर कर पाएं? आपने यह नहीं किया। ...**(व्यवधान)**... आप हमारे बाद में बोल लीजिएगा, मैं आपसे और भी दो-चार सवाल करूंगा, इसलिए आप थोड़ा-सा सब्र रखिए। मैं लॉ मिनिस्टर साहब से और तीनों मंत्री, जो आगे बैठे हैं, उनसे यह जानना चाहूंगा कि जब आप इसको संविधान में संशोधन करके ला रहे हैं, तब उसको कब ला रहे हैं? आप संविधान में संशोधन करके बैकवार्ड क्लास और दलित की जनगणना के हिसाब से उनका जितना होना चाहिए, उसको बढ़ाकर कब लाएगें? वह क्यों इस संख्या के हिसाब से ला रहे हैं? आपको उसमें क्या एतराज है और आपको क्या दिक्कत है, इसको जरूर बता दें, जिससे इस सदन को भी मालूम हो जाए और इस देश के जो करोड़ों दलित और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको भी मालूम होजाए कि आखिर यह क्यों नहीं हुआ?

[श्री सतीश चन्द्र मिश्रा]

आप अपर कास्ट के रिजर्वेशन को लाए हैं, हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी नेता कहती हैं कि अपर कास्ट में जो गरीब लोग हैं, उनके लिए आरक्षण लाइए। हम समझ रहे थे कि आप उन्हीं के लिए आरक्षण लाए हैं, लेकिन आप उनके लिए आरक्षण नहीं ला रहे हैं। अभी तो आप कस्टीट्यूशन में enabling provision दे रहे हैं कि अब हम enable ककर रहे हैं कि जो स्टेट्स हैं, वे इस तरह के अपने कानून बना सकती हैं। आप वह कानून कब बनाएगें, आप उस कानून में क्या लाएगें, आप इसमें किसको इनक्लूड करेंगे, किसको एक्सक्लूड करेंगे, यह तो आपने बताया नहीं, यहां तो सब लोग अखबार पढ़कर यहाँ पर बहस कर रहे हैं कि उसमें 8 लाख है, उसमें 5 बीघा है, लेकिन आपने अभी तक कंस्टीट्यूशनल अमेंडमेट में यह बात नहीं कही और न ही कोई दस्तावेज यहाँ पर रखा है, जिसमें आप यह क्राइटीरिया डिस्क्राइब कर रहे हों, बल्कि आपने हर स्टेट के लिए कह दिया है कि वे लोग डिसाइड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग इस कानून को सिर्फ और सिर्फ आज * के तौर पर, जब आखिरी दिन है, इलेक्शन परपज़ से लाए हैं। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि आखिरी बॉल पर छक्का मारा है, लेकिन आप यह भूल गए कि आपका छक्का बाउंड्री के पार नहीं जाने वाला है। ...**(व्यवधान)**... आपने लगान फिल्म देखी है। ...**(व्यवधान)**... वही होने जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... जो लगान फिल्म में हुआ था, इसलिए आपको आउट होना है। ...**(व्यवधान)**... आप यह भी समझ लीजिए कि आज आप इस बिल को लाने के लिए जो मजबूर हुए हैं, तब आप यह बिल लाने के लिए क्यों मजबूर हुए हैं? आप यह बिल आखिरी दिन क्यों लाए हैं? आप यह इसलिए लाए हैं, क्योंकि एक-दो दिन पहले आपको भी मालूम नहीं था, आपको भी केबिनेट में जाकर पता चला है कि यह बिल आ रहा है। जितने मंत्री हैं, उनको भी नहीं पता ...**(व्यवधान)**... वह इसलिए आया, क्योंकि दो दिन पहले, दो political parties के दो रष्ट्रीय अध्यक्ष नये साल में मिले और उसका इतना असर हुआ कि आपने कई लोगों से कोअलिशन करना शुरू कर दिया। आपने कई एजेंसीज़ को पकड़ लिया। इतना ही नहीं, आप इतनी दहशत में आ गए कि आपने रातों-रात बैठ कर इस तरह का एक बिल बनाया। चलिए, इसी मजबूरी में बनाया, आपने कम से कम यह बिल बनाया है, लेकिन आप इसको ठीक करिए और गरीबों के लिए बनाइए, इसको अमीरों के लिए न बनाइए। ऐसा न करिए कि जो 50 परम्मेंट हैं, जिसमें आज upper castes के लिए रिजर्वेशन है, उस 50 परसेंट में 3 परसेंट को आप आज से 40 परसेंट दे रहे हैं और 47 परसेंट लोगो को 10 परसेंट में डाल रहे हैं। उन upper castes के लोगों को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, यह तो जब वक्त आएगा, तब पता लगेगा कि आपने इस बिल के तहत उन लोगों के साथ कितना बडा * किया है।

इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र, झा साहब इस समय यहाँ नहीं हैं, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो हम जो बात कह रहे हैं कि आप यह बिल क्यों लाए, नजर आ रहा था। उन्होंने हाथी का नाम भी लिया और हाथी का किस्सा भी कहा। हाथी अभी से आपको इतना डराने लगा है, अभी तो हाथी और साइकिल की एक साथ बैठक नहीं हुई है, जो आपके सामने आए। उसके बगैर आपको इतनी दहशत हो गई है कि आज आप यहाँ चर्चा में भी हाथी का जिक्र कर रहे हैं, सपने में भी हाथी दिख रहा है और आज आप जो बिल भी लाए हैं, उसी के तहत लाने का काम किया है।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जब आप यह रिजर्वेशन लाए थे, तो इसके अलावा आपको minorities के लिए भी रिजर्वेशन लाना चाहिए था। आपको उनके लिए भी रिजर्वेशन लेकर आना चाहिए। आप कहते हैं कि इसमें minorities included हैं। माननीय मंत्री जी अभी खड़े होंगे और कहेंगे कि इस 10 परम्मेंट में सब हैं। इस 10 परसेंट में तो आपने यह भी कह दिया, उन जातियों को भी कह दिया कि आप गुर्जर हैं। जो गुर्जर हैं, वे तो पहले से ही backward हैं। वे पूरे देश में backward हैं। आप ज़रा देख तो लीजिए कि क्या आप उसको बदल रहे हैं? क्या आप उनको backward से हटा रहे हैं? क्या आप उनको forward में ला रहे हैं? देश के जो गुर्जर हैं, उनको मालूम हो जाने दीजिए कि आप उनको forward में गिनने जा रहे हैं, backward में नहीं गिनेगें। आपने जाट की बात कही। उत्तर प्रदेश में वे पहले से ही backward हैं। आप उनका नाम लेकर यह * क्यों कर रहे हैं? आप वोट के नाम पर कुछ भी करिए, लेकिन आप इन लोगो के साथ * मत कीजिए। Miniroties के लिए आप कहते हैं कि इसी 10 परसेंट में वे भी included हैं। आप minorities को अलग से रिजर्वेशन क्यों नहीं देते हैं? हम लोगों की डिमांड है कि आप जिस तरह से अमेंडमेट लाए हैं, आप minorities के लिए भी लेकर आइए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: मैं ज्यादा वक्त नहीं लूँगा। लेकिन मैं यह जरूर चाहूँगा कि जिस purpose के लिए आप यह बिल लेकर आए हैं, जैसा कि हम लोग भाषा use करते हैं * on the Constitution, यह आप * on the upper castes करने जा रहे हैं। वह भी कौन से upper castes? जो गरीब तबका है, जिनको हक था, जिनके लिए हम लोग कहते आ रहे हैं, हमारी पार्टी कहती आ रही है, हमारी पार्टी की नेता कहती आ रही हैं कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए।

आप बात करते हैं करोड़ों-करोड़ों, जब आप भाषण देते हैं, यहाँ पर भी और लोक सभा में भी आपने कहा कि जो करोड़ो लोग हैं, जो upper castes के हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए हम इसे लेकर आए हैं। आप कहाँ तक * बनाने का काम करेंगे? आपके पास लाखों की संख्या में नौकरियाँ तो हैं नहीं, आपने जितने public sector corporations हैं, उनको private कर दिया। आपने नौकरियाँ लेने का काम कर दिया। जिनका रिजर्वेशन का हक था, उनको खत्म कर दिया। मैं माननीय पासवान जी से भी और गहलोत जी से भी जानना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी, आप यह जरूर बताएँ कि आप SC/ST की बात करते हैं, जिनका रिजर्वेशन पहले से है, कितना रिजर्वेशन backlog में बचा हुआ है और कितनी सीटें खाली पड़ी हुई हैं? आज के रोज माननीय राम गोपाल जी ने SC/ST/OBC का जो खाता खोला था, क्या आप उसको dispute करते हैं? जितनी पोस्ट्स हैं, उन्हें तो आप भर नहीं रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि पासवान जी आज वहाँ पर हैं, कल वे इधर हो सकते हैं, लेकिन जब वे वहाँ हैं, तो कम से कम उनको SC/ST का ध्यान रखना चाहिए था, उनकी सीटें भरवानी चाहिए थीं, उनकी जो नौकरियाँ ली जा रही हैं, उनको रुकवाना चाहिए था, बल्कि उनको नौकरियाँ दिलाने का काम करना चाहिए था। उसकी जगह आज पूरे देश में हर चीज ठेकेदारी में, प्राइवेट हाथों में दे दी गई है। नौकरियाँ ले ली गईं, रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। जब नौकरियाँ है ही नहीं, जब SC/ST/OBC को नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है, तो इन 10 परसेंट के लिए आप कौन सी नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, आप जरा इसका भी खुलासा कर दीजिए। जरा इसका भी खुलासा कर दीजिए कि यह नौकरी

---

* Expunged as ordered by the Chair.

[श्री सतीश चन्द्र मिश्रा]

आप कहां से निकालेगें? आप अपने हर भाषण में जो करोड़ो-करोड़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लोक सभा में आपके हर मंत्री और हर सदस्य ने यह बात कही और यहां भी कहा गया, 'करोड़ों गरीब इसका इंतजार कर रहे थे'। आपने कहा था कि आप सालाना दो करोड़ नौकरियां देंगे, इसलिए वे जो दस करोड़ लोग हैं, वे पांच साल से इसका इतज़ार कर रहे थे और आज भी इतज़ार कर रहे हैं, इन सौ दिनों का। ये सौ दिन कब खत्म होंगे, वे अपना बटन दबा करके आपको बाहर कर देंगे। वे आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे और बताएंगे कि * करने का नतीजा क्या होता है। आप एक बार * बना लेंगे, लेकिन हमेशा-हमेशा के लिए आप किसी को * नहीं बना सकते। किसान आत्महत्या कर रहा है, वह परेशान है, उसके लिए भी आप कह रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। आज आप जिस वर्ग को भी देख लीजिए, हर आदमी परेशान है, शिक्षित, अशिक्षित सब परेशान हैं। इसलिए हम लोग इस बिल का समर्थन तो कर रहे हैं, परन्तु अपनी इन बातों को कहते हुए कर रहे हैं, धन्यवाद।

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे भारत का जो संविधान है, उस पर हम बहुत गर्व करते हैं। विश्व के सभी संविधानों की तुलना में यह एक बहुत ही उम्दा संविधान है, जो हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुए, डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया। Constituent Assembly में इसको बनाने के लिए बड़ी गभीर चर्चा हुई और कई दिनों तक हुई, उसके बाद हमारे देश ने इस संविधान को अपनाया। लेकिन परसों शाम को जैसे ही हम पार्लियामेंट बाहर निकलते हैं, एक जर्नलिस्ट ने अपना कैमरा और माइक सामने रख दिया और पूछा कि बताइए, यह संविधान में जो संशोधन होने जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? मैंने कहा कि अभी तो हमने टीवी में ही देखा है कि संविधान का संशोधन होने वाला है और 10 प्रतिशत रिजर्वेशन देने वाले हैं, लेकिन अभी तक न तो हमारे लोक सभा सांसदों को यह मालूम है और न ही और किसी सांसद ने यह देखा है, फिर उसके बाद आप सीधे हमको कहते हैं कि इसके ऊपर आप टिप्पणी करिए। एक बात हमें कल अखबार में पढ़ने को मिली, शायद आज के अखबार में भी यह है कि कैबिनेट को भी इसके बारे में मालूम नहीं था कि यह संशोधन होने वाला है। एक जल्दबाजी में इसको लाया गया, हालांकि कई लोगों ने यह बात कही, इसलिए दोबारा इसे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में तो यह लाया ही गया है। रवि शंकर जी, परसों आप हमारे साथ एक कार्यक्रम में थे, लेकिन तब तक शायद आपको भी खाली उसका सुर मिला होगा और इसीलिए बड़ी जल्दबाजी में ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद : प्रफुल्ल साहब, हमें पता सब कुछ रहता है, लेकिन आपको बताते नहीं हैं।

श्री प्रफुल्ल पटेल: चार साल और आठ महीने के बाद, जब चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, ऐसे में इतनी जल्दबाज़ी में हम इसे क्यों कर रहे हैं? आपको भी यह बात मालूम है कि इसे पास करने के बाद इसका सही इफेक्ट होगा या गलत इफेक्ट हो, यह तो चुनाव के बाद ही लोगों को समझ में आने वाला है। खैर, अभी तो हमने सुना है कि अगले दो महीनों में एक-एक करके इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और जुमले लोगों के सामने आने वाले हैं। ठीक है, जहां तक सामाजिक न्याय का सवाल है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि इस देश में हमको सामाजिक न्याय को बरकरार रखना पड़ेगा और उसके लिए

* Expunged as ordered by the Chair.

समय-समय पर जो कुछ भी आवश्यक होगा, वह हमें करना होगा। पहले हमारे संविधान में केवल एससी/एसटी का प्रावधान था, उसके पश्चात् मंडल कमिशन आया, तो हमने उसमें ओबीसी का प्रावधान किया। अलग-अलग राज्यों ने भी अपने-अपने राज्यों की परिस्थितियों को देखते हुए, अपने यहां भी संशोधन किए। जहां तक एससी/एसटीज़ का सवाल है, मुझे एक बात विशेष तौर पर यहा कहनी है, चूंकि हमारे नेता शरद पवार जी हैं, इसलिए मुझे यह बात अचानक याद आई कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मराठवाड़ा युनिवर्सिटी है। उस मराठवाड़ा युनिवर्सिटी का नामांतरण डा. बाबा साहेब अम्बेडकर युनिवर्सिटी होना चाहिए, इसके लिए बड़े दिनों तक आंदोलन चले। यहां अठावले जी बैठे नहीं हैं, नहीं तो सब लोग उस मूवमेंट के बड़े हिस्सेदार थे। महाराष्ट्र में सवर्ण जाति के लोगों का इसके लिए इतना अधिक विरोध था कि नहीं, हम इस युनिवर्सिटी का नामांतरण नहीं होने देंगे। कई गोलियाँ चलीं, कई लाठियाँ चलीं, कई लोग अन्दर हुए, कई शहीद हुए। इसके बावजूद उस वक्त के तत्कालीन मुख्य मंत्री, जो आज यहाँ बैठे हैं, शरद पवार जी थे। उस टाइम हम कांग्रेस पार्टी में थे, हमारी पार्टी के सारे लोगों ने कहा कि अगर हम इस नामांतरण को स्वीकार करेंगे, तो यहाँ पर हम हमेशा के लिए साफ हो जाएँगे। मुझे याद है कि शरद पवार जी ने महाराष्ट्र की असेम्बली में स्टेटमेंट किया कि अगर मेरी सत्ता जाएगी, तब भी चलेगा, लेकिन मैं यह नामांतरण करके रहूँगा, क्योंकि सामाजिक न्याय इस देश में बहुत आवश्यक है। उन्होंने नामांतरण किया। यादव साहब, आप भी महाराष्ट्र के हैं, आपको भी इस बात की जानकारी है। मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से सामाजिक न्याय के बारे में इस देश में समय-समय पर ऐसे महानुभाव भी उठ कर आये हैं, जिनकी वजह से आज तक हमारा देश बरकरार रहा है। इसीलिए रामविलास जी, आप जो कह रहे हैं कि सवर्ण जाति के लोगों ने पिछडी जाति के लोगों को संवारने का और संभालने का काम किया है, उसका जीता-जागता उदाहरण यहाँ आपके बगल में ही हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है, जैसे समय-समय पर आज यह भी आवश्मकता है कि इस देश के कई ऐसे आर्थिक दृष्टि से दुबले लोग हैं, जो सवर्ण जाति के हैं, इतर जाति के हैं, जिनको भी आज किसी न किसी मामले में कुछ मदद की आवश्यकता है। यह खास कर के आज का जो यूथ है, आप कहीं भी जाइए, युनिवर्सिटीज़ में जाइए, कहीं और जगह जाइए, हम लोग सभी सांसद हैं, हमारे घरों में भी लोग रोज नौकरी माँगने के लिए आते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं, जो हमें दिखते हैं कि में बहुत पीड़ित हैं, गरीब हैं, इनको मदद की जरूरत है, लेकिन हम मदद नहीं कर पाते, सरकार भी नहीं कर पाती। इसलिए अगर आपने उस दृष्टिकोण को सामने रख कर यह आरक्षण लाने का काम किया, तो हमें खुशी हुई, लेकिन आपने इसे आखिरी वक्त में, जब चुनाव के दो महीने बाकी हैं, तब आपने इसे लाने का काम किया है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने जो अपनी-अपनी भावना अलग-अलग तरीके से व्यक्त की है, शायद आपको वह समझ में आ रही है। मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आरक्षण पर अभी क्योंकि कई वकीलों ने बोला है, इसलिए मैं वह वकालत की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन इंदिरा साहनी जजमेंट को बार-बार दोहराया जाता है और यह कहा जाता है कि 50 प्रतिशत की मर्यादा का उल्लंघन करना संभव नहीं है। मुझे यह बताइए कि आप यह जो 10 प्रतिशत बढ़ाने जा रहे हैं, यह संविधान में संशोधन करके ही कर सकते हैं, यह आपको समझ में आ रहा है। तो फिर आपकी महाराष्ट्र की सरकार जब मराठों को 16 टका आरक्षण देती है, तो उसको यह जजमेंट और संविधान को बदलने की जरूरत समझ में नहीं आती है! वहाँ आपकी सरकार है। ...**(व्यवधान)**... ज़रा इसके बारे में हमें

[श्री प्रफुल्ल पटेल]

बताइए। या तो यह जुमला है, लॉलीपॉप है या वह क्या है, वह जरा मुझे समझा दीजिए। आपको यहाँ पर संविधान बदलना जरूरी है, मैंने आपका दोनों का भाषण टीवी पर सुना, आप दोनों का सुना और आप दोनों ने यह बात दोहराई कि संविधान को बदले बिना हम यह अधिक आरक्षण नहीं दे सकते। तो फिर आपकी सरकार महाराष्ट्र में मराठों को 16 प्रतिशत आरक्षण देते वक्त इस बात को कैसे भूल गयी? आपने शायद उनको या तो हिदायत नहीं दी या हमारे वहाँ के बेचारे मराठा, वे भी जो सवर्ण हैं, उनको अब आप समझा देंगे कि इस 10 प्रतिशत में आप भी समाविष्ट हो जाएँगे। ...**(व्यवधान)**... राजस्थान में भी वही, सभी जगह वही। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): प्रफुल्ल पटेल जी, आपका समय समाप्त हो चुका है। ...**(व्यवधान)**... अब आप समाप्त कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रफुल्ल पटेल: तब तो अब उसे 6 परसेंट डाउन करना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No, no your party time is over. That is what I am telling you. I am reminiding you.

श्री प्रफुल्ल पटेल: सर, मुझे ऐसे बंधनों में मत डालिए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): मैंने सिर्फ आपको remind किया है ...**(व्यवधान)**... कि आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रफुल्ल पटेल: सर, दो-तीन मिनट और दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): ठीक है। दो-तीन मिनट।

श्री प्रफुल्ल पटेल: सर, चूंकि मैं महाराष्ट्र की एक-दो चीज़े थोड़ा easily समझा सकता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। हम लोग अभी तक SC, ST और OBC जानते थे, अब यह नया EBC है। I think it is going to be called 'Economically Backward Classes' तो अब यह EBC आ गया है। आपने अभी कहा कि यह सब 8 लाख की मर्यादा तक लागू होगा या तो 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए। 8 लाख की मर्यादा दिल्ली और मुम्बई वालों के लिए तो मैं समझ सकता हूँ कि किसी को सालाना 8 लाख में यहाँ अपना घर चलाना मुश्किल होता है, मगर गाँव में 8 लाख रुपये मायने रखता है। 8 लाख रुपये का मतलब, करीब 70 हजार रुपए महीने की आमदनी अगर कोई इस देश के गांव में, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र के गांव में कमाता है तो उसे EBC में हम पूरी तरह से समाविष्ट करेंगे या नहीं करेंगे, यह आपको सोचना चाहिए।

दूसरी बात, आपने इसमें 5 एकड़ भूमि की लिमिट लगाई है - क्या हरियाणा की 5 एकड़ भूमि और ओडिशा की 5 एकड़ भूमि में फर्क नहीं है। दोनों स्टेट्स की पैदावार और उपज में फर्क नहीं है? इसे जल्दबाजी में करने के स्थान पर यदि आप हमारे साथ चर्चा करते, किसी Standing Committee or Select Committee आदि में चर्चा करते तो कम-से-कम ऐसी बातें सामने न आतीं। ...**(व्यवधान)**... माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि तब तक तो notification आ जाएगा। ...**(व्यवधान)**... नौकरियों के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा, इसलिए मैं उस पर दोबारा नहीं कहूंगा, लेकिन सार्वजनिक उपक्रम

8.00 P.M.

विभाग, Public Enterprises विभाग मैंने भी सम्भाला है। उसमें आपने कितने जॉब्स क्रिएट किए हैं, पिछले 5 सालों में, कितनी जॉब्स बढ़ी हैं या घटी हैं, इस बारे में आप मुझे बताइए। प्रधान मंत्री जी का मैंने एक interview पढ़ा, टी.वी. पर देखा भी था कि पकौड़े बेचो - उसे भी वे employment मानते हैं। खुशी की बात है, लेकिन फिर यह रिजर्वेशन आप किस आधार पर देंगे - जब नौकरियां ही नहीं होंगी? पकौड़ेवाले पर तो यह रिजर्वेशन लागू होने वाला नहीं है, इसे मैं समझता हूं। नई नौकरियां हैं नहीं। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं क्योंकि 4 लाख देश का आकड़ा यहां किसी ने बताया था। महाराष्ट्र में वहां के मुख्य मंत्री ने announce किया कि मैं मेगा भर्ती करने वाला हूं - मेगा भर्ती 5 साल में पहली बार। हमने कहा, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आकड़ा आया 72 हजार पूरे स्टेट में 5 साल में मेगा भर्ती महाराष्ट्र सरकार कर रही है। अब 72 हजार लोग 5 साल में एक बार आप भर्ती करेंगे, उसे आप मेगा भर्ती कहेंगे तो 120 करोड़ आबादी के इस देश में अगर 50 प्रतिशत लोगों को भी सवर्ण समझें, उनमें से 10 परसेंट को रिजर्वेशन देंगे, इस तरह कुल कितने लोगों को आप नौकरी देने वाले हैं, इसका आकड़ा भी आप हमें समझाने की कोशिश कीजिए। ...**(व्यवधान)**... अंत में, मैं कहूंगा क्योंकि आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं, ..**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): नहीं, बार-बार घंटी नहीं, आपका समय समाप्त हो चुका है। ..**(व्यवधान)**... Please conclude.

श्री प्रफुल्ल पटेल: आपने कहा कि education में भी aided and unaided colleges में आरक्षण लागू होगा। आप मुझे बताइए कि aided colleges - वैसे आजकल unaided colleges ज्यादा हो गए हैं। आप कहीं भी जाइए, छोटे-छोटे गांव में भी CBSE के स्कूल हैं। कितनी वहां प्रति व्यक्ति आय है? Private Colleges हर जगह आपको मिल जाएगें, वहां कितनी फीस लगती है? आप कितना भी पैसा उसे दें, he cannot afford it. आप उसे admission में रिजर्वेशन दे सकते हैं लेकिन क्या उसमें फीस भरने की औकात है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा और बिल में प्रावधान किया कि उन्हें किस तरह से मदद करेंगे? ...**(व्यवधान)**... OBC की scholarship पिछले दो-दो और तीन-तीन साल से लोगों को नहीं मिली है। कई राज्यों के आप आंकड़े देख लीजिए। महाराष्ट्र के बारे में मैं पक्का authenticate करके कह सकता हूं कि पिछले दो साल में OBC की एक भी scholarship किसी को नहीं मिली है। S.C., S.T. के बच्चों को भी नहीं मिल रही है, फिर भी आप कहते हैं कि हम इसमें aided and unaided colleges में admission के लिए प्रावधान करेंगे। आपने बिल में जो भी प्रावधान किए हैं, वे जल्दबाजी में किए हैं। अब सवर्णों में भी कुछ जातियाँ ऐसी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो थोड़ी advance stage पर हैं, culturally advanced state पर हैं। क्या उन्हीं को लाभ देने के लिए यह बिल लाया गया है? सवर्णे में कई ऐसी advance जातियां हैं, जो actualy पिछड़ी हैं, मगर वे किसी भी तरह से Scheduled Castes, Scheduled Tribes or O.B.C. के दायरे में नहीं आतीं। आज भी आर्थिक दृष्टि से बहुत सी पिछड़ी जातियाँ हैं, culturally जो so-called advanced लोग हैं, इस बिल के जरिए आप उन्हें आरक्षण कैसे देंगे - आपने इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है। हम इस बिल का समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप हमारी सभी बातों पर गम्भीरता से विचार करें वर्ना यह बिल still born baby होगा, पूरा EBC का आरक्षण non-started होगा। ...**(व्यवधान)**... आप इन बातों पर जरूर ध्यान देंगे, ऐसा मैं विधि मंत्री और सोशल जस्टिस मंत्री जी से निवेदन करता हूं, क्योंकि इस देश मे करोड़ों नौजवान जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें मौके नहीं मिलते हैं।

[श्री प्रफुल्ल पटेल]

उनको मौका मिले, चाहे एक छोटी शुरुआत क्यों न हो, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, अपना स्थान लेता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. The next speaker is Kumari Selja.

कुमारी शैलजा (हरियाणा): सर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूगीं। कुछ बातें हैं। एक-दो बातें हैं, जिन्हें दोहराना ही पड़ेगा, वे इसलिए दोहरानी पड़ेंगी, क्योंकि वह सच्चाई है और सच्चाई सुनना इनको पसंद नहीं है, इसलिए वे बातें मुझे दोहरानी पड़ेंगी। सर, एक बात सच है और यह सभी ने कहा है कि आप इसे आखिर में लेकर आए हैं, संसद का सत्र बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, पूरी लोक सभा खत्म होने जा रही है और आप अब इसे राज्य सभा में लेकर आए हैं। सरकार का समय खत्म होने जा रहा है, अब आप एकदम जागे हैं और वह भी कौन जागा है, यह मालूम नहीं है, क्योंकि जब सच्चाई इनके सामने एकदम शीशा हो गई कि देश की जनता आपसे दूर जा रही है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम किसका हाथ पकड़ें, किसका पल्ला पकड़ें, वरना यह बात तो कब से आ रही थी।

माननीय मंत्री जी, आप यह जानते हैं कि affirmative action, तो होना चाहिए था, affirmative action के लिए हमने हमारे समय भी कार्यवाही शुरू कर दी थी कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए हमें affirmative action लेना पड़ेगा। जो यह इंदिरा साहनी केस वाली बात थी, वह एक सच्चाई थी और वही एक कारण था, जिसने अभी तक रोके रखा। इंदिरा साहनी केस के होते हुए, जो कि आरक्षण की बात पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था और आज भी उसका उल्लेख हुआ है, बार-बार उल्लेख किया गया है, माननीय कपिल सिब्बल जी ने उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया, तो जब आपकी सरकार बनी, तब से अब तक आपने कोई भी जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए कोई भी affirmative action क्यों नहीं लिया? आपके बजट में उसका कोई भी प्रावधान क्यों नहीं किया गया? बल्कि आपने उनको कुछ देने के बजाय, जो scheduled castes और scheduled tribes का प्रावधान था, उसको ही खत्म करने की बात शुरू कर दी। आपने Tribal Sub-Plan, Scheduled Castes Sub-Plan को ही खत्म कर दिया, तो आप कहाँ किसकी बात कर रहे हैं? इनके पीछे आप सिर्फ इसलिए गए हैं, क्योंकि जनता आपसे जनता दूर जा चुकी है, चुनाव नजदीक आ चुका है। एक जो बार-बार मानसिकता की बात कही जा रही है, उसी मानसिकता के तहत अब आप उनके पीछे भाग रहे हैं कि अब उनको किसी तरह से पकड़ें, तो यह एक सच्चाई है, चाहे यह आपको लेकिन, परंतु अच्छा लगे या न लगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने manifesto में इसके बारे में कहा है और यह गलत धारणा, जिसके बारे में आपके पक्ष से अलग-अलग लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके आगे 'लेकिन' क्यों लगा रही है, आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने यह अपने manifesto में दिया है, तो हम इसे सपोर्ट कर ही रहे हैं। इस पर कहाँ से सवाल उठ गया है? आप कृपया इस तरह की बातें न कहें और लोगों को अपनी मंशा दिखाएं कि जो अभी तक Schedule Castes का Backward Classes का प्रावधान है, उसको आप कैसे लागू करने जा रहे हैं? इंदिरा साहनी केस के मार्फत से जो 50 प्रतिशत की सीलिंग लगी, उसको आप कैसे breach करेंगे? आपने यहाँ पर legislative scrutiny नहीं होने दी। न यह Standing Committee को गया, न Select Committee की बात हुई। आपने यह सीधा लाकर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यह

हमारे manifesto में है, but that does not mean that you do not respect the institution of Parliament. यह बात आप समझ लीजिए कि यह बात भी expose हो रही है कि आपका पार्लियामेंट के प्रति बिल्कुल आदर नहीं है, वरना पहले यह Standing Committee में जाता। कितनी बातें यहाँ पर कही गई हैं, कितने पक्षों द्वारा कही गई हैं, चाहे वह प्रतिपक्ष हो, अनेको पार्टियां हों या आपका अपना पक्ष हो। बहुत सी बातें हैं, जो कही जा सकती हैं और कहनी चाहिए थी, लेकिन आपने यह allow नहीं कि;ा। अब यहाँ पर तो समय का प्रतिबंध है। सभी लोग चंद शब्दों में अपनी बातें कहेंगे, लेकिन इतने legal aspects हैं, इतनी पोलिटिकल बातें हैं, वे सारी वहाँ पर आनी चाहिए थीं। आपने यह मौका नहीं दिया। आपने यह तो circumvent कर दिया, लेकिन जब judicial scrutiny आएगी और वह आ भी सकती है। आप यह मत समझ लीजिए कि अगर Constitutional Amendment हो गया, तो judicial scrutiny नहीं आएगी, वह भी आ सकती है। तब आप वहाँ पर क्या बात करेंगे? आप क्या आधार बताएँगे? जो socio-economic survey था, उसको तो आपने आज तक public नहीं किया, तो आधार क्या बताएँगे। जब आरक्षण की कोई भी बात होती है, तो कोर्ट यही कहता है कि what is the basis? जब किसी भी स्टेट में आरक्षण की बात होती है, किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाने की बात होती है, the court always asks कि आपने सर्वे किया है? आप किस आधार पर यह देना चाहते हैं? ये सारी बातें हैं। It will be very difficult to withstand that in a court of law, in the Supreme Court. आप क्या जवाब देंगे? मैं वह शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी, जो माननीय सतीश चन्द्र जी ने किया, लेकिन आप लोगों को गुमराह तो कर रहे हैं। उन्होंने * वर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन आप देश को, देश की सारी जनता को गुमराह तो कर ही रहे हैं न!

मैं SC के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूँगी। क्या आपने बैकलॉग पूरा किया है? आप पहले इस पर आ जाइए। माननीय पासवान जी यहाँ पर बैठे हैं। ये पहले हमारे साथ थे, आज आपके साथ हैं, कल को फिर हमारे साथ आ सकते हैं। हम इनका आदर करते हैं, क्योंकि ये बहुत सीनियर मेम्बर हैं। ये बहुत सीनियर मेम्बर हैं। जब हम राजनीति में आए भी नहीं थे, तब से हमने इनका नाम सुन रखा है। पहले ये बहुत firebrand होते थे और सरकार में जैसा हमारे समय में बोल लेते थे, वैसा शायद यहाँ बोल नहीं पाते हैं। ...**(व्यवधान)**... कोई बात नहीं है, लेकिन माननीय पासवान जी, इस सरकार में पता तो चले कि बैकलॉग कब पूरा होगा! बैकलॉग तो पूरा हो ही नहीं रहा है। केन्द्रीय सरकार की जो इतनी लाखों-लाख नौकरियाँ हैं और उनमें जो वैकेन्सीज़ हैं, उनका क्या हो रहा है? आप नौकरियाँ खत्म कर रहे हैं, तो फिर आप उनको कैसे पूरा करेंगे? आप उनमें कैसे आरक्षण लेकर आएँगे, जब नौकरियाँ नहीं होंगी? चाहे PSUs हों, आप किश्तों में सबको खत्म कर रहे हैं। सारा wind-up हो रहा है। यह केवल प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है। आप नौकरियाँ कैसे पूरी करेगें? यह जो lollipop -- हमारे माननीय साथी ने जो एक झुनझुना दिखाया था, तो यह सच्चाई में वही है। It may be symbolic but that is the truth. मैं एक बात और कहना चाहूँगी। अभी कुछ दिनों पूर्व आपने यूनिवर्सिटीज़ में गाइडलाइंस दीं। यूनिवर्सिटीज़ में जो नौकरियाँ निकल रही थीं, उनमें आप आरक्षण बिल्कुल खत्म कर रहे थे, जिसे आपने बाद में बदला। जब हो-हल्ला मचा, तो आपने बदला, लेकिन meanwhile, many of those posts were filled up. हमारे एससी-एसटी के लोगों को वे नौकरियाँ मिलनी चाहिए थीं, लेकिन वे आपने खत्म कर दीं, क्योंकि उन्हें आपने भर दिया। अब एक हेड ऑफ डिपार्टमेट की पोस्ट होगी, उसमें आप क्या आरक्षण कर देंगे? जब यूनिवर्सिटीज़ की सारी नौकरियों को लेंगे, तभी तो उनमें आरक्षण होगा। लेकिन, जब

* Expunged as ordered by the Chair.

[कुमारी शैलजा]

हो-हल्ला मचा, तो आपने दोबारा वह बात की, लेकिन तब तक वे नौकरियाँ भर दी गई थीं। आप यह जवाब कैसे देंगे? इसी तरह, स्कॉलरशिप्स की बात है। स्कॉलरशिप्स कहाँ मिल रही हैं? आपने स्कॉलरशिप्स कम कर दीं, आपने बजट कम कर दिया है। हमारे साथी हैं, ढुलो जी, ये बार-बार यह सवाल पूछते हैं। वे भी कम हो रही हैं। पुनिया जी बार-बार पूछ रहे हैं। आप किसी का जवाब तो नहीं दे पाते, ऊपर से हमें उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे जवाब आप यहाँ तो दे देंगे, लेकिन जनता को कैसे जवाब देंगे? यह नौकरियों की बात है। तकरीबन सभी लोगों ने आठ लाख और ढाई लाख की बातें की हैं। आप बता तो दीजिए कि कौन होगा? यह जो डबल वाली बात है, यह अभी वैसे किसी को समझ में नहीं आई है। यह हो सकता है कि हमारे जैसे लोगों की सोच थोड़ी कम हो, क्योंकि यह माना जाता है कि जो रिजर्वेशन में आते हैं, वे मैरिट पर नहीं आते, उनकी बुद्धि थोड़ी कम होती है, तो हो सकता है कि हमारी बुद्धि कम हो। प्लीज, उसको यह सरकार बता दे। मैं मंत्री जी को नहीं कह रही हूँ। मंत्री जी, आप अच्छे व्यक्ति हैं, मैं आपको दोषी नहीं ठहराती। जब आपको ही नहीं पता कि इसका क्या हो रहा है, आपको ही मालूम नहीं था कि यह आ रहा है, तो हम आपको कैसे कह दें? यह सरकार की बात है। सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे इसकी बात हो, जब आपको मालूम ही नहीं है, तो आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। आपको हम कुछ कह भी नहीं सकते। बात सरकार की है कि सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सच्चाई सामने ला नहीं सकते हैं और आप आधार क्या बनाएँगे, यह आप बता नहीं रहे। अब रही बात प्रमोशंस की। माननीय पासवान जी, आप प्रमोशन को कब ठीक करवांएगे, कब लाएगें? आप जानते हैं कि देश भर में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि प्रमोशंस में रिजर्वेशन को कैसे लागू करेंगे, कब लागू करेंगे? अब ये 10 प्रतिशत भी पोस्ट के लिए आ जाएगा, एन्ट्री आ जाएगी। आपकी कब प्रमोशन होगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप प्रमोशन के लिए 'quantifiable data' पेश कीजिए। आप वह कैसे करेंगे, कहां से लाएगें? इनको तो सब मिल जाएगा। ये नौकरियों में आ जाएगें, चाहे 10 प्रतिशत के माध्यम से या कैसे भी आएगें। आप अपने लोगों को कैसे ensure करेंगे कि प्रमोशन उनको मिले, जो कि उनका हक है? माननीय मंत्री जी, उसके बारे में आप जवाब नहीं दे पाएगे, लेकिन विचार जरूर कीजिए, क्योंकि जिस तबके से आप आते हैं, उनकी बहुत उम्मीदें हैं। उनको जवाब देना पड़ेगा। प्रमोशन में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): शैलजा जी, एक और स्पीकर है।

KUMARI SELJA: I will just wind up. I will not take very long. इसके बारे में आप जरूर विचार कीजिए। मैं ज्यादा न कहते हुए एक बात और कहूंगी कि जहां आरक्षण की बात हो रही है, बहुत कुछ कहा गया, बेटी बचाओ। All was out of context. I don't know what they all were talking about. एक आरक्षण के बारे में जरूर बताएं कि महिला आरक्षण का क्या हो रहा है? महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? वोट लेने के लिए इनके पीछे चल पड़ेंगे। 10 प्रतिशत, कैसे क्या होगा, किसका डबल क्या होगा? आप बता दीजिए कि जो एससी लोग हैं, जो इसमें नहीं आते हैं 22 प्रतिशत में, उसको आप नहीं बढ़ा रहे हैं। उनका क्या होगा? एक लड़की जो आईएएस की टॉपर थी, ...**(व्यवधान)**... बस समाप्त कर रही हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आप समाप्त कीजिए।

कुमारी शैलजा: वह टॉपर थी। उसके बारे में मालूम नहीं था कि वह एससी है। उसने टॉप किया। बाद में मालूम पड़ा कि वह एससी है, अब उसका फ्यूचर क्या होगा? आप उसको वापस एससी में डाल देंगे? कैसे करेंगे? जिसने ऑल इंडिया टॉप किया है, आप उसको एससी में डाल देंगे तो उसकी मैरिट कहां गई? आप मैरिट को भी यहां पर रिकोगनाइज़ नहीं कर रहे हैं। इन बिंदुओ पर आप जरूर विचार कीजिए, महिलाओं के आरक्षण पर विचार कीजिए। सर, बात यह है कि जिस तरह से यह बिल लाया गया है। I would like to charge this Government that this is part of a nefarious agenda of the RSS, कि आहिस्ता-आहिस्ता ये आरक्षण को बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं। तभी यह इस तरह से बीच-बीच में डाला जा रहा है। आप देख लीजिएगा, आप आज की बात नोट कर लीजिए कि आने वाले वक्त में चाहे ज्युडिशियल स्क्रूटनी के माध्यम से होगा या चाहे कैसे भी होगा, लेकिन जो आरक्षण हमें संविधान के माध्यम से मिला हुआ है, उसको ये डायल्यूट करेंगे। ये इनका एजेंडा है, ये उसका हिस्सा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं। आखिर में एक ही शब्द बोलूंगी कि यह रिजर्वेशन नहीं है, यह इनका self-preservation है और कुछ नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द!

श्री रामविलास पासवान: सतीश चन्द्र मिश्रा जी ने भी कहा और इन्होंने भी कहा है। प्रमोशन में रिजर्वेशन का जहां तक सवाल है, आपको मालूम है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला काफी दिनों से सुप्रीम कोर्ट में था। हम लोग जब उधर थे, तब भी हम लोग मांग करते थे, लेकिन हमको इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम आदेश लेकर 15 जून को आदेश जारी कर दिया गया, सर्कुलर जारी कर दिया गया। प्रमोशन में रिजर्वेशन चल रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का यदि अंतिम फैसला आएगा और उसमें यदि उन्होंने खिलाफ में दिया तो सरकार जैसे अन्य चीजों के लिए कानून बनाती है या ऑर्डनेन्स जारी करती है, हम उससे हिचकेंगे नहीं, लेकिन अभी प्रमोशन में रिजर्वेशन चल रहा है।...**(व्यवधान)**...

कुमारी शैलजा: ये जुमला है।

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश): आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर जो बहस चल रही है, आपने उस बहस में मुझे हिस्सा लेने का अवसर दिया है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं संविधान संशोधन का जो ये विधेयक प्रस्तुत हुआ है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे काफी देर से इस सदन में उपस्थित देश के मूर्धन्य वरिष्ठ नेताओं को सुनने का अवसर मिला है, इस विषय पर उनके विचार जानने का अवसर मिला है। मैं आज अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूं। इसका कारण यह है कि जो यह संशोधन विधेयक है, जिस पर इस सदन में चर्चा हो रही है, इस विधेयक पर अनेक दृष्टिकोणों से लोगों ने अपनी बातें कही हैं। उन सभी का बात कहने का लहजा अलग-अलग हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष और निर्णय सब का एक ही है। सभी ने इस विधेयक का समर्थन किया है, ऐसे में मैं महसूस करता हूं कि हमारा भारतीय लोकतंत्र, जिसका हिस्सा आज हम सब यहां पर बने हुए हैं, कितना परिपक्व और मजबूत है। सभी का सोचने का अंदाज अलग हो सकता है, बोलने का अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन देश की जो भावना है, उस भावना को हम सब बड़ी संवेदनशीलता के साथ

[श्री अजय प्रताप सिंह]

ग्रहण करते हैं, इसलिए अंत में हम सभी का निष्कर्ष एक होता है। जिस निष्कर्ष पर हम सब लोग पहुचें हैं और जिस भावना के साथ हमने इस विधेयक का समर्थन किया है, उसके लिए मैं सभी दलों के लोगों को साधुवाद देता हूं। बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, इस लंबी बहस में आरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर बहुत महत्व की चर्चा की गई है। आरक्षण के इतिहास के संबंध में भी चर्चा की गई है। आरक्षण की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इसके संदर्भ में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। जब हमारे देश की संविधान सभा का गठन हुआ था, उस समय के हमारे तत्कालीन प्रमुख नेताओं ने महसूस किया था कि हमारे देश में असमानता है। तब असमानता कई स्तरों पर थी। असमानता सामाजिक स्तर पर थी, असमानता व्यवहार के स्तर पर थी और असमानता आर्थिक स्तर पर भी थी। इस असमानता को दूर करने के लिए उन सभी ने बड़ी शिद्‌दत के साथ महसूस किया कि जो पीछे रह गए हैं, जो नीचे रह गए हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इतिहास में उसका कारण जो भी रहा हो, मैं उसके विस्तार में चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन तत्कालीन नेताओं की यह भावना थी कि हम जब तक असमानता को दूर नहीं करेगें, तब तक हमारा भारत, सशक्त भारत नहीं बनेगा, तब तक हमारा भारत मजबूत भारत नहीं बनेगा तब तक हमारा भारत दुनिया में एक मिसाल के रूप में नहीं उभर सकेगा। हम कल्पना भी करते हैं कि अगर भारत को हम एक शरीर के रूप में देखें और शरीर का कोई अंग बहुत तंदुरुस्त, बहुत मजबूत हो तथा कोई अंग बहुत कमजोर हो, लुंज-पुंज हो, विकलांग हो, तो वह शरीर एक स्वस्थ शरीर नहीं माना जाता है। हम उसको विकलांग शरीर की श्रेणी में रखेंगे। अगर हमें स्वस्थ भारत देखना है, सक्षम भारत देखना है, जिसे हमारे नेताओं ने भी स्वयं महसूस किया था, तो आरक्षण का प्रावधान करना जरूरी है। आरक्षण के माध्यम से ही भारत में समरसता-शक्ति कायम हो सकती थी, भारत में समानता-शक्ति कायम हो सकती थी, भारत के सभी वर्गों को ताकत मिल सकती थी। इसको देने के लिए आज जो वैज्ञानिक पद्धतियां प्रचलित हैं, आज जिस तरीके से हमारे पास आकड़े उपलब्ध हो सकते हैं, आज जिस तरीके से हम विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटा सकते हैं, उस समय शायद इन पद्धतियों का अभाव था। शायद उस समय इतने वैज्ञानिक तरीके से हमारे पास आकड़े भी आ सकते थे, जानकारी भी एकत्रित हो सकती थी, तो ताल्कालिक रूप से इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सहायक हो सकती थी। तात्कालिक रूप, से असमानता को दूर करने के लिए, जातिगत आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए तब हमारे तत्कालीन नेतागण आगे आए थे और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। इस व्यवस्था के माध्यम से ही आज देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उस परिवर्तन को हम सब महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन आज आज़ादी के 70 वर्ष के बाद एक बार फिर हम इस संदर्भ में विचार करने के लिए सदन में एकत्रित हुए है, उसका कारण यह है कि इन 70 वर्षों में बहुत सारा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी आया है। जो किसी ज़माने में सौ एकड़ का काश्तकार था, अब वह सौ एकड़ का काश्तकार नहीं रह गया है, उसकी छठी और सातवीं पीढ़ी आ गयी है और उस छठी और सातवीं पीढ़ी में किसी के पास दो एकड़ की काश्त रह गयी है, किसी के पास तीन एकड़ की काश्त रह गयी है, किसी के पास पांच एकड़ की काश्त रह गयी है। जो 6 एकड़ का काश्तकार था, वह सम्पन्न व्यक्ति था, सम्पन्न वर्ग से आता था, लेकिन आज जो उसके परिजन है, जो उसके उत्तराधिकारी है, वे उस श्रेणी में नहीं रह गए है। इसलिए

आज आवश्यकता है कि उस वर्ग के बारे में विचार किया जाए, आज आवश्यकता है कि उनकी परिस्थितियों के बारे मे विचार किया जाए, उनकी बेहतरी के बारे मे विचार किया जाए। मैं आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सामयिक निर्णय लिया है और उस परिस्थिति पर विचार करते हुए देश के ऐसे वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है । इसीलिए आज हम इस संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। महोदय, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे आकड़ों की चर्चा की है । उन आंकड़ों की चर्चा करते हुए बहुत किन्तु-परन्तु लगाए हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि चाहे 1946 हो या 2019 हो, दोनों ही समय में सभी लोगों ने इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया था कि लोगों को आगे लाने के लिए, लोगों को मज़बूत करने के लिए, लोगों को ताकतवर बनाने के लिए आरक्षण एक सशक्त माध्यम है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): अजय प्रताप जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अजय प्रताप सिंह: उस समय भी आरक्षण की बात की गयी थी और आज भी अगर नरेन्द्र मोदी सरकार यह प्रावधान लेकर आयी है तो इसी कारण से लेकर आयी है। कई लोगों ने इसको लाने की जो टाइमिंग है, उसके बारे मे प्रश्न उठाया तो मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार पूरे पांच वर्ष के लिए आयी है। उसमें महीना, दो महीने या तीन महीने की बात नहीं होती है। क्या तीन महीने अगर चुनाव में रह गए है तो हम पूरे देश में अराजकता दूर करने के लिए काम करना छोड़ दें? क्या पूरे देश मे अराजकता का वातावरण बन जाए? नरेन्द्र मोदी जी की सरकार पांच साल के लिए आयी है इसलिए वह पांचवें साल के अंतिम दिन तक काम करेगी और जो भी आवश्यकता है, देश हित मे जो भी प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों को हल करने के लिए पूरी सरकार और पूरी पार्टी हमेशा प्रयास करेगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): धन्यवाद, अब समाप्त करें।

श्री अजय प्रताप सिंह: मैं एक मिनट की और बात करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा । हमारे विपक्षी साथियों ने इसकी व्यवस्था पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं कि आप कैसे दे पाएंगे? उन्होंने न्यायालय की व्यवस्था की बात की, लेकिन मै आप सबको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, सभी ने 2014 के लोक सभा चुनाव के अपने-अपने मेनिफेस्टो में कहा है कि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण देगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपको मालूम है कि नहीं दे सकते हैं, जैसा आज आप कह रहे है तो 2014 में आप किसको गुमराह कर रहे थे? क्या देश की जनता को गुमराह कर रहे थे? अगर आप अभी नहीं दे सकते है तो आपने 2014 के अपने मेनिफेस्टो में क्यो लिखा दिया? आपने अगर उस समय लिखा था, हमने भी लिखा था, तो हमें भी विश्वास था, आपको भी विश्वास था कि हम कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं और वह रास्ता हमारे प्रधान मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने इस संविधान संशोधन के माध्यम से निकाला है।

उपसभाध्यक्ष (भुवनेश्वर कालिता): धन्यवाद।

श्री अजय प्रताप सिंह: उपस्थित सदस्यों, आप सभी के बीच में मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ आप सबने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Shrimati Thota Seetharama Lakshmi, she is not there. Shri D. Raja, you have only five minutes because by 9 o' clock we have to finish it.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, you take the sense of the House. If we need to sit, we would sit for more time. You take the sense of the House. This cannot go on like this. ...*(Interruptions)*... You say five minutes. How can I? Then, I would not speak. ...*(Interruptions)*...

PROF. RAM GOPAL YADAV: On record, thirteen minutes. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Time allotted to you is five minutes. ... *(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA : I understand. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Do not waste your time. ...*(Interruptions)*... What I am telling you is this. You make your speech. ...*(Interruptions)*... Do not waste your time. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: This should have been followed with big parties also. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No, no. ...*(Interruptions)*... Do not waste your time. That is what I am reminding you. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: Sir, we are discussing a very important Constitution Amendment Bill. But, the way the Government has brought this Bill must disturb every concerned citizen in the country. The Bill has been signed on 7th January and the draft Bill was taken to Lok Sabha on 8th January and got it passed. Now, on 9th January, we are discussing this Bill. It is a Constitution Amendment Bill. The attitude of the Government is nothing but to undermine the Constitution, to undermine Parliament. This is what I can make out. It disturbs every concerned citizen in the country, the way the present Government has the attitude towards the Constitution given to us by Dr. Ambedkar and galaxy of leaders. What a great vision for building a modern India, a modern secular democratic republic. What is happening with this present Government? Is it the way to bring the Constitution Amendment of this nature? This is my number one observation.

My second observation is, we have heard many colleagues speaking on this Bill starting from Shri Kapil Sibal. And, everyone who spoke, to begin with, they all said that they would support the Bill. But, the arguments which everyone gave are all to oppose the Bill. In that way, all these arguments strengthen our plea that this Bill should

go to a Select Committee. This is my strong appeal to the entire House starting from Government to everybody. How can we pass such a Bill in haste? Why is this haste? The Government should explain as to why this haste is. It is because the Government is desperate, politically motivated to bring such a Bill. And, the first speaker from BJP referred that his Government believes in Sabka Saath Sabka Vikas. I am asking, Sabka Saath means what? I am asking, किसका साथ? I am telling you, today and yesterday, the workers across the country went on a nationwide strike. Why did they go on a nationwide strike? I mean the workers of all spheres of our economy. They say that this Government is not 'Mazdoor ke Saath' and, then, the Government is with corporate houses. The kisans came to Delhi. They had a huge demonstration but the farmers' distress continues. They say that the Government is not Kisan ke Saath. And, young people are all suffering from unemployment and under-employment. They say that this Government is not युवाओं के साथ। So, किसके साथ, this Government is? They should understand. They talk about reservation for economically weaker sections. Sir, I am telling you that this reservation as a State policy has been conceived and accepted in order to provide affirmative action, in order to take affirmative action for the socially, educationally backward communities. That is the problem. And, reservation based on income criteria is against the legislative intent. I do not know as the concerned Minister is not there and the Law Minister is not there. The reservation based on income criteria is against the legislative intent of the Constituent Assembly. It was evident from the statement of Dr. Ambedkar. You take note of it. You are taking the name of Dr. Ambedkar. It was Dr. Ambedkar who said in the Constituent Assembly that reservation would be ensured only against discrimination imposed by structures determined earlier. Now, I am telling you as to what those structures are. Shri Paswan has left. What is happening in Gujarat? A Dalit boy just started growing his moustache. He was lynched. What is the society we have today in India? What civilization are we talking about? India is a modern nation but a dalit boy cannot grow moustache; he is lynched. A dalit boy cannot ride on a horse back; he is lynched. The shadow of a little girl, who went to fetch water from a public well, fell on others and she was attacked. What is this India, I am asking! Is this what Dr. Ambedkar. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your time is over. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: Is this what Dr. Ambedkar said? My point is, when the Government talks about reservation for economically weaker sections, it means, already 49.5 per cent reservation is there for SC/ST and OBC. Sir, 50.5 per cent is for open category. It is open

[Shri D. Raja]

even to SC/ST and OBC. And you are talking away 10 per cent from that open category. What is the economic criterion? You are referring to Article 15 and Article 46. You read all these Articles in totality. Nowhere, does it talk about economic criteria. It talks about social backwardness and educational backwardness. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Mr. Raja, please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: Now, I am coming to that point. If you are so concerned about the Constitution, then, you look at the Directive Principles of State Policy. Who allowed that the wealth of the nation should be concentrated in the hands of a few individuals? I am asking you. That is part of the Constitution. What is your response to that? And you are backing all corporate houses, big business houses. Now, you have build up the private sector. I am asking the present Government: Does the present Government have the courage to bring a legislation to provide reservation in private sector? I am asking you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude.

SHRI D. RAJA: If you have the courage, you bring the Bill. We will all support. The other day, the Finance Minister said in the other House that the Communists should not stop the benefits meant for the poor people. It is the Communists who have been fighting for education and employment for all. It is the Communists who have been fighting for healthcare and housing for all. It is the Communists who have been fighting for equality, liberty and fraternity among our citizens. That is why I am asking this Government whether this Bill is in tune with the Constitution, whether it will stand before judicial scrutiny, whether it will stand before social scrutiny across the country. That is why I am asking this Government to be magnanimous and not have the election consideration. This democracy will have to survive. The Constitution will have to survive. This nation will have to survive. That is why such a Constitution (Amendment) Bill should not be passed just like that in haste. It has to go to the Select committee as we demand and the entire House will have to support and refer it to the Select committee.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, Shri P. L. Punia.

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): सर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। संविधान के 124 संशोधन बिल पर चर्चा हो रही है और इसमें ऐसे विशेष वर्ग को आरक्षण देने की बात है, जो न एस.सी. में है, न एस.टी. में है, न ओबीसी में है और अपर कास्ट जो रिजर्वेशन से प्रभावित नहीं है, उनको 10 परसेंट रिजर्वेशन देने की बात है।

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए)*

आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में संशोधन करने के उपरांत यह सुविधा उनको उपलब्ध होगी। सर, मैं इस संशोधन बिल को समर्थन देने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। कांग्रेस पार्टी का विचार रहा है कि कुछ ऐसे वर्ग हैं, जो न एस.सी. में हैं, न एस.टी. में हैं, न ओ.बी.सी. में हैं, लेकिन वे बहुत गरीब हैं। वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं। उनके पास कृषि भूमि नहीं है, अन्य साधन नहीं हैं, इनकम के साधन नहीं हैं, इसलिए उनके लिए आरक्षण की आवश्यकता ठीक मानी गई। इसीलिए वर्ष 2014 के Election Manifesto में इसका प्रावधान किया गया। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी की हर चीज से घृणा करती है, नफरत करती है और आलोचना करती है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो हमने अपने Election Manifesto में प्रावधान किया था, उसका idea लेते हुए, वे यह संशोधन बिल लेकर आए हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने Election Manifesto में जो शब्दावली रखी थी, उसी तरह से और लोक सभा में वित्त मंत्री जी ने अपने संबोधन में उसका उल्लेख किया था और Election Manifesto में जो प्रावधान था, उसे भी पढ़कर सुनाया। महोदय, चूंकि उपसभापति जी ने बहुत कम समय दिया है, इसलिए मैं सिर्फ bullet points में ही बात करूंगा। Scheduled Castes की 16.8 परसेंट population है, उसका सिर्फ 15 परसेंट reservation है। इसी प्रकार एसटी की 8.6 परसेंट population है, लेकिन उसका भी reservation 7.5 परसेंट है। ओबीसी की population 54 परसेंट है, उसका reservation केवल 27 परसेंट है। इस तरह से देश की 80 फीसदी जनसंख्या को 49.5 परसेंट reservation प्राप्त है। इस प्रकार देखें, तो बाकी 20 परसेंट को 50.5 परसेंट आरक्षण उपलब्ध है। यह अपनी जगह एक विषम परिस्थिति है। NDA सरकार ने विशेष रूप से यह कर दिया कि reservation category का आदमी general category में compete नहीं कर सकता और उनका general category में recruitment नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार general seat का आदमी reserve seat के लिए compete नहीं कर सकता। इस तरीके से जो बाकी के 20 परसेंट हैं, उनके लिए 50.5 परसेंट reservation किया गया है।

महोदय, आदरणीय कुमारी शैलजा जी ने टीना डाबी का उल्लेख किया कि ऐसी भी topper हैं, जिन्होंने IAS में top किया, लेकिन उन्हें general category में नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें SC category में रखा गया और उन्हें एक reserved seat के against रखा गया। यह दुर्भाग्य की बात है। मैंने यहीं पर, इसी सदन में इसका उल्लेख इसलिए किया कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो होनहार students हैं, युवतियां हैं या लड़कियां हैं, जो general में compete करती हैं, तो उन्हें general में consider किया जाना चाहिए। महोदय, यहां जवाब देते समय और बात करते समय, माननीय कानून मंत्री जी ने कहा था कि उदारता बरतनी चाहिए। श्री झा ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से debate की शुरुआत की थी, उन्होंने कहा था कि उदार मन से इसका स्वागत कीजिए। यह उदारता तो ठीक है, जो आपने general castes के लिए 10 परसेंट का reservation किया और उदारता दिखाई, अच्छा है, हम उसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन यही उदारता आपने SC, ST और OBC के लिए क्यों नहीं दिखाई? इस बात का उल्लेख आदरणीय शैलजा जी ने किया कि आपने Tribal Sub-Plan और Scheduled Sub-Plan खत्म कर दिए। वर्ष 1976 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थीं, तब उन्होंने Tribal Sub-Plan शुरू किया गया और और वर्ष 1980 में जब फिर श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर

[श्री पी. एल. पुनिया]

हुईं, तो Scheduled Castes Sub-Plan शुरू किया गया। इससे monitoring होती थी, इससे accountability establish होती थी। NDA सरकार ने तो पिछले चार-साढ़े चार साल में योजना को ही खत्म कर दिया। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय पुनिया जी, आपने पांच मिनट बोला। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि अब लगभग पौने नौ बज चुके हैं। हम लोगों ने आठ बजे तक बहस को conclude करने की बात कही थी। अन्ततः सवा नौ बजे तक हम सब इसे conclude करें और Voting का process शुरू करेंगे। इसलिए मेरा सभी बचे हुए माननीय सदस्यों से आग्रह है कि तीन-तीन मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करें। ...**(व्यवधान)**... पुनिया जी, आप प्वाइंट्स के रूप में अपनी बात कह कर शीघ्र समाप्त करें। ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए। आपकी कोई बात record पर नहीं जा रही है।

श्री पी.एल. पुनिया: सर, मैं तीन मिनट में अपनी बात कैसे समाप्त करूं? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: संजय जी, मुझे मालूम है, आप बहुत सक्षम हैं। आपमें अपनी बात कहने की बहुत सक्षम कला है। ...**(व्यवधान)**... कृपया आप बैठें। पुनिया जी, आप अपनी बात खत्म करें।

श्री पी.एल. पुनिया: महोदय, हम लोग उम्मीद रखते थे कि इस कैबिनेट में रामविलास पासवान जी हैं और थावर चन्द गहलोत जी हैं, इसलिए हमारे हितों की रक्षा होगी। लेकिन जिस तरह की बातें हुई, इस बीच जिस तरह के डिसीज़न्स लिए गए हैं, जिस तरह से एस.सी./एस.टी. और ओबीसी वर्ग की उपेक्षा हुई है, उससे हमें बहुत निराशा हाथ लगी है। रिजर्वेशन के ऊपर इनकी टेढ़ी नजर है। एस.सी./एस.टी. और ओबीसी वर्ग के लिए अफर्मेटिव एक्शन का वही एक मुख्य साधन है, लेकिन इनकी उस पर टेढ़ी नजर है। यह बार-बार कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी और रिमोट कंट्रोल की तरफ से भी यह कहा जाता है कि रिजर्वेशन को खत्म किया जाए, उसका review किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि उसका review क्यों किया जाए? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: पुनिया जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप इसको conclude करें, already छह ...**(व्यवधान)**...

श्री पी.एल. पुनिया: मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो backlog in vacancies है, उसके लिए आपने स्पेशल रिक्रूटमेंट क्यों नहीं किया? हम यूपीए सरकार के दौरान देखते थे, हर विभाग का, पीएसयूज़ का स्पेशल रिक्रूटमेंट होता था, लेकिन वह स्पेशल रिक्रूटमेंट बंद किया गया। आज लाखों वेकेंसीज़ पड़ी हुई हैं, इसलिए उनका लाभ उनको मिलना चाहिए। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स के लिए आपने कहा कि उसमें एस.सी./एस.टी. वर्ग के लोगों के लिए कोई लिमिट नहीं है, मैं यह जानना चाहता हूं, क्या यह सही नहीं है कि शैड्यूल्ड कास्ट के कैंडिडेट को scholarship पाने के लिए, होस्टल में सुविधा पाने के लिए ढाई लाख की इनकम लिमिट फिक्सड है? इसमें 8 लाख की पात्रता रखी जा रही है, लेकिन अगर शैड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति के लिए ढाई लाख की आमदनी फिक्सड है, तो वहाँ कहाँ का व्यक्ति आएगा? हम यह असलियत भी इस सरकार से जानना चाहते हैं कि इसमें कितने लोगों को exclude किया जा रहा है? इनके अपने कार्यकाल में, जैसे उल्लेख किया ...**(व्यवधान)**... यूजीसी ने कंट्रोल करने का काम किया। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: पुनिया जी, कृपया conclude करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री पी.एल. पुनिया: पूरा रिज़र्वेशन, शैक्षणिक से ...(**व्यवधान**)... एजुकेशन सिस्टम में ...(**व्यवधान**)... पूरा रिजर्वेशन खत्म करने का काम किया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: पुनिया जी, कृपया conclude करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री पी.एल. पुनिया: इंडियन ज्यूडिशियल सिस्टम की - आदरणीय गहलोत जी यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने यहां पर मीटिंग भी बुलाई थी कि संभवत: प्रधान मंत्री जी कुछ विचार करने जा रहे हैं, लेकिन वह जो representation वगैरह दिया था। ...(**व्यवधान**)... उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: 8 मिनट हो चुके हैं, आप कृपया concldue करें। मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री पी.एल. पुनिया: मैं केवल एक बात और कहूंगा। सरकारी क्षेत्र में और पीएसयूज़ में नौकरियां नहीं हैं और जो पीएसयूज़ हैं, वे प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, उनका disinvestment हो रहा है, वहाँ कोई नौकरियां नहीं हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं। ...(**समय की घंटी**)... जब तक वहाँ पर रिज़र्वेशन नहीं होगा, तब तक कैसे काम चलेगा? इंडियन ज्यूडिशियल सर्विस हो ...(**व्यवधान**)... प्राइवेट सेक्टर में रिज़र्वेशन होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... कानून मंत्री जी ने कहा, वित्त मंत्री जी ने कहा कि यह कानून केंद्र पर लागू है, राज्यों पर बाध्यकारी है ...(**व्यवधान**)... उनको रिज़र्वेशन देना होगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: पुनिया जी, अब मैं दूसरे स्पीकर को invite कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... श्रीमती तोटा सीताराम लक्ष्मी। ...(**व्यवधान**)...

श्री पी.एल. पुनिया: मैं यह पूछना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)... क्या यह सही नहीं है कि पूरे के पूरे रिज़र्वेशन सिस्टम का ...(**व्यवधान**)... enabling क्लॉज़ है? ...(**व्यवधान**)... चाहे ...reservation in educational institutions,... reservation in promotions. Nothing shall prevail. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: मैं बताना चाहूंगा ...(**व्यवधान**)... श्रीमती तोटा सीताराम लक्ष्मी। ...(**व्यवधान**)... आपके पास चार मिनट का समय है। ...(**व्यवधान**)... तीन स्पीकर्स हैं, इसलिए कृपा करके एक-एक मिनट में अपनी बात कहें। ...(**व्यवधान**)...

श्री पी.एल. पुनिया: बाध्यकारी नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)... इसलिए ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: प्लीज़ आप खत्म करें। ...(**व्यवधान**)... श्रीमती तोटा सीताराम लक्ष्मी। ...(**व्यवधान**)... सिर्फ आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। ...(**व्यवधान**)... आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... पुनिया जी, अब आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...(**व्यवधान**)... श्रीमती तोटा सीताराम लक्ष्मी ...(**व्यवधान**)... अब आप कहें ...(**व्यवधान**)... आप बोलें।

श्री पी.एल. पुनिया: *

SHRIMATI THOTA SEETHARAMA LAKSHMI (Andhra Pradesh): Hon'ble Deputy Chairman Sir, nearly 50 Parliamentarians were suspended in the other House of Parliament and this Constitution (One Hundred and Twenty Fourth Amendment) Bill, 2019 was listed on the last day of the Sessions. Telugu Desam Party supports this Bill but nearly 50 Members of Parliament belonging to both TDP and AIADMK were suspended from the House in Lok Sabha. TDP Members were suspended for almost four days because they were fighting for the Special Category Status to the State of Andhra Pradesh and demanded to implement all the points mentioned in Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. It is very unfortunate that this Bill is listed in the business on the last day of the session in a hurried manner. This decision of the Central Government to introduce this Bill in haste will do injustice to the people. Sir, Women's Reservation Bill is pending. Reservation for the Kapu Community is pending too. Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh Shri Chandrababu Naidu has allotted thousand crores for the Kapu Reservation. Andhra Pradesh Government has made a resolution for the same and sent it to the Central Government. Sir, all these Bills are pending and yet this Bill has been brought by the Central Government. Sir, I want to make it clear that we support this Constitution (One Hundred and Twenty Fourth Amendment) Bill. Sir, I request that along with this Bill, the Bills for Women's Reservation and Kapu Reservation should be passed. And all the promises made on this floor of the House towards Andhra Pradesh to be fulfilled, including Special Category Status. Sir, the States should also implement 10 per cent reservation for the Economically Backward Communities according to their population census. This Bill is brought in a hurried manner keeping elections in mind and creating confusion among people. Sir, it is better if this Bill is sent to Select Committee where it goes through a thorough scrutiny as suggested by the senior members of the House. I support this Bill. Thank You Sir.

श्री उपसभापति: माननीय संजय सिंह जी। आप कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस विषय पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, आज मुझे वह दृश्य याद आ रहा है कि जब भी यह सरकार कोई फैसला करती है, उसका प्रचार इतने जोर-शोर के साथ किया जाता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि दीपावली का पर्व आ गया। हम लोगों ने यह कई बार देखा है। जब नोटबंदी का फैसला किया गया, पूरे देश में जश्न मनवाया गया। कहा गया कि काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जाली नोट खत्म हो जाएगा। उसका परिणाम

* Not recorded.
† English translation of the original speech delivered in Telugu.

क्या हो गया कि सौ लोगों ने अपनी जिन्दगियाँ लाइन में लग कर खत्म कीं। काला धन तो खत्म नहीं हुआ, जाली नोट भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन देश के अन्दर सौ जिन्दगियाँ लाइन में लग कर खत्म हो गईं और 99.3 प्रतिशत पैसा बैंको में वापस आ गया। यानी नोटबंदी की योजना आपकी एक फेल योजना थी, लेकिन आपने उसका भी जश्न मनवाया। आप GST लेकर आए। आधी रात में हिन्दुस्तान के लोगों को आजादी देने लगे। मान्यवर, बड़ी विचित्र सरकार है कि इस पूरे देश में टैक्स बढ़ाने का भी जश्न मनवा दिया। बोले कि जश्न मनाओ, 5 परसेंट से आपका टैक्स 28 परसेंट हो रहा है, उसका भी जश्न मनवा दिया। आज उसी प्रकार का दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस आरक्षण के तहत आपने गरीब सवर्णों को * देने का काम किया है और उसके बाद भी पूरे देश में जश्न मनवा रहे हैं कि जश्न मनाओ सवर्णों, हम आपको आरक्षण दे रहे हैं। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक सरकार से पूछना चाहता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूँ कि भारत की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजधानी कहाँ है, पूरा देश जानता है और यह दस्तावेज उस राजधानी से आपके पास आया है। वह जो आपकी राजधानी है, उस राजधानी में जो प्रमुख बैठते हैं, वह प्रमुख दलितों के विरोधी हैं, वह प्रमुख पिछड़ों के विरोधी हैं। उसी प्रमुख ने बिहार के चुनाव में कहा था कि इस देश के अन्दर दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... खत्म होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, यह तरीका ठीक नहीं है। ...**(व्यवधान)**... यह तरीका ठीक नहीं है। ...**(व्यवधान)**... यह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप अपनी बात कहें। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: संजय जी, आप अपनी बात कहें, नहीं तो मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊँगा। ...**(व्यवधान)**... प्लीज अपनी बात कहें। ...**(व्यवधान)**...

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित): सर, इसे कार्यवाही से बाहर कीजिए। ...**(व्यवधान)**...सर, इसे कार्यवाही से बाहर कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप लोग बैठें। ...**(व्यवधान)**... कृपया अपनी जगह लें। ...**(व्यवधान)**... कृपया अपनी जगह लें। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, ये वही प्रमुख हैं, यह नागपुर के प्रमुख ने कहा है कि दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करो। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: राकेश जी, कृपया अपनी जगह पर बैठें। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: इसके लिए यह बिल लाया गया है। ...**(व्यवधान)**... दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने की मंशा के साथ यह बिल लाया गया है। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, यह बिल उसकी शुरुआत है। ...**(व्यवधान)**... मैं पूछना चाहता हूँ कि नागपुर में जो प्रमुख बैठते हैं, ...**(व्यवधान)**... 90 साल

* Expunged as ordered by the Chair.

[श्री संजय सिंह]

से वह संस्था काम कर रही है। ...**(व्यवधान)**... सर, अगर मे ऐसे बोलेंगे, तो यह ठीक नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप लोग बैठें। ...**(व्यवधान)**... संजय जी, आप अपनी बात कहें। ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: फिर मैं एक भी स्पीकर को नहीं बोलने दूँगा। ...**(व्यवधान)**... यह गलत बात है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज, आप बैठें। ...**(व्यवधान)**... यह examine होगा, अगर कोई गलत बात होगी, तो उसे रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा। ...**(व्यवधान)**... प्लीज। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: 90 साल से नागपुर, जो इनकी राजधानी है, उस नागपुर की राजधानी में 90 साल से एक भी प्रमुख दलित और पिछड़ा नहीं बैठा है। मान्यवर, यह इनकी मानसिकता है। ...**(व्यवधान)**... ये लोग दलितों और पिछड़ों के विरोधी हैं, इस मंशा के साथ यह बिल लाया गया है। ...**(व्यवधान)**... मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने आठ लाख की सीमा तय कर दी ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: राकेश जी, कृपया आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने आठ लाख की सीमा तय कर दी। ...**(व्यवधान)**... जिस दिन से आम आदमी पार्टी आई है, उस दिन से मिलकर सब विरोध करते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: संजय जी, आप अपनी बात कहें। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: यह आपने नया तरीका अपना लिया है। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, फिर उधर से एक भी स्पीकर नहीं बोलने पाएगा ...**(व्यवधान)**... यह तरीका ठीक नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपके पास सिर्फ एक मिनट का समय है। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: वे लोग तो दस-दस मिनट तक बोले हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपके पास सिर्फ एक मिनट है। ...**(व्यवधान)**... आप जल्दी बोले, नहीं तो मैं अगले स्पीकर पर चला जाऊंगा ...**(व्यवधान)**... संजय जी, मैं पुन: आपको कह रहा हूं, प्लीज़ कन्क्लूड करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं, आपने आठ लाख की सीमा रख दी। आठ लाख की सीमा में लगभग 95 प्रतिशत सवर्ण कवर हो जाएंगे। ...**(व्यवधान)**... फिर आठ लाख की सीमा के ऊपर पांच प्रतिशत सवर्ण बच गए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपका समय खत्म हो गया है, आप जल्दी कल्क्लूड करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: उन लोगों ने दस-दस मिनट बोला है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप अपनी बात कहते रहें, उनकी ओर मत देखें। ...(**व्यवधान**)... मैं आपसे कह रहा हूं, अभी सिर्फ आपकी बात ही रिकार्ड पर जा रही है। ...(**व्यवधान**)... मैं आपसे बार-बार आग्रह कर रहा हूं, अदरवाइज़ मैं दूसरे वक्ता का नाम बुलाऊंगा ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, जो पांच प्रतिशत सवर्ण हैं, वे आठ लाख से ऊपर की आमदनी के हैं, तो 95 प्रतिशत सवर्णों को अपने दस प्रतिशत आरक्षण दे दिया और पांच प्रतिशत, जो अमीर सवर्ण हैं, जो आपके मित्रों की सूची में आते हैं, उनको आपने 40 प्रतिशत जनरल कैटेगरी का कोटा दे दिया कि अब आप उसमें आरक्षण लीजिए। मान्यवर, यह कैसी विसंगति है? यह तो आप गरीब सवर्णों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। ...(**समय की घंटी**)... मैं इस सदन में यह बात कहना चाहता हूं कि पिछड़ों की बात करने वाले और दलितों की बात करने वाले दल यहां पर मौजूद हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है। आज अगर यह बिल पास हो गया, तो याद रखना कि आने वाले दिनों में अपनी मंशा के तहत, जो आरएसएस 90 साल तक किसी दलित को प्रमुख नहीं बना पाई ...(**समय की घंटी**)... वह दलितों और पिछड़ों को आरक्षण ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप अपनी बात को कन्क्लूड करें। ...(**व्यवधान**)... आप अंतिम बात कह कर कन्क्लूड करें। ...(समय की घंटी)...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां डा. लोहिया की बात हुई और डा. लोहिया का नारा था, "चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा एक समान"। मैं बड़े गर्व के साथ इस सदन में कहना चाहता हूं कि उस समान शिक्षा का मार्डल दिल्ली के अंदर, केजरीवाल जी की सरकार ने दुनिया में स्थापित करने का काम किया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आपका समय खत्म हो गया है, प्लीज कन्नक्लूड करें। ...(**व्यवधान**)... आप खत्म करें, नहीं तो मैं दूसरा नाम पुकारूंगा ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, मैं एक बात और कहूंगा ...(**व्यवधान**)... आपने दूसरों को इतना समय दिया, आप मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं?

श्री उपसभापति: आपके पास इतना ही समय था ...(**व्यवधान**)... आपकी पार्टी का जो समय था, मैंने आपको उससे अधिक समय दिया है।

श्री संजय सिंह: मान्यवर, इनका यह तरीका ठीक नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: मैं समय के अनुसार बाध्य हूं, आप अपनी बात जल्द खत्म करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: मान्यवर, मुझे सिर्फ दो मिनट का समय और दीजिए। राज्यों में 26 लाख नौकरियां रिक्त हैं और वहां पर आपकी सरकारें हैं। आप उन रिक्तियों को भरने का काम कीजिए। केन्द्र के अन्दर जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्ज हैं, ड्राइवर से लेकर ...(**समय की घंटी**)... मान्यवर, दो मिनट और दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: ऑलरेडी मैं आपको बहुत अधिक समय दे चुका हूं। ...**(व्यवधान)**... आप एक मिनट में अपनी बात खत्म करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सफाई कर्मी तक के काम में आपने प्राइवेट एजेंसियों को लगा दिया। वहां आरक्षण का क्या होगा? अभी माननीय कानून मंत्री जी यहां पर कह रहे थे कि उनकी पार्टी ने, जब-जब मुख्य मंत्री बनाने की बात आई, पिछड़ो का ख्याल रखा, दलितों का ख्याल रखा। मैं आपसे बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं, राजस्थान में आपकी मुख्यमंत्री कौन थीं? छत्तीसगढ़ में आपके मुख्यमंत्री कौन थे? गोवा में आपके मुख्यमंत्री कौन हैं? उत्तराखंड में आपके मुख्य मंत्री कौन हैं? महाराष्ट्र में आपके मुख्य मंत्री कौन हैं? उत्तर प्रदेश में आपके मुख्य मंत्री कौन हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: संजय जी, आप खत्म करें, मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूं ...**(व्यवधान)**... ऑलरेडी मैंने आपको तीन मिनट अधिक समय दे दिया है, अब आप अपनी बात खत्म करें ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: इस पार्टी की विचारधारा दलितों, पिछड़ों के खिलाफ है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय राकेश सिन्हा जी, आप बोलिए। आपके दल से तीन स्पीकर हैं, मैं आग्रह करूंगा कि आप समय के तहत अपनी बात कहें। ...**(व्यवधान)**... संजय जी, अब आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी। ...**(व्यवधान)**... राकेश जी, आप शुरू करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सिंह: *

श्री उपसभापति: कृपया आप समय का ध्यान रखें। आपकी पार्टी से तीन वक्ता हैं और समय के तहत ही हमें इसे खत्म करना है। अभी माननीय मंत्री जी का जवाब भी होना है और फिर वोटिंग भी होनी है। हम यह बहस अनन्त काल तक नहीं चला सकते। इसकी एक मर्यादा है, एक सीमा है, जिसका पालन हम सब लोगों को करना होगा। अब आप बोलें।

श्री राकेश सिन्हा: उपसभापति महोदय, आज का दिन वह ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन संविधान में एक असाधारण परिवर्तन हो रहा है। इतिहास इसे स्वर्णिम दिन के रूप में जानेगा। मैं इस बिल पर आने से पहले कुछ खुदरा मामले निपटा लेना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं ने एक बात बार-बार कही कि किस विधेयक पर आप कितने दिन बहस कर रहे हैं और एक दिन में बहस करके इसको निपटाना चाहते हैं। मित्रों, 1976 में ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया शान्ति बनाये रखें। आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**... आप चेयर की ओर देख कर अपनी बात कहें। ...**(व्यवधान)**... राकेश जी, आप चेयर की ओर देख कर बोलें। ...**(व्यवधान)**...

श्री राकेश सिन्हा: महोदय, 1976 में संविधान के मूल चरित्र में परिवर्तन करने के लिए इसी हॉल में कितने मिनट लगे, जब सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म शब्दों को जोड़ दिया गया? उस सदन में कौन बैठे

---

* Expunged as ordered by the Chair.

हुए थे? ...(**व्यवधान**)... उपसभापति महोदय, आप जिस विचारधारा के पोषक रहे हैं, वह देश जेल में बन्द था और संविधान में परिवर्तन किया जा रहा था। इसके लिए कांग्रेस पार्टी पहले देश से माफी माँगे। ...(**व्यवधान**)... मैं दूसरी बात निपटाना चाहता हूँ। ...(**व्यवधाना**)... मैं दूसरे मामले को निपटा लेना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: सर ...(**व्यवधान**)...

श्री राकेश सिन्हा: महोदय, जिस पार्टी से संजय सिंह जी हैं और जिस पार्टी की तरफ से वे बोल रहे थे, मैं उम्मीद करूँगा कि अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी किसी दलित व्यक्ति को मुख्य मंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करेगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: सर ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: संजय जी, आप कृपा करके अपनी सीट पर बैठें। ...(**व्यवधान**)... आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जायेगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय सिंह: *

श्री उपसभापति: राकेश जी, आप बोलें। आपकी बात ही रिकार्ड पर जायेगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री राकेश सिन्हा: महोदय, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: संजय जी, आप कृपया अपनी जगह पर बैठें। ...(**व्यवधान**)...

श्री राकेश सिन्हा: महोदय, ...(**व्यवधान**)... वे आज सदन में नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: राकेश जी ...(**व्यवधान**)... आपको अपनी जो बात कहनी है, कृपया इधर देख कर कहें। ...(**व्यवधान**)...

श्री राकेश सिन्हा: उपसभापति महोदय, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए।

श्री राकेश सिन्हा: मैंने कभी किसी को टोका-टाकी नहीं की। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... आप दो मिनट ले चुके हैं। ...(**व्यवधान**)... आपके पास सिार्फ तीन मिनट बाकी हैं। ...(**व्यवधान**)... आप लोग कृपया बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री राकेश सिन्ह: महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो मूल प्रश्न है कि इस संविधान संशोधन का आधार क्या है, इस पर मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। हमने आर्टिकल 15 को क्वोट किया, हमने आर्टिकल 16 को क्वोट किया और उनके प्रावधानों को क्वोट किया, लेकिन जब इस संविधान को आप सचमुच में जानना चाहते हैं, तो इसे संविधान सभा की बहस के आईने में ही देखना पड़ेगा। आखिर आर्टिकल्स 15 और 16 कैसे आये? ये प्रावधान कैसे आये? उसका एक मूल कारण है। संविधान सभा में

* Not recorded.

[श्री राकेश सिन्हा]

9.00 P.M.

दो शब्दों पर बहस हुई थी। वे दो शब्द थे- 'differences' and 'disadvantages' और उस पर घंटो नहीं, दिनों बहस हुई कि 'differences' का क्या meaning है और 'disadvantages' का क्या meaning है? तो उस संविधान सभा में एक बात आयी कि 'differences' का मतलब है- socio-cultural differences that can be overcome, लेकिन उपसभापति महोदय, जो 'disadvantages' हैं, वे historically inflicted disadvantages हैं। वे ऐसे disadvantages हैं, जिनके लिए उनको protection की आवश्यकता है। इसलिए संविधान सभा के तहत संविधान में जो बात आयी, उसमें Scheduled Castes, Scheduled Tribes को और जब बाद में OBCs को हम जोड़ते हैं, तो वह disadvantages की category में आता है। आज मैंने कहा कि यह असाधारण है। उसका एक बड़ा कारण है। संविधान सभा ने जब socio-cultural differences की बात कही और 1976 में आपने 'Sociolism' शब्द को जोड़ा, तो यदि हम 'Socialism' शब्द को लेते हैं, तो वह religion और caste neutral होता है। यह विधेयक religion neutral विधेयक है। भारत के इतिहास में पहली बार आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने एक ऐसा विधेयक लाने का काम किया है, जो सभी धर्मों के सभी गरीब लोगों तक पहुँचने का काम कर रहा है। ...**(व्यवधान)**... आप सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**... मैं इसका एक दूसरा पक्ष बताना चाहता हूँ।

श्री उपसभापति: आपके पास एक मिनट का समय और है। ...**(व्यवधान)**... कृपया अपनी बात खत्म करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय गोयल: महोदय ...**(व्यवधान)**... कृपया इनको 3 मिनट और दे दिये जाएँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: ठीक है। परन्तु आप उनसे आग्रह करें कि वे तीन मिनट बाद स्वत: बैठ जाएँ।

श्री राकेश सिन्हा: उपसभापति महोदय, मेरा तीन मिनट का समय तो टोका-टाकी में चला जाता है।

श्री उपसभापति: आप तीन मिनट में अपनी बात खत्म करें।

श्री राकेश सिन्हा: महोदय, मैंने difference के बारे में कहा कि संविधान सभा में जो socio-cultural differences की बात कही गयी थी, उसमें नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज़ को जोड़ा है, जो कभी थी। Socio-cultural differences में wealth के differences, status के differences, dignity के differences, ये तीनों चीजें missing थीं और नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इन तीनों चीज़ों को जोड़ कर उन differences को संविधान सभा की हकीकत बना कर गरीबों के दरवाजे तक इस विधेयक को ले जाने का काम किया है।

अब मैं दूसरे विधेयक पर आना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...**(व्यवधान)**... यहां राम गोपाल जी और सतीश मिश्रा जी की वाणी में थोड़ी समानता दिखाई पड़ने लगी है। ...**(व्यवधान)**... पता नहीं साइकिल के नीचे हाथी आएगा या हाथी के ऊपर साइकिल आएगी? ...**(व्यवधान)**... मुझे मालूम नहीं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बोले, आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है। ...(**व्यवधान**)... आप कृपया बैठें। ...(**व्यवधान**)...

श्री राकेश सिन्हा: आप चिन्ता मत कीजिए, हम सब पर भारी पड़ने वाले हैं ...(**व्यवधान**)... इसकी चिन्ता बिल्कुल मत कीजिए। ...(**व्यवधान**)... मैं दो बातें कहना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आपके पास सिर्फ दो मिनट का समय है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राकेश सिन्हा: आज राज्य सभा में धर्म के नाम पर आरक्षण की मांग करके इस देश में आज़ादी से पहले की जो राजनीति थी, उसे जीवित करने की कोशिश दोनों नेताओं ने की है। ...(**व्यवधान**)... सभापति महोदय, मैं यहां तीन लोगों के नाम लेना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... श्री आर. लालकृष्ण सिधवा पारसी थे, एच.सी. मुखर्जी ईसाई थे और तज़मुल हुसैन मुस्लिम थे। तीनों के संविधान सभा में दिए भाषण को पढ़ लीजिए। ...(**व्यवधान**)... उन्होंने कहा था कि minority communities का जो creation है, these are creations of the British. Britishers have gone. We have come. With them, the concept of minority has also gone. उन्होंने अपील की थी कि minority शब्द को अपनी dictionary से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। ...(**व्यवधान**)... लेकिन राम गोपाल जी, सतीश मिश्रा जी और कांग्रेस के लोग उस minority शब्द को पहला शब्द बनाकर रखना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)... दो बातें और कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... यहां बार-बार कहा गया कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में क्या किया? ...(**व्यवधान**)... आप जरा शांत रहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: अब आप अपनी बात एक मिनट में खत्म करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री राकेश सिन्हा: सभापति महोदय, मुझे कोई कांग्रेस का नेता यहां बता दे कि 1947 से लेकर 2018 तक किसी पार्टी ने 90,000 लोगों को रोज़गार देने का advertisement एक दिन में निकाला हो - रेलवे का निकला है। ...(**व्यवधान**)... हमारी सरकार के समय 90,000 लोगों की भर्ती का advertisement निकला है। आप कोई ऐसा advertisement निकालकर दिखा दीजिए। ...(**व्यवधान**)... मुद्रा योजना में ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: अब आप अपनी बात समाप्त करें। ...(**व्यवधान**)... पुनिया साहब आप बैठें। ...(**व्यवधान**)... राकेश जी, आप अपनी बात खत्म करें। ...(**व्यवधान**)... मैं दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा। ...(**व्यवधान**)... जो आपके लिए समय तय था, वह आपने ले लिया। ...(**व्यवधान**)...

श्री राकेश सिन्हा: मुद्रा योजना में 12 करोड़ लोगों को ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा, आप कृपया अपनी बात को खत्म करें। ...(**व्यवधान**)... Please conclude.

श्री राकेश सिन्हा: मैं समाप्त कर रहा हूं। मुद्रा योजना में 12 करोड़ लोगों को ऋण दिया गया। ...(**व्यवधान**)... 1,75,312 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। ...(**व्यवधान**)... जिनमें से 55 प्रतिशत OBC and SC, ST के लोग हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: मैं आपको इससे आगे allow नहीं करूंगा। ...**(व्यवधान)**... आप शीघ्र खत्म करें। मैं दूसरे स्पीकर को बुलाता हूं। ...**(व्यवधान)**... Please conclude.

श्री राकेश सिन्हा: माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जो अपने साक्षात्कार में कहा, मैं उसकी याद दिलाना चाहता हूं। एक statesman के नाते उन्होंने विपक्ष के नेताओं से अपील की थी। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: राकेश जी, मुझे दूसरे स्पीकर को बुलाना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**... Please conclude.

श्री राकेश सिन्हा: उच्चतम न्यायालय में राम जन्मभूमि के मुद्दे पर आपने जिस तरह का अड़ंगा डाला, ...**(व्यवधान)**... आप अड़ंगा मत डालिए। ...**(व्यवधान)**... आज आप फिर उसी की तैयारी कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... कपिल सिब्बल साहब की बात का मैं ज़िक्र करना चाहूंगा। ...**(व्यवधान)**... सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को रोकना चाहती है। ...**(व्यवधान)**... मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: राकेश जी, बस हो गया। अब आप बैठिए। मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री राकेश सिन्हा: मैं समाप्त कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: राकेश जी, अब आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... श्री हुसैन दलवई जी - अनुपस्थित। बाकी पार्टीज़ के पास समय नहीं बचा है, Shri K. Ravindra Kumar, you have one minute, please. The mike will automatically go off.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, this is an important Bill which requires a constitutional amendment. This Bill has been introduced in this apex constitutional body without any homework. If a Bill requires any constitutional amendment, for that, a report has to be obtained or it has to be referred to the Select Committee or it has to be studied before weighing the pros and cons of all the institutions. Simply because we are raising objections and supporting the Bill, the Government should not take it for granted. Our objections should be taken into consideration in order to resolve the issues that may come up during the course of implementation of the programme. Whatever it may be, as far as the requirement issues for Economically Backward Classes are concerned, earlier the Apex Court, a Nine-Judge Constitutional Bench, has already struck that down, the issue of ten per cent EBC quota in 1992 itself. Sir, that was not answered in this case. Even subsequent to that, in 2006, in Nagaraj case also, the same principle is upheld. Any reservation, not only reservation to the backward classes, should not exceed 50 per cent. In that case, there is no answer from the Government. This has been introduced in a hurried manner without any debate,

etc. There are so many things to be answered as far as the definition of EBC and other aspects are concerned. Statistics are also required as to how many categories are there, how much reservations are required, how many people are benefited, etc. These aspects have to be studied. There is no study report at all. But what has happened at this stage is that at the fag end of the extended day of this House, they have introduced the Bill in a hurried manner. This doesn't serve the purpose of the public, except the purpose of political gimmick.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. You have got another speaker.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: However, the Andhra Pradesh State Government under the leadership of Nara Chandrababu Naidu has already sent a report to the Central Government for five per cent reservation categorization to Kapu community. That was not considered. There are similar demands from other States. They were also not considered. Without considering the demands made by the States, it is brought. That was being kept aside.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. I will invite another speaker now.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: At the same time, it is brought in a hurried manner. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*... Hon. Husain Dalwaiji. ...*(Interruptions)*... You have only three minutes. Please conclude your speech within that time. ...*(Interruptions)*...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: However, we are supporting this Bill but the Central Government must ensure the implementation of this Bill without any hurdles. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: हुसैन दलवई जी, कृपया तीन मिनट में अपनी बात खत्म करें। ...(**व्यवधान**)... आपकी बात नहीं, सिर्फ हुसैन दलवई जी की बात रिकॉर्ड पर जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: *

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): सर, मुझे खुशी है कि बीजेपी के लोगों ने रिज़र्वेशन की बात रखी है, क्योंकि इन्होंने पूरी जिदगी रिज़र्वेशन के खिलाफ बातें की हैं, लेकिन ईश्वर न्याय इसी तरह से देता है, यह अच्छी बात है। मैं एक तरह से इस बिल का स्वागत करता हूँ। रामदास अठावले जी अभी वहाँ बैठे हुए हैं। मैंने और रामदास अठावले जी ने महाराष्ट्र में कई जगह पब्लिक मीटिंग्ज लेकर, conferences लेकर कहा है कि ऊपर की जाति के लोगों को रिज़र्वेशन में रखिए, क्योंकि अगर इनको नौकरी नहीं मिलती है, तो इनको लगता है कि दलितों को नौकरी मिल जाती है, इसलिए मुझे नहीं मिलती, ओबीसी को

* Not recorded.

[श्री हुसैन दलवई]

नौकरी मिल जाती है, इसलिए मुझे नहीं मिलती, आदिवासियों को नौकरी मिल जाती है, इसलिए मुझे नहीं मिलती। यह जो उनके दिमाग में है, इसे निकालना जरूरी है। यह जो बिल आया है, मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन उसमें इनकम की जो बात की गई है कि कितनी इनकम होनी चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कि गरीब कौन होता है? जिसकी सालाना इनकम आठ लाख है, वह गरीब नहीं कहलाता है। आप सही मायने में वहाँ पर poverty line के नीचे के गरीब की बात करिए और उनको किस तरह से शिक्षा देनी है, किस तरह से नौकरी देनी है, उसके घर का इंतजाम करना है, इस तरह की बात कीजिए। इससे सही मायने में न्याय मिलेगा। मैं यह जानता हूँ कि बाह्मण समाज में भी गरीब लोग हैं, मराठा समाज में बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं, लेकिन मुसलमानों के जितना कोई गरीब नहीं है। इतने सारे भाषणों में बहुत कम लोगों ने मुसलमानों का ज़िक्र किया। महाराष्ट्र में जब रिज़र्वेशन का matter हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि इस तरह से रिज़र्वेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन मुसलमान शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, अगर उसको सरकार चाहती है, तो उस के लिए एजुकेशन में रिज़र्वेशन रख सकती है। यह भी वहाँ की सरकार ने नहीं किया। गहलोत जी, मुझे लगता है कि इसमें 10 परसेंट रिजर्वेशन गलत बात है, मैं चाहता हूँ कि इसमें 10 परसेंट नहीं, कम से कम 20 टका रिज़र्वेशन तो रखिए। 20 परसेंट रिज़र्वेशन रखेंगे, तो उनको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, वह मैं आपको बताता हूँ। आज जो नौकरियाँ मिलती हैं, उनमें बड़े पैमाने पर सबसे ऊपर की जाति के लोगों को मिलती है। अगर आप इसमें केवल 10 टका ही रखेंगे, तो इसका मतलब उनमें से जो गरीब हैं, वे ही वह 10 टका लेकर जाएँगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि दलित और बाह्मण में कोई comparison नहीं हो सकता, भले ही दोनों गरीब हैं। दलित बाह्मण से अमीर भी हो सकता है, लेकिन उसका सोशल स्टेटस बहुत ही ...**(व्यवधान)**... ...**(समय की घंटी)**... ज़रा बोलने तो दीजिए। इसमें भी अन्याय! इसमें भी हमारे ऊपर अन्याय! यह क्या बात है? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपके तीन मिनट हो गए। ...**(व्यवधान)**...

श्री हुसैन दलवई: एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप ...**(व्यवधान)**... आपसे मेरी अपेक्षा थी। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपने तीन मिनट का समय माँगा था, तीन मिनट पूरे हुए। ...**(व्यवधान)**...

श्री हुसैन दलवई: मैं यह कहता हूँ कि इसके बारे में कहीं न कहीं यह होना चाहिए कि अभी आप 10 टका आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मराठा समाज को 16 टका आरक्षण देने की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। अभी यहाँ सही मायने वे सोशली बैकवर्ड हैं, यह सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर यह होता है कि आप इसमें आर्थिक आधार लगाते हैं, तो मेरा कहना यह है कि जब आप इसको 20 टका रखेंगे, तब जो-जो समाज आज रिज़र्वेशन की माँग कर रहा है, उसको उसका फायदा होगा। आप यह करते वक्त सही मायने में दूसरी बात भी कीजिए। ...**(समय की घंटी)**... आप स्कॉलरशिप दीजिए। इसके बाद बोलिए कि हम घर वापसी की बात नहीं करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय हुसैन दलवई जी, आप कन्क्लूड करें, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊँगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री हुसैन दलवई: लिंचिग नहीं करेंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आपके ऑलरेडी चार मिनट हो गए हैं, प्लीज़ बैठें। ...(**व्यवधान**)...

श्री हुसैन दलवई: मैं जान-बूझकर कहता हूँ। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स के लिए आपने ढाई लाख रुपये की लिमिट रखी है और इसमें आप आठ लाख रुपये तक की आय ...(**व्यवधान**)... आप ढाई लाख रुपये से नीचे की आय वालों को यह दीजिए, ऐसा मेरा कहना है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: माननीय दलवई जी, अब मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊँगा। ...(**व्यवधान**)... माननीय दलवई साहब, आप कन्क्लूड करें, अब मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊँगा। ...(**व्यवधान**)... अगले स्पीकर हैं, माननीय अब्दुल वहाब साहब। ...(**व्यवधान**)...

श्री हुसैन दलवई: आपने संविधान के बारे में यह कहा है कि उसके आर्टिकल 14, 15 और 16 में ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: माननीय अब्दुल वहाब, आप दो मिनट में अपनी बात खत्म करें। ...(**व्यवधान**)... आपकी बात ही रिकार्ड पर जाएगी, अब उनकी बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री हुसैन दलवई: *

श्री उपसभापति: वहाब साहब, अगर आप नहीं बोलेगें, तो मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊँगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री हुसैन दलवई: *

श्री उपसभापति: आप बोले, अपनी बात कहें। अब रिकार्ड पर उनकी बात नहीं, आपकी बात जाएगी। ...(**व्यवधान**)... दलवई साहब, अब आप बैठिए, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री हुसैन दलवई: *

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak. इसके लिए हम आपको सलाम, सलाम, सलाम, ट्रिपल सलाम बोलते हैं।

Sir, I strongly oppose the Bill. Maybe I am the first speaker to strongly oppose the Bill. I do so because this is illegitimate and illegal in all senses. This is a draconian Bill that kills the spirit of the Constitution. In 1950, in this very Parliament, such a wonderful Constitution was given to us by our great leaders, including our leaders, Syyed Ahmed and Mohammed Ismail Sahib, along with Dr. Ambedkar and Pandit Jawaharlal Nehru.

* Not recorded.

[Shri Abdul Wahab]

Now they are killing the spirit of the Constitution. I feel that this Bill has come up now because of Akhilesh Yadavji and Behenji because they have made this coalition just before elections. If they had done so tomorrow, this Bill wouldn't have been there. They are the culprits according to me. I am blaming them. ...*(Interruptions)*... They have chosen the wrong time. If they had selected tomorrow or some day after this Session ended, this Bill would not have come. This is actually the situation. This is the way I look at this Bill. All the problem is because of SP and BSP. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: कृपया शांति बनाए रखें। वहाब साहब, आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI ABDUL WAHAB: This Bill is not aimed at poverty eradication. This Bill for reservation is not about the economic criterion in any way. Our Law Minister is a very good lawyer and a very respectable man. I don't know for what reason he has agreed to this overnight decision. I strongly oppose this Bill. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me invite the next speaker. Please conclude. Your time is over.

SHRI ABDUL WAHAB: Thank you very much, Sir, for giving me time.

श्री उपसभापति: माननीय रामदास अठावले जी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : डिप्टी चेयरमैन सर, "सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेन्द्र मोदी जी ने हिम्मत,

इसलिए 2019 में बढ़ेगी उनकी कीमत। ....
"सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा,
नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा,
और 10 परसेंट आरक्षण देने का ले लिया मौका,
लेकिन 70 साल दिया है कांग्रेस ने सवर्णों को *
नरेन्द्र मोदी जी का कारवां आगे चला,
इसलिए गरीब सवर्णों का हुआ है भला।
नरेन्द्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, ...**(व्यवधान)**...
इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला ...**(व्यवधान)**...
सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का,
और 2019 में विजय है उनका पक्का ...**(व्यवधान)**...
नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का,
तो मैं कांग्रेस के खिलाफ मारता हूं छक्का"।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

आज 124वां अमेंडमेड बिल सवर्णों को आरक्षण देने का आ रहा है। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दलितों और आदिवासियों को आरक्षण देने का निर्णय लिया, ओबीसी को आरक्षण मंडल कमीशन के माध्यम से मिला और मैं हमेशा बोलता था कि दलित पर अत्याचार होने का कारण यह है कि सवर्णों को लगता था कि इनको आरक्षण मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है। इसीलिए मैं बार-बार मांग करता रहा कि एससी-एसटी, ओबीसी के आरक्षण को धक्का न लगाकर सवर्णों को आरक्षण दीजिए। आज यह बिल आ गया है। बिल की चर्चा एक दिन में होती है। आप लोग बोल रहे हैं कि इतना लेट क्यों लाए? चुनाव नज़दीक आ गए तो बिल लाने की आवश्यकता थी। ...**(व्यवधान)**... चुनाव जीतने के लिए जो भी करना चाहिए, तुम भी करो, हम भी करते हैं। तुमको जो करना है, करो। अच्छा काम क्या करना है, दो-तीन महीनें में क्या-क्या करना है, इसमें मोदी जी और अमित शाह बहुत होशियार हैं और मैं भी होशियार हूं। लोगों को कैसे कन्विंस करना है, ठीक बात है। अभी तीन राज्यों में हार गए, 15-15 साल मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सरकार थी। लोगों में थोड़ा बदलाव करने की भावना होती है और राजस्थान में 5 साल के बाद एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, ऐसा होता ही था। वह बदलाव होना ही था, तो भी बीजेपी ने बहुत बड़ी कांटे की टक्कर दी है। आपको पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली है। आप लोग बोल रहे हैं कि वर्ष 2019 में ये नहीं आएगी, वह नहीं आएगी, तो आप कैसे आएगी? हम नहीं आएंगे, तो आप कैसे आएंगे? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय अठावले जी, तीन मिनट हो रहे हैं।

श्री रामदास अठावले: अभी सपा और बसपा एक साथ आए हैं। यह अच्छी बात है। ये दोनों एक-दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन अभी मित्र बन गए हैं। शुरू में कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव जी एक साथ आए थे। उन दोनों को एक साथ रहना चाहिए था, लेकिन वे आपस में एक-दूसरे के खिलाफ चले गए। अभी साइकिल और हाथी एक साथ आए हैं। साइकिल पर हाथी बैठता है कि ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: आप उसकी चिंता मत कीजिए।

श्री रामदास अठावले: जो भी है, लेकिन आप लोग आए हैं। आप लोग कोशिश करें।

श्री उपसभापति: नागर जी, कृपया शांत हो जाइए।

श्री रामदास अठावले: उत्तर प्रदेश में आप लोग एक साथ आए, यह अच्छी बात है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। बसपा अगर सपा के साथ चली गई है, तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। एक जमाना था कि हमारे आर.पी.आई. के चार प्रतिनिधि, यह हाथी सिम्बल हमारा था, वह हाथी सिम्बल आपके पास आया है और हाथी मेरी तरफ देख रहा है और उनको उधर खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। और उनको यह लग रहा है कि मंत्री बन गए हैं, इधर थोड़ा खाने के लिए मिलेगा। मिश्रा जी, आपकी पार्टी बड़ी है, हमारी पार्टी छोटी है। जब बहुजन समाज पार्टी ने बाह्मणों का विरोध किया था, तब मैं बोलता था कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बाह्मण जाति का विरोध नहीं किया था, बाह्मणवाद का विरोध किया था और इसीलिए अभी आप सब लोग एक साथ आए हैं, वह अच्छी बात है। आप लोग कुछ भी करें।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: आप भी इधर ही आने वाले हो। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अठावले जी, कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामदास अठावले: मायावती जी का हम आदर करते हैं। वे हमारी और हमारे समाज की बहन हैं। वे बहुत बड़ी ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं। ...**(व्यवधान)**... चार बार मुख्य मंत्री बनी हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: हम तो यह सोच रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अठावले: लेकिन मिश्रा जी, मायावती जी तीन बार बीजेपी का सपोर्ट लेकर मुख्य मंत्री बनी हैं।

श्री उपसभापति: माननीय अठावले जी, आप चेयर की तरफ देखकर बोले और अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामदास अठावले: मैं आपकी तरफ भी देखता हूं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा इनकी तरफ भी देखना पड़ेगा।

श्री उपसभापति: कृपया आप समय सीमा के भीतर अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामदास अठावले: मायावती जी बीजेपी के सपोर्ट से तीन बार मुख्य मंत्री बनी थीं। ...**(व्यवधान)**... इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि दलित विरोधी का नारा देना ठीक नहीं है। आप कोई दूसरा रूप ...**(व्यवधान)**... आज बीजेपी दलितों की है, ...**(व्यवधान)**... बहुजनों की है। ...**(व्यवधान)**... इस बिल में अल्पसंख्यको को भी शामिल कर लिया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया आप कन्क्लूड कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अठावले: हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया कन्क्लूड करें। ...**(व्यवधान)**... अपनी बात कन्क्लूड करें। ...**(व्यवधान)**... अठावले जी, आप चेयर की तरफ देखकर अपनी बात खत्म करें। ...**(व्यवधान)**... अपनी बात खत्म करें। ...**(व्यवधान)**... अपनी जगह पर बैठ जाएं। ...**(व्यवधान)**... आप चेयर की तरफ देखकर एड्रेस करें और अपनी बात खत्म करें। ...**(व्यवधान)**... मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री वीर सिंह: आप दलित विरोधी हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अठावले: आप बीजेपी को मनुवादी समझते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया आप अपनी बात खत्म करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अठावले: आप बीजेपी को मनुवादी समझते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखर: सर, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया आप अपनी बात खत्म करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अठावले: आप सत्ता में थे। ...(**व्यवधान**)... आप इनके सपोर्ट से सत्ता में थे। ...(**व्यवधान**)... अब आपको दिखाई नहीं देता। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: अठावले जी, कृपया आप अपनी बात समाप्त करें। पर्याप्त समय हो गया है। ...(**व्यवधान**)... मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... ऑनरेबल श्री टी.जी. वेंकटेश। ...(**व्यवधान**)... one minute please ...(**व्यवधान**)... आपकी पार्टी समय ले चुकी है।...(**व्यवधान**)...लेकिन मैं पुन: आपको एक मिनट का समय देता हूं। ...(**व्यवधान**)... श्री टी.जी. वेंकटेश आपकी बात ही रिकॉर्ड में जाएगी। ...(**व्यवधान**)... अठावले जी, कृपया आप बैठ जाएं। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ अठावले जी, आपने बहुत समय ले लिया है। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाएं। ...(**व्यवधान**)... सिर्फ श्री टी.जी. वेंकटेश जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी। ...(**व्यवधान**)... किसी और की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ आप बैठ जाएं। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अठवाले: *

श्री उपसभापति: श्री टी.जी. वेंकटेश आप बोलें। ...(**व्यवधान**)...

SHRI T.G. VENKATESH (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman Sir, on behalf of Chandrababu Naiduji, we support the Bill unconditionally for providing 10 per cent reservation quota for Economically Backward Class people in upper castes Bill brought by the Government of India. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: श्री टी.जी. वेंकटेश, आप बोलें। ...(**व्यवधान**)... Please speak. ...*(Interruptions)*... You have got only one minute. ...*(Interruptions)*... Please speak. ...*(Interruptions)*... Otherwise, I will invite other speaker. ...*(Interruptions)*... माननीय अठावले जी, आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI T.G. VENKATESH: On a number of occasions, State Government has recommended reservations for Muslims, Kapu community, Valimiki Community and others. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: आप बोलें। ...(**व्यवधान**)... आप बोलें। ...(**व्यवधान**)...

SHRI T.G. VENKATESH: But, the Central Government has not taken up seriously and kept the State Government's proposal in cold storage. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. T.G. Venkatesh, please continue. ...*(Interruptions)*...

* Not recorded.

SHRI T. G. VENKATESH: The State Government is giving financial assistance though budgetary support to the upper class Economically Backward Classes by creating Corporations like Brahmin Corporation, Kapu Corporation. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: अठावले जी, कृपया आप शांति रखें। ...**(व्यवधान)**...

SHRI T. G. VENKATESH: ...*(Interruptions)*... in the country. ...*(Interruptions)*... In spite of the deficit budget, the State Government is providing all the budgetary support. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: कृपया आपस में बातचीत बंद करें। ...**(व्यवधान)**... प्लीज़, आपस में बातचीत बंद करें। ...**(व्यवधान)**... श्री टी. जी. वेंकटेश ...**(व्यवधान)**...

SHRI T. G. VENKATESH: But, our request is that the Central Government should also give budgetary support to these types of corporations because everybody is well aware that our State's budget was a deficit budget and the State has been divided without applying the mind. Unilaterally, the State has been divided. As per the Constitution, everyone should get the benefit from the Government irrespective of castes and religions. Reservation benefits should be given to all categories of people including the upper classes like Brahmins, Baniyas, Muslims, etc. to create equal opportunities.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. Please conclude. You have already taken two minutes.

SHRI T. G. VENKATESH: Sir, one of my associates got injured and he had to be taken to a hospital. Now, our State shares border with Karnataka and Telangana. When one fellow got injured, he went to a hospital in the adjacent State. They asked him to which State he belonged, which card he was carrying. They asked him whether he had a white card, whether he was a BC, SC or OC. These types of questions are asked whenever people have to go to the hospitals in other States. There has to be a solution to this kind of a problem.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. You have already taken three minutes. I will call the next speaker.

SHRI T. G. VENKATESH: Even when my associate animal got injured and it had to be taken to a hospital in an adjacent State, they did not ask such questions about that animal. So, why such questions are being asked from people?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I will call Shri Jose K. Mani. You have only two minutes. हम लोगों ने बहस से already डेढ़ घंटा अधिक समय ले लिया है।

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, this is a long-awaited social justice towards the economically-weaker sections of the society. I support this Bill in its spirit and hope that it will be utilised for the benefit of the target group it is meant for. Positive affirmation towards the weaker sections of the society will bring them at par with other privileged classes. Urbanisation has also created the urban poor, who mostly strive to find proper shelter, education and employment. These people are mostly the upper classes with lower means at their disposal. This condition has developed post independence and post-industrialisation in India. Hence, this requires our urgent action. We also hope that this will finally be able to do away with the reservation stigma people faced in day-to-day lives with reservation being the panacea for the weaker sections as a whole. However, I am unsure about the legality of the Bill since we are aware of the 50 per cent reservation limit fixed by the Supreme Court. Some clarification has been made by the Law Minister, but we have our own doubt.

Moreover, introduction of the Bill merely two months prior to the elections raises some concerns. We sincerely hope that this is not a gimmick like the demonetization was. I support the Bill, but I would like to ask as to why the Government introduced this Bill on the last day of the session. This is a very important Constitutional Amendment, which needs quality discussion, and it should have been brought up in the initial days.

Sir, to conclude, I would like to say that reservation alone would not lead to poverty alleviation. There is a dearth of jobs in the country with the unemployment being the highest in 27 months. One crore people have lost their jobs in 2018. The unemployment rate in December, 2018, shot up to 7.38 per cent from 6.62 per cent in November, 2018, and 4.78 per cent in December, 2017.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mani, your time is over.

SHRI JOSE K. MANI: Having reservation in jobs with no job in hand will do no justice to the weaker sections of the society. I sincerely hope that this Government will look into these concerns and will solve the crisis of unemployment. With this, I support the passage of the Bill. Thank you, Sir.

श्री उपसभापति: ऑनरेबल श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव। आप कृपया तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

SHRI G. V. L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): Respected Deputy Chairman, Sir, I would like to begin by saluting the hon. Prime Minister for ushering the real era of '*sabka saath, sabka vikas*'. Poor people of this country have waited for generations that a leader will come who will rise above every other consideration of caste and

[Shri G. V. L. Narasimha Rao]

community and support the poor people of this country without any fear or favour, and you have those moments in the last four-and-a-half years, when this country has experienced widespread development and upliftment of the poor people of this country. What had not been done for several decades in this country has been done in span of four-and-a-half years.

Sir, the poor people of this country today realise that here is a real *maha purush*, a real *Mahatma* who has brought development for the poor people of this country. The statistics do not lie. Look at the numbers. Sir, nearly 6 crore women, the poor women across castes and communities have got free LPG supply. Sir, three crore poor households have got electricity. What has not been done? Sir, previous Congress Governments gave slogan *'Garibi Hatao'* but the real leader who has worked for the upliftment of the poor is hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi. I would like to ask our friends from the Opposition, on 22.07.2010, the Sinho Commission Report was submitted and I have with me all the questions that were asked in both the Houses of Parliament, and the stock reply from August, 2010 till February, 2014 was that we have received the report and we are examining the findings of the recommendations. आपने अटकाना, लटकाना, भटकाना, this was the principle that was being followed and we do not believe in the concept of timing, stopping or side-lining. This is the Prime Minister who wants to give justice to all and he has ensured that the poor people of this country get justice. We have also given justice to the farmers of this country. Reports were submitted from 2004 to 2006. The key promise to the farmers of this country of 150 per cent of the cost as MSP was fulfilled by this Government. You only looked at reports but we have delivered. We delivered justice. You only looked at the academics and the intellectual aspects of it. We delivered justice to the poor people of this country. I think, the hon. Prime Minister deserves a great deal of applause for this support and for ensuring social justice.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI G. V. L. NARASIMHA RAO: Sir, I will take a minute more. About employment, Sir, 71 lakh jobs were created in the formal sector last year itself. These are official statistics. Sir, several crore jobs are being created in the informal sector, in the professional sector. In 2013, we were a fragile economy. ...*(Time-Bell rings)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI G. V. L. NARASIMHA RAO: Today, the World Bank report says that we are the fastest growing economy and we will continue to move ahead.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Time-Bell rings)*... Please conclude now...*(Interruptions)*...

SHRI G. V. L. NARASIMHA RAO: Sir, this is what the Government has done. A lot of parties have supported this...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Time-Bell rings)*... ...*(Interruptions)*... I will call another speaker now. Mr. Ahmed Patelji ...*(Interruptions)*...

श्री अहमद पटेल (गुजरात): महोदय, इस बिल पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ बातें कही हैं, अपने विचार रखे हैं, अपने सुझाव रखे हैं। उसमें मैं कोई किसी की आलोचना नहीं करना चाहूंगा, न तो कोई टीका-टिप्पणी करना चाहूंगा और न ही मैं आंकड़े देना चाहूंगा। लेकिन यह सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। लोक सभा में yesterday only, कल प्रश्न सं. 4475 में, Mr. Kotha Prabhakar Reddy ने जो question पूछा था, उसके answer को मैं सिर्फ repeat करना चाहूंगा। क्या सरकार अगड़े समुदायों के गरीब छात्रों की शिक्षा और रोजगार हेतु आरक्षण प्रदान करने की संभावनाओं को तलाश कर रही है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार को अगड़े समुदायों के वर्गों यथा महाराष्ट्र में मराठियों, राजस्थान में राजपूतों और उत्तर प्रदेश में ठाकुरों से उनके समुदायों के कमजोर सदस्यों को आरक्षण प्रदान करने संबंधी मांगें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? This was asked yesterday only, in the Lok Sabha और मंत्री जी का जवाब क्या आ रहा है - "वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।" इसे मैं इस सदन के ध्यान में लाना चाहता था और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि सरकार के काम करने का क्या तरीका है। दायां हाथ क्या कर रहा है, यह बाएं हाथ को पता नहीं है और बायां हाथ क्या कर रहा है, वह दाएं हाथ को पता नहीं है।

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, when we discuss this Bill, the question of employment is the moot point. When you want to extend reservation without creation of employment, reservation cannot be extended. The policies pursued by the Union Government, instead of generating employment, have led to the loss of existing jobs. It is a 'job loss growth'. The existing quota for SC, ST and OBCs is not being filled up. Benefits of reservations are increasingly eroded by the pursuit of aggressive neo-liberal policies and by keeping the private sector outside its purview.

Sir, recently, on September 17, 1.9 crore applicants appeared for the Railway Recruitment Board exam to fill up 62,000 vacancies. These were jobs for gangman, gateman, helpers in electrical and mechanical departments etc. A majority of the candidates, who applied for these posts, were post-graduates. Contrary to the claims of the Union Government of generating jobs in various sectors, during demonetisation itself, 35 lakh jobs were lost due to the impact of demonetisation. Sir, after four and a

[Shri Ritabrata Banerjee]
half years of the Union Government, the data on employment confirms a basic fact that neo-liberal growth and only *bhashan* does not generate employment. According to the Government's statistics, India's GDP grew by 8.2 per cent in the first quarter of this financial year, that is, from April to June, 2018. However, during the same quarter, employment declined by one per cent. This is the reality. This is the Government data. Sir, this shows the all-round failure of the Union Government in generating sufficient employment to meet the requirement of the new entrants every year, which is estimated to be 1.2 crore.

Sir, the policies of the Government have created such a situation where rural employment is huge. Fifty per cent of the workforce in India is in agriculture. The policies of privatisation and opening up of all basic services to the market have resulted in bulk employment in the informal sector. It is here that there is maximum exploitation with no minimum wages, job security and social security benefits. The only other option open is to be 'self-employed', an euphemism for those who can find no other means of livelihood.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI RITABRATA BANERJEE: It is for these desperate people that the hon. Prime Minister has dangled the prospect of 'making pakodas' as a decent livelihood. Sir, 'making pakodas' cannot be a decent livelihood. If the Government wants to implement this reservation. ...*(Time-bell rings)*...

Sir, the youth is being neglected. 54 per cent of youth... ...*(Interruptions)*... Sir, average age of the youth is 25 years. Government needs to emphasize on that. Youth has been cheated, youth has been neglected, and the Government needs to emphasize on that. Thank you, Sir.

श्री उपसभापति: माननीय अमर सिंह जी। कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिएगा।

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, मैं सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं आज प्रात:काल से यहां बैठा हुआ हूँ और पीछे बैठने का लाभ यह है कि पूरे सदन पर नज़र रहती है और भाव-भंगिमाएं समझ में आती हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग यहां पर विरोध कर रहे हैं, वे वोट क्यों दे रहे हैं? वे वोट न दें। इतना गलत बिल है, इतना गंदा बिल है, इतना भद्दा बिल है, तो वोट क्यों देते हो, वोट मत दो। ...(**व्यवधान**)... कुछ लोग ये कहते हैं ...(**व्यवधान**)... जो नहीं दे रहे हैं, अच्छा है, स्वागत है आपका। हम उन लोगों की बात कह रहे हैं जो कि जोर से समर्थन भी कर रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: कृपया आप अपनी बात चेयर को एड्रेस करते हुए बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री अमर सिंह: दूसरी चीज़ मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, वे बड़े लोग हैं, उनका नाम लेने में डर लगता है और ऐसे ही विवाद हो जाएगा कि मन बदलना चाहिए। सवर्णों ने तो क्षत्रिय भगवान राम के समय में अपना मन बदल लिया। सवर्णों ने शबरी के झूठे बेर खाये, अहिल्या को तारा, तब से मन बदल लिया है। पिछड़ों के घरों में कुछ लड़कियां दे दीं, रोटी-बेटी का संबंध कर लिया और क्या चाहते हैं, सब कुछ तो कर लिया! अगर राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत न होते, तो हम भूखों मरते। उन्होंने टूटू-फूटे महलों का जीर्णोद्धार करके हमें रोज़ी-रोटी दी है और "स्वतंत्र पार्टी" का गठन भी इसलिए हुआ कि हमारी रोज़ी-रोटी छीन ली गई। राजगोपालाचारी जी ने इसीलिए स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। अब बहुत दिनों बाद हमारे आरक्षण का सवाल आया है और वह भी गरीब का। यहां तो जो बड़े-बड़े लोग हैं, वे मंडल कमीशन का लाभ ले रहे हैं। आज भी मंडल कमीशन का लाभ कुछ ही समुदायों के अलावा अति पिछड़ों को भी नहीं मिला। उसके बाद हमें जो इस आरक्षण का लाभ मिलेगा, अब अमर सिंह को तो इसका लाभ मिलेगा नहीं, लेकिन जगजीवन राम जी के परिवार को तो मिलेगा, तो संतुलन तो हो रहा है। इस संतुलन के बावजूद देश, काल और परिस्थिति की बात हो रही है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय अमर सिंह जी, दो मिनट हो रहे हैं, इसलिए आप अपनी बात खत्म करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: देश, काल और परिस्थिति की बात हो रही है। ...**(व्यवधान)**... अगर तीन राज्यों के चुनावो से पहले मोदी जी इस आरक्षण को लाते, तो कहते कि अवसरवाद है और अब लाए हैं, तो कह रहे हैं कि चुनावों से पहले लाए हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय अमर सिंह जी, आप अपनी बात समाप्त करें। यदि आप अपनी बात समाप्त नहीं करेंगे, तो मैं अगले माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दे दूंगा। ...**(व्यवधान)**... आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अमर सिंह: उपसभापति महोदय, मैं बस यही कह रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं आखिरी पंक्ति पर हूं। यदि तीन राज्यों के चुनावों से पहले इसे लाया जाता, तो कहते कि राज्यों के चुनावों के लिए लाया गया है और अब लाए हैं, तो कह रहे हैं कि आगामी चुनावों के लिए लाया गया है। इसका मतलब तो यह है कि "चित भी मेरी और पट भी मेरी" ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय अमर सिंह जी, आप अपनी अंतिम बात कहें, अन्यथा मैं अगले माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दे दूंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: उपसभापति जी, मैं अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा-

"दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है
हमें उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते, वफा क्या है।"

कुमारी शैलजा: उपसभापति महोदय, ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रदीप टम्टा (उत्तराखंड): माननीय उपसभापति जी, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी शुरू करें। यदि आपको समय दूंगा, तो अन्य सदस्यों को भी देना पड़ेगा। इसलिए कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ...**(व्यवधान)**... यदि कुछ असंसदीय होगा, तो उसका परीक्षण किया जाएगा और उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: माननीय उपसभापति महोदय, आज यह सदन एक ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रहा है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से एक ऐसा संवैधानिक प्रावधान किया जा रहा है कि उन लाखों परिवार के ऐसे सामान्य वर्ग के लोगों को जो गरीबी रेखा के आस-पास अपना जीवनयापन करने के लिए मजबूर हैं, उन्हें इससे शैक्षणिक संस्थाओं, सरकार की सेवाओं और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। इस विधेयक के बारे में अनेक प्रकार की चर्चाएं हुईं। अब जैसा जिसको सोचने का अवसर मिला, जिस ढंग से सोचा, उसने उस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। मैं यह कह सकता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी ने यह विधेयक अच्छे मन से, सच्चे मन से, अच्छी नीति और अच्छे इरादे से, उन गरीब तबके के लोगों को, जो सामान्य वर्ग की श्रेणी में आते हैं और अभी तक सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ लेने से वे वंचित रहे हैं, उन्हें लाभान्वित करने की दृष्टि से इसमें प्रावधान करने का काम हम कर रहे हैं।

महोदय, हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस संबंध में शंका और आशंकाएं व्यक्त की हैं कि संविधान में प्रावधान नहीं है, फिर आप कैसे कर सकते हैं? कुछ राजनीतिक दलों ने पिछले चुनाव के समय में जो घोषणा-पत्र जारी किया था और उसमें यह कहा था कि अगर वे सरकार में आएंगे, तो सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को भी आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं और विशेषकर आदरणीय आनन्द शर्मा जी और उनकी पार्टी से, क्योंकि उनके चुनाव घोषणा-पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया कि अगर वे सरकार में आएंगे, तो सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था करेंगे। आप वह कौन-सा तरीका अपनाते हैं, जो हमने अपनाया है, यदि आपका तरीका उससे कुछ भिन्न हो, तो बताएं और नहीं, तो एकमात्र उपाय यही है कि संविधान में इस संबंध में आवश्यक प्रावधान किए जाएं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, आप कृपया चेयर को देखकर बोलिए।

श्री थावर चन्द गहलोत: आपने समर्थन किया, आपकी पार्टी ने समर्थन किया, पर आपके बाद ...**(व्यवधान)**... आपकी ही पार्टी के ...**(व्यवधान)**... अच्छे कानून भी थे, अच्छे वकील भी थे, पर आज पता नहीं ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा: माननीय मंत्री महोदय, आप तो सज्जन व्यक्ति हैं। इस समय जो शुभ काम करना है, अगर आप उसमें ऐसी बातें करेंगे तो ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: चलिए, मैं नहीं बोलूंगा।

श्री आनन्द शर्मा: मजबूरी में हम समर्थन कर रहे हैं या आप मजबूरी में लाए हैं, यह बात बताना ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: नहीं, नहीं मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, आप तो मन से कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मंत्री जी, आप चेयर को देखकर संबोधित करें।

श्री थावर चन्द गहलोत: दो-तीन राजनीतिक दलों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों की तरफ से इसका समर्थन किया गया है। मैं उन सबको बहुत-बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय में अपना समर्थन व्यक्त किया है। ...(**व्यवधान**)... माननीय उपसभापति महोदय, अभी तक लगभग तीन दर्जन माननीय सदस्यों ने इस पर विचार व्यक्त किए हैं और सभी ने - मैंने बताया है कि सिर्फ दो-तीन पार्टी के माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है, बाकी सभी ने इसका समर्थन किया है। आनन्द शर्मा जी ने इस पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कुछ बातें कहीं, नेहरू जी का भी उदाहरण दिया गया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की संस्कृति और परंपरा की यह विशेषता है कि उच्च वर्ग के लोगों ने उस समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने का काम किया था और आज उसी आशय से नरेन्द्र मोदी जी, पिछड़े वर्ग से होने के बाद भी सवर्ण वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... यह अपनी संस्कृति की एक विशेषता है। जब-जब ...(**व्यवधान**)... अगर कोई विषय आया है ...(**व्यवधान**)... तब समाज में से ही कुछ लोग आगे आए हैं और उन्होंने एक-दूसरे की मदद करने का काम किया है। ...(**व्यवधान**)... इसके लिए ये दो बड़े उदाहरण बड़े अच्छे हैं। ...(**व्यवधान**)... बीच में डा. भीमराव अम्बेडकर ...(**व्यवधान**)... बाबा साहेब भी आए ...(**व्यवधान**)... उन्होंने भी यह काम किया, पर मैं तो ...(**व्यवधान**)... शुरू और ...(**व्यवधान**)... आज की बात कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा: देश का संविधान उन्होंने बनाया ...(**व्यवधान**)... बाबा साहेब बीच में आए! ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती मीशा भारती: मंत्री जी क्या बोल रहे हैं? बाबा साहेब ...(**व्यवधान**)...

श्री वीर सिंह: बाबा साहेब ने संविधान बनाया ...(**व्यवधान**)...

श्री थावर चन्द गहलोत: मैं मान रहा हूं कि उन्होंने भारत का संविधान बनाया और आरक्षण की व्यवस्था हुई।

श्री उपसभापति: आप कृपया चेयर को देख कर अपनी बात कहें। ...(**व्यवधान**)...

SHRI D. RAJA: Sir, it is not ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raja, you please sit down. ...*(Interruptions)*... आप कृपया बैठें। ...(**व्यवधान**)...

श्री थावर चन्द गहलोत: यह बात सही है कि कांग्रेस ने आरक्षण की व्यवस्था आरंभ की। भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार की है ...(**व्यवधान**)... यह बात और ज्यादा ...(**व्यवधान**)... सही है। ...(**व्यवधान**)... यह जो विधेयक लाया गया है, वह उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए ...(**व्यवधान**)... लिया गया है। ...(**व्यवधान**)... बाद में आदरणीय प्रो. राम गोपाल यादव जी ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा है कि इसका लाभ सही मायने में ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा, परंतु मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो SC/ST और OBC लोगों की आबादी है, उस आबादी का आंकड़ा भी टोटल

[श्री थावर चन्द गहलोत]

आंकड़े के साथ जोड़ लिया गया और यह कह दिया कि 98 प्रतिशत है, इतने प्रतिशत है, इतने प्रतिशत है आदि। SC/ST और OBC वर्गों का जो लगभग 49.5 प्रतिशत का आरक्षण है, वह 49.5 प्रतिशत आरक्षण इससे अलग रहेगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: आप बताइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया, आप अपनी सीट पर बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: हमने उस सीलिंग को टच करने का प्रयास नहीं किया है। ...**(व्यवधान)**... हमने उसके साथ कोई छोड़छाड़ नहीं की है। ...**(व्यवधान)**... वह आरक्षण बरकरार रहेगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: उपसभापति जी ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: थावर जी, आप हाउस में ...**(व्यवधान)**... अपनी बात कहें। ...**(व्यवधान)**... नागर जी, आप अपनी जगह पर बैठें। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: जो वर्तमान आरक्षण व्यवस्था है ...**(व्यवधान)**... उस दायरे में नहीं आने वाले ऐसे सामान्य वर्ग के लोग हैं ...**(व्यवधान)**... और गरीबी रेखा के आस-पास जीवन-यापन करने वाले हैं ...**(व्यवधान)**... इसमें वे ही लोग आएंगे। ...**(व्यवधान)**... यह जो आंकड़ेबाज़ी हुई है, वह असत्य है, निराधार है। ...**(व्यवधान)**... अगर उसमें इस प्रकार से अलग-अलग ब्रेक-अप करके बताया जाता, तो समझ में भी आता। ...**(व्यवधान)**... येन-केन-प्रकारेण ...**(व्यवधान)**... समर्थन तो किया, परंतु यह जो "किंतु", "परंतु", "अपितु" लगाया है, वह उचित नहीं है। ...**(व्यवधान)**... इस सदन के माध्यम से देश की जनता को जो सही संदेश जाना चाहिए, वह इन आंकड़ेबाज़ियों के कारण नहीं गया है। आज की तारीख में 49.5 परसेंट SC/ST/OBC का already आरक्षण है। सामान्य वर्ग के जो बाकी बच्चे हैं, जो वर्तमान आरक्षण व्यवस्था से अलग हैं, उनके लिए यह प्रावधान लागू होने वाला है। ...**(व्यवधान)**... यह विधेयक पारित होने के बाद यह कहा गया है कि कब करेंगे ...**(व्यवधान)**... कैसे करेंगे ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Raja, you please sit down.

श्री थावर चन्द गहलोत: उपसभापति जी, 15(4) और 15(5) में जो प्रावधान हैं, उसके होते हुए भी 15(6) जो बनाया जा रहा है, उसमें यह बात कही है कि 15(4) और 15(5) के होते हुए भी शैक्षणिक संस्थाओं में सामान्य वर्ग के गरीब तबके के छात्र-छात्राओं को 10 परसेंट आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। इसका मतलब अनुच्छेद 15(4) और (5) के होने के बाद भी इस प्रकार का कानून बनाने से नहीं रोका जा सकेगा, यह एक प्रावधान इसमें किया गया है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 16(4) और (5) में जो प्रावधान है, उसके होते हुए भी इसमें अनुच्छेद 16(6) स्थापित किया जा रहा है, जो इस बात का अधिकार देने के लिए पर्याप्त होगा कि ऐसे सामान्य वर्ग के लोगों को भी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान होगा। जब यह प्रावधान हो जाएगा, तब अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कोई जाएगा, तो मेरा अपना विश्वास है कि संवैधानिक प्रावधान होने के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय भी इस निर्णय को ही

मानेगा। इस प्रकार का मेरा विश्वास है। यह मान कर चलिए कि हमने दिखाने के लिए कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ऐसा नहीं किया है। वास्तव में हम यह चाहते हैं, इसीलिए हमने संविधान में यह संशोधन किया, नहीं तो पिछली सरकारों के टाइम जैसे आदेश जारी हुए, हम भी वैसा कर देते और कह देते कि हम क्या करें, कोर्ट ने इसके विपरीत ऐसा फैसला कर दिया है। जहां तक इसे विलम्ब से लाने का प्रश्न है, उसके बारे में मैं पुराना इतिहास बताना चाहूंगा, तो शायद फिर कहा जाएगा कि बिल पास कराना है कि नहीं। ...**(व्यवधान)**... यह तो काका कालेलकर के टाइम से लगातार चलता आ रहा है। नवनीतकृष्णन जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए, देरेक ओब्राइन साहब ने भी अपने विचार व्यक्त किए और समर्थन किया, वाई. एस. चौधरी साहब ने भी समर्थन किया, बांडा प्रकाश जी ने भी समर्थन किया। कई माननीय सदस्यों ने राज्यों में आरक्षण करने के प्रावधान का उल्लेख किया है। अपने यहां आरक्षण सामान्यत: चार प्रकार का है। जातिगत छुआछूत के कारण अनुसूचित जाति का आरक्षण है। उसमें कोई इनकम लिमिट वगैरह या किसी प्रकार की कोई सीलिंग नहीं है। वनांचल में रहने वाले आदिवासियों को भी इसी आधार पर आरक्षण दिया गया है। OBC को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, उसमें केवल महिला होने के कारण आरक्षण दिया गया है। जब महिला होने के कारण आरक्षण दिया जा सकता है, तो सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोगों को भी आरक्षण देना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात conclude करें, क्योंकि 10 बजने वाले हैं। हम लोगों ने लंबी बहस की, कृपया आप conclude करें।

श्री थावर चन्द गहलोत: बहुत सारी बातों का उल्लेख आया और यह कहा गया कि आरक्षण का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। वैसे यह निरंतर प्रक्रिया है। कोई भी सरकार रही हो, यह एक लाख कम ज्यादा जरूर रहा है। वर्तमान में भी है, परन्तु वर्तमान सरकार ने पहले की तुलना में एक लाख रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चला कर भी इसे पूरा करने का प्रयास किया है। अनुसूचित जाति कल्याण, SC Sub-Plan के बारे में बात आई। SC Sub-Plan का नाम बदला गया है, योजना समाप्त नहीं की गई है। पहले वाली सरकारों ने कभी भी 11-12 परसेंट से ज्यादा का आबंटन नहीं किया था, जबकि मापदंड यह है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*... 10 घंटे पूरे होने वाले हैं।

श्री थावर चन्द गहलोत: मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक से संबंधित बात तो मैंने कर दी है, अगर और सभी बातों के लिए आप अनुमति नहीं देंगे, तो मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। फिर कभी जब इस विषय पर चर्चा होगी, तब हम उस पर अपनी बात रखेंगे। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि यह एक ऐतिहासिक बिल है। यह अच्छे इरादे, अच्छी नीति और अच्छी नीयत से लाया गया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया जाए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Shrimati Kanimozhi to vote. Mr. T. K. Rangarajan, you wanted to say something. Please be brief. I would just give you two minutes. Mr. T. K. Rangarajan, please.

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, this is a very important Constitution Amendment Bill. It has to go for a scrutiny. Please send it to the Select Committee. ...*(Interruptions)*... Then, we will discuss it in February Session. So, I press for the Select Committee.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; I shall now put the Amendment moved by Shrimati Kanimozhi to vote. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, I am pressing for Division. Sir,... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please; already Shri T. K. Rangarajan has spoken. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: No, Sir; I moved it. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He told me that it is on behalf of each and everyone. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: I moved the Motion. So, how can he? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, please speak.

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, we oppose the way the Bill has been brought. We think that there has not been enough due diligence. ...*(Interruptions)*... There have been no discussions. ...*(Interruptions)*... Even the Ministry did not know; the Cabinet may not have known about this and the MPs did not know about it. ...*(Interruptions)*... Still, we saw it on television. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: It hasn't been sent to the Standing Committee. I think, now, at least, we have to send this Bill to a Select Committee before it is being passed here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, thank you. I shall now put Amendment moved by Shrimati Kanimozhi to vote. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI: I am pressing for Division.

10.00 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, Division. ...*(Interruptions)*... पहले लॉबीज़ क्लीयर करवाएं। ...**(व्यवधान)**...

Lobbies have been cleared. Now, Secretary-General will explain the voting procedure.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put the Amendment moved by Shrimati Kanimozhi to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shrimati Kanimozhi
2. Shri D. Kupendra Reddy
3. Shri T. K. Rangarajan
4. Shri D. Raja
5. Shri Y. S. Chowdary
6. Prof. Manoj Kumar Jha

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session".

The House divided

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ayes: 17

Noes: 162

Ayes– 17

Abdul Wahab, Shri

Baidya, Shrimati Jharna Das

Banerjee, Shri Ritabrata

Bharti, Shrimati Misha

Elangovan, Shri T. K. S.

Gupta, Shri Prem Chand

Gupta, Shri Sushil Kumar

Jha, Prof. Manoj Kumar

Kanimozhi, Shrimati

Kareem, Shri Elamaram

Karim, Shri Ahmad Ashfaque

Ragesh, Shri K. K.

Raja, Shri D.

Rangarajan, Shri T. K.

Singh, Shri Sanjay

Somaprasad, Shri K.

Viswam, Shri Binoy

Noes– 162

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A. K.

Ashok Siddharth, Shri

Athawale, Shri Ramdas

Babbar, Shri Raj

Bachchan, Shrimati Jaya

Bajpai, Dr. Ashok

Bajwa, Shri Partap Singh

Baluni, Shri Anil

Banda Prakash, Dr.

Bhattacharya, Shri P.

Bhunder, Sardar Balwinder Singh

Biswas, Shri Abir Ranjan

Bora, Shri Ripun

Chakraborty, Shri Subhasish

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chandrashekhar, Shri G. C.

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Chhetri, Shrimati Shanta

Chidambaram, Shri P.

Daimary, Shri Biswajit

Dalwai, Shri Husain

Dasgupta, Shri Swapan

Deb, Shri Pratap Keshari

Desai, Shri Anil

Dhoot, Shri Rajkumar

Dudi, Shri Ram Narain

Dullo, Shri Shamsher Singh

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawarchand

Goel, Shri Vijay

Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai

Gowda, Prof. M. V. Rajeev

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Gupta, Shri Manish

Hanumanthaiah, Dr. L.

Haque, Shri Md. Nadimul

Hariprasad, Shri B. K.

Hassan, Shri Ahamed

Hussain, Shri Syed Nasir

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadhav, Dr. Narendra

Jain, Dr. Anil

Jaitley, Shri Arun

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Javadekar, Shri Prakash

Jha, Shri Prabhat

Joginipally Santosh Kumar, Shri

Judev, Shri Ranvijay Singh

Kalita, Shri Bhubaneswar

Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri

Kardam, Shrimati Kanta

Kashyap, Shri Ram Kumar

Ketkar, Shri Kumar

Khan, Shri Javed Ali

Kom, Shrimati M. C. Mary

Kore, Dr. Prabhakar

Kujur, Shri Santiuse

Mahatme, Dr. Vikas

Malik, Shri Shwait

Mandaviya, Shri Mansukh

Manhas, Shri Shamsher Singh

Mani, Shri Jose K.

Mansingh, Dr. Sonal

Mathur, Shri Om Prakash

Meena, Dr. Kirodi Lal

Misra, Shri Satish Chandra

Mistry, Shri Madhusudan

Mohapatra, Dr. Raghunath

Mukut Mithi, Shri

Muraleedharan, Shri V.

Nadda, Shri Jagat Prakash

Nagar, Shri Surendra Singh

Naqvi, Shri Mukhtar Abbas

Narah, Shrimati Ranee

Nekkanti, Shri Bhaskar Rao

Netam, Shri Ram Vichar

Nirmala Sitharaman, Shrimati

Nishad, Shri Vishambhar Prasad

O'Brien, Shri Derek

Oraon, Shri Samir

Panchariya, Shri Narayan Lal

Pandey, Ms. Saroj

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Praful

Patel, Shri Rajmani

Pawar, Shri Sharad

Perween, Shrimati Kahkashan

Poddar, Shri Mahesh

Prabhu, Shri Suresh

Pradhan, Shri Dharmendra

Prasad, Shri Ravi Shankar

Punia, Shri P. L.

Puri, Shri Hardeep Singh

Rajaram, Shri

Rajbhar, Shri Sakaldeep

Ramesh, Shri C. M.

Ramesh, Shri Jairam

Rao, Dr. K. V. P. Ramachandra

Rao, Shri V. Lakshmikantha

Rao, Shri G. V. L. Narasimha

Rao, Shri Garikapati Mohan

Rathwa Naranbhai Jemlabhai, Shri

Ray, Shri Sukhendu Sekhar

Reddy, Dr. T. Subbarami

Rupala, Shri Parshottam

Sable, Shri Amar Shankar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.

Sahu, Shri Dhiraj Prasad

Saini, Shri Madanlal

Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota

Selja, Kumari

Sen, Ms. Dola

Sen, Dr. Santanu

Shah, Shri Amit Anil Chandra

Shakal, Shri Ram

Shekhar, Shri Neeraj

Shukla, Shri Shiv Pratap

Sibal, Shri Kapil

Singh, Chaudhary Birender

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shri Ajay Pratap

Singh, Shri Akhilesh Prasad

Singh, Shri Amar

Singh, Shri Bashistha Narain

Singh, Shri K. Bhabananda

Singh, Shri Ram Chandra Prasad

Singh, Shri Veer

Sinha, Shri R. K.

Sinha, Shri Rakesh

Soni, Shri Kailash

Soni, Shrimati Ambika

Subhash Chandra, Dr.

Suresh Gopi, Shri

Swamy, Dr. Subramanian

Syiem, Shrimati Wansuk

Tamta, Shri Pradeep

Tankha, Shri Vivek K.

Thakur, Dr. C. P.

Thakur, Shri Ram Nath

Tlau, Shri Ronald Sapa

Tomar, Shri Vijay Pal Singh

Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya

Vadodia, Shri Lal Sinh

Vats, Dr. D. P.

Venkatesh, Shri T. G.

Verma, Shri Ramkumar

Verma, Shri Ravi Prakash

Verma, Shrimati Chhaya

Vora, Shri Motilal

Yadav, Dr. Chandrapal Singh

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Harnath Singh

Yajnik, Dr. Amee

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion regarding consideration of the Bill to vote.

The question is:

That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The House divided.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ayes: 171

Noes: 06

Ayes– 171

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A. K.

Ashok Siddharth, Shri

Athawale, Shri Ramdas

Babbar, Shri Raj

Bachchan, Shrimati Jaya

Baidya, Shrimati Jharna Das

Bajpai, Dr. Ashok

Bajwa, Shri Partap Singh

Baluni, Shri Anil

Banda Prakash, Dr.

Bhattacharya, Shri P.

Bhunder, Sardar Balwinder Singh

Biswas, Shri Abir Ranjan

Bora, Shri Ripun

Chakraborty, Shri Subhasish

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chandrashekhar, Shri G. C.

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Chhetri, Shrimati Shanta

Chidambaram, Shri P.

Daimary, Shri Biswajit

Dalwai, Shri Husain

Dasgupta, Shri Swapan

Deb, Shri Pratap Keshari

Desai, Shri Anil

Dhoot, Shri Rajkumar

Dudi, Shri Ram Narain

Dullo, Shri Shamsher Singh

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawarchand

Goel, Shri Vijay

Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai

Gowda, Prof. M. V. Rajeev

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Gupta, Shri Manish

Hanumanthaiah, Dr. L.

Haque, Shri Md. Nadimul

Hariprasad, Shri B. K.

Hassan, Shri Ahamed

Hussain, Shri Syed Nasir

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadhav, Dr. Narendra

Jain, Dr. Anil

Jaitley, Shri Arun

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Javadekar, Shri Prakash

Jha, Shri Prabhat

Joginipally Santosh Kumar, Shri

Judev, Shri Ranvijay Singh

Kalita, Shri Bhubaneswar

Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri

Kardam, Shrimati Kanta

Kareem, Shri Elamaram

Kashyap, Shri Ram Kumar

Ketkar, Shri Kumar

Khan, Shri Javed Ali

Kom, Shrimati M. C. Mary

Kore, Dr. Prabhakar

Kujur, Shri Santiuse

Mahatme, Dr. Vikas

Mahendra Prasad, Dr.

Malik, Shri Shwait

Mandaviya, Shri Mansukh

Manhas, Shri Shamsher Singh

Mani, Shri Jose K.

Mansingh, Dr. Sonal

Mathur, Shri Om Prakash

Meena, Dr. Kirodi Lal

Memon, Shri Majeed

Misra, Shri Satish Chandra

Mistry, Shri Madhusudan

Mohapatra, Dr. Raghunath

Mukut Mithi, Shri

Muraleedharan, Shri V.

Nadda, Shri Jagat Prakash

Nagar, Shri Surendra Singh

Naqvi, Shri Mukhtar Abbas

Narah, Shrimati Ranee

Nekkanti, Shri Bhaskar Rao

Netam, Shri Ram Vichar

Nirmala Sitharaman, Shrimati

Nishad, Shri Vishambhar Prasad

O'Brien, Shri Derek

Oraon, Shri Samir

Panchariya, Shri Narayan Lal

Pandey, Ms. Saroj

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Praful

Patel, Shri Rajmani

Pawar, Shri Sharad

Perween, Shrimati Kahkashan

Poddar, Shri Mahesh

Prabhu, Shri Suresh

Pradhan, Shri Dharmendra

Prasad, Shri Ravi Shankar

Punia, Shri P. L.

Puri, Shri Hardeep Singh

Ragesh, Shri K. K.

Rajaram, Shri

Rajbhar, Shri Sakaldeep

Ramesh, Shri C. M.

Ramesh, Shri Jairam

Rao, Dr. K. V. P. Ramachandra

Rao, Shri V. Lakshmikantha

Rao, Shri G. V. L. Narasimha

Rao, Shri Garikapati Mohan

Rathwa Naranbhai Jemlabhai, Shri

Ray, Shri Sukhendu Sekhar

Reddy, Dr. T. Subbarami

Rupala, Shri Parshottam

Sable, Shri Amar Shankar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.

Sahu, Shri Dhiraj Prasad

Saini, Shri Madanlal

Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota

Selja, Kumari

Sen, Ms. Dola

Sen, Dr. Santanu

Shah, Shri Amit Anil Chandra

Shakal, Shri Ram

Shekhar, Shri Neeraj

Shukla, Shri Shiv Pratap

Sibal, Shri Kapil

Singh, Chaudhary Birender

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shri Ajay Pratap

Singh, Shri Akhilesh Prasad

Singh, Shri Amar

Singh, Shri Bashistha Narain

Singh, Shri Gopal Narayan

Singh, Shri K. Bhabananda

Singh, Shri Ram Chandra Prasad

Singh, Shri Veer

Sinha, Shri R. K.

Sinha, Shri Rakesh

Somaprasad, Shri K.

Soni, Shri Kailash

Soni, Shrimati Ambika

Subhash Chandra, Dr.

Suresh Gopi, Shri

Swamy, Dr. Subramanian

Syiem, Shrimati Wansuk

Tamta, Shri Pradeep

Tankha, Shri Vivek K.

Thakur, Dr. C. P.

Thakur, Shri Ram Nath

Tlau, Shri Ronald Sapa

Tomar, Shri Vijay Pal Singh

Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya

Vadodia, Shri Lal Sinh

Vats, Dr. D. P.

Venkatesh, Shri T. G.

Verma, Shri Ramkumar

Verma, Shri Ravi Prakash

Verma, Shrimati Chhaya

Vora, Shri Motilal

Yadav, Ch. Sukhram Singh

Yadav, Dr. Chandrapal Singh

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Shri B. Lingaiah

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Harnath Singh

Yajnik, Dr. Amee

Noes– 6

Abdul Wahab, Shri

Bharti, Shrimati Misha

Gupta, Shri Prem Chand

Jha, Prof. Manoj Kumar

Kanimozhi, Shrimati

Karim, Shri Ahmad Ashfaque

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The motion was adopted.

SHRI D. RAJA: Sir, in protest, I am walking out.

(At this stage, the hon. Member left the Chamber)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. In clause 2, there are six Amendments (Nos. 4 to 6) by Shri Elamaram Kareem and Amendments (Nos. 9 to 11) by Shri Vishambhar Prasad Nishad. Mr. Elamaram Kareem, are you moving your Amendments?

CLAUSE 2 - AMENDMENT OF ARTICLE 15

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I move:

(4) That at page 2, line 8, *after* the words "article 30", the words "and also for the employment in private industries and establishments for the classes mentioned in clauses (4) and (5) and also for the economically weaker sections," be *inserted*.

(5) That at page 2, line 9, *after* the word "reservations", the words "for the economically weaker sections" be *inserted*.

(6) That at page 2, line 9, *after* the words "the total seats", the words "or vacancies" be *inserted*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put the Amendments (Nos. 4 to 6) moved by Shri Elamaram Kareem to vote.

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I press for Division.

The House divided.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ayes: 10

Noes: 153

Ayes– 10

Abdul Wahab, Shri

Elangovan, Shri T. K. S.

Hanumanthaiah, Dr. L.

Hussain, Shri Syed Nasir

Jha, Prof. Manoj Kumar

Kanimozhi, Shrimati

Kareem, Shri Elamaram

Ragesh, Shri K. K.

Rangarajan, Shri T.K.

Somaprasad, Shri K.

Noes– 153

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A.K.

Ashok Siddharth, Shri

Athawale, Shri Ramdas

Bachchan, Shrimati Jaya

Baidya, Shrimati Jharna Das

Bajpai, Dr. Ashok

Bajwa, Shri Partap Singh

Baluni, Shri Anil

Banda Prakash, Dr.

Bhattacharya, Shri P.

Bhunder, Sardar Balwinder Singh

Biswas, Shri Abir Ranjan

Bora, Shri Ripun

Chakraborty, Shri Subhasish

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chandrashekhar, Shri G.C.

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Chhetri, Shrimati Shanta

Chidambaram, Shri P.

Daimary, Shri Biswajit

Dasgupta, Shri Swapan

Desai, Shri Anil

Dhoot, Shri Rajkumar

Dudi, Shri Ram Narain

Dullo, Shri Shamsher Singh

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawarchand

Goel, Shri Vijay

Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai

Gowda, Prof. M. V. Rajeev

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Gupta, Shri Manish

Gupta, Shri Prem Chand

Haque, Shri Md. Nadimul

Hariprasad, Shri B. K.

Hassan, Shri Ahamed

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadhav, Dr. Narendra

Jain, Dr. Anil

Jaitley, Shri Arun

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Javadekar, Shri Prakash

Jha, Shri Prabhat

Joginipally Santosh Kumar, Shri

Judev, Shri Ranvijay Singh

Kalita, Shri Bhubaneswar

Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri

Kardam, Shrimati Kanta

Kashyap, Shri Ram Kumar

Ketkar, Shri Kumar

Khan, Shri Javed Ali

Kom, Shrimati M. C. Mary

Kore, Dr. Prabhakar

Kujur, Shri Santiuse

Mahatme, Dr. Vikas

Mahendra Prasad, Dr.

Malik, Shri Shwait

Mandaviya, Shri Mansukh

Manhas, Shri Shamsher Singh

Mani, Shri Jose K.

Mansingh, Dr.Sonal

Mathur, Shri Om Prakash

Meena, Dr. Kirodi Lal

Memon, Shri Majeed

Misra, Shri Satish Chandra

Mistry, Shri Madhusudan

Mohapatra, Dr. Raghunath

Mukut Mithi, Shri

Muraleedharan, Shri V.

Nadda, Shri Jagat Prakash

Naqvi, Shri Mukhtar Abbas

Narah, Shrimati Ranee

Netam, Shri Ram Vichar

Nirmala Sitharaman, Shrimati

Nishad, Shri Vishambhar Prasad

Oraon, Shri Samir

Panchariya, Shri Narayan Lal

Pandey, Ms. Saroj

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Praful

Pawar, Shri Sharad

Perween, Shrimati Kahkashan

Poddar, Shri Mahesh

Prabhu, Shri Suresh

Pradhan, Shri Dharmendra

Prasad, Shri Ravi Shankar

Punia, Shri P. L.

Puri, Shri Hardeep Singh

Rajaram, Shri

Rajbhar, Shri Sakaldeep

Ramesh, Shri C. M.

Ramesh, Shri Jairam

Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra

Rao, Shri V. Lakshmikantha

Rao, Shri G.V.L. Narasimha

Rao, Shri Garikapati Mohan

Rathwa Naranbhai Jemlabhai, Shri

Ray, Shri Sukhendu Sekhar

Reddy, Dr. T. Subbarami

Rupala, Shri Parshottam

Sable, Shri Amar Shankar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.

Saini, Shri Madanlal

Selja, Kumari

Sen, Ms. Dola

Sen, Dr. Santanu

Shah, Shri Amit Anil Chandra

Shakal, Shri Ram

Shekhar, Shri Neeraj

Shukla, Shri Shiv Pratap

Sibal, Shri Kapil

Singh, Chaudhary Birender

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shri Ajay Pratap

Singh, Shri Akhilesh Prasad

Singh, Shri Amar

Singh, Shri Gopal Narayan

Singh, Shri K. Bhabananda

Singh, Shri Ram Chandra Prasad

Singh, Shri Veer

Sinha, Shri R. K.

Sinha, Shri Rakesh

Soni, Shri Kailash

Soni, Shrimati Ambika

Subhash Chandra, Dr.

Suresh Gopi, Shri

Swamy, Dr. Subramanian

Syiem, Shrimati Wansuk

Tamta, Shri Pradeep

Tankha, Shri Vivek K.

Thakur, Dr. C. P.

Tlau, Shri Ronald Sapa

Tomar, Shri Vijay Pal Singh

Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya

Vadodia, Shri Lal Sinh

Vats, Dr. D.P.

Venkatesh, Shri T. G.

Verma, Shri Ramkumar

Verma, Shri Ravi Prakash

Verma, Shrimati Chhaya

Vora, Shri Motilal

Yadav, Dr. Chandrapal Singh

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Harnath Singh

Yajnik, Dr. Amee

The motions were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 9 to 11) by Shri Vishambhar Prasad Nishad. Are you moving?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, यह संविधान संशोधन है और इसमें देश की आबादी के एक भाग को 10 परसेंट आरक्षण दिया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप मूव कर रहे हैं या नहीं? ...**(व्यवधान)**... प्लीज़ conclude करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: सर, मूव कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... हम यह बता रहे हैं कि जब 10 परसेंट कर रहे हैं, तो 5 परसेंट और कर दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you moving or not?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: सर, आप सुनिए ...**(व्यवधान)**... यह 5 परसेंट बढ़ाकर, 15 परसेंट कर दिया जाए। ...**(व्यवधान)**... जिसकी जितनी जनसंख्या है, उसकी उतनी भागीदारी हो जाए। ...**(व्यवधान)**... 85 प्रतिशत आबादी का 85% आरक्षण कर दीजिए और 15 प्रतिशत आबादी का 15% कर दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you moving or not? ...*(Interruptions)*...

SHRI VISHAMBHAR PRASAD NISHAD: Sir, I move:

9. That at page 2, line 1, *before* the words "economically weaker", the words "socially, educationally and" be *inserted.*

10. That at page 2, line 3, *before* the words "economically weaker", the words "Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Backward class, minority and" be *inserted.*

11. That at page 2, line 9, *for* the words "ten per cent", the words "fifteen per cent." be *substituted.*

The questions were put and the motions were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Clause 2 to vote.

The question is:

That Clause 2 stands part of the Bill.

The House divided.

Ayes: 160

Noes: 09

Ayes– 160

Acharya, Shri Prasanna

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A.K.

Ashok Siddharth, Shri

Athawale, Shri Ramdas

Babbar, Shri Raj

Bachchan, Shrimati Jaya

Baidya, Shrimati Jharna Das

Bajpai, Dr. Ashok

Bajwa, Shri Partap Singh

Baluni, Shri Anil

Banda Prakash, Dr.

Banerjee, Shri Ritabrata

Bhattacharya, Shri P.

Bhunder, Sardar Balwinder Singh

Biswas, Shri Abir Ranjan

Bora, Shri Ripun

Chakraborty, Shri Subhasish

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chandrashekhar, Shri G.C.

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Chhetri, Shrimati Shanta

Chidambaram, Shri P.

Daimary, Shri Biswajit

Dalwai, Shri Husain

Dasgupta, Shri Swapan

Desai, Shri Anil

Dhoot, Shri Rajkumar

Dudi, Shri Ram Narain

Dullo, Shri Shamsher Singh

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawarchand

Goel, Shri Vijay

Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai

Gowda, Prof. M. V. Rajeev

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Gupta, Shri Manish

Hanumanthaiah, Dr. L.

Haque, Shri Md. Nadimul

Hariprasad, Shri B. K.

Hassan, Shri Ahamed

Hussain, Shri Syed Nasir

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadhav, Dr. Narendra

Jain, Dr. Anil

Jaitley, Shri Arun

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Javadekar, Shri Prakash

Jha, Shri Prabhat

Joginipally Santosh Kumar, Shri

Judev, Shri Ranvijay Singh

Kalita, Shri Bhubaneswar

Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri

Kardam, Shrimati Kanta

Kareem, Shri Elamaram

Kashyap, Shri Ram Kumar

Ketkar, Shri Kumar

Khan, Shri Javed Ali

Kom, Shrimati M. C. Mary

Kore, Dr. Prabhakar

Kujur, Shri Santiuse

Mahatme, Dr. Vikas

Mahendra Prasad, Dr.

Malik, Shri Shwait

Mandaviya, Shri Mansukh

Manhas, Shri Shamsher Singh

Mansingh, Dr. Sonal

Mathur, Shri Om Prakash

Meena, Dr. Kirodi Lal

Memon, Shri Majeed

Misra, Shri Satish Chandra

Mistry, Shri Madhusudan

Mohapatra, Dr. Raghunath

Mukut Mithi, Shri

Muraleedharan, Shri V.

Nadda, Shri Jagat Prakash

Nagar, Shri Surendra Singh

Naqvi, Shri Mukhtar Abbas

Narah, Shrimati Ranee

Netam, Shri Ram Vichar

Nirmala Sitharaman, Shrimati

Nishad, Shri Vishambhar Prasad

O'Brien, Shri Derek

Oraon, Shri Samir

Panchariya, Shri Narayan Lal

Pandey, Ms. Saroj

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Praful

Pawar, Shri Sharad

Perween, Shrimati Kahkashan

Poddar, Shri Mahesh

Prabhu, Shri Suresh

Pradhan, Shri Dharmendra

Prasad, Shri Ravi Shankar

Punia, Shri P. L.

Puri, Shri Hardeep Singh

Ragesh, Shri K. K.

Rajaram, Shri

Rajbhar, Shri Sakaldeep

Ramesh, Shri C. M.

Ramesh, Shri Jairam

Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra

Rao, Shri G.V.L. Narasimha

Rathwa Naranbhai Jemlabhai, Shri

Reddy, Dr. T. Subbarami

Rupala, Shri Parshottam

Sable, Shri Amar Shankar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.

Saini, Shri Madanlal

Selja, Kumari

Sen, Ms. Dola

Sen, Dr. Santanu

Shah, Shri Amit Anil Chandra

Shakal, Shri Ram

Shekhar, Shri Neeraj

Shukla, Shri Shiv Pratap

Sibal, Shri Kapil

Singh, Chaudhary Birender

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shri Ajay Pratap

Singh, Shri Akhilesh Prasad

Singh, Shri Amar

Singh, Shri Bashistha Narain

Singh, Shri Gopal Narayan

Singh, Shri K. Bhabananda

Singh, Shri Ram Chandra Prasad

Singh, Shri Veer

Sinha, Shri R. K.

Sinha, Shri Rakesh

Somaprasad, Shri K.

Soni, Shri Kailash

Soni, Shrimati Ambika

Subhash Chandra, Dr.

Suresh Gopi, Shri

Swamy, Dr. Subramanian

Syiem, Shrimati Wansuk

Tamta, Shri Pradeep

Tankha, Shri Vivek K.

Thakur, Dr. C. P.

Thakur, Shri Ram Nath

Tlau, Shri Ronald Sapa

Tomar, Shri Vijay Pal Singh

Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya

Vadodia, Shri Lal Sinh

Vats, Dr. D.P.

Verma, Shri Ramkumar

Verma, Shri Ravi Prakash

Verma, Shrimati Chhaya

Vora, Shri Motilal

Yadav, Ch. Sukhram Singh

Yadav, Dr. Chandrapal Singh

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Harnath Singh

Yajnik, Dr. Amee

Noes– 9

Bharti, Shrimati Misha

Elangovan, Shri T. K. S.

Gupta, Shri Prem Chand

Jha, Prof. Manoj Kumar

Kanimozhi, Shrimati

Karim, Shri Ahmad Ashfaque

Rangarajan, Shri T.K.

Rao, Shri V. Lakshmikantha

Venkatesh, Shri T. G.

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting

Clause 2 was added to the Bill.

CLAUSE 3–AMENDMENT OF ARTICLE 16

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In, Clause 3, there are five Amendments: Amendments

(Nos.l to 2) by Shri K.K. Ragesh, Amendment (No.3) by Shri Javed Ali Khan and Amendment (No.7) by Dr. T. Subbarami Reddy and Amendment (No.8) by Shri T.K. Rangarajan.

Mr. K.K. Ragesh are you moving your Amendments?

SHRI K.K. RAGESH (Kerala): The amendment is for providing Reservation in the private sector, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you moving or not?

SHRI K.K. RAGESH: I am moving the amendments.

I move:

(1) That at page 2, line 18, *after* the words "appointments or posts", the words "in Government and private sector" be *inserted.*

(2) That at page 2, *after* line 21, the following be *inserted,* namely:-

(7) "Nothing in this article or in sub-clause (g) of clause (1) of article 19 shall prevent the State from making any special provision, by law, for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in so far as such special provisions relate to their reservation of appointments or posts in Government and private sector."

The House divided.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ayes: 12

Noes: 164

Ayes– 12

Baidya, Shrimati Jharna Das

Bharti, Shrimati Misha

Elangovan, Shri T. K. S.

Gupta, Shri Prem Chand

Jha, Prof. Manoj Kumar

Kanimozhi, Shrimati

Kareem, Shri Elamaram

Karim, Shri Ahmad Ashfaque

Kashyap, Shri Ram Kumar

Ragesh, Shri K. K.

Rangarajan, Shri T.K.

Somaprasad, Shri K.

Noes– 164

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A.K.

Ashok Siddharth, Shri

Athawale, Shri Ramdas

Babbar, Shri Raj

Bachchan, Shrimati Jaya

Bajpai, Dr. Ashok

Bajwa, Shri Partap Singh

Baluni, Shri Anil

Banda Prakash, Dr.

Bhattacharya, Shri P.

Bhunder, Sardar Balwinder Singh

Biswas, Shri Abir Ranjan

Bora, Shri Ripun

Chakraborty, Shri Subhasish

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chandrashekhar, Shri G.C.

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Chhetri, Shrimati Shanta

Chidambaram, Shri P.

Daimary, Shri Biswajit

Dalwai, Shri Husain

Dasgupta, Shri Swapan

Deb, Shri Pratap Keshari

Desai, Shri Anil

Dhoot, Shri Rajkumar

Dudi, Shri Ram Narain

Dullo, Shri Shamsher Singh

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawarchand

Goel, Shri Vijay

Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai

Gowda, Prof. M. V. Rajeev

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Gupta, Shri Manish

Hanumanthaiah, Dr. L.

Haque, Shri Md. Nadimul

Hariprasad, Shri B. K.

Hassan, Shri Ahamed

Hussain, Shri Syed Nasir

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadhav, Dr. Narendra

Jain, Dr. Anil

Jaitley, Shri Arun

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Javadekar, Shri Prakash

Jha, Shri Prabhat

Joginipally Santosh Kumar

Judev, Shri Ranvijay Singh

Kalita, Shri Bhubaneswar

Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri

Kardam, Shrimati Kanta

Ketkar, Shri Kumar

Khan, Shri Javed Ali

Kom, Shrimati M. C. Mary

Kore, Dr. Prabhakar

Kujur, Shri Santiuse

Mahatme, Dr. Vikas

Mahendra Prasad, Dr.

Malik, Shri Shwait

Mandaviya, Shri Mansukh

Manhas, Shri Shamsher Singh

Mani, Shri Jose K.

Mansingh, Dr. Sonal

Mathur, Shri Om Prakash

Meena, Dr. Kirodi Lal

Memon, Shri Majeed

Misra, Shri Satish Chandra

Mistry, Shri Madhusudan

Mohapatra, Dr. Raghunath

Mukut Mithi, Shri

Muraleedharan, Shri V.

Nadda, Shri Jagat Prakash

Nagar, Shri Surendra Singh

Naqvi, Shri Mukhtar Abbas

Narah, Shrimati Ranee

Nekkanti, Shri Bhaskar Rao

Netam, Shri Ram Vichar

Nirmala Sitharaman, Shrimati

Nishad, Shri Vishambhar Prasad

O'Brien, Shri Derek

Oraon, Shri Samir

Panchariya, Shri Narayan Lal

Pandey, Ms. Saroj

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Praful

Patel, Shri Rajmani

Pawar, Shri Sharad

Perween, Shrimati Kahkashan

Poddar, Shri Mahesh

Prabhu, Shri Suresh

Prasad, Shri Ravi Shankar

Pradhan, Shri Dharmendra

Punia, Shri P. L.

Puri, Shri Hardeep Singh

Rajaram, Shri

Rajbhar, Shri Sakaldeep

Ramesh, Shri C. M.

Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra

Rao, Shri V. Lakshmikantha

Rao, Shri G.V.L. Narasimha

Rao, Shri Garikapati Mohan

Rathwa Naranbhai Jemlabhai, Shri

Ray, Shri Sukhendu Sekhar

Reddy, Dr. T. Subbarami

Rupala, Shri Parshottam

Sable, Shri Amar Shankar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.

Sahu, Shri Dhiraj Prasad

Saini, Shri Madanlal

Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota

Selja, Kumari

Sen, Ms. Dola

Sen, Dr. Santanu

Shah, Shri Amit Anil Chandra

Shakal, Shri Ram

Shekhar, Shri Neeraj

Shukla, Shri Shiv Pratap

Sibal, Shri Kapil

Singh, Chaudhary Birender

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shri Ajay Pratap

Singh, Shri Akhilesh Prasad

Singh, Shri Amar

Singh, Shri Bashistha Narain

Singh, Shri Gopal Narayan

Singh, Shri K. Bhabananda

Singh, Shri Ram Chandra Prasad

Singh, Shri Veer

Sinha, Shri R. K.

Sinha, Shri Rakesh

Soni, Shri Kailash

Soni, Shrimati Ambika

Subhash Chandra, Dr.

Suresh Gopi, Shri

Swamy, Dr. Subramanian

Syiem, Shrimati Wansuk

Tamta, Shri Pradeep

Tankha, Shri Vivek K.

Thakur, Dr. C.P.

Thakur, Shri Ram Nath

Tlau, Shri Ronald Sapa

Tomar, Shri Vijay Pal Singh

Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya

Vadodia, Shri Lal Sinh

Vats, Dr. D.P.

Venkatesh, Shri T. G.

Verma, Shri Ramkumar

Verma, Shri Ravi Prakash

Verma, Shrimati Chhaya

Vora, Shri Motilal

Yadav, Ch. Sukhram Singh

Yadav, Dr. Chandrapal Singh

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Harnath Singh

Yajnik, Dr. Amee

The questions were put and the motions were negatived.

श्री उपसभापति: श्री जावेद अली खान, क्या आप मूव कर रहे हैं?

श्री जावेद अली खान: सर, मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। यह मेरा अधिकार है कि मैं अपने अमेंडमेंट के संबंध में कुछ बोलूं। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب جاوید علی خان :** سر، میں ایک منٹ میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا ادھیکار ہے کہ میں اپنے امینڈمینٹ کے سمبندھ میں کچھ بولوں ...(مداخلت)...

†Transliteration in Urdu Script.

श्री उपसभापति: आपने बात कह दी है। आप मूव करेंगे या नहीं, यह बताएँ।

श्री जावेद अली खान: आप मेरी बात सुनेंगे, तब उसी क्रम में मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे सुन लीजिए, प्लीज़। सारे सदन ने चिन्ता की है कि नौकरियां संकुचित हो रही हैं, सरकारी नौकरियाँ नहीं हैं। मेरा कहना यह है कि ...(**व्यवधान**)...

†**جناب جاوید علی خان :** آپ میری بات سنیں گے، تب اسی کرم میں بتاؤں گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ مجھے سن لیجئے، پلیز۔ سارے سدن نے چنتا کی ہے کہ نوکریاں سنکوچت ہو رہی ہیں، سرکاری نوکریاں نہیں ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ...(مداخلت)...

श्री उपसभापति: अब आप कन्क्लूड कीजिए, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: भाषण हो रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जावेद अली खान: भाषण नहीं हो रहा है। यह हमेशा होता है, मैं चार साल से देख रहा हूं। ...(**व्यवधान**)... अमेंडमेंट में यह होता है। ...(**व्यवधान**)... क्या बात कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

†**جناب جاوید علی خان :** بھاشن نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، میں چار سال سے دیکھہ رہا ہوں ...(مداخلت)... امینڈمینٹ میں یہ ہوتا ہے ...(مداخلت)...کیا بات کر رہے ہیں؟ ...(مداخلت)...

श्री उपसभापति: प्लीज़। आपने एक मिनट का समय लिया, अब प्लीज़ खत्म करें। ...(**व्यवधान**)...

श्री जावेद अली खान: मेरा कहना यह है कि चूंकि सरकारी नौकरियां संकुचित हो रही हैं, कम हो रही हैं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में इस आरक्षण को लागू करना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب جاوید علی خان :** میرا کہنا یہ ہے کہ چونکہ سرکاری نوکریاں سنکوچت ہو رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں، اس لئے پرائیویٹ سیکٹر میں اس آرکشن کو لاکو کرنا چاہئے ...(مداخلت)...

श्री उपसभापति: आप मूव कर रहे हैं या नहीं?

श्री जावेद अली खान: मैं अमेंडमेंट को मूव कर रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में यह आरक्षण दिया जाए। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب جاوید علی خان :** میں امینڈمینٹ کو موو کر رہا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی نوکریوں میں یہ آرکشن دیا جائے ...(مداخلت)...

†Transliteration in Urdu Script.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 3) by Shri Javed Ali Khan to vote.

SHRI JAVED ALI KHAN (Uttar Pradesh): Sir, I move:

(3) That at page 2, line 18 *after* the words "appointments or posts", the words "in Government, public and private sector" be *inserted.*

The question was put and the motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, there is one Amendment (No. 7) by Dr. T. Subbarami Reddy. Are you moving your Amendment?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I am not moving, but I want to make one point. Sir, my Amendment is very simple. If the Government has the intention to provide for reservation in education sector, they should provide reservation in polytechnics, IITs, Fashion Design and other technological institutions. Hence, I have included in my Amendment technical and technological institutions for the purpose of giving ten per cent reservation for economically backward classes. So, I am not moving my Amendment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is one Amendment (No.8) by Shri T. K. Rangarajan. Are you moving?

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I move:

(8) That at page 2, line 18, *after* the words "appointments or posts", the words "in all private sector enterprises, organizations and institutions" be *inserted*.

The House divided.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ayes: 12

Noes: 162

Ayes– 12

Abdul Wahab, Shri

Baidya, Shrimati Jharna Das

Bharti, Shrimati Misha

Elangovan, Shri T. K. S.

Gupta, Shri Prem Chand

Jha, Prof. Manoj Kumar

Kanimozhi, Shrimati

Kareem, Shri Elamaram

Karim, Shri Ahmad Ashfaque

Ragesh, Shri K. K.

Rangarajan, Shri T.K.

Somaprasad, Shri K.

Noes– 162

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A.K.

Ashok Siddharth, Shri

Athawale, Shri Ramdas

Babbar, Shri Raj

Bachchan, Shrimati Jaya

Bajwa, Shri Partap Singh

Baluni, Shri Anil

Banda Prakash, Dr.

Bhattacharya, Shri P.

Bhunder, Sardar Balwinder Singh

Biswas, Shri Abir Ranjan

Bora, Shri Ripun

Chakraborty, Shri Subhasish

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chandrashekhar, Shri G.C.

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Chhetri, Shrimati Shanta

Chidambaram, Shri P.

Daimary, Shri Biswajit

Dalwai, Shri Husain

Dasgupta, Shri Swapan

Desai, Shri Anil

Dhoot, Shri Rajkumar

Dudi, Shri Ram Narain

Dullo, Shri Shamsher Singh

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawarchand

Goel, Shri Vijay

Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai

Gowda, Prof. M. V. Rajeev

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Gupta, Shri Manish

Hanumanthaiah, Dr. L.

Haque, Shri Md. Nadimul

Hariprasad, Shri B. K.

Hassan, Shri Ahamed

Hussain, Shri Syed Nasir

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadhav, Dr. Narendra

Jain, Dr. Anil

Jaitley, Shri Arun

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Javadekar, Shri Prakash

Jha, Shri Prabhat

Joginipally Santosh Kumar

Judev, Shri Ranvijay Singh

Kalita, Shri Bhubaneswar

Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri

Kardam, Shrimati Kanta

Kashyap, Shri Ram Kumar

Ketkar, Shri Kumar

Khan, Shri Javed Ali

Kom, Shrimati M. C. Mary

Kore, Dr. Prabhakar

Kujur, Shri Santiuse

Mahatme, Dr. Vikas

Mahendra Prasad, Dr.

Malik, Shri Shwait

Mandaviya, Shri Mansukh

Manhas, Shri Shamsher Singh

Mansingh, Dr. Sonal

Mathur, Shri Om Prakash

Meena, Dr. Kirodi Lal

Memon, Shri Majeed

Misra, Shri Satish Chandra

Mistry, Shri Madhusudan

Mohapatra, Dr. Raghunath

Mukut Mithi, Shri

Muraleedharan, Shri V.

Nadda, Shri Jagat Prakash

Nagar, Shri Surendra Singh

Naqvi, Shri Mukhtar Abbas

Narah, Shrimati Ranee

Nekkanti, Shri Bhaskar Rao

Netam, Shri Ram Vichar

Nirmala Sitharaman, Shrimati

Nishad, Shri Vishambhar Prasad

O'Brien, Shri Derek

Oraon, Shri Samir

Panchariya, Shri Narayan Lal

Pandey, Ms. Saroj

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Praful

Patel, Shri Rajmani

Pawar, Shri Sharad

Perween, Shrimati Kahkashan

Poddar, Shri Mahesh

Prabhu, Shri Suresh

Pradhan, Shri Dharmendra

Prasad, Shri Ravi Shankar

Punia, Shri P. L.

Puri, Shri Hardeep Singh

Rajaram, Shri

Rajbhar, Shri Sakaldeep

Ramesh, Shri C. M.

Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra

Rao, Shri V. Lakshmikantha

Rao, Shri G.V.L. Narasimha

Rao, Shri Garikapati Mohan

Rathwa Naranbhai Jemlabhai, Shri

Ray, Shri Sukhendu Sekhar

Reddy, Dr. T. Subbarami

Rupala, Shri Parshottam

Sable, Shri Amar Shankar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.

Sahu, Shri Dhiraj Prasad

Saini, Shri Madanlal

Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota

Selja, Kumari

Sen, Ms. Dola

Sen, Dr. Santanu

Shah, Shri Amit Anil Chandra

Shakal, Shri Ram

Shekhar, Shri Neeraj

Shukla, Shri Shiv Pratap

Sibal, Shri Kapil

Singh, Chaudhary Birender

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shri Ajay Pratap

Singh, Shri Akhilesh Prasad

Singh, Shri Amar

Singh, Shri Bashistha Narain

Singh, Shri Gopal Narayan

Singh, Shri K. Bhabananda

Singh, Shri Ram Chandra Prasad

Singh, Shri Veer

Sinha, Shri R. K.

Sinha, Shri Rakesh

Soni, Shri Kailash

Soni, Shrimati Ambika

Subhash Chandra, Dr.

Suresh Gopi, Shri

Swamy, Dr. Subramanian

Syiem, Shrimati Wansuk

Tamta, Shri Pradeep

Tankha, Shri Vivek K.

Thakur, Dr. C.P.

Thakur, Shri Ram Nath

Tomar, Shri Vijay Pal Singh

Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya

Vadodia, Shri Lal Sinh

Vats, Dr. D.P.

Venkatesh, Shri T. G.

Verma, Shri Ramkumar

Verma, Shri Ravi Prakash

Verma, Shrimati Chhaya

Vora, Shri Motilal

Yadav, Ch. Sukhram Singh

Yadav, Dr. Chandrapal Singh

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Shri B. Lingaiah

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Harnath Singh

Yajnik, Dr. Amee

The question was put and the motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Clause 3 to vote. The question is:

That Clause 3 stands part of the Bill.

The House divided.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ayes: 168

Noes– 7

Ayes– 168

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A.K.

Ashok Siddharth, Shri

Athawale, Shri Ramdas

Babbar, Shri Raj

Bachchan, Shrimati Jaya

Baidya, Shrimati Jharna Das

Bajpai, Dr. Ashok

Bajwa, Shri Partap Singh

Baluni, Shri Anil

Banda Prakash, Dr.

Banerjee, Shri Ritabrata

Bhattacharya, Shri P.

Bhunder, Sardar Balwinder Singh

Biswas, Shri Abir Ranjan

Bora, Shri Ripun

Chakraborty, Shri Subhasish

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chandrashekhar, Shri G.C.

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Chhetri, Shrimati Shanta

Chidambaram, Shri P.

Daimary, Shri Biswajit

Dalwai, Shri Husain

Dasgupta, Shri Swapan

Deb, Shri Pratap Keshari

Desai, Shri Anil

Dhoot, Shri Rajkumar

Dudi, Shri Ram Narain

Dullo, Shri Shamsher Singh

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawarchand

Goel, Shri Vijay

Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai

Gowda, Prof. M. V. Rajeev

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Gupta, Shri Manish

Hanumanthaiah, Dr. L.

Haque, Shri Md. Nadimul

Hariprasad, Shri B. K.

Hassan, Shri Ahamed

Hussain, Shri Syed Nasir

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadhav, Dr. Narendra

Jain, Dr. Anil

Jaitley, Shri Arun

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Javadekar, Shri Prakash

Jha, Shri Prabhat

Joginipally Santosh Kumar, Shri

Judev, Shri Ranvijay Singh

Kalita, Shri Bhubaneswar

Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri

Kardam, Shrimati Kanta

Kashyap, Shri Ram Kumar

Ketkar, Shri Kumar

Khan, Shri Javed Ali

Kom, Shrimati M. C. Mary

Kore, Dr. Prabhakar

Kujur, Shri Santiuse

Mahatme, Dr. Vikas

Mahendra Prasad, Dr.

Malik, Shri Shwait

Mandaviya, Shri Mansukh

Manhas, Shri Shamsher Singh

Mani, Shri Jose K.

Mansingh, Dr. Sonal

Mathur, Shri Om Prakash

Meena, Dr. Kirodi Lal

Memon, Shri Majeed

Misra, Shri Satish Chandra

Mistry, Shri Madhusudan

Mohapatra, Dr. Raghunath

Mukut Mithi, Shri

Muraleedharan, Shri V.

Nadda, Shri Jagat Prakash

Nagar, Shri Surendra Singh

Naqvi, Shri Mukhtar Abbas

Narah, Shrimati Ranee

Nekkanti, Shri Bhaskar Rao

Netam, Shri Ram Vichar

Nirmala Sitharaman, Shrimati

Nishad, Shri Vishambhar Prasad

O'Brien, Shri Derek

Oraon, Shri Samir

Panchariya, Shri Narayan Lal

Pandey, Ms. Saroj

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Praful

Patel, Shri Rajmani

Pawar, Shri Sharad

Perween, Shrimati Kahkashan

Poddar, Shri Mahesh

Prabhu, Shri Suresh

Pradhan, Shri Dharmendra

Prasad, Shri Ravi Shankar

Punia, Shri P. L.

Puri, Shri Hardeep Singh

Ragesh, Shri K. K.

Rajaram, Shri

Rajbhar, Shri Sakaldeep

Ramesh, Shri C. M.

Ramesh, Shri Jairam

Rangarajan, Shri T.K.

Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra

Rao, Shri G.V.L. Narasimha

Rao, Shri Garikapati Mohan

Rathwa Naranbhai Jemlabhai, Shri

Ray, Shri Sukhendu Sekhar

Reddy, Dr. T. Subbarami

Rupala, Shri Parshottam

Sable, Shri Amar Shankar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.

Sahu, Shri Dhiraj Prasad

Saini, Shri Madanlal

Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota

Selja, Kumari

Sen, Ms. Dola

Shah, Shri Amit Anil Chandra

Shakal, Shri Ram

Shekhar, Shri Neeraj

Shukla, Shri Shiv Pratap

Sibal, Shri Kapil

Singh, Chaudhary Birender

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shri Ajay Pratap

Singh, Shri Akhilesh Prasad

Singh, Shri Amar

Singh, Shri Bashistha Narain

Singh, Shri Gopal Narayan

Singh, Shri K. Bhabananda

Singh, Shri Ram Chandra Prasad

Singh, Shri Veer

Sinha, Shri R. K.

Sinha, Shri Rakesh

Somaprasad, Shri K.

Soni, Shri Kailash

Soni, Shrimati Ambika

Subhash Chandra, Dr.

Suresh Gopi, Shri

Swamy, Dr. Subramanian

Syiem, Shrimati Wansuk

Tamta, Shri Pradeep

Tankha, Shri Vivek K.

Thakur, Dr. C.P.

Thakur, Shri Ram Nath

Tlau, Shri Ronald Sapa

Tomar, Shri Vijay Pal Singh

Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya

Vadodia, Shri Lal Sinh

Vats, Dr. D.P.

Venkatesh, Shri T. G.

Verma, Shri Ramkumar

Verma, Shri Ravi Prakash

Verma, Shrimati Chhaya

Vora, Shri Motilal

Yadav, Dr. Chandrapal Singh

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Harnath Singh

Yajnik, Dr. Amee

Noes– 7

Bharti, Shrimati Misha

Elangovan, Shri T. K. S.

Gupta, Shri Prem Chand

Jha, Prof. Manoj Kumar

Kanimozhi, Shrimati

Karim, Shri Ahmad Ashfaque

Rao, Shri V. Lakshmikantha

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause 1, the Enacting Formula and the Title of the Bill. The question is:

That Clause 1, the Enacting Formula and Title stand part of the Bill.

The House divided.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ayes: 168

Noes : 08

Ayes– 168

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A.K.

Ashok Siddharth, Shri

Athawale, Shri Ramdas

Babbar, Shri Raj

Bachchan, Shrimati Jaya

Baidya, Shrimati Jharna Das

Bajpai, Dr. Ashok

Bajwa, Shri Partap Singh

Baluni, Shri Anil

Banda Prakash, Dr.

Banerjee, Shri Ritabrata

Bhattacharya, Shri P.

Bhunder, Sardar Balwinder Singh

Biswas, Shri Abir Ranjan

Bora, Shri Ripun

Chakraborty, Shri Subhasish

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chandrashekhar, Shri G.C.

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Chhetri, Shrimati Shanta

Chidambaram, Shri P.

Daimary, Shri Biswajit

Dasgupta, Shri Swapan

Deb, Shri Pratap Keshari

Desai, Shri Anil

Dhoot, Shri Rajkumar

Dudi, Shri Ram Narain

Dullo, Shri Shamsher Singh

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawarchand

Goel, Shri Vijay

Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai

Gowda, Prof. M. V. Rajeev

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Hanumanthaiah, Dr. L.

Haque, Shri Md. Nadimul

Hariprasad, Shri B. K.

Hassan, Shri Ahamed

Hussain, Shri Syed Nasir

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadhav, Dr. Narendra

Jain, Dr. Anil

Jaitley, Shri Arun

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Javadekar, Shri Prakash

Jha, Shri Prabhat

Joginipally Santosh Kumar, Shri

Judev, Shri Ranvijay Singh

Kalita, Shri Bhubaneswar

Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri

Kardam, Shrimati Kanta

Kareem, Shri Elamaram

Kashyap, Shri Ram Kumar

Ketkar, Shri Kumar

Khan, Shri Javed Ali

Kom, Shrimati M. C. Mary

Kore, Dr. Prabhakar

Kujur, Shri Santiuse

Mahatme, Dr. Vikas

Mahendra Prasad, Dr.

Malik, Shri Shwait

Mandaviya, Shri Mansukh

Manhas, Shri Shamsher Singh

Mani, Shri Jose K.

Mansingh, Dr.Sonal

Mathur, Shri Om Prakash

Meena, Dr. Kirodi Lal

Memon, Shri Majeed

Misra, Shri Satish Chandra

Mistry, Shri Madhusudan

Mohapatra, Dr. Raghunath

Muraleedharan, Shri V.

Nadda, Shri Jagat Prakash

Nagar, Shri Surendra Singh

Naqvi, Shri Mukhtar Abbas

Narah, Shrimati Ranee

Nekkanti, Shri Bhaskar Rao

Netam, Shri Ram Vichar

Nirmala Sitharaman, Shrimati

Nishad, Shri Vishambhar Prasad

O'Brien, Shri Derek

Oraon, Shri Samir

Panchariya, Shri Narayan Lal

Pandey, Ms. Saroj

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Praful

Patel, Shri Rajmani

Pawar, Shri Sharad

Perween, Shrimati Kahkashan

Poddar, Shri Mahesh

Prabhu, Shri Suresh

Pradhan, Shri Dharmendra

Prasad, Shri Ravi Shankar

Punia, Shri P. L.

Puri, Shri Hardeep Singh

Ragesh, Shri K. K.

Rajaram, Shri

Rajbhar, Shri Sakaldeep

Ramesh, Shri C. M.

Ramesh, Shri Jairam

Rangarajan, Shri T.K.

Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra

Rao, Shri G.V.L. Narasimha

Rao, Shri Garikapati Mohan

Rathwa Naranbhai Jemlabhai, Shri

Ray, Shri Sukhendu Sekhar

Reddy, Dr. T. Subbarami

Rupala, Shri Parshottam

Sable, Shri Amar Shankar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.

Sahu, Shri Dhiraj Prasad

Saini, Shri Madanlal

Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota

Selja, Kumari

Sen, Ms. Dola

Sen, Dr. Santanu

Shah, Shri Amit Anil Chandra

Shakal, Shri Ram

Shekhar, Shri Neeraj

Shukla, Shri Shiv Pratap

Sibal, Shri Kapil

Singh, Chaudhary Birender

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shri Ajay Pratap

Singh, Shri Akhilesh Prasad

Singh, Shri Amar

Singh, Shri Bashistha Narain

Singh, Shri Gopal Narayan

Singh, Shri K. Bhabananda

Singh, Shri Ram Chandra Prasad

Singh, Shri Veer

Sinha, Shri R. K.

Sinha, Shri Rakesh

Somaprasad, Shri K.

Soni, Shri Kailash

Soni, Shrimati Ambika

Subhash Chandra, Dr.

Suresh Gopi, Shri

Swamy, Dr. Subramanian

Syiem, Shrimati Wansuk

Tamta, Shri Pradeep

Tankha, Shri Vivek K.

Thakur, Dr. C.P.

Thakur, Shri Ram Nath

Tlau, Shri Ronald Sapa

Tomar, Shri Vijay Pal Singh

Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya

Vadodia, Shri Lal Sinh

Vats, Dr. D.P.

Venkatesh, Shri T. G.

Verma, Shri Ramkumar

Verma, Shri Ravi Prakash

Vora, Shri Motilal

Yadav, Ch. Sukhram Singh

Yadav, Dr. Chandrapal Singh

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Shri B. Lingaiah

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Harnath Singh

Yajnik, Dr. Amee

Noes– 8

Abdul Wahab, Shri

Bharti, Shrimati Misha

Elangovan, Shri T. K. S.

Gupta, Shri Prem Chand

Jha, Prof. Manoj Kumar

Kanimozhi, Shrimati

Karim, Shri Ahmad Ashfaque

Rao, Shri V. Lakshmikantha

The motions were carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

Clause 1, the Enacting Formula and Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Minister, you move that the Bill be passed.

श्री थावर चन्द गहलोत: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

The House divided.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ayes : 171

Noes : 07

Ayes– 171

Acharya, Shri Prasanna

Agrawal, Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A.K.

Ashok Siddharth, Shri

Athawale, Shri Ramdas

Babbar, Shri Raj

Bachchan, Shrimati Jaya

Baidya, Shrimati Jharna Das

Bajpai, Dr. Ashok

Bajwa, Shri Partap Singh

Baluni, Shri Anil

Banda Prakash, Dr.

Banerjee, Shri Ritabrata

Bhattacharya, Shri P.

Bhunder, Sardar Balwinder Singh

Biswas, Shri Abir Ranjan

Bora, Shri Ripun

Chakraborty, Shri Subhasish

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chandrashekhar, Shri G.C.

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Chhetri, Shrimati Shanta

Chidambaram, Shri P.

Daimary, Shri Biswajit

Dalwai, Shri Husain

Dasgupta, Shri Swapan

Deb, Shri Pratap Keshari

Desai, Shri Anil

Dhoot, Shri Rajkumar

Dudi, Shri Ram Narain

Dullo, Shri Shamsher Singh

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawarchand

Goel, Shri Vijay

Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai

Gowda, Prof. M. V. Rajeev

Goyal, Shri Piyush

Gujral, Shri Naresh

Gupta, Shri Manish

Hanumanthaiah, Dr. L.

Haque, Shri Md. Nadimul

Hariprasad, Shri B. K.

Hassan, Shri Ahamed

Hussain, Shri Syed Nasir

Irani, Shrimati Smriti Zubin

Jadhav, Dr. Narendra

Jain, Dr. Anil

Jaitley, Shri Arun

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Javadekar, Shri Prakash

Jha, Shri Prabhat

Joginipally Santosh Kumar, Shri

Judev, Shri Ranvijay Singh

Kalita, Shri Bhubaneswar

Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri

Kardam, Shrimati Kanta

Kareem, Shri Elamaram

Kashyap, Shri Ram Kumar

Ketkar, Shri Kumar

Khan, Shri Javed Ali

Kom, Shrimati M. C. Mary

Kore, Dr. Prabhakar

Kujur, Shri Santiuse

Mahatme, Dr. Vikas

Mahendra Prasad, Dr.

Malik, Shri Shwait

Mandaviya, Shri Mansukh

Manhas, Shri Shamsher Singh

Mani, Shri Jose K.

Mansingh, Dr. Sonal

Mathur, Shri Om Prakash

Meena, Dr. Kirodi Lal

Memon, Shri Majeed

Misra, Shri Satish Chandra

Mistry, Shri Madhusudan

Mohapatra, Dr. Raghunath

Mukut Mithi, Shri

Muraleedharan, Shri V.

Nadda, Shri Jagat Prakash

Nagar, Shri Surendra Singh

Naqvi, Shri Mukhtar Abbas

Narah, Shrimati Ranee

Nekkanti, Shri Bhaskar Rao

Netam, Shri Ram Vichar

Nirmala Sitharaman, Shrimati

O'Brien, Shri Derek

Oraon, Shri Samir

Panchariya, Shri Narayan Lal

Pandey, Ms. Saroj

Patel, Shri Ahmed

Patel, Shri Praful

Patel, Shri Rajmani

Pawar, Shri Sharad

Perween, Shrimati Kahkashan

Poddar, Shri Mahesh

Prabhu, Shri Suresh

Pradhan, Shri Dharmendra

Prasad, Shri Ravi Shankar

Punia, Shri P. L.

Puri, Shri Hardeep Singh

Ragesh, Shri K. K.

Rajaram, Shri

Rajbhar, Shri Sakaldeep

Ramesh, Shri C. M.

Ramesh, Shri Jairam

Rangarajan, Shri T.K.

Rao, Dr. K.V.P. Ramachandra

Rao, Shri V. Lakshmikantha

Rao, Shri G.V.L. Narasimha

Rao, Shri Garikapati Mohan

Rathwa Naranbhai Jemlabhai, Shri

Ray, Shri Sukhendu Sekhar

Reddy, Dr. T. Subbarami

Rupala, Shri Parshottam

Sable, Shri Amar Shankar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.

Sahu, Shri Dhiraj Prasad

Saini, Shri Madanlal

Seetharama Lakshmi, Shrimati Thota

Selja, Kumari

Sen, Ms. Dola

Sen, Dr. Santanu

Shah, Shri Amit Anil Chandra

Shakal, Shri Ram

Shekhar, Shri Neeraj

Shukla, Shri Shiv Pratap

Sibal, Shri Kapil

Singh, Chaudhary Birender

Singh, Dr. Manmohan

Singh, Shri Ajay Pratap

Singh, Shri Akhilesh Prasad

Singh, Shri Amar

Singh, Shri Bashistha Narain

Singh, Shri Gopal Narayan

Singh, Shri K. Bhabananda

Singh, Shri Ram Chandra Prasad

Singh, Shri Veer

Sinha, Shri R. K.

Sinha, Shri Rakesh

Somaprasad, Shri K.

Soni, Shri Kailash

Soni, Shrimati Ambika

Subhash Chandra, Dr.

Suresh Gopi, Shri

Swamy, Dr. Subramanian

Syiem, Shrimati Wansuk

Tamta, Shri Pradeep

Tankha, Shri Vivek K.

Thakur, Dr. C.P.

Thakur, Shri Ram Nath

Tlau, Shri Ronald Sapa

Tomar, Shri Vijay Pal Singh

Tundiya, Mahant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya

Vadodia, Shri Lal Sinh

Vats, Dr. D.P.

Venkatesh, Shri T. G.

Verma, Shri Ramkumar

Verma, Shri Ravi Prakash

Verma, Shrimati Chhaya

Vora, Shri Motilal

Yadav, Ch. Sukhram Singh

Yadav, Dr. Chandrapal Singh

Yadav, Prof. Ram Gopal

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Harnath Singh

Yajnik, Dr. Amee

Noes– 7

Abdul Wahab, Shri

Bharti, Shrimati Misha

Elangovan, Shri T. K. S.

Gupta, Shri Prem Chand

Jha, Prof. Manoj Kumar

Kanimozhi, Shrimati

Karim, Shri Ahmad Ashfaque

The motion was carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Congratulations, Mr. Minister. The Bill is passed.

SPECIAL MENTIONS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall, now, take up Special Mentions. सिर्फ lay करें। श्री विशम्भर प्रसाद निषाद।

Demand to start work on railway lines connecting Fatehpur, Uttar Pradesh and Panna, Madhya Pradesh

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, उत्तर मध्य रेलवे अंतर्गत फतेहपुर उ.प्र.-पन्ना, म.प्र., वाया अतर्रा एवं सिमौनी धाम (बबेरू) फतेहपुर के मध्य नई रेल लाइन निर्माण के लिए सर्वे रिपोर्ट मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है, जिस पर जनहित में कार्य प्रारम्भ कराया जाना अति आवश्यक है।

इस रेल लाइन के निर्माण से पन्ना, कालिंजर पर्यटक स्थल, सिमौनी धाम पर्यटक स्थल जुड़ेंगे, जिससे लाखों तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी। सिमौनी धाम में प्रत्येक वर्ष दिसम्बर में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए हर वर्ष आते हैं, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर मेला भी आयोजित किया जाता है। इसमें देश-विदेश के पर्यटक भारी संख्या में रहते हैं। इस नई रेल लाइन के निर्माण से रेलवे की आय में भी भारी वृद्धि होगी और तीर्थाटन के लिहाज से श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं मिलेंगी। मेरी सदन के माध्यम से मांग है कि उत्तर मध्य रेलवे अंतर्गत फतेहपुर, उ.प्र. - पन्ना, म.प्र. वाया अतर्रा एवं सिमौनी धाम (बबेरू) फतेहपुर के मध्य 160 किलोमीटर की नई रेल लाइन का निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ किए जाने हेतु रेल मंत्रालय आवश्यक निर्देश दें, जिससे यात्रियों को समय से सुविधाएं मिल सकें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Tiruchi Siva. He is absent. Shri Partap Singh Bajwa.

Bestowing title of 'Shaheed' to honour Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev and Chandrashekhar Azad

SHRI PARTAP SINGH BAJWA (Punjab): We achieved independence from an

oppressive and exploitative rule because of great men and women in days gone by who gave up all concern for their own future, their own families and their very lives. It is our duty to always remember these sacrifices and honour their memories. It pains me to say that we are failing in our duty to do so. The demand to officially honour the sacrifices of Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev and Chandrashekhar Azad is not a new one. The Law Minister even responded previously talking about how the Government is completely in agreement and will bestow the titles immediately. I put forward the demand once again to the Government -Bestow the title of 'Shaheed' an honour, on Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev and Chandrashekhar Azad. This is not just about respect and honour. Once the title of Shaheed is bestowed on them, the Government must also include the respective descendants of these four men into the list for the Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme. This will help provide for monetary concerns, if any, of the families of these great freedom fighters. The Government must proactively help these families to enrol for the scheme, and give to them what they rightfully deserve. It is high time you took these two steps. I beseech the Government to fulfill the duty to this nation, to our glorious history and to these brave hearts who laid down their lives so we could be free today.

Demand to take safety measures at Sonegaon demolition centre for disposal of explosives in Maharashtra

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): महोदय, मैं आपका ध्यान हाल ही में घटी एक दर्दनाक दुर्घटना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पुलगाँव है, जहाँ केन्द्रीय गोला बारूद भंडार है, वहीं एक सोनेगाँव डिमॉलिशन सेंटर है, जहाँ एक्सपायर्ड बम व विस्फोटक सामग्री को नष्ट करने का काम किया जाता है। 20 नवंबर को बारूद की पेटी उतारते वक्त इस सेंटर में विस्फोट होने से 6 मजदूरों की मौत हुई और 13 घायल हुए। मेरी राय में विस्फोटकों को नष्ट करना तकनीकी काम है। इस तकनीकी काम के लिखित नियम होने चाहिए। जिनको इसका प्रशिक्षण दिया गया है, उन्हीं को यह काम सौंपना चाहिए। केन्द्रीय गोला बारूद भंडार के अधिकारियों की निगरानी में ही ऐसा जोखिम भरा काम किया जाना चाहिए। केवल मजदूरों के भरोसे ऐसा काम करना सरासर लापरवाही है। ठेकेदार के साथ-साथ केन्द्रीय गोला बारूद भंडार के अधिकारियों को भी दोषी मान कर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए, मैं यह भी जानना चाहता हूं।

यहाँ मैं और एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि दो साल पहले मई, 2016 में भी पुलगाँव के इसी केन्द्रीय गोला बारूद भंडार में ऐसी ही लापरवाही की वजह से एक बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसमें 18 लोग मारे गए थे, जिसमें दो लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। इस हादसे के बाद सुरक्षा के क्या कदम उठाए गए थे, मैं यह भी जानना चाहता हूँ।

Demand to pay attention towards problem of rising rate of unemployment, lower wages and rural-urban divide

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Sir, I want to express my deep concern at inadequate employment opportunities for the masses in rural and urban areas.

Unemployment levels have been steadily rising and after several years of staying around 2 per cent to 3 per cent, the headline rate of unemployment reached 5 per cent in 2015 with youth unemployment being a very high 16 per cent. This rate of unemployment is the highest seen in India in, at least, the last 20 years.

The biggest new challenge facing India's policymakers and administrators is rapidly rising unemployment. This shortage of jobs is compounded by depressed wages, with 82 per cent of men and 92 per cent of women earning less than ₹ 10,000 per month.

It used to be said that India's problem is not unemployment but underemployment and low wages. States such as Chhattisgarh, Gujarat and Karnataka are exceptions to the trend of rising unemployment nationally.

Another significant trend that the report highlights is the problem of low earnings. "Nationally, 67 per cent of households reported monthly earnings of up to ₹ 10,000 in 2015. In comparison, the minimum salary recommended by the Seventh Central Pay Commission (CPC) is ₹ 18,000 per month. This suggests that a large majority of Indians are not being paid what may be termed a living wage. The situation is worse in unorganized sector."

Such jobless growth is also creating a growing divide between the urban and rural areas and widening socio-economic inequalities in an unprecedented manner. I would, therefore, urge the Central Government to immediately take adequate measures to create employment opportunities in the country with adequate living wages. Thank you, Sir.

Demand to increase minimum wages to ₹ 18,000 per month

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I rise to urge the Government to take urgent steps to increase the minimum wages to ₹ 18,000 per month. The workers are the real builders of the nation. And, those who work in the unorganized sector do play a great role in making wealth for the nation. But, they are paid with meagre wages. In many cases, it is around a few hundreds per month. It has become impossible for millions of workers to survive with this poor wages. The prices of all essential commodities are sky-rocketing. The food inflation affects their lives badly. The purchasing capacity of rupee is falling down every day. A worker with three children needs minimum ₹ 25,000

per month, according to certain studies. It is in this background that the trade unions of the country are demanding ₹ 18,000 minimum in a month. By any yardstick, this is a genuine and modest demand from the side of the workers. This is one of the demands they raised in the country-wide general strike on 8th and 9th January. A Government which has any concern for the workers and the poor should heed to their voice. I believe, the concerned Ministers will take necessary steps in this regard.

Demand to enhance budgetary allocation and release of funds for drinking water projects in rural Meghalaya

SHRIMATI WANSUK SYIEM (Meghalaya): Sir, to achieve drinking water security and sustainability of drinking water sources in Meghalaya which are abundant, the Centre supports projects under the National Rural Drinking Water Programmes in rural habitats of the State.

Despite being one of the world's largest rain-fed regions, Meghalaya is handicapped because of hilly and non-porous terrain adversely affecting the charging of ground water formations, coupled with infrastructural backwardness and paucity of funds. The State suffers from sudden drop in allocation and release of Centre's share of funds both for implementation of new schemes but also in operation and maintenance of completed water supply schemes. Despite the recommendations of the Fourteenth Finance Commission Report for an increase in the share of States in the Centre's tax revenue pool from the earlier 32 per cent to 42 per cent, the budgetary allocations and corresponding releases under the Ministry of Drinking Water and Sanitation have dropped sharply to as low as ₹ 31.24 crores against the benchmark figures of ₹ 100 crores a year prior to 2014-15.

A large number of drinking water schemes, already sanctioned and accorded administrative approval by the State Government, are languishing due to paucity of adequate timely disbursements by the Centre. I urge upon the Centre to address this crucial issue concerning the welfare of the rural populace in Meghalaya at the earliest. Thank you.

Demand for urgent measures to deal with drought in Maharashtra

SHRI HUSAIN DALWAI (Maharashtra): Sir, the State of Maharashtra experiences huge variability in rainfall across various regions in the State. Major area of Maharashtra practices rain-fed farming. The net sown area under irrigation in the State of Maharashtra is about 16-18 per cent, which is even lower than the national average of 47.68 per cent.

[Shri Husain Dalwai]

Maharashtra has experienced drought during the years 2012 to 2016. Between 2015 and 2016, 7291 farmers and agricultural labourers have committed suicides in Maharashtra. The situation has been worst in Vidharbha and Marathwada region. Also Drought Prone Areas (DPA) in rest of Maharashtra have experienced distress in the recent years.

Even in 2018, Maharashtra has reportedly received only 77 per cent of its average rainfall this year. Drought has been declared in nearly half of Maharashtra, reportedly in 151 of the 353 talukas in the State. The situation gets aggravated by over-dependence of farmers on groundwater which also faces a drastic drop. This has led to crop failure, distress migration and increased vulnerability of farmers to extreme steps.

It is an urgent request to the Central Government to not just extend financial assistance to the State of Maharashtra and ensure compensation to affected farmers and people of the State of Maharashtra, but also take a long term perspective of the groundwater usage and recharge in the State. There should be an assessment of areas under irrigation in the State and promotion of rainwater harvesting and storage structures to recharge groundwater. Areas of Marathwada and Vidharbha which face greater water stress, need to be prioritised.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati. Vijila Sathyananth. Not present.

Demand to impound passports and denying visas to pro-Khalistani elements

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Sir, recently there is a surge in pro-Khalistani activities in some Western countries, particularly UK, USA and Canada. Sikh separatist elements among the Indian Diaspora in these countries are aggressively talking about a separate homeland for Sikhs. Some organisations like 'Sikhs for Justice' and movements like "referendum 2020" are increasing their nefarious activities in some countries and carrying anti-India campaign misleading Indian population there. The Government of India must take a serious note of such activities which is nothing but an attempt to revive Khalistan movement with an active support from Pakistan and the ISI. In recent past these anti-India people opposed the visit of some prominent Indian Ministers and leaders in UK, US and Canada and demonstrated against them. Indian Missions abroad must play an active role and identify such elements through media coverage of such events and their passports should be cancelled and if they are not Indian citizens, they should not be allowed to enter India and visa must be denied. We should not forget that

Pakistan is bent upon creating trouble and making several efforts to disintegrate India by extending active support to such Khalistani elements living abroad. I urge upon the Government to take up this issue with their counterparts in these countries for taking action against such persons. Thank you.

VALEDICTORY REMARKS

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यों, इस संविधान संशोधन विधेयक पर आज लगभग 10 घंटे राज्य सभा में चर्चा हुई। बहस का समय 8 घंटे तय किया गया था। मैं एक-एक सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने भी आज की बहस में भाग लिया, उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से अपने विचारों, तर्कपूर्ण बातों और तथ्यों को रखा है। इससे एक बार पूरे राज्य सभा की गरिमा, जिसकी स्थापना के समय हमारे महान संविधान निर्माताओं ने कामना की थी, वह साकार हुई। अन्य उपस्थित सदस्यों ने भी गरिमापूर्ण और धैर्य से सबकी बातें सुनीं। यह उल्लेखनीय है, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

Hon. Members, the 247th Session of Rajya Sabha, which commenced on the 11th December, 2018, comes to a close today. In all, the House had 18 sittings, during which it was able to deliberate for only 27-plus hours. More than 78 hours were lost, which is a sad reflection on the functioning of the Upper House of Parliament.

The Session was characterised by regular and continuous disruptions which deprived Members of the opportunity to discuss matters of urgent public importance and seek the accountability of the executive through questions.

Out of the 285 Starred Questions admitted, only 31 could be answered orally and Question Hour could not be taken up on 13 days. Only 38 matters could be raised by Members with the permission of the Chair, while only eight Special Mentions could be made, during the entire Session. Members were deprived of the opportunity to listen to the Statement of the Minister of Home Affairs and seek clarifications on the Calling Attention Motion regarding situation arising due to devastation caused by Cyclones Gaja and Titli in some States and the action taken by the Government in regard thereto, due to continuous disruption of the House.

Four Government Bills were passed, five Government Bills were introduced and four were withdrawn. The House deliberated on the landmark Bill, the Constitution (One Hundred and Twenty-fourth Amendment) Bill, 2019, as passed by Lok Sabha for more than eight hours in which 39 Members participated. The Statutory Resolution on the Proclamation issued by the President under Article 356 of the Constitution of India in relation to the State of Jammu and Kashmir was also discussed for more than

[श्री उपसभापति]

two-and-a-half hours, in which 15 Members participated, and was adopted by the House.

No Private Members' Bills could be introduced or discussed during the entire Session. However, the House was able to discuss two Private Members' Resolutions.

The House made references to the passing away of Shri Atal Bihari Vajpayee, former Prime Minister; Shri Somnath Chatterjee, former Speaker of Lok Sabha; Shri Ananthkumar, Minister of Chemicals and Fertilizers and Minister of Parliamentary Affairs, along with 17 other former Members. The House also made reference to the passing away of Mr. George H. W. Bush, former President of U.S.A.

I take this opportunity to thank the Leader of the Opposition, the Leaders of various parties and groups and the hon. Members for the cooperation extended by them in the overall functioning of the House. I also thank the officers and staff of the Secretariat for their help and cooperation.

NATIONAL SONG

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, before we adjourn the House *sine die*, we will have the National Song.

(The National Song, *'Vande Mataram'* was then played.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned *sine die*.

The House then adjourned sine die at
twenty-nine minutes past ten
of the clock.